

प्रकाशक

मानण्ड उपाध्याय

मत्री, मस्ता माहित्य मडल

नई दिल्ली

दमरी वार १९४०

मूय

प्रकाशक रूपये

मद्रा
दिल्ली प्रिंटिंग प्रेस
दिल्ली

प्रकाशकीय

इस पुस्तक में डा० कैलासनाथ काटजू के सस्मरणात्मक तथा अन्य लेखों का संग्रह किया गया है। इन रचनाओं को हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं १ व्यक्तियों के सस्मरण, २ अदालती मामलों की यथार्थ कहानियाँ। पहली श्रेणी के सस्मरण जहाँ हमारे मर्म को स्पर्श करते हैं, वहाँ दूसरी श्रेणी की कहानियों से न केवल हमारा मनोरंजन होता है, अपितु निजी स्वार्थ के लिए अदालती मामलों में होनेवाले प्रपंचों के प्रति तिरस्कार का भाव भी पैदा होता है।

विद्वान् लेखक के सोचने का ढंग अपना है। इसलिए उन्होंने इस संग्रह की कुछ रचनाओं में प्रचलित माध्यताओं के विपरीत एक नया दृष्टिकोण उपस्थित किया है। लेखन-शैली का तो कहना ही क्या। वह इतनी रोचक और सजीव है कि सामान्य घटनाओं में भी उससे जान पड़ गई है। अदालती मामले तो इतने दिलचस्प हैं कि उन्हें पढ़ने में कहानी का-सा आनंद आता है।

हमें विश्वास है कि पाठक इस पुस्तक को चाब से पढ़ेंगे और इसके द्वारा उन्हें पर्याप्त विचार-सामग्री प्राप्त होगी।

पुस्तक के कुछ लेख मूल हिंदी में लिखे गये हैं। कुछ का अनुवाद श्री सतराम 'विचित्र' तथा कुछ थोड़े से का अन्य वधुओं ने किया है। हम उनके आभारी हैं।

दूसरा संस्करण

कुछ ही समय में पुस्तक का दूसरा संस्करण पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। पुस्तक की सभी क्षेत्रों में बड़ी प्रशंसा हुई है और उसे खूब पसंद किया गया है। आशा है, इस नये संस्करण का भी उसी प्रकार स्वागत होगा।

भूमिका

इस किताब में मेरे लेखों का संग्रह है। इनमें से कईएक लेख तो अदालती मुकदमों के हैं, जिनसे अपनी वकालत के दिनों में मुझे वास्ता पड़ा था। लेकिन कुछ लेख ऐसे व्यक्तियों के भी हैं, जिनमें मुझे विशेषता दिखाई दी थी। मैं खासतौर पर पाठकों का ध्यान दो लेखों की ओर दिलाना चाहता हूँ। एक मेरी माताजी के बारे में है, दूसरा पिताजी के। ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वे कोई साहित्यिक दृष्टि से बड़े ऊँचे दर्जे के हैं, बल्कि उनके विषय की दृष्टि से। वरमों पहले मेरी धारणा हुई कि हरएक बाल-बच्चेदार मनुष्य का यह फर्ज है कि वह अपने बच्चों और नाती-पोतों के लिए अपने माता-पिता तथा पूर्वजों का हाल लिखकर छोड़ दे। मिसाल के तौर पर, मेरे नाती-पोतों को मेरे माता-पिता का परिचय सिवा उनके नाम-वाम की जानकारी के और क्या हो सकता था? मैंने सोचा कि यह ठीक नहीं है, और मुझे ऐसा परिचय तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें मेरे नाती-पोतों को साफ मालूम हो जाय कि उनके बाप-दादे कैसे थे, उनकी आदतें कैसी थी, किस तरीके के उनके विचार थे और वे कैसे जिंदगी बिताते थे। सबसे पहले मैंने 'माताजी' लेख लिखा। सुप्रसिद्ध हिंदी मासिक 'सरस्वती' के संपादक, मेरे मित्र, श्री देवीदत्त शुक्ल ने उसे देखा और छापने की इच्छा प्रकट की। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ और मैंने उसे उन्हें बताया भी, क्योंकि वह लेख महज अपने घर के लोगों के लाभ के लिए लिखा था। मेरे मन में कभी भी यह बात नहीं आई थी कि वह छप भी सकेगा। शुक्लजी ने कहा कि यह ठीक है कि इस लेख में कोई खास साहित्यिक छटा नहीं है, किंतु वह इस तरीके से बेमिसाल है कि हमारे देश में अबतक किसीने भी अपनी

माना है या मैं स्वाम तौर पर नहीं लिखा। मेरा खयाल है कि
 मर्गि मानाजी ताम्बा में एक थी और उनका दिन और दिमाग आला
 दर्जे का था। मगर उसके साथ ही मेरी मानना है कि भारत में हमारी
 मर्गि मानाण अपन पर-वार के प्रति अपन निम्वाथ एव निष्ठापूण
 स्तव्य-पावन में सच्चमुच्च देविया ही हाती है। भारतनामी अपनी
 मानाया के कर्णा है उसे व वास्तव में, समझ नहीं पाते। मैं अपनी
 महानत का मफत मानूंगा और गव अनुभव करूंगा, अगर मेरे इन लेखों
 में प्रगति हाकर हमारे पाठक अपन मा-वाप के बारे में जरूरी जान-
 सारी नियमन तैयार कर दे। हमारे देश में कुछ ऐसा साहित्य भी
 निरन्तरा चाटिण जा पारिवारिक जीवन में सवध गयता हो और
 उसमें सिर्फ प्रद नागा सा ही नहीं, बल्कि उन नागा सा भी जिक्र
 टाना चाटिण जिनका पास प्रदुन ज्यादा तन-सपत्ति नहीं है।

सकीता त या में आजकल सव तरह की बात सही जाता है।
 सिमाकी समी ना गय क्या न हा तसिन उस या में इन्कार नहीं

भी बड़ी चतुराई की जरूरत होती है। वास्तव में वकील ही अपने साथी वकीलों की योग्यता को आक सकता है। वकालत का मार यह है कि किसी भी मामले का निचोड़ लेकर अदालत के सामने यथा सभव थोड़े-से-थोड़े में इस ढंग से पेश किया जाय कि अदालत कायल हो जाय। इस अवध में 'पहियों के निशान' एक अच्छा उदाहरण है और उसकी ओर मैं खास तौर से पाठकों का ध्यान खीचना चाहता हूँ।

वाकी के कई लेखों में भी अदालती मामलों की घटनाएँ हैं, जो रोचक होते हुए भी पाठकों के लिए अपना विशेष महत्व रखती हैं। 'दैनिक समस्याएँ और उनका सामाधान' में मैंने परिवारों के जीवन को सुखी और शांत बनाने का एक नया उपाय बताया है। इसी तरह 'अपराध और अपराधी' में अपराधियों के प्रति अपने वर्तमान रवैये को बदलने का सुझाव दिया है।

'जवाहरलाल नेहरू वकील के रूप में' जवाहरलाल के वकालत के दिनों की तथा बाद में विशेष अवसरों पर वकील के रूप में उनके अदालत में जाने की दिलचस्प कहानी है।

मुझे खुशी है कि यह किताब हिंदी की प्रमुख प्रकाशन-संस्था, सस्ता साहित्य मंडल, से निकल रही है।

आशा है, हिंदी के पाठक इसके लेखों को चाब से पढ़ेंगे।

१, क्वीन विक्टोरिया रोड,
नई दिल्ली, १ मार्च १९५५

—कंलासनाथ काटजू

विषय-सूची

१	माताजी	६
२	पिताजी	२०
३	वाह री बेटी !	३८
४	दैनिक समस्याएँ और उनका समाधान	४३
५	मैंने कबालत कैसे शुरू की ?	४८
६	मेरा पहला मुक्किल	५५
७	साहसी लडकी	६६
८	कुछ पुरानी स्मृतिया	७८
९	अपराध और अपराधी	८६
१०	अदालतों में झूठी गवाहिया	९५
११	अगूठे के निशान ने बचाया	१०८
१२	अविश्वसनीय, किंतु सच	११५
१३	मानव-जीवन दाव पर	१२३
१४	मुक्किल का भाग्य	१३३
१५	आत्म-सम्मान	१३६
१६	लालटेन की मौजूदगी	१४५
१७	कडुएँ बादाम	१५३
१८	भाग्य-चक्र	१६०
१९	पहियों के निशान	१६६
२०	जवाहरलाल नेहरू वकील के रूप में	१७६

मैं भूल नहीं सकता

: १ :

माताजी

हरएक को अपनी माता प्यारी होती है और माता के समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं दीखता, परन्तु मेरी माता केवल मुझको ही प्यारी नहीं थी, जिन-जिनसे उनका संपर्क हुआ, उनको वह सैकड़ो-हजारो में एक मालूम हुई। मुझे अब लगता है कि मेरी माता ५० वर्ष जल्दी पैदा हुई। यदि ५० वर्ष बाद होती, तो उनके जो त्रिचार थे और ईश्वर ने जो वृद्धि उनको दी थी, उसको देखते हुए वह हमारे देश में महिला-समाज के लिए बहुत उत्तम कार्य करती और समाज में बड़ा नाम पाती।

मेरी माता अपने माता-पिता की इकलौती सतान थी। उनके पिता पंडित नदलाल काश्मीरी पंडित थे। वह पजाब में पहल जिला हिसार और बाद में बहुत वर्षों तक होशियारपुर में सरकारी अधिकारी रहे। मेरी माता का जन्म माघ सवत १९१५ (जनवरी १८५९) में सिरमा, जिला हिसार में हुआ। मा-बाप ने नाम रामप्यारी रखा। ससुराल में सुहागरानी कहलाई। वास्तव में दोनो नाम सुंदर और शुभ घड़ी में रखे गये। वह निस्संदेह राम की प्यारी थी और अत समय में अपने विवाह के ७१ वर्ष पश्चात् अपना सुहाग अपने साथ लेकर गई।

नदलालजी अपनी बेटी को बहुत चाहते थे। घर में रामप्यारी और दादी दोनो मौजूद थी। प्यार-दुलार तो बच्ची का बहुत था, लेकिन वह जमाना कुछ और ही था। महिलाओं में शिक्षा इत्यादि का चलन नहीं था। मेरी माताजी कहा करती थी कि उनकी दादी को यह बात जम गई थी कि रूस के रहनेवाले सब घुडमुहे होते हैं। बूए की गाडी, यानी

रेल, उन दिनों नई-नई निकली थी, मगर हमारी दादीजी को मरते दम तक यह विश्वास नहीं हुआ कि इजन भाप में चन सकता है। रेल पर तो कभी बैठी ही नहीं थी। घर में स्त्रियों का तो यह हाल था, परन्तु पिताजी को विद्या से बड़ा प्रेम था। बहुत उमर से अपनी पत्नी के मना करने पर भी वेदों को खुद पढ़ाया-लिखाया। बाप में हिंदी और फारसी सीखी, दिमाग ईश्वर ने बहुत अच्छा दिया था। मस्कून खूब पढ़ी और गणित भी। भूगोल, नक्षत्र-ज्ञान अच्छी तरह जानती थी और ज्योतिष में तो इतना कमाल था कि बड़े-बड़े पंडितों और ज्योतिषियों में वार्तालाप करती थी। फारसी में 'गुलिस्ता-बोस्ता' और 'दीवान हाफिज़' बराबर याद थे। विचार-शक्ति बहुत ऊंची थी। जो एक दफा पढ़ती या सुनती थी, वह सदा के लिए याद रहता था। धर्मशास्त्र अपने-आप सब पढ़े थे, और गीता तो कठस्थ-सी थी।

नौ बप की अवस्था में सन् १९२५ (सन् १८६८) में मेरे पिता पंडित त्रिभुवननाथजी काटजू के साथ उनका विवाह हुआ। हमारा घर जावरा (मालवा) में है, गहर से दूर एक कोने में। सन् १९२५ में जावरे में रेल भी नहीं थी। छोटी जगह पुराने विचार, पुराने चलन और रीति-रिवाज। मरों मानाजी यहां ५० बप की आयु तक परदे में बंद रही। विवाह छोटी आयु में हुआ था और जाड़े अरसे के बाद सब घर-गृहस्थी का बोझ उनपर पड़ गया। दर-जोड़ सब अना रहते थे। घर का कुल काम-बधा, रोटी-पानी, बच्चों का पालना-पामना, कपड़ों की मिलाई, सब अपने-आप करती थी और उमर पढ़ने-लिखने को रुचि। खुद पढ़ती थी और दूसरों को पढ़ाता थी। दापहर का १-२ बजे जब घर के धरने से कुछ सुभीता मिलता, तो मरने का तडकिया था जानी और छोटी-सी पाठशाला लग जाती और मरों मानाजी तडकियों को पढ़ना-लिखना सिखाती थी।

काश्मीरी पंडितों में परदा बाहरवालों से होता है। घर में ससुर या जठ से नहीं होता। पुत्र के जितने लोग थे, उनकी गिनती काफी थी। वे सब स्त्री-पुरुष मरों मानाजी को घेरे रहते थे। घर के सब पुरुष और

लडके उनसे बीसो बातों पर वार्तालाप करते थे । कभी समाचार-पत्र सुनाना, कभी दुनिया की चर्चा, राजनैतिक बातें । रियासत के मामले वह सब सुनती और समझती थी । मुझसे कहती थी कि एक दफे विवाह के कुछ वर्षों बाद तुम्हारे ताऊ शाम को आये और कहने लगे कि सुहागरानी, आज शाम को नवावसाहब के यहा एक सज्जन ने एक सवाल बताया जो अखबार में छपा है, लेकिन हम लोगो में से किसीको उसका जवाब नही बन पडा । मैंने पूछा, क्या सवाल था, तो कहने लगे, सवाल था कि एक आदमी के नी लडके और उसके पास ८१ मोती, और मोती के दाम इस तरह कि एक मोती एक रुपये का और दूसरा दो का और तीसरा तीन का और इस प्रकार एक-एक रुपया बढ़ता जाय और ८१वें का दाम ८१ रुपये हो । पिताजी चाहते हैं कि हरएक लडके को ९-९ वाट दें, परंतु बटवारा ऐसा हो कि हरएक का कीमत में हिस्सा बराबर हो । मैंने सुना, मैं चुप हो गई, सवाल कुछ कठिन लगा । जब सब लोग सो गये, मैं कागज-पेंसिल लेकर बैठी और दो घंटे में मैंने सवाल हल कर दिया और उसका उत्तर तुम्हारे ताऊजी को दूसरे दिन दे दिया । उनको बडा आश्चर्य हुआ । नवावसाहब के दरवार में ले गये और वहा बडे गौरव से बयान किया कि मेरी भावज ने सवाल सही कर दिया । सब लोग दंग रह गये ।

वास्तव में २०-२२ वर्ष की आयु की एक महिला के लिए, जिसने अपने घर में खुद ही पढना-लिखना तथा गणित सीखा हो, ऐसे प्रश्न का सही हल करना एक आश्चर्यजनक बात थी ।

मेरी माताजी घर में साधारण स्त्री की तरह सभी काम-धवा करती थी, परंतु उनके विचार उस समय को देखते हुए और जिस वातावरण में उनका जीवन बीत रहा था, बिल्कुल निराले और बहुत ऊंचे थे । उनका दृढ विश्वास था कि मर्दों ने स्त्रियों को दवा रखा है और वह कहा करती थी कि वे औरतों को पशुओं की तरह अपनी जायदाद समझते हैं । कहती थी कि हमको चूल्हे के सुपुर्द कर दिया है । औरतों को मर्द रोटी-कपडा देकर यह समझते हैं कि उनके घर की दासी हैं । मैं जब बडा हुआ और

इन बातों को समझने लगा तो मैं हमता था और कहता था—“अम्माजी, तुम रसोईघर में चूल्हे के पास बैठकर अन्नपूर्णदेवी मालूम होती हो।” इसपर वह बहुत विगडती थी और कहती थी कि तुम लोग ने यही कह-कहकर, मीठी-मीठी बातों में लुभाकर, हमको अगाहिज बना रखा है। उनकी जबरदस्त इच्छा थी कि हर एक स्त्री इनना पढ-लिख ले गीर हुनर-दम्नकारी सीख ले कि वह अपना पेट खुद पाल सके और मदा का मुह देखती न रहे। कहती थी कि मैं शादी-विवाह के खिलाफ नहीं हूँ, घर-गृहस्थी करना तो स्त्रियों का धर्म है। मगर मैं नहीं चाहती कि स्त्रियाँ दबल बनकर रहे। स्त्री और पुरुष में वह पूरी बराबरी की दावेदार थी और उनका अपना विचार यह था कि बराबरी की ही बुनियाद पर पति और पत्नी अपना घर चलाये। इस दृष्टि में वह स्त्री-शिक्षा की बड़ी जबरदस्त समर्थक थी और जब कभी सुनती या समाचार-पत्र में पढती कि देश की किसी स्त्री ने बी० ए०, एम० ए० पास किया है या नाम शामिल किया है, तो वाग-वाग हो जाती थी। यह चर्चा मैं आज की नहीं करता हूँ, बल्कि ६०-६५ वर्ष पहले की, जबकि गाँव व कसबे की तो बात दूर, बड़े-बड़े नगरों में भी स्त्री-शिक्षा का प्रचार नहीं था।

सतानोत्पत्ति के बारे में भी उनके विचार ऐसे थे, जो अब पाये जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य और उसके द्वारा मान-निग्रह की वह बड़ी पक्षपाती थी। कहती थी कि बच्चों के बीच में कम-म-कम चार-चार वर्षों का अंतर होना चाहिए, ताकि एक बच्चा माँ का दुःख पीकर बड़ा हो जाय। माँ उसको पूरी-पूरी देख-भाल, पालन-पोषण करले, तब दूसरा बच्चा उत्पन्न हो। किसी स्त्री के जल्दी-जल्दी हर दूसरे साल बच्चा हाना सुनती थी तो उनको घृणा हाती थी और इसका प्रचार वह अपने कुटुंब की और सबक में आनेवालों सियों में करती थी।

विवाह के सत्र में भी उनके विचार बड़े स्थान थे। छोटी ब्राह्मणों की शादी उन्हें बड़ी नापसंद थी और विरादगी में ही शादी होना आवश्यक नहीं समझती थी। सब ब्राह्मणों का एक ही मानती थी। प्रत्येक वर्ग में जो

सहस्रो लड़ें पड गई हैं और एक-दूसरे में जो व्यावहारिक मतभेद हो गया है, इस कैंद को भी बुरा मानती थी ।

जीवन उनका एक सच्चा धार्मिक जीवन था । शिवजी की बड़ी भक्त थी और नियम के माय रोज उपासना करती थी । इसी कारण उन्होंने मेरा और मेरे भाई का कैलाशनाथ और अमरनाथ नाम रखा था । धार्मिक पुस्तकें बहुत पढी हुई थी । खाने-पीने में छूतछात का विचार तो करना ही पडता था, लेकिन उसमें बहुत कट्टर नहीं थी । कहा करती थी कि शास्त्रों में जितनी खाने-पीने की मनाइया लिखी हुई हैं, उनका धर्म से और ईश्वर की भक्ति से कोई सबब नहीं है । वह तो सब अपने शरीर के रक्षार्थ हैं । छूत-छात से बहुत बीमारियां हो जाती हैं । उसीकी रोक-थाम के लिए हमारे ऋषियों ने ये सब कायदे बनाये । लोग उनको मानें, इस वास्ते उनको धार्मिक रूप दे दिया, वरना यह तो सब डाक्टरी शिक्षा है ।

सबत १९६५ में मैंने अपनी वकालत का काम कानपुर में आरम्भ किया । ६ वर्ष वहा रहकर सबत १९७१ से प्रयाग-हाईकोर्ट में वकालत करने लगा । हम लोगो का इनसे पहले सयुक्त प्रांत से कोई वास्ता नहीं था, परंतु अब तो प्रयाग में अपना घर-द्वार बना लिया है । मेरी वकालत तो मेरी माताजी के लिए आजादी का कारण हो गई । वह सबत १९६६ से मेरे पास कानपुर और प्रयाग में आने-जाने लगी । कहा तो जावरे की मुसलमानी रियासत, परदे का जोर, कहीं बाहर निकलना नहीं होता था, मंदिर में आने-जाने का भी दम्तूर नहीं था, और कहा कानपुर और प्रयाग में गगाजी का तट और आने-जाने की कोई बाधा नहीं । घर का काम-धवा कानपुर में तो सब वैसा ही था जैसा जावरे में । मेरी नई वकालत, नई जगह, सभी कठिनाइया थी, परंतु वह मगन रहती थी । बेटे की घर-गृहस्थी जमाना, इसमें ही क्या कम आनंद था और उसपर परदे की कोई ज्यादा रोक-टोक नहीं । रोज गगाजी जाती, स्नान करती, कैलाश मंदिर में दर्शन करती और घर आती थी । विरादरी के और गैर-विरादरी के बहुत-से घरों से हमारा मेल-जोल हुआ, उन सबसे मिलना-जुलना माताजी को बहुत अच्छा लगता था ।

यहा भी खूब दुनिया की चर्चा रहती थी और वह अपनी ज्ञान-वृद्धि बराबर करती जाती थी। प्रयाग में ७-८ वर्ष तो मैं किराये के मकान में रहा। बाद में सन् १९७९ में अपना बगला खरीद लिया। अब तो माताजी को पूरा अवसर मिला कि अपनी इच्छानुसार काम करे। प्रयाग में प्रायः साल-साल, दो-दो साल आकर रहती थी। त्रिवेणी—गंगाजी, जमुनाजी के स्नान बराबर होते थे। शिवकुटी और पंचमुखी महादेव के शिवालों में जाकर उनके दर्शन करने का शौक था। सदा वहा जाती थी, मानु-मनो की भी सेवा करना उनका खास काम था। घर में मदा पूजा-पाठ, कथा-हवन इत्यादि होते ही रहते थे। पंडितो-पुजारियों में वार्तालाप होता था, परंतु किसी पंडितजी महाराज की क्या मजाल कि जो विप्रिपूवक पूजा करने में कोई कमी करे या किसी मंत्र का उच्चारण अशुद्ध करे। उनका मन मजबूत था। सबके अर्थ समझती थी और देखती रहती थी कि पूरा काय शुद्ध रूप से समाप्त हो। दानी भी थी और गुप्त दान देने में उन्हें बड़ी रुचि थी। किसीको मालूम नहीं होता था कि माताजी किस-किस की क्या सहायता कर रही हैं। चलने-फिरने, हवा खाने को बड़ी उत्सुक रहती थी, मैंने गंगा किनारे एक बगीचा लिया था। वहा जाकर रहना तो उनको बहुत ही पसंद था। प्रयाग में आकर मुझे मालूम हुआ कि उनका वागवानी में फितना दखल था। मालियों को अपने सामने खड़े होकर उपदेश देना, फलों के पांशे और फल के पेड़ लगवाती, उनके हाथ के बहून-से आम, अमरुद इत्यादि के पेड़, चमेली-गुलाब के पींशे उनकी स्मृति के रूप में मेरे बगले और वाग में मौजूद हैं।

गो-सेवा सदा तन-मन से करती थी और गऊ के बच्चा होना तो हमारे घर में ऐसा होता था कि जैसे किसी बच्चे का जापा हुआ है। हफ्तों पहले से गाय घर में आ जाती थी, उसकी देख-भाल माताजी स्वयं करती थी और बच्चा उत्पन्न हान के बाद उसको सेवा, उसकी खिलाई-पिलाई महीनों बड़े ध्यान से की जाती थी। तभी बच्चा पैदा हुई ता माताजी निहाल हो गई। वह बच्चा फिर घर में ही गाय बनती थी और ऐसी कई गाएँ—बेटे और नवागी—अभी तक हैं। जन्मक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता था, तब-

तक माताजी का आदेश था कि एक थन का दूध वचाकर छोड़ा जाय । जानवरो की चिकित्सा में भी काफी दखल था । कुत्ते-विल्ली में नफरत थी । कहती थी कि कुत्ता गदा और विल्ली विश्वासघातक होती है, लेकिन रंग-विरंगी चिडिया, तोते-मैना बहुत पसंद आते थे और उनकी रक्षा करती थी ।

डाक्टरी की तरफ माताजी का खास रुझान था । वगैर किसी परीक्षा पास किये अच्छा खासा अभ्यास और जानकारी हो गई थी । मनुष्य का ढाचा और उसकी बनावट और दिल, दिमाग, कान, आख सब अंगों की क्रियाएँ खूब अच्छी तरह जानती थी । स्त्री-जाति की बीमारियाँ और प्रसूति इत्यादि के मामले में तो उनकी योग्यता असाधारण थी । घर में बहू-बेटियों का ही नहीं, बल्कि महल्ले के रहनेवाले और प्रयाग में हाते के नौकर-चाकरो में भी माताजी का ही इलाज औरतो-बच्चों का हुआ करता था । हिकमत और आयुर्वेदिक दवाओं से अच्छी जानकारी थी । मरीज की देखभाल, सेवा और नर्सिंग भी बड़ी रुचि तथा तन-मन से करती थी ।

ये गुण तो थे ही, परंतु जो बात उनकी तरफ हरएक को खींचती थी, वह था उनका स्वभाव । क्या बड़े, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, सब उनसे खुश रहते थे । पुराने खयाल की बड़ी-बूढ़ी औरतो में माताजी की बड़ी कदर थी । विरादरी के सब रस्म-रिवाज, शादी-व्याह के अवसर पर लेना-देना, विधिपूर्वक पूजा-पाठ इत्यादि सब मामलों में माताजी की राय मागी जाती थी और उसपर अमल होता था । घर में स्कूल और कालेज के पढ़ने-वाले बालक और बालिकाएँ अम्माजी के पास रुचि से बैठ कर लेते थे । भारत का इतिहास उनको याद था । गाना-बजाना सीखा नहीं था और न जानती थी, मगर सुनने का बड़ा शौक था । मेरी लडकी लीला का गला बहुत अच्छा था । मीरा के भजन बड़े प्रेम से गाती थी । माताजी घंटों सुनती और लीन हो जाती । मगर सबसे अधिक तो उनकी पूछ-नाछ थी कुटुंब के पुरुषों में । हमारे घर में ईश्वर की दया से सब ही हैं जज, वकील, डाक्टर, इंजीनियर,

कारखारी और हर तरह के सरकारी—ओहदेदार—बराबर गाना-जाना लगा रहता था। जब मैं नीकर में पूछता कि वह गाह्व कहा है, उत्तर मिलता, बहूजी के पाम बैठे हैं। जो आना, मीठा मुहागगनी चार्ची के पाम जाना, अपना दु ख-दर्द बयान करता। वह बड़े प्रेम में सब कथा सुनाती और नेक मलाह देती। हरणक के साथ उसके काय के बारे में बातचीत करने का माताजी का खाम ढग था। इंजीनियर के साथ इंजीनियरी के मामलों पर बहस करती थी और डाक्टरों के साथ डाक्टरी की बात, मैं तो अक्सर रात को भोजन करके उनकी गोद में अपना सर रख के लेट जाता और उनमें अपने मुकदमों का हाल बयान करता था। अपने अनुभव और बुद्धि में ऐसे-ऐसे नुकते निकालती कि उनसे बड़ी मदद मिलती थी।

दु ख-दर्द में माताजी के समान तमल्ली देनवाला, सतोप करानेवाला शायद ही कोई होगा। दुखग्रस्त लोगों को उन्हें देखकर और उनके शांति-पूर्ण उपदेशों से बड़ा सतोप मिलता था। स्वगवामो स्वरूपगनीजी नेहरू के साथ मेरी माताजी का घनिष्ठ संबंध हो गया था। वह मेरी माता-जी को अपनी बड़ी बहन मानने लगी थी और उसी नाते में मुझको भी अपना बेटा बहती थी। जिस हलके में उनका मिलना-जुलना था और जीवन बीतता था, और वह प्रयाग में एक काफी बड़ा हलका था, उसमें माताजी का प्रभाव काफी था।

राजनैतिक मामलों में बड़ी दिलचस्पी थी और बराबर उसकी जानकारी रखती थी।

हिंदुस्तान का गरात्र जनता की भलाई हर समय उनकी निगाह के सामने रहती थी और इस विषय में गांधीजी का बराबर सराहा करती थी। इसी दृष्टि में कांग्रेस मतिमंडन की शराब के बारे में जो नीति थी, वह उमता जात्र के साथ समर्थन करती थी। चाय पीने के बहुत खिलाफ थी। प्रयाग में नाश मता था। निवेशी रनान करने गईं। वहां में लौटने पर मुझमें बड़ी नाराज हुईं। कहने लगी कि तुम लोग प्रयत्न नहीं करते हो। गरीबों का नाश हो जायगा। मैंने पृच्छा—“अम्माजी, आखिर क्या

मामला है ?” मालूम हुआ कि चाय का प्रचार करने के लिए चाय-बगीचों के मालिकों की तरफ से गंगा के तट पर कैम्प लगा है, वहाँ चाय मुफ्त बाँटी जा रही है। उनका तो काम चाय के प्रचार का था, लोगों को मुफ्त चाय पिलाते थे, ताकि आदत पड़ जाय। माताजी का विचार था कि दूध-दही खाने की देश में आवश्यकता है और चाय में हिंदुस्तान में स्वास्थ्य खराब हो जाता है, भूख कम हो जाती है। मृदुलसे कहने लगी कि तुम सरकारवाले थोड़ी आमदनी के लिए भारत का सत्यानाश करते हो।

माताजी की बोलचाल मीठी और गभीर होती थी। व्यर्थ वार्तालाप और कोरे बकवास से उनको घृणा थी। अतः समय तक उत्सुक थी कि वह कुछ नई बातें सीखें और जानकारी को बढ़ाये। शांति की मूर्ति थी। मैंने कभी उन्हें क्रोधित होते नहीं देखा। न कभी हर्ष होता था, न द्वेष करती थी। सुख-दुख में समान रहती थी। रोने-धोने की आदत नहीं थी। घर में बहुत शादियाँ हुईं, लड़कियों के विदा होने के समय घर-भर रोता है और आसू गिराता है, परंतु माताजी वैसी-की-वैसी ही शांत रहती थी। मैंने कभी भी एक आसू गिराते उन्हें नहीं देखा और अगर बेटों-पोतों माताजी से अलग होते समय रोती थी, तो उसको माताजी मना करती थी। माताजी ने दुःख भी उठाये, बड़ी प्यारी पाली-पोमी व्याहता बेटों-पोतों उनके सामने गुजर गईं, लेकिन उन मदमें कौं भी उन्होंने बहुत सन्न, शांति तथा हिम्मत के साथ झेला।

हर एक के साथ उनका बर्ताव अच्छा होता था। मैंके मे एक भाई गोद आया था। ननद-भौजाई में मैंने ऐसा मेल नहीं देखा। लगता था, जैसे दो सगी बहनें हो। मेरी मामी मुझे बेटा समझती थी और मैं उनको माता के समान मानता था। उन्हींके घर जाकर मैंने लाहौर में ५ वर्ष रहकर बी० ए० पास किया। मेरे मामूजी की सतान और उनके जमाई दीवान बहादुर ब्रजमोहननाथ जुत्सी को मेरी माताजी में जैसा प्रेम था उनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अपने घर में माताजी अपनी बेटियों से ज्यादा बहूओं को प्यार करती थी। कहती थी कि बेटियाँ तो दूसरों के

घर गई। मेरे घर की आवादी तो बहुओं में है। नतीजा यह कि घर में कभी कोई खटपट नहीं। हमेशा आति, हर एक खुश और मगन। बहुओं की दृष्टि में माताजी भास नहीं थी, परंतु माता के समान थी।

अभ्यास करते-करते माताजी की ज्योतिष में बहुत दखल हो गया था। जब प्रयाग में होती तो हाते के नीकर-चाकरो के बच्चों की जन्म-कुडली बनाती थी। मेरे पाम जब कोई ज्योतिषी आते, मैं उनकी माताजी से भेट करा देता। नतीजा यह होता कि मुझे तो छुटकारा मिल जाता और उनको कलई खुल जाती। मेरी जानकारों में माताजी की बतार्ड हुईं वाते बहुत मच निकलीं। चालीस वष पहले जब मैं कालेज में पढता था, उन्होंने मेरे कुल जीवन का नक्शा खींच दिया था। इन चालीस वर्षों के बारे में बतार्ड हुईं सब वाते मही निकलीं।

खाने-पीने में वह बहुत पावद थी। मेरे हाथ का छाया हुआ कच्चा खाना नहीं खाती थी, मगर अच्छतपना विल्कुल नहीं मानती थी। मैंने उनको चमार व भगी औरतो और बच्चों को अपने पाम प्रेम से विठाते, उनकी दवा करते और बच्चों को गोद में लेते देखा है।

हम पाच भाई-बहन थे। सबको ही प्यार करती थी। मगर सब कहते थे कि मेरे प्रति स्नेह अधिक था। कहा करती थी—“मेरे २४ वष तक कोई मनान नहीं हुई। मुझे इसका कुछ अधिक दुख नहीं था। मुझे मनान की ज्यादा अभिलाषा नहीं थी, क्षण ही समझती थी। उस उमर में पहली श्रीलाद लडकी हुई, तो मुझे जरूर कामना हुई कि ईश्वर ने जब मनान दी तो पुत्र भी दे और मैंने शिवजी में ऐसी ही प्राथना की। तू चार वष बाद उत्पन्न हुआ तो मेरी साम कहने लगी कि काटजू-खानदान में दा पीढिया से काई लडका पैदा नहीं हुआ। गोद मागकर यह घर चला है। मेर भाग्य में कहा कि मैं इस नडके न सुख पाऊ। उनका कहना मच ही निकला और आठ महीन ही में परलाफ मिवांर गई। मैं भी बीमार पड गई। जाप के बाद मैं ही दो वष ज्वर आया, माना दिक् (क्षय) हो गया, मरने-मरने बची। राता व्याकुल हो जाती थी, आसू निकल आते

थे और सोचती थी कि यह बच्चा इतनी कामनाओं से मागा हुआ, मालूम नहीं किसके हाथों पड़ेगा । कौन स्त्री इसकी विमाता बनेगी, कौन इसको पालेगी और शिव भगवान से बार-बार मागती कि तुमने मुझे बच्चा दान दिया तो मुझको आयु भी दीजिये, ताकि उसकी रक्षा कर सकू । भगवान ने मेरी विनती सुनी और ऐसी सुनी कि तुझको ही नहीं पाला-पोसा, बल्कि तेरी सतान और उनकी औलाद का सुख भोग रही हूँ । तू भी मुझसे चिपटा ही रहता था । चार वर्ष तक तूने मेरा दूध पिया है ।” ऐसी माता का भार कौन उतार सकता है और कैसे उतरे ?

अतः मैं आख चले जाने से उनका चलना-फिरना बंद हो गया था, तो भी नौकर का हाथ पकड़कर प्रातः काल बाग में टहला करती थी जिन्से स्वास्थ्य ठीक रहे । जब ८० वर्ष की अवस्था हो गई, तो गौतम बुद्ध के समान कहने लगी कि यह शरीर अब काम का नहीं रहा, त्यागना उचित है । स्वास्थ्य भी ढीला हो गया था । उन्होंने सब तैयारी करली । अपने सामने अपने हाथ से जो गहना उनका था, वह बहुओं-वेटियों और उनकी मतान को बांट दिया और जितना दान करना चाहती थी, सब दान कर दिया । एक टुक में अपने लिए एक जोड़ा साड़ी इत्यादि रखवा दी कि मरने के बाद पहनाई जाय और अपनी अंतिम यात्रा के लिए पूरी तैयारी करली । बराबर गीता का पाठ खुद करती थी और सुनती थी । आठवें अध्याय में उनकी बड़ी रुचि थी । वैशाखी हुआ । सवत १६६६, मास श्रावण, शुक्ल पक्ष में प्रदोष के दिन १॥ बजे दोपहर, जबकि दिन की ज्वाला भरपूर थी, माताजी ने प्रयागराज की महात्याग भूमि में, जैसी उनकी मनोकामना थी, अपना शरीर त्याग किया । किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई । बातें करते-करते करवट लेकर परलोक चली गई । हम सब उनके पास मौजूद थे, परंतु मेरी स्त्री बीमारी के कारण नैनीताल में थी । उनको बुलाया था । आने में जरा विलंब हुआ । बस उन्हींको बार-बार याद करती थी । कई बार पूछा—“लक्ष्मीरानी नहीं आई ? कब आयगी ?” फिर जैसे भगवान ने बताया है

वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि मयाति नवानि देहि ॥२।२२॥

मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नये बदलता है, वैसे ही माताजी ने अपने शरीर का त्याग किया ।


लक्ष्मीरानी कुछ ही घंटों के बाद घर पहुँच गई और माताजी के अंतिम दशन कर लिये । उस दिन मुझे यह भी ज्ञान हुआ कि हिंदू स्त्रियों को क्यों अभिलाषा होती है कि वह अपना मुहाग लेकर साथ जाय । माताजी बहुत वर्षों में रंगीन किनारे की सफेद साड़ी पहनती थी । यदि कभी कोई उनको रंगीन रेशमी वस्त्र लाकर पहनने का कहता, तो उत्तर मिलता कि बुढ़ापे में क्या यह मुझको शोभा देगा । परन्तु जो साड़ी उन्होंने अंतिम यात्रा के लिए ट्रक में निकालकर रखी थी वह लाल मुदर साड़ी थी और नहाना-बुलाकर जब उनको पहनाई गई और मिट्टर का टीका माथे पर लगाया गया, तो ऐसी मुदर मालूम होती थी कि जैसे कोई दुलहन हो । कुछ ऐसी ईश्वर की करनी हुई कि उनके चेहरे में बुढ़ापे के सारे चिह्न मिट गये और मुहागरानी अपना मुहाग साथ लेकर हमी-खुशी चली गई ।

२

पिताजी

मेरे पिता की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सदा प्रतिकूल परिस्थितियाँ में ही मधव रहते रहे, जिन्होंने अपनी सारी शिक्षा आप-ही पहण की, सच्चाई और आत्म-सम्मान के साथ ही जीवन-यापन किया और जो अपने जीवन-काल में ही अपनी भित्तमारी तथा पत्नी स्वभाव के कारण सबके सम्मानित और सबके प्रीति-भाजन रहे ।

मेरे पिताजी गाद गये थे । उनके गोद जाने की घटना बड़ी महत्व-पूर्ण है । वह हिंदू परिवार के आपस के घनिष्ठ सम्बन्ध का एक मुदर उदाहरण है ।



पिताजी

भोलानाथ दर और मनसाराम काटजू काश्मीरी पंडित थे । वे अथवा उनके पिता सन १७७५ के आस-पास काश्मीर से इधर चले आये थे । उन दिनों काश्मीरी पंडितों के इधर आने का मुख्य मार्ग लाहौर होते हुए दिल्ली था और फिर दिल्ली से कई रास्ते हो जाते थे । कुछ परिवार पूर्व में उत्तर प्रदेश, विहार और बंगाल की ओर गये और कुछ पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में राजस्थान अथवा मध्यभारत की ओर आये । सन १८१८ में चतुर्थ मराठा-युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने महाराज होल्कर को परास्त किया, जिसके फलस्वरूप इन्होंने अपने राज्य का बहुत-सा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा । इस लड़ाई में उनके एक पठान सेनापति गफूरखा ने अंग्रेजों का साथ दिया था । लड़ाई के बाद महेदपुर की सधि के द्वारा पुरस्कार में उसे महाराज होल्कर से मिली जागीर स्थाई रूप से दे दी गई । गफूरखा ने अपनी इस नई रियासत की राजधानी जावरा नाम के एक छोटे कस्बे में स्थापित की । इसके कुछ समय बाद मनसाराम काटजू ने गफूरखा के यहाँ आकर नौकरी कर ली और तबसे यह स्थान काटजू-परिवार का घर बन गया । यह नगर इंदौर के उत्तर में ८० मील दूरी पर अजमेर जानेवाले रेल-मार्ग पर स्थित है ।

मनसाराम काटजू का विवाह भोलानाथ दर की एक बहन से हुआ था, पर उनके कोई मतान नहीं हुई । भोलानाथ दर के दो लड़के थे— वद्रीनाथ और ज्वालानाथ । इनमें से वद्रीनाथ को उन्होंने अपने बहनोई मनसाराम काटजू को गोद दे दिया । वद्रीनाथ का जन्म १८१५ में दिल्ली में हुआ था । अपने गोद लेनेवाले पिता के निघन के बाद उन्होंने जावरा रियासत की नौकरी कर ली और वही सन १८७५ में उनका स्वर्गवाम हुआ । उनके सगे भाई ज्वालानाथ भी जावरा रियासत की नौकरी में थे । कुछ वर्ष बाद उनका भी देहात हो गया ।

दोनों भाइयों ने १८४० और १८४४ में एक-दूसरे से मिले हुए दो छोटे मकान खरीद लिये थे और उन्हींमें अपने-अपने परिवार के साथ रहते थे । यद्यपि गोद आ जाने के कारण रिश्ते में वद्रीनाथ-ज्वालानाथ फुफेरे भाई

होगये थे, तो भी जावरा एक छोटा कमवा होने के कारण दोनों भाई परस्पर बड़ी आत्मीयता के साथ रहते थे ।

बद्रीनाथ काटजू के एक लडकी थी, पर लडका कोई न था । उनकी लडकी के दो लडके थे, जिनमें से एक को उन्होंने गोद ले लिया था । पर दुर्भाग्यवश कुछ ही वय बाद बद्रीनाथ और उनकी स्त्री को शोक-मागर में छोड़कर यह बालक चल बसा । इसमें उनकी वृद्धा स्त्री का विशेष रूप से हृदय ही टूट गया । उन्हें अत्यधिक शाकातुर देखकर सगे-सवधियों ने सलाह दी कि उनके मन को सात्वना देने के लिए कोई दूसरा बच्चा गोद ले लेना चाहिए और बश-परपरा की रक्षा करनी चाहिए । पर उन्होंने ऐसा करने से निरतर इन्कार किया और कहा कि भाग्य में बेटा लिखा ही नहीं है । यहाँ मैं पति को छोड़कर अकेले उन्हीकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि काश्मीरी पंडितों के घरों में हमेशा स्त्रियों का ही प्रभुत्व रहता है ।

पर ज्वालानाथ की स्त्री की कुछ दूसरी ही योजना थी । उनका परिवार काफी बड़ा था । मितवर १८६१ में उनके तीसरा लडका हुआ, और जब वह सिर्फ ११ दिन का था, तब वह उसे पामवाले मकान में बद्रीनाथ की स्त्री के पाम ले गई और यह कहकर बच्चा उनकी गोद में रखकर चली आई कि यह ला, यह तो नुम्हारा ही बच्चा है । बद्रीनाथ की स्त्री यह वाड देखकर चकित हो गई । उन्होंने बच्चे को लेने से इन्कार किया, पर यह मुनन को अब बहा था ही कौन ? ज्वालानाथ की स्त्री तो बहा से जा चकी थी । बच्चे के मादान का प्रश्न पूरे आठ महीने तक चलता रहा । बद्रीनाथ की स्त्री बराबर कहती रही कि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए और ज्वालानाथ की स्त्री बराबर बच्चे को वापस लाने से दृढतापूर्वक इन्कार करती रही । अंत में जीत उन्हीको हुई और बद्रीनाथ की स्त्री ने बच्चे को रखना स्वीकार किया । यही वातावरण त्रिभुवननाथ मेरे पिता थे । पुराने समय में हिंदू परिवारों में प्रायः देवरानी-जिठानी का एक-दूसरे के प्रति प्रेम होता था । स्मरण रहे कि यह एक देवरानी की ओर से जिठानी को भेंट किया गया विशुद्ध प्रेम का उपहार था, जिनमें वन-मपत्ति का तनिक

भी विचार न था, क्योंकि काटजू-परिवार के पास वह था ही नहीं ।

बचपन में त्रिभुवननाथ की स्कूली शिक्षा बहुत ही कम हुई । जावरा में उन दिनों कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं था । घर पर मौलवी रखकर उर्दू-फारसी पढाने का ही रिवाज था, क्योंकि उस समय यही राजभाषा थी । अतः मौलवी से त्रिभुवननाथ ने भी घर पर ही सामान्य उर्दू-फारसी पढी ।

उन्हें गोद लेनेवाले उनके पिता बद्रीनाथ जावरा में एक जिम्मेदार पद पर थे । उन दिनों ऐसी छोटी रियासतों की देख-रेख के लिए पोलिटिकल विभाग पोलिटिकल एजेंटों के मातहत पोलिटिकल-एजेंसिया रखता था । मालवा-एजेंसी का, जिसमें जावरा भी शामिल था, पोलिटिकल एजेंट उज्जैन से ४० मील की दूरी पर स्थित आगरा में रहता था । एजेंसी के अधीन हर रियासत को यहाँ अपना एक प्रतिनिधि रखना पड़ता था, जो 'वकील' कहलाता था । इसका काम था पोलिटिकल एजेंट के हेडक्वार्टर में रहना और उसके साथ तथा रियासत के बीच के सारे कागजों का इधर-उधर भेजना । ये काम इसीके मार्फत होते थे । इन्हीं वकीलों का एक पचायती बोर्ड भी होता था, जो एजेंट की देखरेख में रियासत की सीमा सबंधी-आपसी झगड़ों का निपटारा करता था । बद्रीनाथ काटजू कई वर्षों तक मालवा के पोलिटिकल एजेंट के यहाँ जावरा के वकील के रूप में रहे । एजेंट तथा अन्य रियासतों के वकील उनका सदा सम्मान करते थे ।

उपर्युक्त कारण से त्रिभुवननाथ की शिक्षा आगरा में ही हुई । पर शोध ही वह विपत्ति में पड़ गये और उनकी शिक्षा अधिक नहीं हो पाई । १८७४ में, जब वह केवल १३ वर्ष के थे, बद्रीनाथ बीमार पड़े । वह कुशाग्र-बुद्धि थे और जावरा के नवाबसाहब ने शायद पोलिटिकल एजेंट के कहने से १३ वर्ष के इस बालक को ही उनके स्थानापन्न के रूप में काम करने को नियुक्त कर दिया । इसपर उन्होंने आठ महीने तक बड़े कौशल से काम किया, जिससे सबको सतोप हुआ । मेरे पिता के बहुत ही प्रिय कागजों में मालवा के तत्कालीन पोलिटिकल एजेंट कर्नल मार्टिन का दिया हुआ एक सर्टिफिकेट था, जिसमें इस बालक द्वारा जिम्मेदारियों को योग्यता

अली ने भी उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा इज्जत दी। जहाँ तक रियासती मामलों का सवाल था, यार मोहम्मद खा की मृत्यु के बाद पिताजी का महत्व और प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। उनकी तनखाह भी (१५०) से ३००) मासिक हो गई। पर तनखाह के अतिरिक्त नवाबसाहब उनका जितना सम्मान और लिहाज करते थे, वह कहा नहीं जा सकता। पिताजी नौकरी से अलग हो चुके थे और जावरा छोड़ने में पूरे स्वतंत्र थे। सूरियों में प्रायः वह इलाहाबाद आकर मेरे साथ रहा करते थे, पर उनकी अनुपस्थिति नवाबसाहब को मह्य नहीं थी। उनके बिना नवाबसाहब को बड़ी उदासी और अकेलापन अनुभव होता था और वह कहते भी थे—“पंडितजी, जबतक आप जावरा में रहते हैं, मैं खुश और अपने को बहुत महफूज समझता हूँ। पर आपकी गैरहाजिरी में बड़ा परेशान-सा हो जाता हूँ।” १९३६ की सूरियों में जब पिताजी अपने कार्यक्रम के अनुसार मेरे पास आने के लिए नवाबसाहब की अनुमति लेने गये, तो नवाबसाहब ने कहा—“पंडितजी, आप शर्क से जा सकते हैं, मगर जरा लौटने में जल्दी कीजियेगा, क्योंकि आपकी गैरहाजिरी में मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ।” इस बात का पिताजी के मन पर कुछ ऐसा गहरा असर हुआ कि उन्होंने भविष्य में जावरा कभी न छोड़ने का निश्चय कर लिया और जीवन के शेष ९ वर्षों तक वह फिर कभी बाहर नहीं गये।

इसका यह मतलब नहीं कि वह नवाबसाहब से प्रतिदिन मिला करते थे। सप्ताह में केवल एक बार नवाबसाहब के महल पर जाते थे। कभी-कभी यह भा नहीं हा पाता था। पर नवाबसाहब का भेजा हुआ एक चपरासी राज आकर पिताजी की कुशल-क्षम पूछ जाता था और नवाबसाहब को जाकर बता देता था। अगर अभी पिताजी का स्वास्थ्य ठीक न हुआ तो नवाबसाहब का बड़ी चिन्ता होती थी। ऐसे मौकों पर दिन में कई बार आदमी भेजकर वह पिताजी की तबीयत का हाल पूछवाते, अपना डाक्टर भेजते और खुद भी देखने चले आते थे। जब फरवरी १९४५ में पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तो नवाबसाहब ने जाहिर किया कि चूंकि पंडितजी

के बड़े लड़के वह स्वयं है, अतः लोकाचार के लिए मिलनेवाले लोग मेरे पास न आकर उन्हींके पास जाय ।

उनमें श्रीर पिताजी में पत्र-व्यवहार भी खूब होता था । पिताजी को लिखे गये नवाबसाहब के पत्र पितृ-भक्ति और स्नेह से ओत-प्रोत हैं । जीवन के अंतिम समय तक जब कभी नवाबसाहब के सामने कोई अहम मसला पेश होता या कोई महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज तैयार कराना होता, तो पिताजी को सलाह और मदद के लिए जरूर बुलाया जाता ।

व्यक्ति और शासक की हैसियत से जहां नवाब इफ्तखार अली में छोटी-बड़ी कई कमजोरिया थी, वहां एक बहुत बड़ा गुण यह था कि वह सरकारी भ्रष्टाचार को बहुत नापसंद करते थे । मेरे खयाल से पिताजी की ओर उनके आकृष्ट होने का सबसे बड़ा आधार यही था कि पिताजी किमी भी हालत में श्रीर किसी भी कीमत पर खरीदे नहीं जा सकते थे । उन दिनों जबकि सरकारी घूमखोरी के विरुद्ध जनमत इतना प्रबल नहीं था, पिताजी की सचार्ड, ईमानदारी और मच्चरित्रता ध्रुव तारे की तरह मानो अपना अलग ही महत्व रखती थी । उनकी सीमित दुनिया में भी प्रलोभनों की कमी न थी और उनके अवसर भी आते रहते थे । पर वे कमी भी पिताजी को विचलित नहीं कर सके और उनकी तूफानी हिलोरो के बीच भी पिताजी पवित्रता की चट्टान की भांति अडिग बने रहे । अपने वेतन के सिवा, जो कई वर्षों तक काफी कम था, उन्होंने कभी भी एक पाई नहीं छुई । एक बार उन्होंने मुझे बड़े वेदनापूर्ण स्वर में बताया कि जब वह लगभग २०-२२ वर्ष के थे, तो उन्होंने किमीसे दो छोटी-छोटी रकमें, जो मेरे खयाल में शायद कुल २००) से ज्यादा नहीं थी, घूम में ली थी । पर इसके लिए उन्हें जीवन भर बड़ा क्षोभ रहा और इसका जब भी उन्हें ध्यान आता था, वह दुखी हो जाते थे । इम मामले में वह इतने कड़े थे कि हमारे घर में कभी भी सरकारी स्टेशनरी—कागज-पेंसिल वगैरह—खानगी काम में नहीं लाये गये ।

ऐसे खरेपन और ईमानदारी के लिए सभी पिताजी की बड़ी इज्जत करते थे और वह भी अपने मन में इस बात को खूब ममझते थे। उनके अनेक गुणों में शायद नम्रता शामिल नहीं थी। इसलिए अपनी ईमानदारी पर उन्हें अभिमान था, और इसे वह अक्सर अपने दोस्तों, मानहता और सहयोगियों के सामने मिमाल के तौर पर रखते भी थे। इस दृढ़ता ने उनके व्यक्तित्व और स्वाभिमान की भावना को काफी ऊंचा उठाया। वह भावुक भी काफी थे। एक बार मिनिस्टर यार मोहम्मद खा ने जरा झल्लाकर उन्हें लिख दिया कि उनसे उन्हें उतनी मदद नहीं मिल रही जितनी कि उन्होंने आशा की थी, ता पिताजी ने बिना कुद्र भी आगा-पीछा सोचे बड़े गव के साथ वहीं यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ, पर अगर मिनिस्टरसाहब का यह खयाल है कि मैं उन्हें मदद नहीं दे रहा हूँ, तो मेरा रियासत की नाकरी में रहना बेकार है। ऐसा करना पिताजी के लिए कम साहम की बात नहीं थी, क्योंकि हमारा परिवार काफी बड़ा था और बराबर बढ़ रहा था। यदि पिताजी का इस्तीफा मजूर हो गया होता, तो वह बड़े मक़द में पड़ जाते। मिनिस्टरसाहब शायद भूल गये थे कि वह किसमें पश आ रहे हैं। पर शोघ्र ही उनका अरनी भूत मान्म हुई और उन्होंने पिताजी को मैत्रीपूर्ण, बल्कि कहना चाहिए कि भ्रातृभावपूर्ण, पत्र लिखकर इतने अशुभ भावुक होने के लिए उताहना दिया। मामला यही खत्म हो गया। मुझे इस बात में तनिक भी मद्दह नहीं कि पिताजी ने अपनी मिमाल और ताड़ना में न सिर्फ अपने अच्छों का, बल्कि अपने समय के प्रभाव में आनवान अन्य सभी व्यक्तियों की के साथ रास्ते पर चनाया।

उन्हें विकास के विशय अक्सर नहीं मिले थे और उनका कय एक छोटी सी रियासत तक ही सीमित था। अशुभ अनुभूत परिस्थितिया में उन जैसे व्यापक प्रतिभा और चरित्रवाना व्यक्ति काफी ऊंचा उठता, ऐसा वह भी ममझते और कहा भी करते थे। पर मेरे और बाहर तथा नवाज-साहब ने महत में ताभग हर विषय में वह कुउ-न-कुउ मत रखते थे और

दृढता के साथ उसे व्यक्त भी करते थे । डा० जॉन्सन की तरह वह भी प्रतिवाद करने को श्रवीर रहते थे । मूर्खों को सहन करना उनके लिए सम्भव नहीं था, और उनके मुह पर भी कह देते थे कि उनको वह क्या समझते हैं । पत्र-पत्रिकाओं के अपने शौक के कारण देश-देश की गति-विधि से उनकी इतनी जानकारी हो गई थी कि वह सभी मामलों पर—चाहे वे राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न हों, चाहे और कुछ जरूरी या गैर-जरूरी—अपना मत बड़े विश्वासपूर्वक व्यक्त करते थे । १८७५ में हुई वद्रीनाथजी की असामयिक मृत्यु ने १४ वर्ष पूरे करने से पहले ही उन्हें अकेले जीवन-समर्पण में ढकेल दिया था और परिवार में किसी बड़े भाई की छत्र-छाया के नियंत्रण में न रहने से वह आत्मनिर्भर और अपनी बात पर अडने-वाले स्वभाव के हो गये थे । कोई भी काम करने को सदा प्रस्तुत रहते थे । ग्राम-सुधार-योजनाओं में उनकी विशेष रुचि थी । उन्होंने मकानों के निर्माण की देख-रेख की, बाग-वगीचे लगवाये, डेरी फार्म खुलवाये और मानो दुनिया की हर बात के बारे में उनकी कुछ-न-कुछ जानकारी थी । उनके डम स्वभाव की हमारे घर में बड़ी विचित्र प्रतिक्रिया हुई, खासतौर पर मानाजी और बच्चों पर ।

सन १८६८ में, जब पिताजी ७ साल के थे, तब उनका विवाह उनमें कोई २ वर्ष से भी अधिक बड़ी लडकी के साथ हुआ था । थोड़े ही वर्षों में वह एक ऐसी स्त्री सिद्ध हो गई, जो बुद्धि और चरित्र-बल में पिताजी से बढ-चढकर थी । उन्होंने जो कुछ पढा-भीखा, अपने-आप ही, और पिताजी के मुकाबले में उनकी बौद्धिक भूख और ज्ञान-पिपासा कही अधिक थी । जब मैं सिर्फ आठ महीने का था, मेरी दादी का स्वर्ग-वास हो गया । फिर तो हमारे परिवार में मा, पिताजी और हम बच्चे ही रह गये । पिताजी की तरह मा को भी पारिवारिक मामलों में सलाह-मशविरा देने कोई बड़ी-बूढ़ी नहीं थी । मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी मा की बौद्धिक उच्चता को जान गये थे और यह भी महसूस करने लगे थे कि ज्ञान और तर्क-शक्ति में वह उनकी बराबरी नहीं कर सकते । अत

कभी-कभी वह पति के जन्मसिद्ध अधिकार में उन्हें दवाने की चेष्टा करते थे। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, तो मैंने देखा कि कभी-कभी पिताजी के कटु वचनों से मा बड़ी दुखित हो जाती थी। ऐसा लगता कि दोनों में ही विनोद-वृत्ति का अभाव है। दोनों ही बेहद मजीदा रहा करते थे। पिताजी बाहर भले ही खुलकर बात कर लेते हो, पर जबमें मैंने होश मभाला, पर में मैंने उन्हें कभी भी कोमल और मृदु रूप में नहीं देखा। इस स्वभाव के कारण अक्सर दोनों में कहा-मुनी और झगड़े हो जाते थे। अन्य बातों के साथ मा का यह दृढ़ विश्वास था कि नारी का हर प्रकार में पुरुष के पूणतया समान होने का देवी अधिकार है। वह यह भी कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि पति का काम हुकम देना और पत्नी का उसे बजा पाना भर है। उनका मन था कि जोवन-मगम में पति-पत्नी दानो साथी और सहयोगी है।

पिताजी का मत ठीक इसके विपरीत था और यह आभास होने हुए भी कि उनके पास कोई उपयुक्त तक नहीं है, उनको चेष्टा रहती थी कि घर में उन्हीका हुकम चले। १८९५ में मेरे नानाजी का स्वगवास हो गया और अब माताजी के लिए अपने घर के सिवा और कोई स्थान नहीं रहा।

स्वभावों की ऐसी भिन्नता होने पर भी मा न जैसे-तैसे निभाया और एक बार तो उन्होंने मुझे यह रहस्य भी बताया कि क्यों वह पिताजी की कठोरता और अविचार का भा सहन करती है। उन्होंने कहा कि कोई भी स्त्री पति का पर-स्तागमन कभी भा क्षमा नहीं कर सकती। किंतु यदि पति उसके प्रति उफारदार है, तो पत्नी की दृष्टि में इस एक गुण से सारे अवगुण ढल जाते हैं। इस दृष्टि में पिताजी एक शादश पति थे। न उनके चरित्र में कोई गलत तो पार न उनमें कोई दुःखमन ही था। घर की पूरी मालकिन मा थी। पिताजी की पूरा तनरवाह उन्हीका हाथ में पट्टचनी थी। फिर १८ उगे जै उचित समय, गुन कर। जब भी मा का पिताजी से कोई विवादात्मक बातें होती या उनका मन का ठम पगती,

तब वह उनके गुणों का ही खयाल करती और मन-ही-मन ऐसा पति पाने के लिए अपना भाग्य सराहने लगती । इस प्रकार पिताजी की कठोरता को वह सहज ही में क्षमा कर देती थी । यह केवल दोनों के स्वभावों की भिन्नता थी, जिसके कारण समय-समय पर कहा-मुनी हो जाया करती थी, वरना पिताजी बड़े प्रेमल और वफादार पति थे । जब १९०८ में मैंने मयुक्त-प्रात (अब उत्तर प्रदेश) में अपनी वकालत शुरू की, तो मा और पिताजी पर उसकी बड़ी विचित्र प्रतिक्रिया हुई । मा उस समय ५० वर्ष की थी और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि अब उनके अपने लडके का एक और ऐसा घर हो गया है, जहा वह अधिकारपूर्वक जा सकती हैं, तो उनकी स्वतंत्रता की भावना और भी प्रबल हो गई । ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, पिताजी भी अधिक नरम होते गये । मेरे विचार से परिवार में एक नया घर स्थापित हो जाने से जो परिवर्तन हुआ, उसके महत्व को उन्होंने भी समझा और उसके बाद मा के साथ होनेवाली बातचीत में वह इस बात का ध्यान रखने लगे कि अब वह हमेशा अपनी ही बात नहीं मनवा सकेंगे ।

माता-पिता की कठोर सजीदगी का उनकी सतान के मस्तिष्क पर बड़ा बुरा प्रभाव पडा । दोनों में मे कोई भी मृदु और हसमुख स्वभाव का न था । मा को घर के काम-काज से ही फुरसत नहीं । खाना बनाने के अलावा सिलाई और घर का काम सारा उन्हीको करना पडता था । पिताजी का अपना अलग कार्यक्रम था । वह दिन को ११ वजे दफ्तर गये सायकाल ६ वजे लौटते थे । फिर कोई आघ घटे बाद ही खाना वगैरह खाकर मिनिस्टरसाहब के बगले पर मिलने-जुलने और गप-शप के लिए चले जाते थे और रात को ११ वजे बाद लौटते थे, जबकि सब वच्चे सो जाते थे । हमसे उनकी बहुत कम बात होती थी और खुल कर तो कभी बात हुई ही नहीं । इस तरह मा-बाप के स्नेह से एक तरह से मैं वंचित-मा ही रहा । उन दिनों हिंदू-सयुक्त-परिवारों में मा-बाप सबके सामने अपने वच्चों से प्रेम-प्रदर्शन नहीं करते थे । इस कमी की पूर्ति दादा-दादी कर देते थे, जिनके अत्यधिक लाड-प्यार से कभी-कभी वच्चे विगड

भी जाते हैं। पर दुर्भाग्य से मेरे दादा-दादी भी न थे। अतः वचन में मैंने पैतृक प्रेम का कभी अनुभव ही नहीं किया। अकेला मैं ही उस दुर्भाग्य का शिकार हुआ हुआ, सो नहीं, मेरे छोटे भाई और बहन का भी यद्यपि कुछ कम अंश में, यही दुःखद अनुभव हुआ। मुझे और मेरी बहन को पिताजी की उपेक्षा का पूरा भार बहन करना पड़ा और हम सबदा उनसे भयभीत रहे। वह जैसे हमारी पहचान के बाहर थे, परन्तु अज्ञ होते-होते वह कुछ नरम पडे। १८६६ में पैदा हुई मेरी सबसे छोटी बहन हममें से सबसे भाग्यशाली रही। १९०५ में विवाह कर जब मैं अपनी पत्नी को घर लाया, तब मानो पिताजी के पितृ-प्रेम का वाग ही टूट गया। मेरी पत्नी की अवस्था तब सिर्फ १४ वर्ष की थी और हमारे घर में पाव रखने के बाद ही मे पिताजी ने उसपर अपना मारा प्रेम उड़ान दिया। वह उसे निल नये-नये उपहार लाकर देने लग, उसे उर्द पटाना शुरू किया घटी उसके साथ गप-शप करने तथा ताश खेला करने थे। इस प्रकार शायद पहली बार पिताजी ने परिवार में हसना और जो बहलाना सीखा।

काश्मीरी पंडितों की परंपरा के अनुसार शादी के बाद जब पत्नी हमारे घर में आई, तो उसे नया नाम दिया गया 'लक्ष्मीरानी'। पिताजी के बहुत-से पोते-नाती थे। वह उन सबको प्यार करते थे। सबसे अधिक प्यार लक्ष्मीरानी के बच्चों को ही करते थे। १९१० में लक्ष्मीरानी के सतान उत्पन्न हुई। पिताजी का उसके साथ खेलना और हसना देखने-योग्य होता था। उन्हें ऐसा करते देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी। हिन्दु-परिवार में बहूओं को जितना प्यार और सम्मान मिलता है, उतना लक्ष्मीरानी को हमारे घर में भी मिला। पर शीघ्र ही उसके गुणों के कारण पिताजी अपनी लडकियों से भी अधिक उसे चाहने लगे। १९४४ में जब उसका देहांत हुआ, तो पिताजी के हृदय को भीषण वेदना हुई और इसके तीन महीने बाद उन्होंने भी अपनी इहलीला समाप्त कर ली। लक्ष्मीरानी की बुद्धिमत्ता, सरल और मीठे स्वभाव, शांत और स्थिर

मत, चुपचाप योग्यतापूर्वक घर-गृहस्थी की सभाल और घर्म तथा सहिष्णुतापूर्वक दुख-कष्ट सहने की वृत्ति के कारण पिताजी उसका बड़ा आदर करते थे। हमारे परिवार के लिए तो वह साक्षात् लक्ष्मी ही थी, क्योंकि वह अपने साथ सुख और नौभाग्य लेकर आई थी।

मेरा जावरा के अपने घर में चला आना पिताजी को अच्छा नहीं लगा। हम लोगों की खानदानी जड़ अब वहाँ के सिवा और कहीं न थी। अतः पिताजी चाहते थे कि मैं भी अपने पुरखों की परंपरा के अनुसार वहीं रियासती नौकरी में रहूँ। १९०७ में जब मैंने एल-एल० बी० पाम किया तो उन्होंने मेरी जानकारी के बिना ही मिनिस्टरसाहब को मेरे रियामत में नौकरी करने की बात लिख दी। पर मिनिस्टरसाहब ने इसपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और पिताजी से कहा—“कैलासनाथ अभी बहुत छोटा है (तब मैं २० वर्ष का भी न था)। रियासत में किसी पद पर नियुक्त किये जाने में पहले उसे कहीं अनुभव प्राप्त कर लेने दो।” इसमें पिताजी को न केवल अमतोष ही हुआ, बल्कि झुझलाहट भी। उन्होंने जवाब में मिनिस्टरसाहब को लिख भेजा कि इस वारे में फैसला करना तो उन्हींके हाथ की बात है, पर पिंजरे में पहली बार बाहर निकलनेवाला पक्षी पता नहीं, फिर कब लौटे या न लौटे, उमी तरह कैलासनाथ यदि एक बार जावरा से बाहर चला गया, तो फिर वह लौटे या न लौटे। इस सूक्ष्म नकेत का भी मिनिस्टरसाहब पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और मुझे अपने भाग्य की परीक्षा के लिए विस्तृत दुनिया में चला आना पड़ा। जावरा में बाहर सभी स्थान मेरे लिए बराबर फामले और आकर्षण के थे। मैंने अपनी वकालत के लिए कानपुर को चुना। जैसीकि पिताजी को आशंका थी, फिर कभी मैं जावरा नहीं लौटा।

मेरे कानपुर और फिर इलाहाबाद के घरों ने पिताजी के क्षेत्र को भी काफी व्यापक बना दिया। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी जावरा से ममता कुछ कम हो गई हो, पर मर्दियों के कुछ महीने हम सबके साथ संयुक्त प्रात में विताना उनको अच्छा लगने लगा। अब वह मेरे साथ काफी

भी जाते हैं । पर दुर्भाग्य से मेरे दादा-दारी भी न थे । गत प्रचणन में मैंने पैतृक प्रेम का कभी अनुभव ही नहीं किया । गऊँता मैं ही उम दुर्भाग्य का शिकार हुआ हुआ, गी नहीं, मेरे छोटे भाई और वहाता का भी यद्यपि कुछ कम अशो में, यही दुःख गनुभव हुआ । गगे और मेरी गहन को पिताजी की उपेक्षा का पूरा भार वहन करना पड़ा और हम गप्रदा उनसे भयभीत रहे । वह जैसे हमारी गहन के वाहर थे, गगनु प्रयेठ होते-होते वह कुछ नरम पडे । १८६६ में पैदा हुई मेरी गगगे आटी गहन हममें से सबसे भाग्यशाली रही । १६०५ में गगगाह कर जब मैं गगनी पत्नी का घर लाया, तब मानो पिताजी के पितृ-प्रेम का वाप्र ही टूट गया । मेरी पत्नी की अवस्था तब सिफ १४ वष की थी और हमारे घर में पाव रखने के बाद ही मे पिताजी ने उमपर अपना सारा प्रम उडन दिया । वह उसे नित नये-नये उपहार लाकर देन लगे, उमे उडू पढाना शुु किया घटो उमके साथ गप-शप करने तथा ताश खेता करने थे । इम प्रकार शायद पहली बार पिताजी ने परिवार में हमना और जी वहलाना सीखा ।

काश्मीरी पडितो की परपरा के अनुसार शादी के बाद जब पत्नी हमारे घर में आई, तो उमे नया नाम दिया गया 'लक्ष्मीरानी' । पिताजी के बहुत-से पोते-नाती थे । वह उन सबको प्यार करने थे । सबसे अधिक प्यार लक्ष्मीरानी के वच्चो को ही करने थे । १६१० में लक्ष्मीरानी के सतान उत्पन्न हुई । पिताजी का उमके साथ खेलना और हमना देखने-योग्य होता था । उन्हे ऐसा करते दखकर मुझे ईर्ष्या होती थी । हिंदू-परिवार में बहुओ को जितना प्यार और सम्मान मिलता है, उतना लक्ष्मीरानी को हमारे घर में भी मिला । पर शीघ्र ही उमके गुणो के कारण पिताजी अपनी लडकियो से भी अधिक उमे चाहने लगे । १६४४ में जब उमका देहांत हुआ, तो पिताजी के हृदय को भोपण वेदना हुई और इसके तीन महीने बाद उन्होने भी अपनी इहलीला समाप्त कर ली । लक्ष्मीरानी की बुद्धिमत्ता, सरत और मीठे स्वभाव, शात और स्थिर

मत, चुपचाप योग्यतापूर्वक घर-गृहस्थी की सभाल और धर्म तथा सहिष्णुतापूर्वक दुख-कष्ट सहने की वृत्ति के कारण पिताजी उसका बड़ा आदर करते थे। हमारे परिवार के लिए तो वह साक्षात् लक्ष्मी ही थी, क्योंकि वह अपने साथ सुख और सौभाग्य लेकर आई थी।

मेरा जावरा के अपने घर से चला आना पिताजी को अच्छा नहीं लगा। हम लोगो की खानदानी जड अब वहा के सिवा और कही न थी। अत पिताजी चाहते थे कि मैं भी अपने पुरखो की परपरा के अनुसार वही रियासती नौकरी में रहू। १९०७ में जब मैंने एल-एल० बी० पास किया तो उन्होने मेरी जानकारी के विना ही मिनिस्टरसाहब को मेरे रियासत में नौकरी करने की बात लिख दी। पर मिनिस्टरसाहब ने इसपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और पिताजी से कहा—“कैलासनाथ अभी बहुत छोटा है (तब मैं २० वर्ष का भी न था)। रियासत में किसी पद पर नियुक्त किये जाने से पहले उसे कही अनुभव प्राप्त कर लेने दो।” इससे पिताजी को न केवल असतोप ही हुआ, बल्कि झुझलाहट भी। उन्होने जवाब मे मिनिस्टरसाहब को लिख भेजा कि इस वारे में फैसला करना तो उन्हीके हाथ की बात है, पर पिंजरे से पहली बार बाहर निकलनेवाला पक्षी पता नहीं, फिर कब लौटे या न लौटे, उमी तरह कैलासनाथ यदि एक बार जावरा से बाहर चला गया, तो फिर वह लौटे या न लौटे। इस सूक्ष्म मकेत का भी मिनिस्टरसाहब पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और मुझे अपने भाग्य की परीक्षा के लिए विस्तृत दुनिया में चला आना पडा। जावरा से बाहर सभी स्थान मेरे लिए बराबर फासले और आकर्षण के थे। मैंने अपनी वकालत के लिए कानपुर को चुना। जैमीकि पिताजी को आशका थी, फिर कभी मैं जावरा नहीं लौटा।

मेरे कानपुर और फिर इलाहाबाद के घरों ने पिताजी के क्षेत्र को भी काफी व्यापक बना दिया। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी जावरा से ममता कुछ कम हो गई हो, पर सर्दियों के कुछ महीने हम सबके साथ मयुक्त प्रात में विताना उनको अच्छा लगने लगा। अब वह मेरे साथ काफी

खलकर और आराम में रहने लगे। पर उाकी साम्यभिरता गोर दूगरो पर बोझ न डालने की प्रवृत्ति त्वनी प्रबल थी कि वह जत्रतक त्गारे साथ रहते, हमारे कामो में अधिकारिक हाथ पटाते। मकान बनाने, मरम्मत की देखभाल करने, बगीचे की सफाई आदि बनाने के गिया वह हम सबकी देखभाल, नेह साहाह और पक्ष-पदगत गादि में भी त्नी मदद किया करते। इतना सब करा पर भी वह अपने-प्राणको उा नये ताताताण के अनुकूल नहीं बना सके। वह पुराने विचारों के से गोर विचारों की आजादी और जनतंत्र की दृढनी हुई भावना के साथ उनका नाई महानुभति नहीं थी। जन-साधारण की मुद्धि राजनीतिमत्ता प्रार प्रनभव का वह विशेष महत्व नहीं देने थे। उनका यह दृढ विश्वास था कि दमरा का आनी भनाई खुद करने के लिए छोड़ देने की अपेक्षा उनका भना हम ही करना चाहिए। उनका खयाल था कि जनता की भनाई तिममें दे इमता वह स्वय ही अच्छा निर्णय कर सकते हैं। इगी मिदान के अनमार उन्होंने जावरा में ५० वर्ष तक रियासत की सरकार द्वारा जनता की भनाई क कई तरह के काम किये थे। पर जब वह ५० मोतीनाग नेहरू और ५० मदनमोहन मालवीय के नगर प्रयागराज में आये, ता अपने-आपको अकेला महसूस करने लगे। एक तो उनका अगरेजी न जानना बहुत बडी बाधा साबित हुई। दूसरे उनमें अहभाव की प्रबलता थी।

माताजी कहा करती थी कि उनमें रजोगुण का प्राबल्य है, जिससे वह मनन और शांति का जीवन नहीं बिना सकते थे। वह निरंतर कुछ-न-कुछ करने रहना चाहते थे। यद्यपि वह जब इलाहाबाद आते थे तो उनके इद-गिद एमें कई लोग जमा हा जात थे, जो उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, फिर भी उन्हें मदा यह ध्यान बना रहना था कि यहा चाहे वह कुछ भी करे, पर लोग तो उन्हें डा० काटज् क पिता के रूप में ही जानेंगे। यह स्थिति उन्हें स्वीकार न थी। जावरा में इममें विल्कुल उल्टी बात थी। वहा लोग उनकी उनके गुणों और व्यक्तित्व के कारण इज्जत करते थे। जावरा में शायद ही कोई ऐसा घराना हो, छोटा या बडा, जिससे उनकी पीढियों

की मैत्री और घनिष्ठ परिचय न हो और उनमें से हरएक के वह प्रिय 'पड़ितजी' थे ।

अपने अंतिम समय में पिताजी जावरा में एक सस्या-सी बन गये थे । सभी श्रेणियों और वर्गों के लोगो को उनपर गर्व था और सभी उन्हें अपना सलाहकार और हितैषी समझते थे । वह जहा भी जाते, लोग उन्हें सिर-आखो पर उठा लेते थे । उन्होंने अनेक हिंदू और मुसलमान लडकियों को गोद ले रखा था और इस तरह गोद लिये हुए बच्चो से हुए उनके पोते-पोतियो और पडपोतो की सख्या वेशुमार थी । गावो और शहरो के लोग निरतर उनके दर्शन करने को आते रहते थे । मेरा छोटा भाई हमेशा पिताजी के साथ रहा, पर वह सदा एकातवासी ही रहे । उनकी सेवा के लिए एक पुराना नौकर था, जो हमारे परिवार का ही एक सदस्य बन चुका था । उमकी सेवा के कारण न सिर्फ पिताजी उमीका खयाल रखते थे, बल्कि उसके स्त्री-बच्चो का भी । बच्चे तो खेलने के लिए उनको बराबर घेरे रहते थे । अपने सगे भाइयो के बच्चे और पोते-पोतियो को वह अपने ही बच्चो की तरह प्यार करते थे । वह भी उन्हें परिवार का सबसे बडा सदस्य और अपना सबसे बडा शुभचिंतक समझते थे । उनके और अन्य रिश्तेदारो के लिए जावरा इसी कारण एक तीर्थस्थान-सा बन गया और पिताजी की विशाल-हृदयता भी ऐसी थी कि वह अपने पास आनेवाले सभी को दीर्घ अनुभव और बुद्धिमत्ता का कुछ-न-कुछ अमूल्य प्रसाद देते थे ।

अंतिम वर्षों में तीन बातो का उन्हें विशेष ध्यान था । पहली तो यह कि वह एकदम स्वतंत्र ही रहें और किसीका—यहा तक कि अपनी सतान का भी—तनिक-सा एहसान न लें । हरएक को वह कुछ-न-कुछ देते, पर लेते कभी किसीसे कुछ नहीं थे । दूसरी, उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि मृत्यु-पर्यंत उनके हाथ-पाव अपना कार्य करते रहें और उन्हें किसीकी सेवा-सुश्रूपा का आभारी न होना पडे । तीसरी यह, कि उनका शरीरात अपनी पैतृक भूमि जावरा में ही हो । एक वार मुझे एक कच्ची कोठरी दिखाकर बडे गभीर होकर उन्होंने कहा—“मेरी जडे तो यहा है । बुढापे में मैं इस

स्थान को कैसे छोड़ दूँ ?” उन्हीं से तीना पाताशाण पूरी हुई ।

हम लोग अपनी घर-गृहस्थी बगल चुके थे । पिताजी पर अत्र परिहार का कोई बोझ नहीं रह गया था, अत्र पेशन के रूप में उन्हें जो ३००) वेतन मिलता था, उसमें वह बड़ी प्रमत्तता के साथ अनेक गरीब परिवारों की सहायता किया करते थे । रही रसास्थ्य की बात तो उन-जैसी अपनी देय-भाल शायद ही कोई रखता हो । वह गठोर नियमों का पालन करते थे । नपा-नुला खाना खाने, नपा और नियमित व्यायाम करने, निश्चित समय सोते और महीने की पहली तारीख को अपना वजन तोले । अगर उसमें थोड़ा-सा भी फक प्रतीत होता, तो वह उसे ठीक करने का पूरा प्रयत्न करते । कान, आँख, मुँह, दाँत और जाँडों का निग्न प्रयेन् नमखों की बनावट हुई कोई-न-कोई दवा उनके पास जरूर रहती जिसका नियमित रूप में वह प्रयोग करते थे । कभी-कभी मैं उनकी इस जरूरत में ज्यादा शरीर-रक्षा पर टीका-टिप्पणी करता । वह कहते— तुम्हें नहीं मालूम कि ननुम्हें कि ननी बड़ी देन है ।” कदाचित्त इसीका परिणाम था कि ८५ वर्ष की आयु में भी उनके सब-के-सब दाँत कायम थे, आँखा की रोगनी अच्छी थी और एक पोस्टकाड पर वह ३२ सतरे लिख सकते थे । उनका रहन-महन बिल्कुल पुराने ढंग का था । माताजी के स्वगवास के बाद वह अपना भाजन स्वयं बनाते और दूसरे किसीके हाथ का बना खाना कर्भा नहीं खाते थे । मृत्यु-पर्यंत पूणतया स्वस्थ रहने की आकांक्षा अक्षरशः पूरी हुई । फरवरी १९४५ में जब वह पूणतया स्वस्थ नजर आते थे, एक दिन भोजन के बाद गचानक उनको मूर्च्छा आ गई और वह बहोश हो गये । उसके बाद वह फिर होश में नहीं आये । पाँच दिन बाद मदा के लिए चल बसे । इस प्रकार दुःखस्त होश-हवास में वह शरीर से कभी किसीके मोहताज नहीं हुए ।

२८ फरवरी, १९४५ को आधी रात के करीब उनका अतकाल आया । पर इसके जाने में पहले न-जाने कैसे गचानक उन्होंने पूरी आँखें खोली और चारों ओर सडे हम सबको देखा—मानो हमसे विदा ले रहे हो—और फिर स्वर्ग सिधार गये । जाबरा के लोगो ने ऐसा शोक मनाया, मानो

अकेले मेरे ही पिता का नहीं, उनमें से हरएक के पिता का वियोग हुआ हो । उनकी अरथी के साथ रियासत की सारी फौज, पुलिस, नवावसाहब के कुनवे के लोग और सभी श्रेणियों की जनता बहुत बड़ी मख्या में श्मशान तक गई । पंडितजी चल वसे थे और सब समझने लगे थे कि उनके साथ ही एक युग भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया ।

' मसार मे हर सतान अपने माता-पिता की ऋणी होती है । पर मुझपर यह अतिरिक्त ऋण है कि मेरी शिक्षा पर खर्च की गई एक-एक पाई खरी और कडी मेहनत की कमाई थी । अब महसूस करता हू, पहले शायद नहीं करता था कि लाहौर और इलाहाबाद में मुझे पढाने के लिए मेरे मा-बाप को अपनी बहुत-सी सुविधाओं को त्यागना पडा था । उनके लिए यह एक गर्व और गौरव की बात थी । मेरी शिक्षा के प्रश्न पर उनके सामने परिवार में और कोई मिसाल न थी । मुझे उच्चतम शिक्षा मिले, इसके लिए बडी-से-बडी तकलीफो और असुविधा सहन करने में उन्हें कभी तनिक-सी हिचक नहीं हुई । मेरा यह दृढ विश्वास है कि मुझे जीवन में जो कुछ सफलता मिली है, उसका एकमात्र कारण पिताजी की खरी कमाई ही है । जब मैं १९१२ में एल-एल० एम० के इम्तहान में बैठा और असफल हो गया, तो मुझे खयाल आया कि मेरी असफलता का कारण शायद यह हो कि इम्तहान की पूरी फोस मैंने अपने पास से ही दी थी । अत दूसरे साल जब मैं फिर उसी परीक्षा में बैठा, तो इम्तहान की फोस के लिए खास तौर से पिताजी से १००) रुपये मगवाये, ताकि मैं सचाई के साथ कह सकू कि मेरी पूरी पढाई का खर्च मेरे पिताजी ने ही दिया । उन्होंने वैसा ही किया और मैं पास हो गया । वह हमारे लिए एक ऐसे बटवृक्ष के समान थे, जिमकी छाया मृत्यु-पर्यंत हम सब पर रही ।

३

वाह री वेटी ।

कहावत है, जो मकूट में माथ दे वही मच्छा मांगी और मिया है । उम दृष्टि से जब मैं देवना ह तो मुझे स्त्री-जाति का स्थान सर्वात्म जान पड़ता है । अपने वकालत-काल में मैंने जेन में पड़े आत्मीयो पीर स्नहिया के लिए माताओ, वहनो और पत्नियों के अश्रुव त्याग और प्रेम का भाधात पतिरूप देखा है । जिन देवियो ने अपने जीवन में कभी दहलीज में बाहर पात्र तक न रखा था, वह अपने स्नेही आत्मीयो की रक्षा के मन्त्र में कई-कई बार मेरे पास आई । युवा मानाए गादी में बच्चो के माथ दूर-दूर के मफर करती थी और अपने पतियो को बचाने के लिए वह वकील को मानव-भावना को उत्प्रेरित करती थी । जब मैं न्यायानय में वहम करता था, तो अकसर मुझे उन विनती-भरी आखो का खयाल आ जाना, जिन्हे मैं अपने दफ्तर में छोड़ आता था ।

भारतीय स्त्रियो के बारे में यह खयाल करना अव्यविक भूल है कि अपने घरों में उनकी दासियो की-सी स्थिति है और व अपने पतियो की इच्छा-पूर्ति की साधन-मात्र हैं । मेरा यह अनुभव नहीं है । इसके विपरीत मैंने देखा है कि घरेलू क्षेत्र में उन्हें बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त होता है । वे अपने घरों में शासन करती हैं और अपने परिवार तथा पारिवारिक सपत्तियो-सवधी प्रवध एवं देखभाल में उनका बड़ा हाथ होता है । वस्तुत रिश्तेदारों में जो मुकदमेवाजी होती है, उसमें अधिकांश की प्रेरणा परिवार की स्त्रियो की और से होती है और यह विद्रोही भावना माता की इस भावना में उत्पन्न होती है कि परिवार की जायदाद में मेरे उसके बच्चो को जायज हिस्सा मिल सके ।

पत्नी का खयाल होता है कि उसका पति पुरातन परंपराओ के आगे झुक रहा है और अपने भाइयो तथा वहनो का पक्षपात कर रहा है । इस पक्षपात और समर्पण की सोमा यहा तक बढ़ जाती है कि वह अपने बच्चो के

स्वार्थ तक की बलि करने को तैयार हो जाता है, लेकिन उमकी पत्नी तो ऐसे किन्ही पुराने बबनो एव परपराग्रो में नही बबो होती । वह अपने बच्चो के हित के लिए लडती है और स्वभावत उसका पति उसके प्रभाव को आखिरकार स्वीकार कर लेता है और जैसा वह चाहती है, करता है । अपने व्यावसायिक जीवन में मुझे अनेक ऐसे अनुभव हुए हैं और उनमें एक तो बहुत ही मनोरंजक है ।

एक दिन सवेरे मैं अपने दफ्तर में बैठा था । मेरे चपरासी ने सूचना दी कि एक देवी आपसे कानूनी मलाह लेने के लिए मिलना चाहती हैं । भद्र-परिवार की होने के कारण मैंने उसे पास के कमरे में बैठाने को कहा और चंद मिनटो बाद मैं वहा गया । मैंने देखा कि साफ-सुथरे वस्त्र पहने एक हिंदू युवती बैठी है । वह बडी नम्र और सहज स्वभाव की थी । उसने खडे होकर मुझे नमस्कार किया । सामान्य आचार के उपरांत मैंने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हू । इसपर उसने बताया कि उसके पति मिर्जापुर के एक स्कूल में अध्यापक हैं । उनका वेतन ६० ६० मासिक है और उनके दो बच्चे हैं । आगे उसने कहा—“मेरे पति का घर पाम ही के जिले में है । वे तीन भाई हैं और उनकी बहुत बडी जमींदारी और एक पुश्तैनी मकान है । इस जायदाद से अच्छी-खासी आमदनी हो जाती है, लेकिन दो भाई उस सारी आय का इस्तेमाल कर लेते हैं । वे उसमें से मेरे पति को हिस्सा नही देते ।

“डाक्टरसाहब, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम इस बात की उपेक्षा नही कर सकते । मैंने अपने पति को समझाया था कि हमें भी अपने परिवार का पालन करना है और हमें इम ढग में अपनी आय के हिस्से को दूसरो को नही उडाने देना चाहिए । सो मैंने उन्हें राय दी कि जायदाद का बटवारा कर लेना होगा । यह सोचकर हम दोनो अपने पुश्तैनी गाव में गये और मेरे पति ने दोनो भाइयो से जायदाद और उसकी आमदनी का हिस्सा मागा । आप जानते हैं कि हुआ क्या ? भाइयो ने उनकी बात ही नही सुनी और वे लडने लगे । उन्होने हमारी बेइज्जती की और हमें घर

से निकल जाने को कहा। डाक्टरमाह्व, मैं आगमें रहती हूँ (उगला स्वर उत्तेजित हो उठा और आगमें लान हो गई), मैं राजपूत की पत्नी हूँ। अगर यह घटना मेरे मायके में हुई होती तो लडाई हो जाती और तलवारे निकल आती। मैं अपने बच्चों को गपत्ति को इस तरह फिगाफो भी नहीं हड़पने दे सकती। मैं तो इसके लिए तब मरती।

“लकिन मेरे पति बहुत ही नम्र और कामल स्वभाव के हैं। जब मैंने उन्हें दृढ़ रहने तथा अपने भाइयों के साथ व्यवहार में गम्ती करने का कहा, तो वह बोले कि यह मेरे बस का नहीं। वह अपने भाइयों के साथ अपने पुश्तैनी गाव में नहीं लड सकते। डाक्टरमाह्व, क्या आप समझते हैं कि उनका ऐसा करना ठीक था और क्या मेरा बच्चों के हक पर जोर देना मुनासिब नहीं था?”

आवेश एवं क्रोध के मारे उसकी आंखें लाल हो आई थी और उसके क्रोधो स्वभाव को देखकर आश्चर्य के साथ-साथ मेरा मन भी भर आया। इसके बाद मैंने पूछा—“मैंके बाद फिर क्या हुआ?”

उसने जवाब दिया—“मेरे पति ने कहा था कि वह कुछ नहीं कर सकत और अगर तुम पारिवारिक संपत्ति के बटवारे पर ही जोर देती हो, तो अदालत के सिवा दूसरा चारा नहीं है। इसपर मैंने कहा कि इसके लिए कानूनी सलाह लो। उन्होंने जवाब दिया कि वकील लोग तो फीस मागेगे और मेरे पास पैसा है नहीं। भला इतनी थोड़ी-सी आमदनी में से मैं उनकी फीस कैसे दे सकता हूँ। इसपर मैंने उन्हें आपसे राय लेने को कहा, जिनका जवाब उन्होंने यह दिया, ‘डा० फाटजू तो बड़े भारी वकील हैं। संभव है कि वह बहुत बड़ी फीस मागे और हमारे लिए उतना देना एकदम असंभव होगा।’

“इसपर मैंने उनसे कहा कि मैं खद ही आपके यहा जाऊंगी, आपको अपने परिवार को सारी हालत बताऊंगी और मुझे पक्का यकीन था कि आप हमारी सहायता करेगे।” इतना कहकर वह चुप हो गई। उसकी शांत आंखों में उसका दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मैं तनिक मुस्कराया और

बोला—“तुमने मेरे पास आकर बहुत समझदारी का काम किया है । अब तो मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, इसलिए तुम बेफिक्री के साथ अपने घर जाओ । अदालतें और मुकदमेवाजी स्त्रियों के काम नहीं और न तुमको यह शोभा देता है । बेहतर होगा कि तुम अपने पति को मेरे पास भेज दो । मैं उन्हें उचित सलाह दे दूंगा । और हा, यह यकीन रखना कि किसी प्रकार की फीस की कोई बात नहीं होगी ।”

इसपर जब उसने कहा कि उसके पति वही मौजूद हैं, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा । मैंने हैरानी के साथ पूछा—“कहा है ?”

“बाहर फाटक पर ।” उसने जवाब दिया ।

“कौन-सा फाटक ?”

“आपकी कोठी के बाहर वह तागे में बैठे हैं ।”

मैं हसा और मैंने चपरासी से कहा कि फाटक के बाहर तागे में बैठे महाशय को भीतर बुला लाओ । तत्काल ही पति महाशय आगये । वह बहुत ही सरल, नम्र तथा विक्षिप्त-सा था । जाहिर था कि स्थिति उसके वम की नहीं थी । मुकाबले में उसकी पत्नी का व्यक्तित्व रोवीला था ।

मैंने उससे कहा कि आपकी पत्नी से मुझे सारी बात बता दी है । आप अपने पारिवारिक मामलो के विषय में कोई चिंता न करे, सब ठीक हो जायगा । मैंने मिर्जापुर के कुछ वकील-मित्रों के नाम लिये और कहा कि आप इनमें से एक के पास जाकर मेरा नाम लेना और और उनसे कह देना कि वह मुकदमा दायर करनेका मसविदा बनाकर मेरे देखने को भेज दे । इसके बाद वे दोनों चले गये, पत्नी बहुत खुश थी और पति एकदम गभीर ।

थोड़े दिनों बाद पत्नी की ओर से मुझे एक पत्र मिला, जिसके साथ मुकदमे का मसविदा था । पत्र में उसने अपने-आपको मेरी पुत्री जाहिर किया था । मैंने मसविदा देखकर उसे लौटा दिया, लेकिन कानूनी कार्रवाही की जरूरत ही नहीं पड़ी । बाद में मुझे सूचित किया गया कि वह स्त्री अपने पति के साथ अपने पुश्तैनी गांव में गई थी और वहाँ उसने सब लंगो में फैला दिया कि डा० काटजू ने उसे महवोली वेटी बना लिया है और वह

बिना फीस लिये ही जिना अदानत मे उमका मादमा तट्टेग । मैं गमयता हू कि दोनो भाइयो का दिमाग उमगे गान हा गया । जागदाद के पट्टाये की माग का वह जवाब भी कोई नहीं दे गाने ये और उम पकार व आपगी समझौता करने को सहमत हो गये ।

कुई वर्ष बाद, मेरा खयाल है १९८० मे मये एग अपरिचित स्त्री का खत मिला, जिमने मुये पिता कहकर गवापित किया था । एकाएक मैं उमे पहचान नहीं सका । खत मे लिखा था कि उमके पति का उत्तर-प्रदेश के किमी दूसरे स्थान पर तवादना हो गया है और अत्र उमे १२० रु० मासिक मिलते है । वच्चे दो से बढकर चार हो गये है । आग उमने लिखा था —“यह देखते हुए कि परिवार की आय बढने हुए परिवार के लिए सबथा अपर्याप्त है, मैंने अपने यत्नो द्वारा आय मे वृद्धि करन का निश्चय किया । तदनसार मैंने अपने घर पर पढना शुरू किया और इनाहावाद विश्वविद्यालय मे मैट्रिक, इटर और बी० ए० परीक्षा पाम कर ली । अब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बी० टी० की परीक्षा पाम करना चाहती हू । दाखिला मिल गया है और यूनिवर्सिटी के महिला हास्टल मे जगह भी मिल गई है । होस्टल का खच लगभग चान्नीम रुपये महावार है और मेरे पति इम मागे खच को पूरा नहीं कर सकते । उन्होन एक वष मेरे घर मे बाहर रहने की तो मजूरी दे दी है और वह इम बीच वच्चो की भी देख-भाल करेगे, लेकिन खच्च के बारे मे उनका कहना है कि वह अधिक-से-अधिक दस रुपये मासिक दे सकते है ।’ पत्र के अंत मे उमने लिखा था कि ३० टी० परीक्षा पाम करने और यूनिवर्सिटी होस्टल मे रह सकने के लिए आप मेरी सहायता कीजिये ।

मैं उम खत को बार-बार पढता रहा और मेरे मन मे उमके प्रति अधिकाधिक श्रद्धा और सम्मान उत्पन्न हुआ । मेरे मस्तिष्क मे वह पुराना दृश्य चित्रित हो उठा और अनायास ही मैं मन-ही-मन कहा—“उम जैमी बेंटी या वहन का होना कितने मौभाग्य की बात है । परमात्मा उमे चिरजीवी करे ।”

४

दैनिक समस्याएं और उनका समाधान

एक वहन में एक बार हिंदू धरो की सुख-शांति को अक्सर विक्षिप्त कर देनेवाले असुखद सबधों के बारे में चर्चा हो रही थी। मेरा सुझाव था कि इस सकट का मूल कारण अक्सर स्वत्व-अधिकार की भावना होती है और यदि सबधित लोग गीता के 'मा फलेषु कदाचन' के सिद्धांत पर आचरण करे, तो सहज ही लाभ हो सकता है। यह दर्शन-सिद्धांत हिंदू धरो की रोजमर्रा की समस्याओं का क्योकर समाधान कर सकता है, यह स्पष्ट करना इस लेख का उद्देश्य है।

प्रत्येक मानव-प्राणी में प्रबल स्वत्वाधिकार की भावना होती है और यह जरूरी भी नहीं कि हम उसे अनिवार्यतः बुरा ही समझें। लेकिन होता कभी-कभी यह है कि कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रतिष्ठित बन जाता है और उसके कारण ऐसी भक्ति और समर्पण के कार्य होने लगते हैं, जिनमें अपनापन का सर्वथा लोप हो जाता है। वस्तुतः ऐसा आत्मत्याग दिखाई तो बहुत कम देता है, लेकिन इसका मूल तो अधिकार-भावना में ही निहित है।

यहां मुझे अपने पुत्र के विषय में एक मा की स्वत्वाधिकार भावना का खयाल हो आता है। एक हिंदू मा के नाते वह अनुभव करती है कि बच्चे को जन्म देकर और अगाध मातृ-स्नेह से उसका लालन-पालन करने के कारण वह उनका अनंत-प्रेम पाने की अधिकारिणी है। वह यह भी खयाल करती है कि उसे अपने पुत्र की धन-दौलत, उसकी सुख-समृद्धि, उसके घर और बाहरी जगत में भागीदार बनने का अधिकार है। वह पुत्र पर 'अधिकार' शब्द का अत्यधिक वास्तविक अर्थों में दावा करती है और हमारे धार्मिक उपदेश भी उसी लक्ष्य की प्रेरणा करते हैं। इसके बाद आती है वह—पुत्र की पत्नी। अपने अस्तित्व के नाते वह भी अपने अधिकार का दावा करती है। उसका यह दावा अपने पति के प्रेम पर

असली बहन की तरह। यदि यह अनभूति वास्तविक होगी, तो पुत्र या भाई के बंधन पूरवत रहेंगे और मभवत वह अति सुदृढ होंगे, लकिन एक अन्य ही रूप में। उस अवस्था में वह पुत्र नहीं, बल्कि दामाद बन जायगा, दूसरी ओर भाई न रहकर बहन का पति होगा और इमीके अनुसार नतीजे भी हासिल होंगे। एक दामाद स्नेह, मान और विशेष चिंता का अधिकारी होता है। आप महगूम करते हैं कि उसके प्रति आपकी सब तरह की जिम्मेदारिया हैं, लकिन किमी प्रकार का अधिकार नहीं। इस दृष्टि से मैं सुझाव दूंगा कि यदि आप अपने बेटे के साथ दामाद यानी अपनी नई मुहबोली बेटे के पति के तौर पर व्यवहार करेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि जहा आप एक ओर अपना सारा स्नेह तथा मान उसे लगातार देते रहेंगे, वहा आप उससे अधिकार के नाते स्वयमेव कुछ भी दावा करना छोड़ देंगे। आप अपने पुत्र के घर में यह समझकर नहीं जायेंगे कि वैसे करने का आपको अधिकार है, प्रत्युत अपनी बेटे के घर में एक सम्मानित अतिथि के नाते जायेंगे। इमी तरह बहन अपने भाई के घर में इन दावों के साथ नहीं जायगी कि वह उसके भाई का घर है, बल्कि अपनी बहन के घर जायगी। मेरा अनुभव है कि मानसिक दृष्टिकोण में इस परिवर्तन का आधार पर उत्पनातीत सुख-शांति की रचना हो जायगी। यदि वह के साथ बेटे का-सा व्यवहार किया जाय, तो वह अवर्णनीय प्रेम का प्रतिपादन करेगी और वह खुद भी और अपने पति को भी ऐसे कार्यों की प्रेरणा करेगी, जिनमें अधिकाधिक नेह और सुख की उत्पत्ति हो। एक हिंदू पत्नी के हृदय में से जिस क्षण आप प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या के तत्वों को दूर कर देंगे, और जैसे ही उमें वह सतोप हो जायगा कि वह अपने पति के घर और उसके स्वत्वों की एकदम एव एकमात्र स्वामिनी है, वह स्वत ही अपने पति के अभिभावकों और रिश्तेदारों के साथ ऐसे ढंग का व्यवहार करेगी, जो इस विषय में सिवा हिंदू नारी के अन्य कोई नहीं कर सकता। यह मैं अपने निजी अनुभव और ज्ञान के आधार पर बहता हूँ। मेरा खयाल है कि इस जीवन में अपनी

माताजी ने अधिक समझदार महिला मेरे देखने में नहीं आईं। न्होंने इन्ही मिट्टातो के आधार पर कार्य किया था। उनके एक मुह-बोले भाई थे, लेकिन उनके भाई की पत्नी उनकी बहन थी। भाई से वह इसलिए प्रेम करती थी कि वह उनकी इस नई बहन के पति थे, और दूसरी ओर यह बहन—यानी लोक-व्यवहार की भाषा में मेरी मौसी—मेरे और अपने निजी पुत्र के बीच रचनात्मक भेद नहीं करती थी। हम एक गाव में रहते थे और वह रहती थी लाहौर नगर में। यद्यपि उनकी स्थिति इतनी सुखकर नहीं थी, तथापि उन्होंने बहुत जोर देकर मुझे अपने यहाँ बुला लिया। अपने-आपको अत्यधिक असुविधा में डालकर भी उन्होंने मुझे अपने यहाँ पाँच वर्ष तक रखा और मेरी कालेज की शिक्षा को पूर्ण किया। जब मेरा विवाह हुआ, तो मेरी माताजी ने मेरी पत्नी के साथ वही-जैसा नहीं, बल्कि अपनी निजी बेटा जैसा व्यवहार किया। उसकी सुख-सुविधा को वह मेरी सुख-सुविधा से भी कहीं अधिक आकृति थी। वह बरसों मेरे और मेरी पत्नी के साथ रही। हमारे ही घर में उनका स्वर्गवास हुआ और यद्यपि हम कहा करते थे कि वह घर की मालकिन हैं और हम सब उनके बच्चे हैं, तथापि वह हमेशा इसी बात पर जोर देती थी कि यह घर तो उनकी नई बेटा का है और वह इस घर में मेहमान के तौर पर रहती है। इसीका यह परिणाम था कि हमारे यहाँ चिरतन सुख-शांति थी।

बहुधा इस बात को महसूस नहीं किया जाता कि एक स्त्री पिता या मा के प्रेम के लिए कितनी तरसती है। अनेक अवसरों पर मुझे इसका बड़ा विचित्र अनुभव हुआ है। अनेक युवा लोगों ने मुझे अपना स्नेह-दान किया है। मेरी अवेड जिंदगी के इन बरसों में मेरा यह सबसे बड़ा सुख है। इस सुख के पीछे भेद यह है कि मेरी बहुत-सी मुह-बोली बेटियाँ हैं, जो अपने घरों की मालकिनें तथा कई-कई बच्चों की माताएँ हैं। बड़े विचित्र ढंग में मुझे यह स्थिति प्राप्त हुई है। पति और पत्नी की माँजूदगी में मैंने बहुधा युवा लड़की में यह मवाल किया है कि क्या वह मेरी बेटा बनना उचाह है या बहू, और इसका उत्तर असदिग्ध रूप में 'बेटा' मिला।

कुछ समय पूर्व इसी भावना का मुझ पर एक बहुमूल्य अनुभव हुआ। कलकत्ते के सरकारी भवन में एक स्नेही वहन मेरे यहाँ आई। कुछ दिन रही और जाते समय बोली—“आप लोग के साथ कुछ दिन रह कर मुझ बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं नहीं जानती कि इस सुख को पाने के लिए मेरा वारवार आपके यहाँ आकर रहना उचित होगा या नहीं।”

मैं मुस्कराया और मैंने कहा—“यह कठिनाई तो महज ही हल हो सकती है। मुझे तुम्हें वहन बना लेना चाहिए या बेटा। इनमें जो बनना चाहो, वह तुम बनाओ।”

उसका निःसंकोच उत्तर था—‘मैं बेटा बनना चाहती हूँ।’

प्रत्येक नारी के हृदय में माँ और पिता के प्यार के लिए जो भूख है, उसका यह संकेत-मात्र है। यदि सास-ससुरा उसे अपने बेटे की पत्नी न मानकर उसे अपनी बेटा बना ले, तो आश्चर्यजनक सुख की सम्पत्ति होकर रहेगी।

५

मैंने वकालत कैसे शुरू की ?

माच १९०० तक जावरा (मध्यभारत) के स्कूल में पढ़ने के बाद मैं कई महीने तक बीमार रहा। अक्टूबर १९०० में मेरे पिताजी ने मुझे अपने ननिहाल लाहौर में जाने की स्वीकृति दे दी, ताकि मैं माच १९०१ में पंजाब विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा में बैठ सकूँ। आया तो मैं यहाँ केवल ६ महीने के लिए था, लेकिन साढ़े चार वर्ष तक रह गया और माच १९०४ में मैं फारमन क्रिश्चियन कॉलेज, लाहौर से ग्रेजुएट हो गया। १९०३ तक मुझे तनिक भी खयाल नहीं था कि मैं कानूनी पेशा अस्वित्यार करूँगा। यदि पक्ष का चुनाव वास्तविक रूप में मुझपर छोड़ा जाता, तो मैं डाक्टर बनता। मैंने जुलाई १९०३ में मैडिकल कालेज में भर्ती होने की सोची भी थी, लेकिन पिताजी नहीं माने। उन्होंने जावरा में एक मित्र में सलाह ली और उनकी मलाह

के अनुसार मैंने १९०४ में बी० ए० की परीक्षा पास कर ली। इस बीच डाक्टरी पेगें का आकषण तो फीका पड़ चुका था और उमकी जगह कानूनी डिग्री हासिल करने की कुछ-कुछ इच्छा हो गई थी। यह इच्छा उत्पन्न होने की एक बड़ी विचित्र घटना है।

शायद १९०३-४ की बात है। एक दिन सुबह-सुबह यूनिवर्सिटी रॉयल कमीशन के सदस्य हमारे कालेज में आये। इस कमीशन के एक सदस्य नर गुरुदास बनर्जी थे, जो बड़े वकील और उन दिनों कलकत्ता-हाई कोर्ट के जज थे। समाचार-पत्रों में कमीशन की नियुक्ति-सूचना घोषणा छपी थी और उसमें गुरुदास बनर्जी के विषय में लिखा गया था "हमारे ट्रस्टी और स्नेही गुरुदाम बनर्जी, एम० ए०, डाक्टर ऑफ लॉ।" मैं इन शास्त्रीय उपाधियों से बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने अपने मन में निश्चय किया कि मैं एक दिन एम० ए० और डाक्टर ऑफ लॉ बनूंगा। उम समय मेरी आयु केवल पंद्रह-सोलह वर्ष की थी और मेरी यह अभिलाषा मुझे तबतक मन-ही-मन उद्वेलित करती रही जबतक कि मैंने इसे पूरा नहीं कर लिया। तदनुसार पिताजी ने जब मुझे कानूनी शिक्षा के लिए इलाहाबाद जाने को कहा, तो मैं तत्काल वहा जाने को राजी हो गया।

उन दिनों सयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर-प्रदेश) में कानूनी शिक्षा का तरीका बड़ा ही अमृतोपजनक था। प्रात में उम समय केवल एक ही विश्वविद्यालय था—इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वह शिक्षा-मस्था नहीं थी, बल्कि ऐसी परीक्षा-मस्था थी, जो मात्र परीक्षाओं और उपाधियों के लिए पाठ्यक्रमों का निश्चय करती थी। कानूनी शिक्षा प्रात के कुछ मुख्य कालेजों में नियत की गई कानूनी-कक्षाओं में दी जाती थी। इनमें मुख्य कालेज थे—म्यूर मैट्रल कालेज, इलाहाबाद, कॉर्निंग कालेज, लखनऊ और आगरा कालेज, आगरा। कालेज अधिकारी इन कानूनी कक्षाओं को कानेज के सामान्य प्रवध के लिए अतिरिक्त आय का नावन समझते थे। अदानतों के वकील कक्षाओं में पढ़ाने आते थे, जिन्हें बहुत थोड़ी

तनखाहे दी जाती थी। इलाहाबाद में चार गो रुपये माहवार के एक प्रोफेसर और डेढ़ सौ रुपये के दालकचरार थे। ये मास गज्जाह में तीन बार लेकचर देते थे। प्रोफेसर मसूचे वष प्रात जात तक्षा लता था और दानो लेकचरार शाम को। इसका कोई चारा भी नहीं था क्योंकि उन्हे दिन के समय अदालतो में भी काम करना हाता था। इलाहाबाद में छुट्टिया भी बहुत लबी होती थी, गर्मियों में अढाई महीन की—अगस्त में लेकर अक्तूबर तक। जिन दिनों हाई काट बंद हाता था उन दिनों भी दस सप्ताह के लिए कोई लेकचर नहीं हाते थ। इस तरह जानून के विद्यार्थियों का बहुत-सा समय व्यथ जाता था। काई निमाही या छमाही इस्तहान भी नहीं होते थे। किमी भी स्वीकृत मस्या की रक्षा के नियत मख्या में लेकचरो की हाजिरी के बाद विद्यार्थी सीधे गल-गल० वी० में बैठ सकता था। लेकचरार एक समय में पैतालीस-पचास मिनट तक अपना लेकचर देते थे और विद्यार्थी उनके नाट निख लते थ।

किमी भी युवक के लिए वह बडा ही कष्टकर प्रश्न हाता ह कि वह कौन-सा पेशा अस्त्रियार करे। मेर मामन भी यही ममस्या थी। माता-पिता ने मुझे लाहौर और इलाहाबाद भजरर काफी कष्ट उठाया था और अब यह मवथा अमभव था कि मैं उनपर और अत्रिज वात्ता बन-कर रहूँ। मैं पर लीट आया और मैं किमी भारतीय रियामत में नौकरी की खोज शुरू की। मुझ कही नौकरी न मिली और मरे आवदन-पत्रो का भी कोई जवाब नहीं आया।

ब्रिटिश भारत में तो नौकरी का प्रश्न ही पैदा नहीं हाता था। न ता मैं अमाप्रारण योग्यता-सपन्न था और न ही मेरा कोई प्रभाव था। वानूनी पशा अस्त्रियार कर लता भी मेरे काई महज नहीं था। पहले मुझे कोई उपयुक्त स्थान चुनता था। मयुक्त-प्रात के प्राय सभी जिले मेरे लिए ममान रूप में उपयुक्त थे, क्योंकि मारे ही मेरे लिए अपरिचित थ और कही भी मेरा काई मवबी न था। इस प्रकार जब मैं वेकारी और अनिश्चय के दिन बाट रहा था, ता भगवान ने पंडित पृथ्वीनाथ के रूप

में मुझे सहायता भेजी ।

पंडित पृथ्वीनाथ कानपुर की जिला अदालत में बड़े वकील थे । सभी जातियों के लोग उनका सम्मान करते थे और उनसे प्रेम करते थे । उनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था । प्रातः भर में अपने समय में वह बहुत बड़े जिरह करनेवाले माने जाते थे । एक अंग्रेज जज ने खुले-आम कहा था कि यदि कभी किसी हत्या के अपराध में मैं फस जाऊँ, तो अपने जीवन को पंडित पृथ्वीनाथ के हाथों मॉप दूँगा । झूठे गवाहों और बदमाशों के लिए वह आतंक थे । वह कानपुर बार एसोसिएशन के प्रधान थे । कानपुर की प्रायः प्रत्येक सार्वजनिक सन्स्था में वह सक्रिय दिलचस्पी लेते थे । उनकी आमदनी बहुत थी और उसी प्रकार वह उदारतापूर्वक परोपकार के कार्यों में खर्च भी करते थे ।

जुलाई १९०७ में जब मैंने वकालत की परीक्षा पास की थी, तो मैं पहली बार पंडित पृथ्वीनाथ से मिला था । मेरी ही तरह वह भी काश्मीरी ब्राह्मण थे । लेकिन उनके साथ मेरी कोई रिश्तेदारी न थी । मैं कानपुर में अपने चचेरे भाई से मिलने गया था और उसी समय मैं एक स्थानीय दीवानी के जज से भी मिला, जिनके नाम मेरे पास एक परिचय-पत्र था । जज महोदय सहृदयतापूर्वक मिले और उन्होंने पूछा कि भविष्य में अब तुम्हारी क्या करने की इच्छा है । मैंने कहा कि अभी तक तो कुछ नहीं सोचा । इसके बाद वह बोले कि सयुक्त-प्रातः की जिला अदालतों का मुझे पर्याप्त अनुभव है और मेरी राय में पंडित पृथ्वीनाथ ही ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जो इस पेशे में आनेवालों को सीधी राह पर डाल सकते हैं । उन्होंने बहुत जोर के साथ पंडितजी से मुझे मिलने की मलाह दी । तदनुसार मैं उनसे मिला । पंडित पृथ्वीनाथ ने इससे पहले भी मेरा नाम सुन रखा था । जज महोदय ने उनके विषय में जो विचार प्रकट किये थे, मैंने उन्हें दुहराया । वह मुस्कराये और बोले कि अगर तुम कानपुर आने का निश्चय करो, तो मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूँगा । उस समय यह विल्कुल ही साधारण-सी चर्चा हुई थी । कानपुर एक बड़ा नगर और उसमें

रहना बड़ा खर्चीला था। उमपर गाथा गपगिन्त हान के कारण मर लिए बड़ा जीवन आरम्भ करना बड़ी गभीर गमस्या प्र गई थी।

इसी मोच-विचार मे महीना बीत गये। मैं गदह प्रीर चिता के समुद्र मे डूबता उतरता रहा। नरिन्त निनाग नजर नहीं आता था। अन्त मेने उमे पार करन ता निश्चय किया। जनवरी १९०८ मे, जब मैं माहे प्रीम बप ता था, मैं पडित पृथ्वीनाथ ता एन पात किया। उ महीने पहन उनके साथ हुई मुताहत ता जित किया आर पूरा कि क्या मैं बानपुर आ जाऊ। बापसी डाक मे दापकितया ता एन खन मिता। वह हमेशा बहुत मक्षप मे निखने थ। गन मे किया था—“अवश्य आओ, मुझे तुम्हारी सहायता करन मे खुशी हागी।” इम गन मे मेरी साी कठिनाइया हन हो गई और ५० रुपय ८ आना अपनी जत्र ख्व-वर फरवरी १९०८ का मैं घर मे बानपुर के लिए रवाना हा गया।

१९०८ मे जब मैं बानपुर की बार मे शामिल हुआ, ता यह प्रात भर मे सबसे जवरदस्त जिला अदालत मानी जाती थी। यह नगर चिन्माल मे इम प्रात का औद्यागित केन्द्र रहा ह और साथ ही प्रात भर मे सबसे बडा नगर है। यहां ता बनी और सपन्न व्यापारिक समुदाय अदालत मे काम करनवालो के लिए पर्याप्त आय का साधन ह। यहां की अदालत मे वकीलो की बहुत बड़ी मरया थी और हर कोई बार एसीमिणशन ता सदस्य भी नहीं था। जा हा, कुछ अभागे लोगो का छोटकर एसीमिणशन के तराफ सदस्य का कुछ-न-कुछ काम मिल ही जाता था। बार एसीमिणशन के सदस्यो के पारस्परिक संबध भी बहुत अच्छ थ आर पडित पृथ्वीनाथ के ननृत्व मे बैच और बार मे पारस्परिक सम्मान और आदर की भावना विद्यमान थी।

इन मह-व्यवसायिया से शीघ्र ही मैं पडित पृथ्वीनाथ के डाटे आर सहायक वकील के रुप मे परिचित हो गया। इममे एसीमिणशन के सदस्यो की नजरों मे मेरा भी कुछ-कुछ दर्जा समया जाने लगा। हर कार्ड मेरे प्रति गहानुभूति प्राट करता था।

मैने कुछ अज्ञानतावश स्व-विज्ञापन के आधार पर अपनी वकालत शुरू की। एक मित्र के मुझाव पर मैने 'अमानत की जर्नी'-सबधी कानूनी विषय पर एक लेख लिखा, जो जून १९०६ में 'इलाहाबाद नाँ जर्नल' में छपा। कानपुर-वार के मदस्यो ने इमपर खूब टिप्पणिया की।

उन दिनों पंडित पृथ्वीनाथ हरदोई (अवध) में एक बड़े दीवानी मामले में लगे हुए थे। मै सहायक के रूप में उनके साथ बहा गया और पंद्रह दिन तक बहा रहा। इस मुकदमे में मुझे पैसा तो नहीं मिलना था, लेकिन बड़ी मूल्यवान शिक्षा की गुजायश थी। मेरे लिए यह पहला ही मुकदमा था कि जिसमें गवाहिया थी और मै बड़े वकीलो द्वारा कनापूर्ण जिरह और फिर जिरह-पर-जिरह को सुनता रहा। मेरे लिए यही सबसे बड़ी शिक्षा थी। इस मुकदमे में रीति-सबधी एक प्रश्न उत्पन्न हो गया, जिसके द्वारा दोनों पक्षों पर लागू होनेवाले उत्तराधिकार के सामान्य हिंदू कानून में संशोधन हो जाता था। पंडित पृथ्वीनाथ ने मुझे अपने लिए एक टिप्पणी तैयार करने को कहा, जो मैने तैयार कर दी। मै नहीं कह सकता कि वह टिप्पणी उनके लिए किसी प्रकार लाभदायक सिद्ध हुई या नहीं, लेकिन जहा तक मेरा संबंध था, उसके कारण मै अपने शेष जीवन के लिए कानून की उस दिशा का पूर्ण जानकार बन गया।

एक घटना यहा विशेष उल्लेखयोग्य है। भारतीय मुकदमेवाजी की मूल बातों के विषय में इसके द्वारा मुझे पहले-पहल परिचित होने का मौका मिला। दोनों पक्षों में बड़ी दिलचस्पी और बड़े व्यय के साथ यह मुकदमा लड़ा जा रहा था, यद्यपि जिस संपत्ति के संबंध में यह झगडा था, उसका कोई विशेष मूल्य नहीं था। दोनों पक्ष निकट सबधी यानी चचा-भतीजे थे। चाचाओं का दावा था कि वह निकटतम सबधी होने के नाते मृतक की सारी जायदाद के उत्तराधिकारी हैं और भतीजों का तर्क यह था कि पारिवारिक रीति-अनुसार वह चाचाओं के साथ उस संपत्ति के समान उत्तराधिकारी हैं। हम भतीजों की ओर में पैसा हाव थे

और दोनों आर मे रिवाज का सबूत देने के लिए जपानी और तिब्बत बहुत-सी गवाहिया उपस्थित करनी पड़ी थी। अगर यह मुकदमा आखिरी हद तक ही लडा जाता तो संभव था कि दोनों ही पक्ष बुरी तरह तग आ जाते। फलतः मैंने अपनी नई-नई सूख-बूख के अनुसार मुक्किलों का समझौता कर लेने की राय दी। यह मुनन पर उन्हें जो वेदना आर दुख हुआ था वह मैं आज भी नहीं भूला हूँ। मेरे मुक्किल ने मुझमें कहा—“समझौता। आप समझौते की चर्चा करने हैं। यह जमीन नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की हड्डिया हैं। मैं भला समझौते और अपने दाव को तिलाजलि देने की कैसे मोच सकता हूँ।” तब मुझ पहली बार डम वात का अनुभव हुआ कि भारत में एक मनुष्य अपने पूर्वजों की भूमि के साथ कितनी दृढतापूर्वक बंधा हुआ होता है। अपने व्यावसायिक जीवन में मुझे इस भावना की शक्ति और मन्यता का कई बार अनुभव हुआ है।

सबसे पहली पेशी का मुझे अनोखा अनुभव हुआ था और मेरे लिए तो वह मनोरंजक भी थी। पंडित पृथ्वीनाथ के कहने पर उनके एक मुक्किल ने मुझे पद्रह रुपये फीस देकर फँसने में पहले कुर्की की दरखास्त देने को कहा। यह मुकदमा एकदम मामूली था और निश्चय ही इसकी आज्ञा जारी हो जानेवाली थी। मैं वडी मावधानी के साथ दरखास्त लिखी और अदानत में पेश की। जज ने इस आशा के साथ मेरी ओर देखा कि मैं उन्हें उस दरखास्त के बारे में व्यौरा दूँ। लेकिन मेरी तो जवान को काठ मार गया था। मैं एक भी शब्द न बोल सका। जज महोदय ने शर्मिल यक पर नजर डाली। उन्होंने अर्जी पढ़ी और जो प्रार्थना की गई थी उसके लिए आज्ञा जारी कर दी।

उसके बाद दूसरा अनुभव कुछ उसमें बेहतर था। यह मेरा निजी मुकदमा था, यानी पंडित पृथ्वीनाथ का इसमें कहीं दखल नहीं था। यह एक गरीब आदमी की फौजदारी अपील थी, जिस पर एक साधारण अपराध के लिए जुर्माना किया गया था। इसकी फीस पाच रुपये थी, लेकिन

फीस की रकम का प्रश्न तो मेरे लिए सर्वथा अविचारणीय था । मेरे लिए तो मुकदमे का होना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण था । जिस प्रकार मैंने इसकी तैयारी की, किस प्रकार मैंने इसके सब पहलुओं पर विचार किया, किस प्रकार मैंने मन-ही-मन बारबार अपने खयाल के मुताबिक इस मुकदमे में उठनेवाले अनेकानेक प्रश्नों पर बहस को दोहराया । लेकिन जिस जिला मजिस्ट्रेट के सामने यह अपील पेश हुई, वह मुझे सबया हृदयहीन और कठोर-सा जान पड़ा । मेरे मुवक्किल के साथ जो भारी अन्याय हुआ था, उसका उसपर कुछ भी असर नहीं हुआ । उसने फँसला पड़ा, मेरी ओर देखा, मैं बोला, और अचानक जो कुछ मुझे कहना था, उसका नब्बे प्रतिशत भूल गया और एकाएक चुप हो गया । नतीजा यह हुआ कि तत्काल अपील खारिज हो गई । दिन भर मैं बहुत ही पेशान रहा, लेकिन मुवक्किल ने इस बात को इतना महसूस नहीं किया । वह अपील खारिज हो जाने पर भी खुश था । जब वह २४ वरस बाद मुझे मिला, तो उसने मुझे मेरे इस सबने पहले अमली मुकदमे की याद दिलाई ।

६

मेरा पहला मुवक्किल

४४ साल पहले की यह कहानी है । उस समय मैं निग युवक था । भगी-पूरी जवानी थी और भगी-माथियों में काफी लजीला था । कानपुर की अदालतों में मैंने वकालत शुरू की ही थी और बड़ी मुश्किल ने बारह महीने बीते थे । एक तग और भट्टी-सी गली में किराये के मकान में मेरा दफ्तर था । दफ्तर के कमरे को मेजो, कुमियो तथा अन्य मामान में मजाने की मुझमें धमता नहीं थी और इसलिए मैंने पुराना भारतीय ढंग अपनाया । मेरे दफ्तर के मामान में कुल-जमा एक दगी, एक सूती कालीन, जो मुझे पिताजी ने दिया था, और एक ममनद—नकिया था ।

रूप में उसने आखिरी मालिक से यह जायदाद खरीदी है और फलतः इस अधिकार के नाते वह इसका पूरा-पूरा मालिक है। रहन-जैगी किमी भी बात से उसने इन्कार कर दिया था। और सभी सरकारी इदराजों में उसे और यहाँ तक कि उसके पूर्व के मालिकों को भी उस जायदाद का पूरा-पूरा मालिक दर्ज किया गया था, जो १८२४ से लेकर मूल्य की दृष्टि में वीस गुने से भी ज्यादा की हो चुकी थी।

इन दस्तावेजों के आधार पर मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम बच्ची-सिंह था। मैंने उससे पूछा कि इस मुकदमे से संबंधित अन्य कागजात, जैसे, बंधक-पत्र की नकल और दूसरे पुराने दस्तावेज तथा अधिकार-पत्र कहाँ हैं? उसने कहा कि इन दो पुर्लिटो के सिवा उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, यहाँ तक कि उसके पास बंधक-पत्र की भी नकल नहीं है, जिससे यह मालूम हो सके कि उसके पूर्वजों का किसी भी रूप में इस जमीन से कोई नाता था या उन्होंने कभी किसीके पास इस जमीन को बंधक रखा था। इसके अलावा दीवानी अदालत की कारवाइ के पुराने कागज मिलने भी असंभव थे, क्योंकि जिला कानपुर में १८५७ के गदर के दिनों में सब सरकारी रिकार्डों को जला डाला गया था और ऐसी अवस्था में दीवानी अदालतों या तहसील से इसके संबंध में कुछ भी पता नहीं लग सकता था।

इसपर मैंने धीरे-से कहा कि तुम्हारा मामला तो बहुत ही विकट नज़र आता है। कागजों के बिना ही क्या सकता है? तुम्हारे पास बंधक-पत्र तक की तो नकल है नहीं। लेकिन वह था कि मेरी किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं देता था। उसकी तो एक ही रट थी, कभी-कभी फुसफुसाते हुए, कभी रोते हुए और कभी ऊँची आवाज़ में—“आप सबके मुकदमे लड़ते हों, लोग सभी तरह के मुकदमे लड़ते हैं, मेरा मुकदमा कोई नहीं लड़ता। आप मेरा मुकदमा क्यों नहीं लड़ते?” मैं बड़े असमंजस में था। उसमें पिंड छुड़ाने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता था। तब एका-एक खयाल आया और मैंने उसमें कहा कि तुम इन दो पुर्लिटो को यही छोड़

जाओ। मैं इन्हें एक बार और देखूंगा। जब तुम फिर से आओगे तो इस-पर और चर्चा करोगे। मौजूदा हालत में किसी तरह की फीस का प्रश्न ही नहीं उठता था।

जब वह चला गया, तो पता नहीं क्या हुआ कि इस मुकदमे में मेरी रुचि बढ़ गई और वह मेरे दिमाग पर वह हावी-सा हो गया। मैं इन कागजों को कचहरी जाते हुए साथ ले गया। वहाँ बार-लायब्रेरी में मैंने उन्हें ध्यान के साथ बार-बार पढ़ा। अपने एक निकट के साथी से मैंने इसकी चर्चा की तो वह ठहाका मारकर हसते हुए बोले—“अरे, उसी बूढ़े वच्चीसिंह की कहते हो! क्या वह पागल तुम्हारे पास भी गया था? वह तो झक्की है और पिछले दस बरस से कानपुर की अदालत में वह अपने इस मुकदमे को लिये फिरता है। और हा, कोई भी नया-नया वकील उससे अच्छा नहीं बचा, हर किसीके पास वह हो आया है। तुम उसकी चिंता न करो! बस टाल दो उसे।”

लेकिन करने की अपेक्षा यह कहना आसान था। लाख चाहने पर भी मैं इस मुकदमे को छोड़ नहीं सका। इसके बाद ठीक से याद नहीं कि मैंने कितनी कितने पढ़ डाली। मुझसे बड़े वकील (प० पृथीनाथ) की लायब्रेरी में इस कानून के विषय का बहुत-सा साहित्य था। कचहरी की लायब्रेरी में डेरो पुराने विवरण मौजूद थे। इन सब मदर्म-पुस्तकों को, जो भी मुझे मिल सकी, बहुत दिनों और सप्ताहों तक मैं उलटता-पलटता रहा। इन पुस्तकों की अनुक्रमणिका की सहायता से मैं ज्यों-त्यों अपने मुकदमे में संघटित उन सब मुकदमों को देख गया, जिनका १९वीं सदी में फौजला हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि १८०० और १८६० के बीच में प्रचलित कानून और विधि से मैं पूरी तरह वाकिफ हो गया। इस बीच वच्चीसिंह भी लगातार मेरे पास आता रहा। जब उसने देखा कि मैं उसके मुकदमे में इतनी दृढ़ता और लगन के साथ लगा हूँ, तो उसका मस्तिष्क कुछ घात हो गया और आचरण में भी वह उतना विक्षिप्त नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि इससे पहले उसने जीवन में ऐसी

सहानुभूति का कभी अनुभव नहीं किया था ।

लेकिन कोरी सहानुभूति से कुछ नहीं हा सकता था । प्रश्न यह था कि किया क्या जाय । लगता था कि बिना नीव के इमारत खड़ी करने-जैसा यह काम है । मैंने कानूनी किताबों और गानूनी विवरणों को केवल इसलिए पढा था कि पुरानी विधि से जानकारी हा जाय और इसके बाद मैंने तहसील में कई घंटे और दिन वदोवस्त के उन विवरणों को पढने में लगाये, जो १८५७ के बाद विशेषत इस गाव से ताल्लुक रखते थे । सयुक्त-प्रात के जिला कानपुर में स्थायी वदोवस्त की मालगुजारी प्रचलित नहीं थी । हर ३० साल के बाद मालगुजारी वदोवस्त होता था और जिला कानपुर में १९०१ से १९०५ के मालगुजारी वदोवस्त के सारे विवरण में बच्चोसिंह या उसके पिता का कही भी उल्लेख नहीं था । जिस व्यक्ति के अधिकार में उस समय वह जमीन थी, उसका नाम उस जायदाद के मालिक के रूप में दर्ज किया गया था । इससे पूर्व १८७०-१८७५ के वदोवस्त के विवरणों से बहुत-कुछ जाहिर हो जाता था । मैंने अनेक अनु-क्रमणिकाओं, रजिस्ट्रो, साराशो तथा अस्त-व्यस्त कागजों को देखा और इससे मुझे पता लगा कि १८५७ से पहले पुराने मालिक महाराजसिंह का नाम मालगुजारी के विवरणों में से इस जायदाद के वधककर्त्ता के रूप में हटाकर वधक रखनेवाले का नाम इस जायदाद के पूरे मालिक के रूप में दज कर दिया गया था । बीस बरस बाद १८५७ में नये वदोवस्त के समय महाराजसिंह ने मालगुजारी के विवरणों में उस इदराज में सशोधन और वधककर्त्ता के रूप में अपना नाम दज करने की दरखास्त दी थी । यह जायदाद उस समय जिसके अधिकार में थी, उसने जवाब दिया था कि इस समय वधक है ही नहीं और १८४९ में जिला जज की अदालत में सुनवाई के बाद महाराजसिंह के खिलाफ जो सचों की डिगरी हुई थी, उसकी कुर्की कर ली गई है, और उस कुर्की में वधक-कर्त्ता के रूप में उसके अधिकार-पत्र और अन्य अधिकारों की नीलामी की गई । तदनुसार वधक रखनेवाले ने उन्हें खरीद लिया और दग प्रचार वधक का मामला पणतया रात्म हो

गया। लेकिन यह कार्रवाई माल-अफसर की अदालत में बहुत-ही सक्षिप्त रूप में हुई थी और जान पड़ता था कि आखिरी फैसले के लिए जो तारीख नियत की गई थी, उस दिन मालिक की ओर से कोई भी हाजिर नहीं हुआ, और नायब तहमीलदार ने आज्ञा दी कि महाराजसिंह का नाम वक्कतों के रूप में दर्ज किया जाय। यह इदराज १८७५ में हुआ था, लेकिन कुछ वरस बाद किसी भी ढंग से, जिनका मैं पता नहीं लगा सका, इस आज्ञा को पुनः बदल दिया गया और महाराजसिंह और उमका परिवार सब इस रगमच से पूर्णतया गायब हो गये।

जो हो, मालगुजारी वदोवस्त के रिकार्डों में कई प्रकार की अन्य सूचनाएँ दर्ज थीं, जैसे, १९ वीं सदी में समय-समय वक्क-भूमि पर लगा मालिया और उस पर किसानों से लगान की वसूली। यह जाहिर था कि अगर जिला जज के डम फैसले को सही मान भी लिया जाता कि १८४६ में मूल और व्याज का एक हिस्सा अभी वकाया था, तो भी पिछले ५७ वरसों में सारी स्थिति बदल गई थी। इसका मतलब यह था कि न केवल वक्क की सारी रकम एक अरसे में पूरी हो चुकी थी, बल्कि मालिक को देने के लिए एक बहुत बड़ी रकम वक्कवाले के पास जमा हो गई थी।

दोनों पुर्लियों की जब अधिक जाच की गई, तो उससे मुकदमे के सबब में एक और भेद मिला। यह साफ जाहिर था कि वह पुराने दस्तावेज हैं, लेकिन मैंने देखा कि एक तो उनमें सरकारी नकल है, जो अदालतों से सरकारी मोहर के साथ मुकदमा दायर करनेवाले को मिलती है और दूसरी गैर-सरकारी नकल थी, जो किसीके द्वारा किसी समय घर पर तैयार की हुई थी। फैसलों और डिगरियों की सरकारी नकलें कीमती दस्तावेज होते हैं। एक गैर-सरकारी नकल का कानूनी तौर पर कुछ भी महत्व नहीं होता और कोई भी अदालत उसे प्रमाण-रूप में स्वीकार नहीं करती। लेकिन यहाँ मामला यह था कि सादी नकल इस मुकदमे का पहला फैसला था और सरकारी नकल आखिरी फैसले की थी। पहले गैर-

सरकारी दस्तावेज में इस मुकदमे का मारा व्यीग दर्ज था, यानी अदातत खलीफा और अपील के फैसले । इन दोनों फैसलों में वक्क-पत्र के आवश्यक विवरण भी थे—वधककर्ता और वधक रखनेवालों के नाम, तारीख और वह रकम जो कर्ज के रूप में दी गई थी । दूसरी नकल में क्रिमी भी अदालत ने इन विवरणों को फिर से देना आवश्यक नहीं समझा । अगर आप मिसल से इस सादी नकल को निकाल दे, तो इस वक्क-पत्रों दोनों पक्षों और तारीख आदि का कुछ भी पता न चले । इस दृष्टि में मिवा इस मादी नकल के दूसरा कोई सबूत उपलब्ध नहीं था ।

दोनों दस्तावेजों में मूल पर व्याज की दर को भी स्पष्ट नहीं किया गया था । इस कठिनाई को मैंने ज्यो-त्यो पार कर लिया था, क्योंकि सन १८०६ में यह नियम जारी किया गया था कि कज लनवाल और देनवाले का निपटारा करने के लिए कोई भी अदालत १२ प्रतिशत मानाना में ज्यादा की मजूरी नहीं देगी । इसका मतलब यह हुआ कि १८३८ में वक्क-पत्र में चाहे जो भी व्याज की दर दर्ज हो, पर अदातती मुद्दों के लिए १२ प्रतिशत की दर ही मान्य होगी ।

इससे आगे एक दूसरी भयकर बाधा थी—मियाद के सवाल की । कानून वधककर्ता को ज़मीन चूड़ान और ऋणदाना में वापस लाने के लिए ६० वरस की इजाजत देता है । ये ६० वरस १८८८ में पूरे हो चुके थे । मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर वक्क रखनेवाला या उसका उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि लिखित रूप में ऋणी को वधककर्ता के तौर पर और ज़मीन का असली मालिक स्वीकार करता है, तो कानून मियाद की अवधि में वृद्धि करने की इजाजत देता है । इस लिखित स्वीकृति के लिए मैंने १८७५ के माल रजिस्टर में मशाहित इदराज का बनाया, नायब जिसमें तहमीलदार न हुसम दिया था कि महाराजमिह को वधककर्ता और उस एक मुमम्मात को वक्क रखनेवाली किया जाय, जिसके अधिवार में उस समय वह ज़मीन थी । जब वह दस्तावेज तैयार किया गया था, इस पर महाराजमिह और पर्दानशीन मुमम्मात दोनों के

हस्ताक्षर हुए थे। मुसम्मात की ओर से गाव के पटवारी ने इस प्रकार दस्तखत किये थे—“मुक्तकौर वकलम शिवदयाल पटवारी।”

इस प्रकार अब मैं मुकदमे की पूरी-पूरी तैयारी कर चुका था और कानून के अयाह सागर में कूद जाने को उतारू हो गया था। दूसरी ओर बेचारा वच्चीसिंह कौडी-कौडी के लिए मोहताज था और निहायत किफायत-शारी के साथ काम भी करना था। इसके साथ ही मैं मुकदमे की रकम इतनी बड़ी भी रखने का निश्चय कर चुका था कि जिससे पहली ही अपील पर यह सीबे हाई कोर्ट में जा सके।

दोनों पुलिदो और १८७५ के इदराज की सरकारी नकल के आधार पर मैंने वधक-पत्र को फिर से लिखा और पक्ष-समर्थन की तैयारी कर ली। मेरा पक्ष यह था कि व्याज की निश्चित दर केवल १२ प्रतिशत सालाना थी। मेरा कहना था कि जिला जज के फैमले को ही आधार-रूप में ग्रहण किया जाय, जबकि १८४६ में मूल और व्याज का थोड़ा-सा अंश वकाया थे, लेकिन ज्यादा-से-ज्यादा दस वरस के अंदर मूल और व्याज-सहित वधक की सारी रकम वसूल हो जाती है। उसके बाद मेरा कहना था कि पिछले ५० वरसों से जिन लोगों के कब्जे में यह जमीन थी, उनके पास एक बहुत बड़ी रकम फालतू रह जाती है। इस तरह अंत में मैंने दावा किया कि यह जमीन वच्चीसिंह (असली वधककर्ता के पुत्र) को वापस दिलाई जाय, और साथ ही किराये और मुनाफे का सारा हिसाब लगाकर वह हज़ारों रुपये का अतिरिक्त लाभ भी उसे दिलाया जाय। अबधि के वचन से वचने के लिए मैंने १८७५ के इदराज का आश्रय लिया, जो वधक रखने-वाले के द्वारा वधककर्ता के अधिकार-पत्र की स्वीकृति थी। ७१० रुपये के असली वधक-ऋण पर मैंने ५३ रुपये की अदालती फीस लगाई और न्याय-प्राप्ति के मुद्दे से मैंने दावे की कीमत ५२०० रुपये आकी। तदनुसार मैंने कानपुर के मातहत जज की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। मैंने उन सब व्यक्तियों या उनके उत्तराधिकारियों अथवा कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिवादी बनाया था, जिनके अधिकार में यह जमीन सन १८२४ से लेकर

कभी भी रही थी। आखिरी नाम था उस लखपति उद्योगपति का, जिसके कब्जे में वह जमीन इस समय थी।

कचहरी में जब इस मुकदमे का समाचार फैला तो, वार-नायतरी में खूब फवतिया कमी गई। हर किसीने इसे कोरा पागलपन समझा। बच्ची-सिंह तो पागल था ही और उसके नौजवान वकील के बारे में भी यही खयाल किया गया। किसीने भी इसे गभीरतापूर्वक ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जाहिरा तौर पर वह वेवुनियाम था, यहाँ तक कि बहुत-से प्रतिवादियों ने पेशी पर हाजिर होने की भी परवाह न की। लखपति महाशय ने कानपुर-कचहरी के बड़े-बड़े कई वकीलों को तैनात किया था, लेकिन मेरा खयाल था कि बच्चीसिंह की किस्मत का पासा पलट चुका है और ये बड़े-बड़े वकील इस मुकदमे के बारे में बिल्कुल बेफिक्र थे। न तो उन्होंने और न उनके प्रतिवादी ने इस पर कोई ध्यान दिया। वधक-पत्र मौजूद नहीं था, और साफ ही इसके कारण कानूनी स्वीकृति भी नहीं थी और उनके मन में स्पष्टतया इस दावे की मियाद निकल चुकी थी। इस बात का किमीको खयाल भी नहीं हो सकता था कि अधिकार-पत्र की मान्यता पर वधक रखने-वाले के ही दस्तखत होंगे। मेरा यह भी खयाल है कि प्रतिवादियों में किमीने तहसील में जाकर इस मुकदमे के बारे में किमी तरह के दस्तावेज देखने की भी तकलीफ गवारा न की थी। इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी एक और भी गलती की। दोनों पुलिंदों की सावधानी के साथ जांच करने के बिना ही उन्होंने कल्पना कर ली कि ये दोनों सरकारी नकले हैं और प्रतिवादियों के लिखित बयानों में यह साफ तौर पर मान लिया गया कि जिन दो पक्षों का मैंने अपने दावे में जिक्र किया था, उनमें कथित तारीख को एक वधक-पत्र लिखा गया था। वधक-पत्र की यह मान्यता आखिरकार बहुत-ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई।

वधक और उसकी तारीख के तथ्य को मानने के अलावा प्रतिनिधियों ने इस दावे से कतई इन्कार किया था और अनुरोध किया था कि अगर कोई वधक है, तो भी वह स्वयं समाप्त हो चुकी है और यह दावा पूर्णतया

निराधार और बेहूदा है ।

इस मुकदमे की पहली पेशी कई दृष्टियों से वस्तुतः उल्लेखनीय है । माननीय जज खुशमिजाज वयोवृद्ध सज्जन थे । वह बड़े दयालु और विवेकी थे । जैसे-ही मुकदमा शुरू हुआ, उन्होंने अपनी जानकारी के लिए इस्तगासा पढा । वह मुस्कराये । निश्चय ही उन्होंने समझ लिया कि यह एक असाधारण मुकदमा है । उन्होंने मेरे उन दोनो पुर्लिदो को उठाया और बड़े गौर से उन्हें पढा । फिर एकाएक मुझसे बोले—“वकीलसाहब, यह वाला पुर्लिदा तो सरकारी नकल नहीं है । फिर आप इसे सबूत में कैसे पेश कर सकते हैं ?” मैं जानता तो था ही, लेकिन मैंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा—“जनाव, क्या आपको इसका पूरा यकीन है ? क्या मैं देख सकता हूँ इसे ?” उन्होंने वह मुझे दिया और मैंने बात को बनाए रखने के लिए बहुत उत्सुकता के साथ उसे देखा और उसके बाद बहुत ही लापरवाही दिखाते हुए मैंने कहा—“तो इससे क्या ? जाहिर है कि यह दस्तावेज काल्पनिक नहीं है और यद्यपि यह अनधिकृत और गैर-सरकारी नकल है, तथापि यह विल्कुल सही जान पड़ता है । इस मुकदमे की विशिष्ट अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इसे कृपया सबूत के तौर पर रख लीजिये । मुझे विश्वास है कि दूसरे पक्ष को भी इस पर एतराज नहीं होगा ।”

मेरे इतना कहते ही प्रतिवादी-पक्ष बेहद उत्तेजित हो उठा और बड़े जोर का एतराज उठाया । इस पर जज ने कहा—“साफ है कि इमे मैं सबूत के तौर पर नहीं ले सकता । मैं इसे नामजूर करता हूँ ।” जैसे-ही उस दस्तावेज को नामजूर किया गया, वैसे-ही प्रतिवादियों के वकीलो ने तल्मबवी जटिलता को महसूस किया । उन्होंने अदालत से अपने पहले बयान में सुधार करने की और बचक-पत्र के तथ्य और तारीख की मान्यता को वापस लेने की मजूरी चाही, जो उनके कथनानुसार प्रस्तुत रद्द किये दास्तावेज पर ही आधारित थी । अब थी मेरी बारी । मैंने इसका बलपूर्वक विरोध किया । मैंने कहा—“बयानों में जिन बातों को स्वीकार किया जाता है, उनका दोनो

पक्षों की ओर से सभ के तीर पर पेज फिंगे दस्तावेजों के साथ कोई सबूत नहीं होता और इस मामले में जो खामती पर स्वीकृति की गई है, वह पूर्णतया बिना दस्त की है। अगर मीजूदा मुकदमे में प्रतिवादियों को अपनी स्पष्ट और अमदिग्ध स्वीकृतियों को वापस लेने की इजाजत दी गई, तो यह बड़ा भारी अन्याय होगा।” मैं जानता तो नहीं, लेकिन बहुत संभव है कि जज को मेरे पागल मुकदमों और साथ ही उसके पागल नौजवान वकील पर दया आई और वह दृढ़ रहे। उन्होंने प्रतिवादी-पक्ष को अपने बयान में सशोधन करने की मजूरी नहीं दी। जितना कुछ वह मान चुके थे, वह बहाल रहा और अब मुझे रत्ती-भर भी इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरा वह मूल्यवान कागज मिसल पर रहता है या नहीं। मेरा मनलव हल हो चुका था।

बहुत थोड़ी जवानी गवाहिया थी, इसलिए थोड़े ही दिन बाद वहस की बारी आ गई। वहस का सिलसिला काफी लंबा था। मैं नहीं जानता कि क्योंकर मैं उस सारे बोझ को सहन कर गया। निश्चय ही इसका कारण मेरा आत्म-विश्वास था। मुकदमे के विषय में मेरी बेहद तैयारी थी और जज साहब चूंकि बहुत ही धैर्यवान और साथ ही दयालु थे, इसलिए उन्होंने नौजवान नये वकील की लड़ी वहम को बड़ी शांति के साथ सुना। मैं समझता हू कि मैंने उनका बहुत-सा समय नष्ट भी किया होगा, लेकिन मुकदमे की एक के बाद एक साईं जो मैं पाटता गया। आखिरकार मियाद के जटिल प्रश्न पर वहस करने के लिए मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले का आश्रय लिया। मेरा तर्क था कि अदालत को यह मानना चाहिए कि मुसम्मात की ओर से इस दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए चूंकि पटवारी जानूनी तीर पर एक अविद्युत प्रतिनिधि था, और इसमें एक बड़ी भारी जानूनी मान्यता समाविष्ट है, इसलिए विधवा द्वारा यह मान्यता उसके उत्तराधिकारियों पर भी बंधन-रूप में लागू होती है। सारी वहस के दौरान में जजसाहब मुस्कराते रहे और एक बार तो आख दबाते हुए उन्होंने कहा भी—“पंडितसाहब, आप तो कनकौआ कच्चे

घागे पर उडा रहे है ।” लेकिन मै रुका नही, बढ़ता गया और अपने पक्ष में जो भी तर्क दे सकता था, देता गया । मुझे लगता था जैसे बच्चीसिंह और उसके बच्चे मेरे चोगे के एक छोर को खींच-खींच कर कह रहे हैं—“कहते जाओ, कहते जाओ, रुको नही ।”

दूसरी ओर वे बड़े-बड़े वकील थे, जो हम-हसकर इस मुकदमे को बेकार करने की कोशिश में थे, लेकिन उनके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना के बिना, क्योंकि अब उन सबका स्वर्गवास हो चुका है, इतना तो अवश्य कहूंगा कि उन्होंने इस मुकदमे को केवल खिलवाड समझा था और वास्तव में यह नही समझा था कि इस मुकदमे के लिए अच्छी-खासी तैयारी और गभीर तर्क की आवश्यकता होगी । वहस की समाप्ति पर जज ने फैमला सुरक्षित रखा ।

इन माननीय जज की आदत थी कि बहुत सावधानी के साथ टिप्पणिया लिख लिया करते थे और उसके बाद फैसला देने से पूर्व हफ्तो घर पर स्वतः सारी मिसल का अध्ययन किया करते थे । एक महीना बीत गया और फैसले के वारे में रत्ती-भर भी समाचार न मिला । मै बड़े असमजम में था और आशा भी बहुत नही थी, क्योंकि जज महोदय यद्यपि दयालु व्यक्ति थे, तथापि मुकदमे के दौरान में उनकी एक भी टिप्पणी उन्साहवर्द्धक नही रही थी । जो कुछ उन्होंने उस बीच कहा था, वह मेरा पक्ष-समर्थन नही करता था ।

अचानक एक महीने के बाद मुझे उनकी अदालत में एक दूसरे मुकदमे से पेश होना पडा । देखते ही वह अनायाम सहज-भाव से बोले—“ऐसा लगता है कि आपकी पतग उडकर ही रहेगी ।” मै उनके सकेत को समझ गया और मेरा दिल उछलने लगा । थोड़ी-ही देर बाद फैमला सुनाया गया और मै आश्चर्य-चकित था । यही नही कि उस जायदाद पर अधिकार करने की डिगरी जारी की गई थी, बल्कि उसके माय-ही सब प्रतिवादियों को सयुक्त रूप में बच्चीसिंह को अतिरिक्त लाभो के रूप में बीस हजार रुपये की नकद रकम भी अदा करनी थी । सक्षेप में, यह सारी रकम लखपति उद्योगपति

को चुनानी थी। यह मुझमें ही डिगरी नहीं, विशुद्ध सीना था। यह कहना कि मैं खुश था, शसलियत को हल्ला करना है। सच तो यह है कि मैं गुणी मे नाच उठा। मेरी खुशी ही सीमा न रही और जो-जो खयाल उस समय आये, उन्हें वर्णन करना अभभव है। बार-लायेत्रेरी में वम मेरी-ही-मेरी चर्चा थी, जैसे कुछ अपूर्व घटना हो गई हो।

इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष ने अपील की और वहा भी बच्चीसिंह की किस्मत ने उसका साथ दिया। माननीय जजों के सामने जब मुकदमा पेश हुआ, तो उन्होंने दावे के पुरानेपन पर बेहद आश्चर्य प्रकट किया, लेकिन आखिरकार मातहत अदालत के फैसले को स्थिर रखते हुए अपील खारिज कर दी। इस महान विजय से बच्चीसिंह को कैमा लगा, उने शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यहा मुझे एक दूसरे मुक्किल की कही बात याद आ गई है। मैंने उसे उसके पुरखों की जमीन के बारे में समझौता करने का मशविरा दिया था। मेरी सलाह पर उसने कहा था—“आप नहीं जानते कि आप कह क्या रहे हैं। ये जमीने नहीं हैं, मेरे पूज्यों की हड्डिया हैं।” और बच्चीसिंह इस मामले में ६० बरस के बाद अपने पूज्यों की जमीन वापस ले रहा था। मैं खुशी के उन आसुओं का चित्रित कर सकता हूँ, जो उमने और उसके बच्चों ने जीवन की इस महानतम घटना पर वहाये होंगे।

उसे उसकी जमीन ही वापस नहीं मिली, उमकी बुद्धि भी लीट आई। इस फैसले से वह एक समझदार आदमी बन गया और इसके बाद जब भी कभी वह आया, वह उन जगली आखोवाला और फटे-पुराने चियडोवाला मूढा आदमी नहीं था। वह तो विल्कुल ही एक दूसरा बच्चीसिंह था—साफ सुथरे वस्त्र पहने, जिसके साथ चार नीकर थ, जिनमें एक हुक्का थामे रहता। अब वह ठाठ-त्राट का आदमी बन गया था।

लेकिन आप पूत्रेगे कि इस मादमे मे आपको क्या मिला ? उसने मुझे क्या दिया ? मुझे वह मिला, जिगाही हीमत को आता नहीं जा सकता। उमने मुझे दी आत्म-निभरता। उमने दिया मुझ आत्म-विश्वाम और उमी-के कारण मैं अपने अदर के बहीत ही खोज कर मता। मुझे इस बात का

दृढ़ विश्वास है कि वकालत के पेशे में मैंने भविष्य में जो भी सफलता पाई, उसकी नींव उस पागल बूढ़े की शुभ-कामनाओं और आशीर्षों पर दृढ़ता तथा सचाई के साथ रखी गई थी। इस प्रकार वच्चीसिंह का मैंने वेहद ऋणी हूँ। आप कहेंगे यह सब तो महज भावुकता है। नकद क्या मिला? मुकदमे का फौजला ही सबसे बड़ा इनाम था। फिर भी वच्चीसिंह जो दे सका, उसने मुझे दिया। मुकदमे की शुरु में आखिर तक की तैयारी के लिए वच्चीसिंह ने मुझे ३५ रुपये दिये थे और जब मातहत अदालत में वह जीत गया तो एक दिन बहुत-ही शर्माता हुआ वह मेरे पान आया और कृतज्ञता-भरे शब्दों के साथ उसने ३५ रुपये मुझे और दिये। अब आप ७० रुपये की इन दोनों रकमों के साथ मेरी इस कहानी की लिखने की खुशी को भी जोड़ लीजिये।

७ :

साहसी लड़की

मैं नमस्झता हूँ कि किसी वच्चे के लिए इसमें बढकर कोई दुर्घटना नहीं हो सकती कि वह अनाथ हो जाय। हममें से कइयों को दो विश्व-युद्धों के साथ-साथ गत २० वरसों के भीषण अनुभव भी हुए हैं और समार के विभिन्न देशों में असह्य यातनाओं और विस्तृत नर-संहार ने इस अनंत दुःख में अभिवृद्धि ही की है। आज सभी जातियों के लाखों ऐसे वच्चे हैं, जो मानवी निर्दयता या गुनाहों के कारण पितृहीन या मातृहीन बन गये हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण के संगठन इन अमहाय वच्चों की देख-भाल के लिए अथक यत्नों में लगे हुए हैं और इसमें शक नहीं कि ये प्रशंसनीय भी हैं, लेकिन किनी वच्चे के जीवन में मा-प्राप की जगह को कोई भी दूसरी वस्तु पूरा नहीं कर सकती।

इस बात का जवाब देना बहुधा कठिन हो जाता है कि उन अनाथ का जीवन अधिक कष्टकर होगा जिसके पास कुछ भी नहीं या उसका,

जो ग्राम बोलचाल में या तो उत्तराधिकारी है या उत्तराधिकार-रहित है, जिस बच्चे की नाम को भी जायदाद नहीं होती, लेकिन जिसे दूसरो, यानी नातेदारो या गोद-लिये मा-ब्रायो का या शिशु-गृहो में विशुद्ध प्यार मिल जाना है, वह श्रमकर भाग्यवान होता है । लेकिन दुर्भाग्य से जो बच्चा किसी धनी का उत्तराधिकारी बननेवाला होता है, वह ऐसे रिश्तेदारो का शिकार बनता है, जो अपने निजी मुद्दो से उसकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं । वे ऊपरी तौर पर बच्चे के कल्याण की बड़ी चिन्ता दिखाते हैं । वे उसके प्रति मा-बाप से भी ज्यादा प्यार दिखाते हैं, लेकिन इस सारे दिखावे की पृष्ठभूमि में एकमात्र नीच भावना यही होती है कि जैसे भी हो, बच्चे की संपत्ति को हड़प लिया जाय । अदालतों में इस प्रकार के मरक्षको का मुझे निजी अनुभव है । इस तरह के बच्चो को देखभाल और मरक्षण के लिए राज्य ने गर्जियन एंड वाड्स एक्ट (अभिरक्षित बालको के मरक्षण का कानून) बनाकर पर्याप्त प्रवचन कर रखा है, लेकिन, जैसाकि एक सुप्रसिद्ध लेखक ने कहा है, हिंदू-धारणा के अनुसार मृत्यु के बाद हिंदू के यहा उसे नरक-यातनाओ से बचाने के लिए पुत्र का होना आवश्यक है, जो दाह-क्रिया के समय अग्निदान तथा वार्षिक श्राद्ध आदि कर सके । इसके लिए वास्तविक पुत्र न होने पर किसीको गोद ले लिया जाता है, जिससे मरने के बाद मृतक की आत्मा को भटकना न पड़े । फिर भी देखने में आता है कि गरीबो को इस तरह से आत्मा की रक्षा की जरूरत नहीं होती, बल्कि संपत्तिवाले श्रादमियो को ही मरने के बाद रक्षा की चिन्ता रहती है, तभी वे बच्चे गोद लेते हैं । इसी प्रकार अदालतों में भी यही देखने में आता है कि जिस बच्चे की जायदाद होती है, उसके रिश्तेदार उसके सुख की बड़ी चिन्ता करते हैं तथा वे विद्वान न्यायाधीश भी, जो इस पैतृक अधिकार के बारे में अपना मत प्रकट करते हैं, अधिक चिन्ता करते हैं । संपत्तिहीन बच्चे के विषय में कोई भी किमी न्यायाधीश को कष्ट नहीं देता । जो बच्चे जायदाद के उत्तराधिकारी बननेवाले होते हैं, उनके रिश्तेदार शहद की मक्खी के छत्ते की तरह उन्हें घेरे रहते हैं ।

बच्चे के सुख की चिंता करनेवाले प्रतिस्पर्द्धी रिश्तेदारों में जो झगड़े और सघर्ष होते हैं, वे अकसर बड़े ही दिलचस्प होते हैं। इनके अतिरिक्त जज लोग भी ऐसे पेशेवरों की सच्चाई के बारे में बड़े मशयात्मक होते हैं। मुझे ऐसे एक मुकदमे की अभी तक याद है। ३५ या ४० वरम की बात है। जिला-न्यायाधीश की अदालतों में बच्चों के पिता के दूर के भाइयों के बीच यह मुकदमा चला था। एक तो उनमें बच्चे का फुफेरा भाई था और दूसरा मौमेरा भाई। जिला-न्यायाधीश ने फुफेरे भाई को बच्चे का मर-क्षक नियत किया था और अपील में मौमेरे भाई की ओर से मैं पेश हुआ था। न्यायाधीश महोदय (मि० जस्टिस टडवाल) का रुख सर्वथा सहानुभूति-रहित था और उन्होंने अत्यधिक रुखाई के साथ उल्लेख किया था कि आप तो व्यर्थ ही बीच में आ कूदे हैं और बच्चे के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। इस टिप्पणी पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने सुझाव देते हुए निवेदन किया कि माननीय न्यायाधीश सम्भवतः हिंदू-परिवार-प्रणाली को उपेक्षा कर रहे हैं। मैंने बताया कि रक्त-संबन्ध के भाई को छोड़कर, चार प्रकार के दूमरे भाई होते हैं—पिता के भाई के पुत्र, पिता की बहन के पुत्र, मा के भाई के पुत्र या मा की बहन के पुत्र, और हिंदू-परिवार में इन चारों प्रकार के भाइयों को निकटतम रिश्तेदार माना जाता है। इन्हें छोड़ किसी अन्य को बच्चे का हितैषी कैसे नियत किया जा सकता है? मेरा मुवक्किल ऐसे निकटतम मवधियों में से एक है। लेकिन न्यायाधीश टडवाल पर इस दलील का कोई अमर न हुआ। मच बात तो यह थी कि वह कुछ भी सुनने को तैयार न थे। उन्होंने कहा—“आप दोनों में बच्चे का कोई भी रिश्तेदार नहीं, आप लोग तो केवल गिद्ध हैं और महज अपने मतलब के लिए यहाँ आ जुटे हैं।” इस धारणा के बाद स्वाभाविकतया ही मेरे लिए और कुछ कह सकना मुश्किल था और अपील खारिज हो गई। इस पर भी मैं यह कहे बिना नहीं रहूँगा कि न्यायाधीश टडवाल ने आवश्यकता से कुछ अधिक कठोरता जाहिर की थी, लेकिन अधिकांश मामलों में वह स्थिति को काफी सही-रूप में समझ लिया करते थे। हर नाबालिग अदालत के मरक्षण का

अविचार्य माना जाता है। लेकिन बेचारा न्यायाधीश भी क्या कर सकता है? वह भी तो मानवी साधनों द्वारा ही कार्य करता है और ये मानव प्रायः अनावश्यक रूप में अप्रण होते हैं। ऐसे वीरियों मामलों का मुझे पता है, जिनमें नावालिगो के अदालती द्वारा नियत या कुदरती सरक्षकों ने अपने नावालिग के हितों को अपने मतलब के आगे पुरी तरह कुचला है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हुए हैं, जिनमें नावालिग लड़के और लड़कियों दोनों ने मैदान में आकर स्थिति पर काबू पा लिया और अपने ही हाथों में उन्होंने अपनी सुरक्षा कर ली। ऐसे एक नाटकीय मामले में ऐसा नतीजा हासिल हुआ, जिसकी आशा तक नहीं हो सकती थी। वह घटना यह है।

दुर्भाग्य से ऐसी दो लड़कियों, यानी बहनो, के माना-पिता की मृत्यु हो गई, जो एक बहुत बड़ी जायदाद की उत्तराधिकारिणी थी। एक पुरानन-पथी विरादरी में उनका जन्म हुआ था और रहन-सहन का तरीका भी उनका वही पुराना था। उनके चाचा—पिता के भाई—उनके सरक्षक बने, और मुझे मान लेना चाहिए कि उन्होंने उनके लिए भरसक सब-कुछ किया भी। जब बड़ी बहन १५ बरस की हुई, तो उसके व्याह के प्रश्न ने बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया। ऐसे रिश्ते के लिए उम्मीदवारों की बहुत बड़ी सख्या का होना स्वाभाविक ही था। उनमें अधिकांश बड़ी उम्र के थे और बड़ी उम्र के कारण कुदरती तीर पर विधुर थे। उनके पास जायदाद भी काफी थी। एक तो माने हुए वकील थे, दूसरे लखपती साहूकार थे। दोनों ही विरादरी के अगुआ व्यक्ति थे और दुनियादारी के लिहाज से विल्कुल उपयुक्त उम्मीदवार थे। चाचा ने उनमें से तीसरी की उम्र के एक सज्जन को चुना और जिला-न्यायाधीश की मजूरी के लिए दरखास्त पेश की। जिला-न्यायाधीश ने पितृभाव से इस मामले में बहुत दिल-चस्पी दिखाई, उम्मीदवारों की सारी पूछी देगी, सब तरह की जाच-पडतात की और आखिर चाचा द्वारा चुने व्यक्ति की मजूरी दे दी। जिन उम्मीदवारों के नाम रद्द कर दिये गये थे, वे, मैं समझता हूँ, बेहद नाराज हो गये। यद्यपि

कानून की दृष्टि से इस मामले में उनकी कोई आवाज नहीं थी, फिर भी उनमें से एक ने, अपने-आप अथवा नावालिग के किनी रिश्तेदार की मार्फत, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस आधार पर अपील दायर कर दी कि जिला-न्यायाधीश की आज्ञा नावालिग के हितों के विपरीत है और साथ ही प्रार्थना की कि लडकी के व्याह के वारे में इसकी अपेक्षा उचित आज्ञा जारी की जाय।

जो हो, दूसरी ओर युवा कन्या के मन में कुछ और ही था। जहां तक मुझे याद है, वह सभवतः प्राइमरी कक्षा तक पढ चुकी थी। उसने घर पर ही रामायण, महाभारत और भागवत आदि अनेक पुस्तकें पढी थी। वह श्रीकृष्ण और अर्जुन तथा अन्य अनेक प्राचीन महापुरुषों की विवाह-सवधी कहानियां जानती थी। दूर के भाईचारे में एक २२ वर्ष का नवयुवक था, जो ग्रेजुएट था और स्थानीय कालेज में पढता था। वह मव प्रकार से उपयुक्त था। लडकी ने उसके वारे में या तो कुछ सुन रखा था, या उसे कभी देखा होगा और उसके मन में उसके प्रति आकर्षण था। दुर्भाग्य की बात यह थी कि उसको शकल-नूरत, व्यक्तित्व तथा ग्रेजुएट की उपाधि को छोड़ और कुछ भी उसके पक्ष में नहीं था। उसके पिता गांव के मुनीम थे और जो थोड़ी-बहुत जायदाद थी भी, वह उन बड़े-बड़े पूजोपतियों के मुकाबले में न होने के बराबर थी।

हाई कोर्ट में अपील पेश हो जाने और पेशी को तारीख लग जाने के बाद लडकी ने अपना डच्चा से अथवा अन्य किसीके सुझाव पर सारा मामला अपने हाथों में ले लिया। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चोफ अस्टिस के नाम अपने हाथ से हिंदी में एक पत्र लिखा और उसमें अपना सारी दुख-गाथा लिख दी। पत्र में उसने लिखा था कि "मैं बड़ी अभागिन हू। अपने माता-पिता के प्यार तथा सरक्षण से मैं वंचित हू और इस समय इस विशाल दुनिया में सिवा आपके मेरा हित देखनेवाला और कोई नहीं है।" इतना लिखने के बाद उसने अपने विवाह-सवधी सारी चर्चा का उल्लेख किया था। उसने लिखा था—“जिला न्यायाधीश ने जिस व्यक्ति को चुना है, वह मुझे कतई पसंद नहीं। जैसीकि मुझे सूचना मिली है, उसकी एक आंख में फोला

है। इसके अलावा अन्य सब उम्मीदवार भी उम्र तथा अन्य दृष्टियों में मेरे अयोग्य हैं।” उसने अपने चुनाव का भी उल्लेख किया और अखीर में उमने प्रार्थना की कि यदि “चीफ जस्टिस महोदय स्वयं व्यक्तिगत रूप में अपील सुनेंगे तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि केवल उन्हीं पर मुझे भरोसा है, और अब तो मैं उन्हें अपने पिता के समान समझती हूँ।”

उन दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्थानापन्न चीफ जस्टिस सर सेमिल वाल्श थे। इस प्रार्थना-पत्र से उनका मन पसीज गया, लेकिन उस पत्र को सचार्ई के बारे में उन्हें शक था। फलतः उन्होंने इस पत्र की सचार्ई की सूचना के लिए उसे जिला मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने स्थानीय जाच के लिए उसे मातहत अफसर के पास भेजा। जब लडकी से पूछा गया तो उसने तत्परतापूर्वक स्वीकार किया कि वह उसीके हाथ का लिखा पत्र है, और साथ ही यह भी माना कि उसीने उसे चीफ जस्टिस के पास भेजा था। इस सूचना के बाद चीफ जस्टिस ने आज्ञा जारी की कि सबधित अपील उनके तथा एक अन्य यूरोपियन जज मि० जस्टिस राइव्स के सामने पेश की जाय।

इस नौजवान साहमी लडकी के पास जब यह खबर पहुची तो उसने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। उसने चीफ जस्टिस को एक और पत्र लिखा, जिसमें अपनी प्रार्थना को स्वोक्तित के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा था कि मैं इस पेशी के समय व्यक्तिगत रूप में हाजिर होना चाहती हूँ। साथ ही उसने यह प्रार्थना भी की कि अदालत विभिन्न उम्मीदवारों को योग्यता का निणय कर सके, इसलिए मेरे चुनाव-सहित उन सबको भी पेशी के दिन अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया जाय। इस आधार पर, और चूँकि यह एकदम व्यक्तिगत प्रार्थना थी, इसलिए सर सेमिल वाल्श ने इसे मजूर करके तदनुसार आज्ञा जारी कर दी। मैं कह सकती हूँ कि जिस ढंग से यह मामला उनके सामने पेश किया गया, उससे वह बहुत ही प्रभावित हुए थे। प्रस्तुत प्रश्न एक युवा कन्या का था, जो अपने विषय में निजी राय व्यक्त करने की योग्यता रखती थी, और

उमके साथ ही उसके विवाह का प्रश्न था, जो उसके लिए जीवन में सर्वोच्च महत्व रखता था । इससे अधिक स्वाभाविक ही भी क्या सकता था कि वह अपने निर्णय के विषय में अपनी राय जाहिर करना चाहती थी ? जब पेशी का दिन आया तो अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था । हाई कोर्ट के इतिहास में इससे पूर्व ऐसी घटना नहीं घटी थी । अदालत का कमरा ऐसा लग रहा था, जैसे थियेटर हाल हो, जहा मानवता का एक महान नाटक खेला जानेवाला था । डाक्टर तेजवहादुर सप्रू चुने गये वर की ओर से पेश हुए थे । वह तो हाजिर थे, लेकिन उनका मुवक्किल और उसके अन्य साथी हाजिर नहीं थे । उनकी गैर-हाजरी से साफ जाहिर हो गया था कि दाल में कुछ काला है । सब-के-सब सयानी उम्र के तो थे ही, इसलिए सभव है उन्होने इस आधुनिक 'स्वयंवर' के अवसर पर वर-ववू पक्ष की रजामदी को ही इस साहस के कार्य का उचित अग्र मान लिया हो । जो हाजिर हुआ, वह था वही नवयुवक, जो चुस्त और भडकीली टाई लगाकर दूल्हा बना हुआ था और सचमुच वह आकर्षक भी दीख रहा था ।

जैमे ही मुकदमे की पेशी हुई, सर सेमिल वाल्श ने मालूम किया कि क्या वह लडकी अदालत में हाजिर है ? वह मौजूद थी । वह वहा समय पर पहुंच गई थी और एक पास के कमरे में बैठी हुई थी । सर सेसिल ने आज्ञा दी कि उसे अदालत में लाया जाय । वह अदालत के कमरे में आई । मादी किंतु बहुत माफ-सुखरी उसकी पेशाक थी । बडे गान्त और मजबूत कदमो तथा सयत भाव के साथ वह हाजिर हुई । जजो ने बेटी के समान उसका स्वागत किया । सर सेसिल ने उसे मच पर बुला लिया और अपने पास एक कुर्मी पर बैठा लिया । उन्होने जस्टिस राडव्म की सहायता से, जो हिंदुस्तानी भनी प्रकार जानते थे, कई मिनट तक उमसे धीरे-धीरे बात-चीत की । उमके बाद वह डा० सप्रू की ओर मुडे और कहा—“सर तेज, हमने इस लडकी की डच्छाओ की जानकारी हासिल कर ली है ? अब आप कहिये, आपको क्या कहना है और आपका मुवक्किल कहा है ?” दर्शक के तौर पर मैं भी अदालत में मौजूद था और मैंने देखा कि सर सप्रू

बड़े ही परेशान से नजर आ रहे थे । उनकी दशा वस्तुतः बड़ी ही दयनीय थी । उनका मुवकिल गैर-हाजिर था और सचमुच उन्हें कुछ भी नहीं कहना था, उन्होंने कहा भी यही । कोई दूसरा पूरमा भी मैदान में हाजिर नहीं था । जल्दी ही मुकदमा खत्म हो गया । सर सेमिल वाल्श ने जिला मजिस्ट्रेट के फैसले को रद्द कर दिया और आज्ञा जारी की कि इस नाबालिग लड़की का विवाह इस भाग्यवान युवक के साथ किया जाय । साथ ही उन्होंने सरक्षक को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके, विवाह कर दिया जाय । जब सारा फैसला लिखा दिया गया, तो युवक कुछ कहने को खड़ा हुआ । जजो की अनुमति पाकर वह बोला—“इस मामले के कारण मेरी विरादरी में बड़ा भारी विवाद उत्पन्न हो गया है और मुझे डर है कि आपके फैसले और हमारे विवाह के बाद हमें कहीं बड़े भारी कष्टों का सामना न करना पड़े । इससे भी अधिक यह कि विरादरी के कुछ लोग हमें बुरी तरह सतायेंगे ।” जैसे ही सर सेमिल ने यह सुना, वह फैसला लिखने-वाले को और मुझे और आगे यह और लिखाया—“हम जिला मजिस्ट्रेट को आदेश करते हैं कि विवाह के बाद इस नव-दंपति की रक्षा के लिए छ मास तक इनके निवास-स्थान पर सशस्त्र पहरा रखा जाय । साथ ही जिला मजिस्ट्रेट को यह आदेश भी किया जाता है कि वह सामाजिक रूप में सबको जना दे कि यदि इस नव-दंपति को किसी भी रूप में सताया जायगा, तो हाई कोर्ट ऐसे आचरण पर कड़ी कायवाही करेगी ।” नवयुवक खुशी के मारे फूला नहीं समाया । वह अबोध बालिका शांत-भाव से स्थिर बैठती थी, जैसे विश्व की संपूर्ण सौम्यता को कलाकार ने चित्रित कर दिया हो । जल्दी ही यह शादी हो गई और कहना न होगा कि यह शादी सब दृष्टियों से सुखद एवं संपन्न थी ।

लेकिन इस कथा का उत्तराद्ध भी सुन लोजिये । १५ साल से ज्यादा बीत चुके थे और १९४१ के वर्ष में व्यक्तिगत मृत्याग्रह के आदौतन से सिलसिले में मुझे जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इससे अघिक मेरा दूसरा सौभाग्य यह था कि मुझे नैनी मैट्टन जेल में उसी बैरक में रखा गया,

जिसमें मौलाना अबुलकलाम आजाद थे। उन दिनों सैकड़ों कांग्रेसी सत्याग्रही उस जेल में थे। सारा वातावरण भाई-चारे का था और वस्तुतः हम सब एक सुखद परिवार के-से लगते थे। मौलानासाहब उन दिनों भारतीय राष्ट्रीय महासभा के प्रधान थे। कुदरती तौर पर सब कांग्रेसी कैदियों के लिए उनकी वैरक मनोरजन तथा सूचनाओं आदि की दृष्टि से बड़े आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। बरसात के दिन थे और दोपहर बाद का समय बड़ा सुहावना लग रहा था। ठंडी और धीमी-धीमी हवा चल रही थी और मौलानासाहब दूसरी वैरक के बहुत-से दोस्तों में घिरे बैठे थे। उसी वैरक का वासी होने के नाते मैं भी वही था। पता नहीं कैसे कहानियों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी भी वारी आई तो मैंने उक्त कहानी सुना दी।

इतना मैं जरूर कहूंगा कि मैंने सुनाते-सुनाते उसमें थोड़ा नमक-मिर्च भी मिला दिया था, लेकिन नामो का उल्लेख नहीं किया था। मच तो यह है कि मैं जानता भी किमीको नहीं था। कहानी सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए और खूब हसी और मजाक हुआ। सुननेवालों में मेरे एक निजी मित्र थे, जो अपने जिले के बहुत सम्मानित नेता थे। वह भी चुपचाप इस कहानी को सुनते रहे, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह इस हसी और मजाक में तत्परता के साथ हिस्सा नहीं ले रहे थे। जब सारी कथा पूरी हो चुकी तो उसके थोड़ी देर बाद मेरे वह मित्र बड़े गंभीर स्वर में मौलानासाहब से बोले—“मौलानासाहब, आप यकीन कीजिये, मैं परमात्मा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इस शादी के लिए कभी कोशिश नहीं की थी। जिला जज ने ही मुझे इस लडकी के साथ विवाह करने के लिए लाचार किया था और जिला जज और लडकी के चाचा के जोर देने पर ही मैंने उसके साथ शादी की रजामदी दी थी।” उनके इस कथन से जो गहरी चुप्पी पैदा हुई, उसका अनुमान पाठक स्वयं कर सकते हैं और इस अप्रत्याशित घटना पर मुझे तो जैसे काठ ही मार गया। मेरी जिह्वा पर जैसे ताला पड़ गया। अपनी इस अक्षम्य मूर्खता पर मैं बेहद पछताया। मुझे इस

बात का तनिक भी खयाल न था कि मैं ऐसे श्रोताओं में वह कहानी कह रहा हूँ, जिनमें इस पुराने नाटक का एक मुख्य अभिनेता माजूद है।

: ८ :

कुछ पुरानी स्मृतियाँ

अपने प्रारंभिक दिनों में मुंबईकाली की दृष्टि में मैं बड़ा भाग्यवान था। कानपुर में मैंने कानूनी पेशे का काय शुरू किया था। वहाँ के वारे में मैं सबथा अपरिचित था, मेरा कोई मित्र न था। जिन ५० पृथ्वीनाथ ने मुझे अपने आश्रय में लिया था, वह मेरे वकालत शुरू करने के १२ मास के अंदर ही शारीरिक रूप में अयोग्य हो गये और चंद महीनों में स्वर्ग सिवार गये। मैं कानपुर-जैसे बड़े औद्योगिक नगर में मरण के लिए अकेला रह गया। सौभाग्य से मैं एक विशप व्यक्ति का स्नेहभाजन बन गया और उन्हीं मैं जीवन-भर विस्मरण नहीं कर सकता। वह एक हममख वयोवृद्ध थे। उनमें वेहद उत्साह था और जिदगी, मनष्यों तथा शारीरिक मामलों के विषय में उनका अमीम आशावादी दृष्टिकोण था। वह एक ऐसे आदमी थे, जो कभी हतोत्साह या निराश नहीं हुए। उनका नाम था रामचंद्र। उनका अपना काफी बड़ा कारोबार था और व्यापारी-क्षेत्र में उनका कुछ प्रभाव भी था। मैं नहीं कह सकता कि क्यों या कैसे वह आत्मीयता के साथ मुझमें रुचि रखने लगे।

मैं समझता हूँ कि उन्होंने यह जानकर कि मेरे थोड़े ही मित्र हैं, आप-से-आप मेरी सहायता करने का बीड़ा उठा लिया। वह अपने ही ढंग के श्रद्धावान हिंदू थे और प्रतिदिन प्रातः काल गंगास्नान करने जाया करते थे। लीटते समय वह कुछ मिनटों के लिए अवश्य ही मेरे यहाँ आते और थोड़ी देर बैठकर जाते। मेरा खयाल है कि उन्होंने अपनी मित्र-मंडली में मेरी प्रशंसा भी की थी और कई बार वह अपने कुछ ऐसे मित्रों को ले आते थे, जिनका कोई-न-कोई अदालती काम होता था। उनका

अपना भी काफी अदालती काम हुआ करता था। वह सटोरिये थे और फलस्वरूप जन्मजात मुकदमेवाज थे। मेरा निजी खयाल है कि अपने व्यवहार में वह अत्यावश्यक रूप में ईमानदार थे, लेकिन वह इम सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे कि सही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही साधनों का ही अनुसरण करना चाहिए। बल्कि उनकी धारणा इसके विपरीत थी। उनकी निजी आचार-नीति थी। यदि उनका मुकदमा सच्चा था तो वह समझते थे कि सभी क्रियात्मक उपायों से उसे जोतना न्यायपूर्ण है। इसलिए वही-खातो में एक या दो अतिरिक्त इदराज कर देने या मीयाद की झझट से पार पाने के लिए रमीद बना लेने को वह बहुत दोष नहीं मानते थे। जो वह वस्तुतः करते थे, उसे उन्होंने कभी नहीं माना था, लेकिन मेरी निजी शकाए होती थीं। अपनी नीजवानों की अक्ल से मैंने कभी-कभी उनकी भर्त्सना भी की थी, लेकिन रामचंद्र मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे। वह कहा करते थे—“पंडितजी, इममें हर्ज ही क्या है? इस व्यक्ति को मेरा रुपया देना है। उसे देना चाहिए, लेकिन वह देता नहीं, और आपके कहने का क्या यह मतलब है कि अपने वही-खातो में थोड़ी हेर-फेर से मैं चंद कानूनी कठिनाइयों में भी पार न पा लू? ऐना करने में कोई बुराई नहीं है।” मैं रामचंद्र से प्यार करने लगा था। उत्साह और आशा से वह कितने परिपूर्ण थे और मेरे हित की उन्हें किस कदर चिंता रहती थी। एक मामले की मुझे खासतौर पर याद है। उन्होंने एक काफी ठोस दावा मुझे सौंपा था। अदालत खलोफा में मैं उसे हार गया। जैसे ही फैसला सुनाया गया, मेरा चेहरा फक रह गया और मैं सचमुच ही बेहद निराश हुआ। हम अदालत से बाहर आये। एक अमाधारण अवस्था थी। वकीलनाहव तो सुब-बुब खोये हुए और बुरी तरह निराश थे और उनका मुवकिल हस रहा था और मजाक कर रहा था। उसमें दुःख का लेश भी नहीं था। मेरी इतनी गहरी हैरानी को देखकर उन्होंने मुझे उत्साहित किया और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले—“पंडितजी, इसके बारे में आपको दुःख नहीं करना चाहिए। मुकदमेवाजी के ये तो उतार-चढ़ाव

है। फिर यही तो इसका अंत नहीं, हम इसकी अपील करेंगे, वहा हम जीतेंगे। आप चिंता न कीजिये।" जब मैं यह पत्रिका लिख रहा हू तो ४० साल पहले की वह तस्वीर ह-ब-हू मेरी आंखों के सामने आ गई है। हमने अपील दायर की। मैंने उनसे कहा कि वह मेरे साथ किसी बड़े वकील को भी कर दे, पर वह हरगिज तैयार न हुए, बोले— 'नहीं-नहीं, आप खुद ही कीजिये।' हमने जिला जज की पेशी में अपना बदला ले लिया।

यह जिला जज भी अपना खास व्यक्तित्व रखते थे। वह अग्रज थे और उनका नाम आस्टन कैडल था। बड़े विचित्र ढंग से मैं शुरू-शुरू में उनकी निगाह में आया था। अपनी वकालत के बारह महिनो के भीतर ही मैंने उनकी अदालत में एक अपील दायर की थी। लेकिन आने-वादे-सार को बिल्कुल गलत समझते हुए मैंने आधाररहित कल्पना पर अपील का मसविदा तैयार कर दिया। सात ही दिन के अंदर-अंदर अपील लग गई, और जब मैंने मिसल देखी तो पता लगा कि मैंने सारा मामला ही गडबडा दिया है। ठीक तरह से यह अच्छा ही हुआ। लेकिन अपील का मसविदा तो सवथा गलत था, वह सप्रधित मुद्दमे के स्वीकृत तथ्यों के सवथा विपरीत था। मैं अपील की बहस के लिए खडा हुआ और मैंने मुद्दमे को सही दशा पर डाल दिया। श्री कैडल को सारी बहस सुनकर आश्चर्य हुआ और तब अपने सामने एक नीजवान नौसिलिये को देखकर वह धीरे से, किन्तु हसती हुई आंखों से बोले— 'लेकिन अपील के मसविदे के बारे में आपको क्या कहना है? उसपर आप अपने तक को खोकर न्याय ठहराते हैं? आप अपील के किस आधार पर जोर दे रहे हैं?' सौभाग्य से मैंने तत्काल कहा— 'जनाव न० ५ के आधार पर'। न० ६ में लिखा था— 'ऊपर विहित और साथ-ही-साथ अन्य आधारों पर अपील को मजूर किया जाय। इस तात्कालिक उत्तर को उन्होंने पसंद किया। वह मुस्कराये, मुझे बहस जारी रखने की मजूरी दी और अपील का फैसला मेरे हाथ में किया। लेकिन उक्त फैसला पस्तुत उल्लेखयोग्य था। उसकी शुरू की पत्रिका आज ४२ वर्षों बाद भी मूने याद है। उन्होंने इस ढंग से शुरू किया

था—“इस अपील में अपील के मसविदा से ही उत्पन्न होनेवाली कठिनाई है, लेकिन मैं एकदम नौजवान वकील के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करता हूँ कि यह नितांत भ्रमपूर्ण तथ्यों के आधार पर तैयार की गई थी।” इत्यादि। मैं अपील में जीता ही नहीं, बल्कि मैं उनका कृपा-पात्र भी बन गया, और वह जज पांच वर्षों के लिए, जबतक कानपुर में रहे, मेरे धर्म-पिता बन गये। उनकी अदालत में मुझे अयनापन-सा लगता था और वह भी मेरे प्रति अपने व्यवहार के में अत्यधिक सीम्य दिखाई देते थे।

श्री कैंडल की इच्छा थी कि मैं प्रांतीय न्याय-विभाग में नौकरी कर लूँ और उन्होंने मुझे सलाह देते हुए कहा था कि आपको नियुक्ति जल्दी-से-जल्दी हो जाय, इसमें मैं सहायता करूँगा। लेकिन पिताजी ने इस सुझाव को नामजूर कर दिया। मैंने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और तदनुसार श्री कैंडल को भी सूचना दे दी।

श्री कैंडल के साथ वातचोत और व्यवहार के ढंग को मैं जान गया था और अपने मामले को हमेशा ही ऐसे तरीके से पेश करने की चेष्टा करता था कि उन्हें वह पसंद हो। उनमें एक सामान्य-मी दुर्बलता थी। वह किसी भी वकील के उम्र समय तक वहस शुरू करने को पसंद नहीं करते थे, जबतक वह वस्तुतः उसकी ओर ध्यान न दे लें और इन शब्दों से शुरुआत न कर दें—“अच्छा, तो अब आप कहिये।” मैं यह जानता था और फलतः हमेशा ही चुपचाप बैठा रहता था। मैं अपने ओंठों को तबतक नहीं खोलता था, जबतक वह “अच्छा, तो आप कहिये” शब्दों को कहकर मेरी ओर मुखारिक्त नहीं हो जाते थे। अन्य जो वकील इस खास आंतरिक भेद को नहीं जानते थे, वह झपट पड़ते थे और वहस कर शुरू कर देते थे। इसमें हमेशा ही उनका मामला उनके विपरीत जाता था।

इस प्रकार जब पेशकार ने रामचंद्र की अपील पेश की, तो मैं हमेशा की तरह श्री कैंडल के सामने चुपचाप बैठा रहा। प्रतिवादी की ओर से डा० सुलेमान इलाहाबाद में आये थे। डा० सुलेमान ममझ ही नहीं सके कि क्या होने जा रहा है। मुकदमा पेश हो चुका था और वादी का वकील सर्वथा

बेफिक्र बैठा हुआ था और कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद श्री कैडल ने मेरी ओर ध्यान दिया और कहा—“मैं समझता हूँ कि जज ने अपने फैसले में सब सबवित न्याय-विषयक निर्णयों का समावेश कर दिया है।” मैंने कहा—“जो जनाब, केवल एक ही और है, जो अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है।” वह बोले—“वह कौनसा सदभं है ?” इस पर मैंने उन्हें वह निर्णय-पत्र दे दिया। इससे अधिक मैंने कुछ नहीं कहा और किसी प्रकार की बहस भी मैंने शुरू नहीं की, क्योंकि उन्होंने “अच्छा तो कहिये” शब्दों द्वारा मुझे सकेत नहीं दिया था। इसके बाद वह डा० सुलेमान की ओर मुखारित हुए और बोले—“इस मुकदमे में एक कानूनी प्रश्न है। क्या यह ज्यादा सुविधाजनक नहीं होगा कि आप प्रतिवादी की ओर से बहस शुरू करें और उसके बाद प० कैलाशनाथ उमका जवाब दें। इसमें समय की बचत हो जायगी।” मैं तत्काल सकेत समझ गया और मन-ही-मन कहा कि मैंने मुकदमा जीत लिया। फलस्वरूप डा० सुलेमान ने, जो श्री कैडल की मानसिक कायकारिता से अपरिचित थे, अपनी बहस शुरू की और दो घंटे बोले। जज ने जाहिरा तौर पर बहुत ध्यान देकर सब कुछ सुना और मेरा यकीन है कि उन्होंने सब तरह के सदभं दज भी कर लिये और जब डा० सुलेमान कह चुके तो वह मेरी ओर मुखातिव हुए और बोले—“मैं आपको सोमवार को बताऊंगा कि मैं आपको बहस सुनना चाहता हूँ या नहीं।” मैंने कहा—‘बहुत अच्छा, जनाब।’ तत्पश्चात् हम बाहर आ गये और मैंने रामचंद्र से कहा कि मुकदमा तो हमने जीत लिया। सोमवार को अपील की मजूरी देते हुए उन्होंने फैमला सुना दिया। इस तरीके से मेरे आशावादी मित्र रामचंद्र सही साबित हुए। रामचंद्र ६० वरस की उम्र तक जीते रहे। वह हमेशा पहले के समान उत्साह, पितृत्व-भाव और मेरे कल्याण की चिंता के साथ इलाहावाद आया करते थे।

एक और मित्र थे, जिनका चरित्र भी निश्चिंत ही निगला था। वह थे एक ठाकुर, जिनका गठ्ठा हुआ और दोहरा बदन था, सूरत से वह वेद काले थे, परंतु थे बड़े खुश-मिजाज। बड़े ही अजीब

ढग से मैं उनके सपर्क में आया। एक दिन मैं कानपुर-कचहरी की लाइब्रेरी में बैठा था। यह साहब आये और बोले—“मैं एक विचाराधीन मुकदमे में प्रतिवादी हूँ। क्या आप उसमें मेरी ओर से पैरवी करेंगे?” मैंने उनके दूसरे वकीलो के बारे में पूछा और उन्होंने बहुत बड़े-बड़े वकीलो के नाम लिये। मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ कि वह एकाएक ऐसे वकील के पास क्यों आया है, जिसे वकालत शुरू किये अभी केवल दो वरस हुए हैं। मैंने उससे पूछा कि यह विचाराधीन मुकदमा किसकी अदालत में है? उसने बताया कि सहायक जज की अदालत में। असल बात यह थी कि यह जज मेरे पिता के दूर के नाते में चचाजाद भाई थे। इन जज महोदय से अलग रहने में मैंने विशेष सावधानी बरती थी, क्योंकि मुझे शुरू में ही चेतावनी दे दी गई थी कि इन जरियो में वकालत चलाने का अर्थ निश्चित रूप में असफलता होगा। लेकिन यह ठाकुर बहुत ही चालाक आदमी जान पड़ता था और मेरा खयाल है कि उसने सब तरह की जाच-पडताल कर ली थी। सभवत उमें यह पता लग गया था कि जजसाहब के साथ या तो मेरी रिश्तेदारी है या जज और मैं कम-में-कम एक ही विरादरी के हैं। जो हो, मेरी आत्मा तो विल्कुल साफ थी। फलत मैंने पूछा कि कितने का यह मुकदमा है। उसने बताया—“१२०० रुपये का।” मैंने अपनी नियत फीस ३० रुपये मागी। उसने तत्काल ३० रुपये मेरे हाथ पर रख दिये और मुकदमे से सवधित सब कागज मुझे सौंप दिये।

यह मुकदमा एक कर्ज देनेवाले ने जमानत की वसूली के लिए किया था। वधक बहुत पुरानी थी और वरसों पहले कर्जदार ने ५०८ रुपये का भुगतान किया था। वादी ने इस भुगतान की जमा दिखाई थी और वकाया की माग की थी। मेरे मुवक्किल का कहना था कि यह भुगतान चुकना रकम के तौर पर हुआ था और वधक पर कोई रकम बाकी नहीं है। इस मुकदमे का विचारणीय प्रश्न केवल यही था। ५०८ रुपये की वाकायदा रमीद मौजूद थी और इसके विषय में प्रश्न यह उत्पन्न हो गया कि यह रमीद चुकता भुगतान की है या आधिक भुगतान

की। दुर्भाग्यवश इसकी भाषा बड़ी अटपटी थी और उसके दोनों ही अर्थ लिये जा सकते थे। चुकता भुगतान के समयन में और भी अधिकृत प्रमाण पेश किये गये थे। जब मुकदमे की पेशी का दिन आया, तो हमारी तरफ के सभी बड़े वकील गैर-हाजिर थे। मुझे छानबीन करने पर पता लगा कि उन्होंने मुवक्किल से कह दिया था कि जज बेहद खिलाफ है और इमीलिए मोहनसिंह नाम के इस व्यक्ति ने जज को अपने पक्ष में करने के लिए मुझे वकील करने को तजवीज सोची थी। खैर, मुझे वहम करनी थी और जो कुछ मुझसे बन पड़ा, मैंने कहा। जज ने मेरे खिलाफ फैसला दिया और उन्होंने अपने फैसले में प्रतिवादी के आचरण पर काफी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने प्रतिवादी की किताबों को सरासर जाली बताया और इस तरह यह मामला ठप्प होगया। वाद में जब मोहनसिंह मेरे पाम आया और उसने अपील दायर करने को कहा, तो मुझे बड़ा आश्चय हुआ। मैंने कहा कि यह बड़ी विकट समस्या है। फैसला बहुत ही सख्त लिखा गया है और जिला जज द्वारा न केवल इस अपील को खारिज कर देने की सभावना है, प्रत्युत यह भी हो सकता है कि वह झूठा और जाली सबूत पेश करने के अपराध में फौजदारी का आदेश भी कर दें। ऐसी दशा में बेहतर यही है कि आप किन्हीं दूसरे बड़े वकीलों के पास जाय। उसने कहा—“पंडितजी, मैं अमुक-अमुक के पास गया था। हर कोई कहता है कि मुकदमे में जान नहीं है, लेकिन मैंने मुकदमा लड़ने का इरादा कर लिया है और आप ही को इसे लड़ना है। आप अपील दायर कर दें।” यह अपील मेरे वम-पिता श्री कैंडल, जिला जज की अदालत में दायर की जानी थी। तदनुसार मैंने अपील कर दी और जब उसकी मजूरी का दिन आया, तो मैंने श्री कैंडल के तरीकों को जानते हुए वस यही कहा कि फैसला अनावश्यक रूप से एक-पक्षीय है। ५०८ रुपये की फैसलाशुदा रकम के लिए पक्की रसीद मौजूद है और “क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ५०८ रुपये की जैमी पक्की रसीद आशिक भुगतान में दी जा सकती है?” श्री कैंडल पर इसका अमर हुआ और उन्होंने अपील की आज्ञा दे दी और दूसरे पक्ष को नोटिस

जारी करने का आदेश दिया । आखिरी पेशी की तारीख के लिए महीनो वाद वारी आई । इस बीच मोहनसिंह कानपुर के देहाती इलाको में मेरा भवैतनिक प्रचारक बन गया था ।

एक दिन जब मैं अपने दफ्तर में बैठा था, तो मोहनसिंह बड़ी डरावनी मूछोवाले रईसी ठाठ-वाट के एक राजपूत के माथ कमरे में दाखिल हुआ । वह हरदम मूछो को बल देता रहता था और उसका बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व था । मोहनसिंह ने उसका परिचय देते हुए कहा—“ये हैं ठाकुर उमेदसिंह, जो भ्वालियर रियासत के मुखिया राजपूत परिवारो में से एक के सदस्य हैं । इन्हें स्नेहभाव से हर कोई चिमनाजी कहता है ।” फिर उसने कहा—“पडितजी, चिमनाजी बड़े भारी सकट में हैं ।” मैंने सहानुभूति दिखाई और पूछा कि मामला क्या है ? इसपर मोहनसिंह ने सारी कहानी सुनानी शुरू करदी । इस दौरान में चिमनाजी लगातार मूछो पर ताव देता रहा और समर्थन में कभी-कभी सिर हिला देता था । मोहनसिंह ने बताया कि चिमनाजी की दादी के कारण ही मारा कष्ट है । मुझे इससे बड़ा आश्चर्य हुआ । मोहनसिंह ने आगे बताया—“पडितजी, वह तो मरना ही नहीं चाहती, वह मरेगी भी नहीं । क्या आप इस वेइन्साफी का अनुमान कर सकते हैं ?” इस पहेलो को सुनकर मुझे और भी हैरानी हुई । वह आगे बोला—“वह चिमनाजी को सीतेलो दादी है । ४० साल हुए, उसका पति मर गया था । वह बुढिया ईर्ष्याविश चिमनाजी और उसके भाइयो की इतनी बड़ी जायदाद पर कब्जा किये बैठो है और मरने का नाम तक नहीं लेती । इसके अलावा वह इन सबको लगातार परेशान करती है और ये लोग उस जायदाद की ओर ललचाई आखो से देखते रह जाते हैं, लेकिन उमे पा नहीं सकते ।” जिस दुखद ढंग से उसने यह सारी कहानी कही थी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । उसके बाद उसने कहा—“वरसो से वहाँ इस जायदाद का नाश करने में लगी हुई है और वचारे चिमनाजी ने इस वरवादी को रोकने के लिए कई बार मकदमेवाजी की है, लेकिन मतलब हल नहीं हुआ । हाई कोर्ट तक भी ये मुकदमे जा चुके हैं । हमने ५० सुदरलाल और ५० मोतीलाल को

वकील किया था, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और हमेशा ही हम नाकाम होते रहे। बुढ़िया जायदाद पर माप बनी बैठी है। आप नहीं जानते कि अब उसने क्या किया है? वह एक लडका गाव मे ले आई है और उसे अपने पति के पुत्र के रूप मे गोद ले लिया है। उसने मशहूर कर रखा है कि ४० साल हुए, उसके पति ने मरने मे पहले उसे इस लडके को गोद लेने की जवानी इजाजत दी थी। एकदम सफेद झूठ है, यह पडितजी। लेकिन उसने कर दिखाया है। अब तो यह एक घातक प्रहार है और हम दत्तक-पुत्र की इस मार से अपनी रक्षा करने के लिए आपके पास आये हैं। उसकी सारी कहानी सफेद झूठ है।”

जो हो, मामला तैयार करने की कुछ गुजायश तो मिली। लेकिन यह जायदाद दो लाख रुपये की थी। मैं कहा कि मैं अकेला ही इस सारी जिम्मेदारी को नहीं ले सकता। मोहनसिंह बोला—“आप जिसे अपनी मर्जी से चाहे, साथ ले ले। हम तो यह मुकदमा आप ही को सौपते हैं।” इसपर जवानी बसीयत की कहानी को झुठलाते हुए मैंने अभियोग लिखा और गोद लेने को कानून के विरुद्ध करार देने की माग की।

प्रतिवादी ने बाद में अपना लिखित बयान दाखिल किया। यह बुढ़िया रानी कहलाती थी और उसने अपनी सफाई पेश की थी। उसने जवानी बसीयत पर जोर दिया और गोद लेने को बिल्कुल सही बतलाया। मुकदमे के विचारणीय मुद्दे निकाल गये और उनपर विचार के लिए पेशी का इतजार किया जाने लगा।

एक दिन रात के दस बजे के करीब मैंने किसीको अपने घर के किवाड पर दस्तक देते हुए सुना। रात को मैं खुद ही घर की चौकसी करता था। मेरा नौकर दिन भर का काम पूरा करके जा चुका था। फलत मैंने किवाडे खोली और एक आदमी भीतर आया। वह बाता—“मुझे चिमनाजी ने भेजा है।” मैंने पूछा—“किसलिए? क्या हुआ?” उसने कहा—“पडितजी, नानी मर गई। चिमनाजी ने आज सुबह शव को गगाजी पर ले जाते समय मुझे आपके पास यह जानने के लिए भेजा है कि अब क्या किया जाय?”

“उस दत्तक-पुत्र का क्या हुआ ?” मैंने पूछा ।

“वह गाव में ही है ।” उसने कहा ।

“क्या गाववाले चिमनाजी के हक में है ?”

“जी हा, सभी उनके साथ है ।” उसने जवाब दिया ।

“तो फिर उस पुत्र को गाव से खदेड़ बाहर करो । अगर जोर-फोर की जरूरत पड़े, तो उसमें भी हर्ज नहीं । उसके वाद सारी जायदाद पर कब्जा कर लो ।”

“बहुत अच्छा ।” कहकर उल्टे पाव वह रवाना हो गया । वाद में पता लगा कि मेरी सलाह का अक्षरशः पालन किया गया । बेचारे दत्तक-पुत्र को मार डालने की धमकिया देकर भगा दिया गया और गाव के लोगो की मदद और अनुमति से चिमनाजी ने सातो वड़े-वड़े गावो-समेत सारी जायदाद पर अधिकार कर लिया । इसके वाद हमने रजिस्ट्रो में सुधार करने की तहसील में दरखास्त दी । चिमनाजी ने कहा कि आपको तहसीलदार की अदालत में भी चलना होगा । मैंने कहा—“वहा मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं है । इस कार्रवाई में कोई मुखालिफ तो है नहीं और जो होना चाहिए, उसका आदेश हो जायगा ।” लेकिन उसने जवाब दिया—“पंडितजी, आप कह क्या रहे हैं ? आप क्या समझते हैं कि हम आपको यो ही छोड़ देंगे ? आप नहीं जानते कि क्या हुआ है ? पचास मे भी ज्यादा बरसो से हम इस जायदाद के लिए बुरी तरह तरस रहे थे । भगवान ही जानता है कि हमने इसके लिए कितने दुख उठाये हैं और कितना रुपया मुकदमेवाजी में बरबाद किया है । चाहे जिस अदालत में कोई मुकदमा हो, भले ही उसमें मुकाबला हो या नहीं, आप उममें पेश होंगे । आपके बिना हम इच भर भी इधर-से-उधर नहीं होंगे ।” हुआ भी ऐसा ही । मुझे याद नहीं कि वह मुझे कितने ही ऐसे मुकदमो में ले गया, जिनमे मेरी जरूरत भी नहीं थी और हमेशा तारीफो के पुल बाधा करता था । एक बार एक गाव में तहसीलदार की पेशी में मुझे हाजिर किया गया । यह इकतरफा मामला था और उसमें केवल नियमित कार्रवाई

ही को जानी थी। जब पेशी खत्म हुई तो उमने हाथी पर मेरा जलूम निकालकर मुझे अपने गाव तक ले जाने का अनुरोध किया। वहा मेरा शानदार स्वागत किया गया और मैं परिवार के सम्मानित अतिथि के रूप में रात भर वहा रहा। उस दिनो तहमीलदार लोग दोरे के दौरान में इस तरह कार्रवाइयो को सुना करते थे। मुझे याद है कि एक मामले में हमें पेडो तले घटो इतजार करना पडा था और आखिर रात के नो बजे एक खेमें में मुकदमें की पेशी हुई थी।

उसके एक दूसरे काफो वड मुकदमें में मुझे एक मक्क भी हामिल हुआ था। उसमें मुझे यह शिक्षा मिली थी कि प्राचान भावनाएँ और विश्वास किस प्रकार मानवोय क्रियाओ को प्रभावित करते हैं। चिमनाजो को नानो ने एक पडौमी जमीदार को प्राथना पर उमें दस एकड भूमि वाग लगाने के लिए भेंट दे दी थी। यह भूमि विल्कुल बेकार थी। भेंट लेनेवाला अच्छा शोकिया आदमी था। उसने देश-भर में कई तरह के फलो के पेड मगाकर जमा किये। बहुत-सा पैसा खच किया और जब बुढिया मरी, तो उस जमीन पर एक भरा-पूरा फनो का बगीचा लग चुका था। हिंदू-कानून के अवीन यह भेंट बेमानो और नानो की मृत्यु के बाद अयहीन थी। चिमनाजो ने मुझे जमीन वापसो के लिए दोवानी दावा दायर करने की सूचना दी। यह बहुत-ही सीधा मामला था और इसका जवाब कोई नहीं था। जज ने चिमनाजो के हक में डिगरी नो दी, लेकिन प्रतिवादो को इस बात की छूट दी कि वह १२ मास के अदर-अदर अपने पेडो को हटा ले। प्रतिवादो ने जिला जज के यहा अपील कर दी। विद्वान जज हिंदू थे। पेशी के समय उन्होंने मुझमें कहा—“निस्सदेह, आप अपनी खाली जमीन का स्वामित्व पाने के अधिकारी हैं, लेकिन आप इन लाभकारी खडे पेडो के बदले कुछ मुआवजा क्यों नहीं दे देते? केवल ईधन के लिए इन्हें काट डालना तो बहुत ही बुरा होगा।” यह कहकर उन्होंने ५ हजार रुपये की रकम का सुझाव पेश किया, जो मेरो राय में बहुत वाजिब था। मैंने अपने मुवक्किल से बाहर जाकर सलाह करने

को आज्ञा चाही, लेकिन जब मैंने चिमनाजी से बात की, तो वह इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हुआ। मैंने बगीचे की खूबसूरती और उपयोगिता का बखान किया तो उसने कहा—“आप इसकी चिंता न करें। यह बाग ज्यों-का-त्यों हमारे पास आयेगा। शायद आपको पता नहीं कि हरे फूलदार पेड़ को काटना कितना पाप है, और मुझे यकीन है कि प्रतिवादी कदापि ऐसा नहीं करेगा। इसलिए हम क्यों कोई रकम दें ? यह बगीचा हमारे ही लिए तो है और जैसे-का-तैमा हमें मिलेगा।” मैं इसका क्या जवाब देता ? मैं अदालत के कमरे में लोट गया। मैंने चतुराई के साथ जज को सूचित किया कि मुझे बड़ा खेद है कि मेरे मुवक्किल के पास मुआवजा देने के लिए नकदी नहीं है। जज महोदय ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, लेकिन वह कर कुछ नहीं सकते थे। उन्होंने डिगरी को ज्यों-का-त्यों बहाल रखा। लेकिन चिमनाजी का कहना शब्दशः सही साबित हुआ। एक वरम की समाप्ति पर उसे सारे-के-सारे पेड़ों सहित वह जमीन मिल गई। प्रतिवादी ने भी एक पवित्र हिंदू को जो करना चाहिए, वही किया। इस प्रकार चिमनाजी ने मेरा बड़ा ही मान किया और बरसों तक मैंने उसकी और उसके पुत्रों तथा भतीजों की मित्रता के सुख का लाभ लिया।

पाठक यह जानना चाहेंगे कि मोहनसिंह को अमील का क्या बना ? वह तो मैंने जीत ही ली थी और किसी खास चतुराई के बल पर नहीं, बल्कि निरंतर धैर्य एवं दृढ़ता के सहारे मैं उसमें और सैकड़ों अन्य मुकदमों में सफल हुआ था।

: ६ :

अपराध और अपराधी

अपराध और अपराधियों के बारे में लिखते समय मैं कुछ अजीब-मोरेचैनी महसूस कर रहा हूँ। पुराने ज़माने में कानून-भंग करने-वाले के साथ बहुत-ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। सैकड़ों अपराधों

के लिए मृत्यु-दंड ही एक सजा थी। वारेन-हेस्टिंग्स के काल में, हमारे भारतीय इतिहास में नदकुमार इमी तरह की बबरता का शिकार बना था। लेकिन अब तो जनमत में बड़ी जागरूकता उत्पन्न हो गई है और इन दिनों अपराधी को अत्यंत स्नेह, सहानुभूति और दयापूर्ण व्यवहार का अधिकारी माना जाता है।

प्रचलित सिद्धांत यह है कि अपराधी को दंड देने की अपेक्षा उसके प्रति दया प्रकट करनी चाहिए। उसके बारे में यह खयाल किया जाता है कि वह किसी मानसिक रोग या मनोवैज्ञानिक पीड़ा का मरीज है और उमने जो किया, उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं था। इसलिए उसे कुछ महानुभूति, उचित पोषक भोजन, व्यक्तिगत देख-रेख और शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक ढंग के इलाज की आवश्यकता है। मनोविज्ञान के विशेषज्ञ उसकी परीक्षा करते हैं और अनन्य वैय के साथ उसके पुराने इतिहास का निरीक्षण करते हैं। हर कोई यह कहता है कि जेल को सुधार-स्थान बनना चाहिए। जेल में उसका अस्थायी रूप में रहने का मतलब यह होना चाहिए कि वह एक अच्छा नागरिक बन गया है।

अन्य देशों में ऐसी समितियाँ हैं, जो मुक्त कैदियों की वाद में देख-भाल करती हैं। ये समितियाँ जेल में उसकी रिहाई के वाद उसे रोजगार दिलाने और उसे अपने पाव पर खड़ा होने में आवश्यक सहायता देने के लिए बनाई जाती हैं। जब वह जेल में अपनी सजा काट रहा होता है, तो उसे कई तरह की सुविधाएँ दी जाती हैं। वह अपने परिवार के लोगों, अपने नातेदारों और अपने मित्रों को पत्र लिख सकता है और उनसे मिल भी सकता है। यदि वह जेल-नियम के अनुसार आचरण करता है, तो उसे पैराल (अस्थायी रिहाई) पर भी छोड़ा जा सकता है। मगर यह कि समाज और राज्य दोनों ही उसके सुधार के लिए बहुत-ही चिंतित होते हैं।

यह अत्यंत विरोधाभास की स्थिति है और सामान्य जनो के बारे में तो इसका खयाल भी नहीं किया जा सकता। लावा-रॉडो स्त्री पुरुष,

जो अच्छे नागरिक है, बड़ा कष्टमय जीवन बिना रहे है। बड़ी बुरी अवस्थाओं में रहते है, उनके मिरो पर महज एक छप्पर का ही आश्रय है। कभी-कभी वे कौड़ी-कौड़ी के मुहताज हो जाते है। वे भी मानव-प्राणी है, उनमें भी मातृत्व की प्यार-भरी भावनाए है, लेकिन वे अपने बच्चों को पोषक भोजन नहीं दे पाते। वे उन्हें शिक्षा नहीं दे सकते, पूरे कपडे भी नहीं पहना सकते। इसपर भी लोग कानून के अनुसार और अपराधहीन विशुद्ध जीवन बिताते है।

समाज उनके बारे में रत्तीभर भी चिंता करता जान नहीं पडता। कोई भी उन्हें महायता देने का खयाल नहीं करता। सहृदय स्त्री-पुरुषों की ऐसी समितिया भी हमारे देश में नहीं है, जो आवश्यकता के समय उनकी सहायता कर सकें। मैं ममज्ञता हू कि समाज वस्तुतः इन लोगो से यह कहता है—“अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चिंता की जाय, तो हमारे ध्यान को आकर्षित करने की शर्त यह है कि तुम अपराध करो, जिससे तुमको पकडकर मजिस्ट्रेट के नामने हाजिर किया जा सके। वहा उससे किमी भी अपराध के लिए छ. माम ले लेकर पाच वरस की कोई भी कैद की सजा शामिल करो और तब तुम देखोगे कि हम किस तरह तुम पर कृपा-वृष्टि शुरू करते है। हम तुम्हारे रहने को साफ-सुथरा कमरा देंगे, तुम्हें काफी अच्छी खाट भी दी जायगी, दिन-प्रति-दिन तुम स्वस्थ रहो, इसकी देखभाल के लिए डाक्टर-कपाउडर मौजूद होंगे, और अगर कही तुम्हें कोई भयकर बीमारी हो गई हो, तो तुम्हे उचित खुराक मिलेगी और साथ ही रात-दिन चिंता के साथ इलाज भी होगा।

“अगर तुम अपढ होंगे, तो तुम्हें पढाने के लिए भी कुछ प्रवध होंगे और तुमको किमी-न-किमी दस्तकारी की भी तालीम दी जायगी। तुम एक अच्छे दर्जी या एक अच्छे बडई या एक अच्छे लोहार भी बन जाओगे, जिससे, जब तुम जेल से निकलो, तो अच्छी कमाई करने के लायक हो जाओ, और तुम देखोगे कि इसी मतलब की समितिया तुम्हे एक अच्छा घर बनाने के लिए, हर प्रकार की मदद करने को तैयार है। लेकिन,

याद रखो कि यह सब तभी होगा, जब तुम पहली ठही शर्त को पूरा करोगे। पहले सजायाफता बनो और तब तुम देखोगे कि तुम्हें मदद पहुंचाने के लिए हर कोई कितना चिंतित है। हम तत्परता-पूर्वक तुम्हारे पक्ष में यह कहेंगे कि यद्यपि मजिस्ट्रेट ने तुम्हें कैद की सजा दी है, तथापि यह कतई तुम्हारा दोष नहीं था। तुम तो वस्तुतः रोगी थे और सभवतः असावधानी के कारण तुमने वह कार्य किया, जो तुमको मजिस्ट्रेट के पाम ले गया और उसने तुमको जेल में नहीं भेजा, बल्कि उसने तुमको इलाज की जगह पर भेजा है।”

कुछ दिन हुए, मैं पंजाब के एक जिले में गया था, उस शहर के अस्पताल में सबसे बढिया और आकषक मुझे जेल का अस्पताल लगा। वह बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, हवा और रोशनी का उममें बढिया प्रयथ था, बीमारों के लिए वहा बहुत-से विस्तर थे और उनकी देख-भाल के लिए समझदार कार्यकर्ता भी थे। लेकिन उस चहार-दीवार के बाहर नगर के कथित स्वतंत्र शहरियों के लिए नाममात्र की चिकित्सा-सुविधाए थी। उनके अस्पताल की बडी बुरी हालत थी। अस्पताल में रखे जाने-वाले बीमारों का कमरा बडा गदा और तग था। बीमारों को अपने लिए निजी खाना मगाना पडता था। मुफ्त खुराक का कोई प्रयथ नहीं था। नर्स भी वहा कोई नहीं थी। हर चोज जितनी बुरी हो सकती है, वहा थी और इनके पर भी ये लोग स्वतंत्र नागरिक थे और इसलिए उनके बारे में कोई चिंता करनेवाला नहीं था।

यही विचार बच्चों के बारे में भी कई बार मेरे मन में आये हैं। हम उन्हें बाजारों और गलियों में देखते हैं। वे गंदे और मैली दशा में मारे-मारे फिरते हैं, उनकी देखभाल भी कोई नहीं करता। लेकिन ऐसे बहुत-से लोग हैं, जो अपराधी बच्चों के कल्याण की चिंता करते हैं। यहा फिर वही पहली शत हर बच्चे पर लागू हो जाती है कि वह पहले किसको जब काटे, तब वह शिशु-यायालय में ले जाया जायगा और जिस क्षण वह वहा पहुंचेगा, उसके प्रति दया के द्वार खुल जायगे। वह एक अच्छे-से घर में रखा जायगा। वहा उसे स्वास्थ्य-सवधी शिक्षा देने के लिए

शिक्षक होगा, और समभव है कि वह बढिया स्काउटर भी बन जाय । उमे किमी दस्तकारी को शिक्षा दी जायगी, पढाया-लिखाया भी जायगा, आदि-आदि । जब वह अठारह बरस की आयु के बाद उम घर से निकलेगा, तो वह सच्चे मानो में अच्छा नागरिक बनने योग्य हो जायगा । लेकिन डम सबके लिए पहली शर्त हमेशा यही होगी— पहले गिरहकट बनो ।

यह सब अजीब मजाक-मा लगता है । मैं ममझता हू कि हम मदा असा-मान्य स्थितियों में क्षुब्ध होकर काम करते हैं । अपराधियों और गुनहगारो के माय इतना दुलार दिवाने और उनके सुवार की आवश्यकता तथा उनके प्रति कोमल-व्यवहार दर्जाने में बडा भारी खतरा निहित है । उनके दुष्कृत्यों के कारण जिन्हें हानि पहुचती है, उनके बारे में कोई मोचता तक नहीं । मभव है, उन्होंने एक परिवार का सबकुछ चुरा लिया हो । चोर को सजा मिलती है और वह उस घर में जाता है, जिमका आज के दिन शलत नाम जेल है और ममाज उस परिवार के विषय में तनिक भी चिंता नहीं करता, जिसे उसने लूटा था । हानि सहन करनेवाले को उमकी क्षतिपूर्ति के लिए किमी सार्वजनिक कोप में एक दमडो तक नहीं दी जाती । सजायाफ्ता के प्रति हमारी महानुभूति उमड पडती है और हम उसका सुवार करने की चिंता करने लगते हैं, लेकिन उमके शिकारो को हम पूर्णतया भूल जाते हैं, उनके प्रति कोई भी महायता का हाथ नहीं बढाता । मैं खुद भी मृत्यु-दड के खिलाफ हू, लेकिन हत्यारो के बारे में तो यह मारी चर्चा की जाती है, परंतु उन बच्चों के विषय में एक शब्द भी सुनने को नहीं मिलता, जिन्हें उन हत्यागो ने पितृहीन या मातृहीन कर दिया था, यह बडे ही दुःख की बात है ।

पिछले कुछ बरसों के दौरान में, जब सभी जगह खाने-पीने की भारी कमी थी और लाखो परिवार खरीदने की सामर्थ्य न होने के कारण उचित खुराक भी नहीं प्राप्त कर सकते थे, मैं बगाल की जेलों में देखा करता था कि वहा मप्ताह में दो बार हर कैदी को बढिया भोजन दिया जाता था ।

उसके भोजन में चावल और दाल, भाजिया और चटनी तथा मीठे तल में बनी मछली या मास होता था। बंगाल के मध्यवर्ग के ७० प्रतिशत परिवार उन दिनों ऐसा भोजन प्राप्त करने में असमर्थ थे।

यह सब कहने का मेरा मतलब यह नहीं कि कैंदियों को भूखों मारा जाय, लेकिन लगता है कि जो-कुछ हम कर रहे हैं, वह आवश्यकता में ज्यादा है। निस्मदेह अपराधियों को सजा देने समय उनकी परिस्थितियों में भेद करने का काम मजिस्ट्रेट का है। मान लीजिये, एक आदमी है, जो अपने परिवार के भूखे बच्चों के लिए एक रोटी चुराना है। ऐसे व्यक्ति को समझा-बुझाकर या चेतावनी देकर भी डांडा जा सकता है। लेकिन दूसरा है, जो केवल लोभवश ही ऐसा करता है या अपनी किमी आयोजित योजना को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों के मिर फाड़ना है, वह वस्तुतः किमी ठोस दंड का अधिकारी है। उसे यह महसूस कराना होगा कि अपराध करने से लाभ नहीं होता और कानून पालन करने के लिए ही बनाये जाते हैं।

भारत के प्रत्येक भाग में मैंने कई जेलों को देखा है और मैंने अक्सर सोचा है कि हम अपराधों और दुष्कर्मों के प्रति उदारता दिखाकर बड़ा भारी खतरा उठा रहे हैं। जहाँ पुराने जमान में कैंदियों के साथ बहुत ही बेरहमी और बबरता के व्यवहार की रीति थी, वहाँ आज के दिन मुझे यह अजीब-सा लगता है कि एक आदमी, जो तकलीफों में पड़ा है, वह सहज ही खयाल कर ले कि कोई अपराध कर लना फायदमद होगा, क्योंकि अपराधी बन जाने पर कुछ महीना, या एक अथवा दो तरस के लिए भारतीय गणतंत्र का मेहमान बनने का मौका हाँ जायगा और उस मेहमानी के दौरान में पूरी रक्षा के साथ सुखकर और नियंत्रित जीवन के दिन बटेंगे। इसपर दयावान सरकार अच्छे खाने, रहन और चिन्मिमा आदि प्रयत्न भी करेगी। वर्तमान में जेलों का इतना सुखकर बनाना में निश्चय ही बड़ा भारी खतरा है। जब मैं जेल में था, तो मैंने कड़ियों को बार-बार वहाँ आने देखा था, क्योंकि उन्हें जन का जीवन ज्यादा लाभकर लगता था।

१०

अदालतों में झूठी गवाहियां

अदालतो में झूठी गवाही देने की बुराई बहुत बढों हुई है । हर वकील उसे जानता है । कुछ अनुदार लोग तो यहा तक कहते हैं कि बहुत मे वकील वेईमानी से इसको बढावा भी देते हैं और झूठी गवाही देने के भागीदार होते हैं । झूठी गवाही देने की कोई सीमा दिखाई नहीं देती । उदाहरण के लिए मुझे ही एक ऐसे निर्लज्ज मामले का अनुभव है, जिसमें दीवानी के एक मुकदमे में दोनो फरीको के बीच यह झगडा था कि दो जीवित व्यक्ति— एक पुरुष और एक स्त्री —पति-पत्नी थे अथवा मा-बेटे । दोनो ही जीवित थे और किमी भी फरीक की ओर से उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया था । बहुत से लोग आये और जिस ओर से उन्हें पेश किया गया था, उसके पक्ष में कमम खाकर गवाही दे गये । जज ने दोनो ओर की गवाहिया सुनकर एक ओर के गवाहो को तरजीह दी और उमोके अनुमार फैमला दे दिया । अपील सयोग से न्यायाधीश सुलेमान तथा इलाहावाद हाई कोर्ट के एक और जज के सामने आई । मैंने कहा कि निचली अदालतो में जज ने वचपन की-मी बात की है और उन परिस्थितियो में उमका एक दर्शक बने रहना मूर्खतापूर्ण रहा है । मैंने सुझाया कि अगर वह दोनो व्यक्तियो को बुलाकर सीधे तरीके मे कुछ प्रश्न पूछ लेता तो बिना किसी कठिनाई के सच्चाई निकल आती । इस बात का न्यायाधीश सुलेमान पर, जो प्राचीन-काल के सुलेमान की भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रहे थे, काफी असर हुआ और उन्होंने उस मामले को मातहत अदालत को इस आदेश के साथ लौटा दिया कि दोनो व्यक्तियो मे सीधे सवाल कर लिये जाय । मुझे अच्छी तरह याद है कि बिना किसी खाम दिक्कत के सचाई सामने आ गई ।

×

×

×

एक और भी मुकदमा था, जिसकी अपील १९१९ में इलाहावाद हाई कोर्ट

के उन दिनों के नये आये हुए मुख्य न्यायाधीश सर ग्रिमवुड मेग्रम ने एक अन्य जज के साथ सुनी थी। अब भी वह दृश्य मेरे सामने आ जाता है, जो सर ग्रिमवुड ने प्रणय के उस मामले में हुई लंबी-चौड़ी गवाहियों को पढ़कर प्रस्तुत किया था। दोनों दल मुमलमान थे। वादी एक नौजवान था। वह उस नवयुवती के अपनी श्रीरत होने का दावा करता था, जो उस मुकदमे में प्रतिवादी न० १ थी। उसने अपनी बीबी के माय-वालो पर, जो अन्य प्रतिवादी थे, यह दोष लगाया कि वे उसे (बीबी को) उससे दूर रखने में मदद कर रहे हैं। वादी का कहना था कि उस नवयुवती के साथ अमुक रात को ६ बजे इस्लामी तरीके पर एक काजी, वकीलो और गवाहो के सामने उसकी शादी हुई, जिसमें बहुत से रिश्तेदार और दोस्त शरीक हुए थे। प्रतिवादी ने इस प्रकार की शादी में विल्कुल इन्कार कर दिया। इसके बजाय उसने कहा कि उसी दिन रात के ६ बजे शहर के दूसरे हिस्से में, एक दूसरे मकान के अंदर प्रतिवादी न० २ के साथ एक काजी, वकीलो और गवाहो के सामने उसका विवाह हुआ था, जिसमें बहुत से रिश्तेदार और दोस्त शरीक हुए। उसने जो हाल बताया, सही-सा था। उस श्रीरत ने कहा कि यह विल्कुल ठीक है कि उसकी मा वादी के साथ ही शादी करना चाहती थी, लेकिन वह खुद इस विचार से ही नफरत करती थी, हालांकि उसे खामोश रहना पड़ता था। बाद को जब उसने देखा कि मामला बढ़ता जा रहा है और शादी को तारीख तक तय हो गई है, तो वह अपनी चाची के पास दौड़ गई और उससे अपनी मदद करने के लिए कुछ करने को कहा। उसने अपनी चाची को यह भी बताया कि शादी करने के लिए उसने प्रतिवादी न० २ को अपने दिल में जगह दे रखी है, वही उसकी पसंद का नौजवान है। इसलिए चाची को शादी का इतजाम करना ही होगा, वरना वह आत्महत्या कर लेगी। चाची ने उसपर तरम त्यागा और उसका नतीजा जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह हुआ कि उसी तारीख को दूसरी जगह प्रतिवादी न० २ के साथ उसकी शादी हुई। इस प्रकार ये दो मुवावले की कहानियाँ दो शादियों

के वारे में थी, और विश्वास कौजिये कि दोनों ओर से ५० में भी अधिक गवाहिया अदालत में अपनी आखों के मामले डम या उस शर्दी होने के प्रमाण में हुई । उन गवाहियों के निष्पक्ष होने के मवध में देखने से ही कोई मुद्दा कायम नहीं किया जा सकता था । उनमें से बहुत से लोग दोनों के ही रिश्तेदार और मित्र थे । ऐसे मामले में मैं स्वयं जज होना पसंद न करता और मेरा यह खयाल है कि गवाहिया इस मुकदमे का अंतिम निर्णय कराने में सहायक नहीं हुई, बल्कि सब मिलाकर अन्य घटनाएँ ही काम आईं । जब नीचे की अदालत में मुकदमा चल रहा था, उस स्त्री के बच्चा पैदा हो गया । उसका पिता वादी न० २ था और उस समय तक, जबकि सर ग्रिमवुड मेअर्र के सामने अरील पहुँची, एक और बच्चा हो गया । हाईकोर्ट के जजों ने साफ कह दिया कि मुकदमे में कुछ भी सही-गलत हो, वे उन बच्चों को किसी तरह भी जायज घोषित नहीं कर सकते ।

×

×

×

अदालतों में झूठी गवाहियों को छाटना बेकार है, किंतु एक दृष्टि ने उनमें से कुछ वास्तव में शानदार होती हैं । कुछ तो हिमालय की चोटियों की तरह होती हैं । भोवाल सन्यामी का मामला एक अच्छा उदाहरण हो सकता है । परंतु मैं और भी कुछ ऐसे मामले जानता हूँ, जो तूझ-तूझ के मवुर और मनोरजक खेल तथा मनुष्य की कल्पना-शक्ति की बड़ी भारी मिसालें कही जा सकती हैं । मैं यहाँ दो मामलों का उल्लेख करूँगा । एक डलाहावाद हाईकोर्ट में मेरी बकालत के शुरू के दिनों में १९१६ या १९१७ का है और दूसरा कुछ बाद का । दोनों में एक ही प्रश्न उठा था । पहले मुकदमे का थोड़ा परिचय देना आवश्यक होगा ।

यह मामला एक अच्छी-खानी रियामत के मवध में था, जो राजा की मौत के बाद कोई लड़का न होने के कारण उनकी विधवा के हाथ आई थी और उसके मरने के बाद वह जायदाद कुछ दूर के घरवालों को पहुँचनी थी । इन प्रकार के दूर के उत्तराधिकारियों को अलग करने के लिए गोद

ले लेने का एक तरीका होता है। एक बालक के साहमी पिता ने रानी का अपने पुत्र को गोद लेने के लिए इस आशा से फुमलाया कि उसका बच्चा गोद ले लिया जायगा तो उसका पिता और स्वाभाविक मरक्षक होने के कारण वह बहुत वर्षों तक जायदाद का लगान, किराया आदि वसूल करके मुनाफा उठाता रहेगा। लडका गोद ले भी लिया गया, लेकिन फौरन ही कानूनी तथ्य के आधार पर झगडा शुरू हो गया। काफो लबी मुकदमेवाजी हुई और अंत में हाई कोर्ट ने गोद लेना बहाल रखा। पिता ने खुशिया मनाई। इसी बीच रानी की मृत्यु हो गई और लडका गोद लेने की तारीख से ही जायदाद का स्वामी बन गया और उसका पिता वास्तविक अधिकारी। मुकदमे के दौरान में इस बालक के विवाह का कोई सवाल ही नहीं था, किंतु दुर्भाग्यवश वह अकस्मात् बीमार पड गया और कुछ ही दिनों में मर गया। बाप की सारी आशाओं पर पानी फिर गया और वे विरोधी, जिनमें गोद लेने के मामले में वह इतने दिनों तक लडा था, अब स्वतः जायदाद के मालिक बननेवाले थे। इस विपदा का हटाने के लिए कुछ-न-कुछ तो किया जाना चाहिए था। बच्चे के दाह-संस्कार के बाद, कहना चाहिए कि एक 'युद्ध-परिपद' बन गई, जिसे यह विचार करना था कि उस सफ़ट को दूर करने के लिए क्या उपाय काम में लाये जाय। विचार किया गया कि एक यही तरीका कारगर हो सकता है कि उस अविवाहित बालक को एक विधवा तैयार की जाय और यह जाहिर किया जाय कि उस (बालक) की मृत्यु के बाद जायदाद स्वाभाविक रूप से उसको उस विधवा को पहुँच गई है। उस समय कोई लडकी निगाह में न थी, किंतु यह तो एक मामूली-सी बात थी। फौरन ही यह तय किया गया कि एक नाम सोच लिया जाय और सयुक्त प्रांत के जाव्ना माल के अनुमार गाव के अधिकारियों से उसको सूचना फौरन करा दी जाय। लोनावती नाम छान लिया गया और गाव के अधिकारियों से, जो पड्यत्र में शामिल थे, फौरन खाना-पूरी कर देने को बहू दिया गया। तीन नै तो उमी रात यह रिपोर्ट कर दी कि नवयुवक

राजा की मृत्यु हो गई है और वह अपने पीछे अपनी विधवा लीलावती को छोड़ गया है। चारों ने अगले दिन इसकी सूचना कर दी।

स्वभावतः विपक्षी दल में इस कांड से तहलका मच गया। न कोई विवाह हुआ था और न कोई लीलावती ही थी। सारा-का-सारा मामला काल्पनिक था और इस आशय की दरखास्तें दे दी गईं। नियमानुसार माल अदालत को मामले की सरसरी जांच करने के लिए कहा गया, ताकि गांव के सरकारी कागजों में ठीक अमल-दरामद हो सके।

अब पिता को एक लीलावती प्राप्त करने को कहा गया। किसी लड़की को लीलावती बनाना जरूरी हो गया। यहाँ यह बताना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के दो विवाह हुए थे। उसकी पहली स्त्री से वह लड़का हुआ था, जो गोद ले लिया गया था और जिसका यह किस्सा है। उसकी पत्नी तब मर गई थी। उसने दुबारा शादी कर ली थी और उससे कहा जाता है कि चार बच्चे हुए थे। इस स्त्री की एक अविवाहित छोटी बहन थी। सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया—और उसमें उसके पिता की भी राय थी—कि इसी लड़की को जब जरूरत पड़े, लीलावती बनाकर खड़ा किया जाय। इस प्रकार काम आराम से चलता रहा। गवाहिया प्रस्तुत कर दी गईं। मुझे ठीक से याद नहीं है कि लीलावती को कभी अदालत में पेश किया गया हो—शायद नहीं किया गया था। अंत में माल अदालत ने कह दिया कि उन्हें सदेह है, इसलिए वह उसके नाम का इदराज नहीं करेगी। यह पहली अदालत में हुआ। इस मवमें कुछ समय लग गया। इस बीच लीलावती बड़ी हो गई और उसके पिता को उसकी शादी की फिक्र हुई। उसने कह दिया कि वह अपने दामाद पर अहसान करने को भी इस दिलचस्प नाटक में अपनी कन्या को लीलावती का पार्ट अदा करने के लिए अविवाहित नहीं रख सकता। खुशामद के बाद भी वह अपने विचार में नहीं ढिगा और उस लड़की का विवाह यथा नाम तथा गुणवाले शैतान-सिंह से हो गया।

अब विवाह के बाद एक अन्य लीलावती की आवश्यकता हुई, क्योंकि

एक बड़ी अदालत में माल की कार्रवाई चल रही थी और किसी समय भी लीलावती को अदालत में हाजिर करने के लिए कहा जा सकता था। इसलिए एक और छोटी लड़की को छाटा गया। उसमें भी कुछ न बना। अपील भी माफिक न हुई और जायदाद की वापसी के लिए वह दीवानी दावा दायर करना जरूरी हो गया। दुर्भाग्य अकेला कभी नहीं आता। इस बीच लड़के का पिता मर गया। सट्टेबाज मामले में आ गये और उन्होंने सोचा कि मामला खत्म हो गया और अगर कुछ कारगर उपाय न किये गये तो सारा लगा-लगाया रुपया बेकार जायगा। मुझे यह पता नहीं कि उन्होंने यह कैसे किया, लेकिन उन्होंने गोद गये लड़के भी सौतेली मा को लीलावती बनने को राजी कर लिया और उसने ऐसा ही किया। स्वर्गीय नाबालिग स्वामी की विधवा की हैसियत में उसने सपत्ति पर दावा दायर कर दिया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब लड़का मरा था तो उसकी उम्र १५-१६ वर्ष की थी और लीलावती भी उसी उम्र की बनाई गई थी। यह मुकदमा लड़के की मृत्यु के ४-५ साल बाद शुरू हुआ था, किंतु यह स्त्री, चार बच्चों की एक अवेड उम्र की औरत थी। वह तमाशे की नायिका बनने को राजी हो गई, लेकिन खिलाड़ी निराश न थे। मुकदमा शुरू हुआ। दूसरी तरफ भी सट्टेबाज लोग थे। असली उत्तराधिकारी तो गरीब लोग थे, जो भूखे-नगे थे और एक नामी सट्टेबाज ने थोड़ा-सा रुपया और करीब ३०० एकड़ भूमि देकर उन्हें खरीद लिया था। दीवानी मुकदमे में जैसे हुआ करता है, बहुत वक्त लगा। करीब १०० गवाहिया हुईं। इनमें से ६० तो वादों की ओर से हुईं, जिन्होंने शपथपूर्वक कहा कि लड़के का विवाह हुआ था। कुछ ने तो यहा तक कहा कि वे उसकी बारात में गये थे और पाणिग्रहण के समय उपस्थित थे, आदि-आदि। दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने इस आशय की माक्षिया दी कि विवाह हुआ ही नहीं, लड़का बहुत छोटा था, किमीन भी विवाह की बात नहीं सुनी। स्कूल के अव्यापक न गाव के स्कूल का वह रजिस्टर दिखनाया, जिसमें जिस दिन विवाह हुआ बताया गया था, लड़का हाजिर था। स्कूल के रजिस्टर में जहा तक

मेरा खयाल है, हाजिरी झूठी बनाई हुई थी। जो हो, वहा हाजिरी थी। प्रतिवादियों ने लीलावती की शारीरिक परीक्षा के लिए भी प्रार्थना की, जिससे देखने पर उसकी उम्र की गनाख्त हो सके और यदि आवश्यकता हो, तो आंतरिक जाच भी की जाय। यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया गया और एक डाक्टरनी कमिश्नर को हैसियत से इस कार्य के लिए नियुक्त हुई। वह मकान के अंदर गई, फौरन ही लीट आई और अपनी रिपोर्ट दे दी। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मकान के अंदर उमने एक स्त्री को देखा, जिसका नाम लीलावती बताया गया। वह स्त्री सिर से पैर तक ढकी हुई थी और उमका केवल मुह और हाथ खुले हुए थे, जो दिखाई पडते थे। उसने लिखा कि वडी शिष्टता के साथ उसने उस स्त्री से कपडा हटाकर थोडी अपनी बाह, पेट और शरीर के अन्य भाग दिखाने को कहा, किंतु उस स्त्री ने दृढता के साथ वैसा कुछ करने से इन्कार कर दिया। इतना ही नहीं, उमने धमकी दी कि वह डाक्टरनी को पीट देगी। डाक्टरनी ने बताया कि वह उस स्त्री का चेहरा और हाथ देखकर सिर्फ राय ही कायम कर सकती है। चेहरे मे वह अवेड उम्र की जान पडती थी और हाथों से पता चलता था कि वह शारीरिक परिश्रम करने को बहुत आदी है। मुझे ध्यान पडता है कि मामले में वही निर्णायक पहलू हुआ और परिणाम यह निकला कि पहली अदालत में लीलावती हार गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में की गई अपील में भी, जिसमें मैं उसके विरुद्ध डाक्टर सप्रू के साथ छोटा वकील था, वह असफल रही। उम समय छोटी उम्र का होने के कारण सारा मुकदमा मुझे हमेशा याद रहनेवाला और यकीन न करने-जैसा लगा।

×

×

×

दूसरा मामला, जो कुछ वर्ष बाद सामने आया, एक लडकी मे मत्रघित था, वह अनाथ हो गई थी, लेकिन उनके पास काफी संपत्ति थी और वह संपत्ति उसके पिता के भाई—चाचा—के संरक्षण में थी। इस चाचा ने उमका विवाह पडोम में ही समान प्रतिष्ठावाले परिवार में एक नवयुवक के साथ

कर दिया। लडकी बहुत बड़ी मपत्ति को उत्तराधिकारिणी थी, इसलिए उससे हर कोई विवाह करने को आतुर था। मुझे मदेह है कि उसका विवाह निश्चित करते समय उसके चाचा ने निजी लाभ के लिए वर के पिता से अवश्य कुछ सौदेबाजी की होगी। लेकिन उसके चाचा से भी शायद मामला 'हीरे से हीरा काटने' का हुआ और भारी मपत्ति के साथ उम लडकी को अपनी पुत्र-वधु बनाकर वह व्यक्ति सीदे से मुकर गया। चाचा अपनी मूर्खता पर रोता रह गया। यही उन घटनाओं की शायद भूमिका बना, जिनका मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ।

मामला यो शुरू हुआ कि उसके चाचा ने अपनी नावालिग भतीजी और उसकी जायदाद के सरक्षण के लिए जिला जज के यहा दरखास्त दी। दरखास्त में लिखा कि उसका पति नावालिग—स्कूल का विद्यार्थी—और उसका (लडकी का) ससुर उसकी उपेक्षा तथा मपत्ति का वेहद बुरा प्रबध कर रहा था, साथ ही मुनाफे का गोल-माल भी किया जा रहा था। इसलिए कानूनी मरक्षण जरूरी था और उम लडकी की देख-रेख करने के लिए उसका चाचा ही उपयुक्त व्यक्ति था, जो विवाह से पूर्व भी देख-भाल करता था।

जिले के उस नगर में, जहा यह दरखास्त दी गई थी, जज की अदालत नहीं थी। जिला जज पंद्रह दिन में एक बार वहा इम प्रकार की दरखास्ते सुनने जाया करता था। इस प्रकार एक शनिवार को एक और चाचा, उसका बेटा और वकील तथा प्रतिपक्ष में दूसरी और लडकी का ससुर और उसका वकील उस मुकदमे के मिलमिले में जिला जज के सामने खडे हुए। ज्यो ही मुकदमा शुरू हुआ, चाचा के वकील ने दुखी आवाज में जज से कहा कि अब दरखास्त की सुनवाई की आवश्यकता ही नहीं रह गई, क्योंकि दुर्भाग्यवश लडकी का देहात हो गया है। प्रमगवश मैं कह सकता हूँ कि इस देहात का कानूनी अर्थ यह हुआ कि मपत्ति लडकी के पिता के कुटुंब को लौटनी चाहिए और सबसे निकट का उत्तराधिकारी उमका चाचा था।

चाचा के वकील की बात सुनकर जज ने स्वभावतः मवाल की निगाह में दूसरी तरफ देखा और तुरत ही ससुर ने कहा कि तीन दिन हुए, जब मैं घर में आया हूँ। उस समय पुत्र-वधु विल्कुल ठीक थी, उसकी मृत्यु के मवध में यह बात विल्कुल झूठ है। जज चक्कर में पड़ गया और मामले की १५ दिन आगे की तारीख लगा दी। साथ ही यह आदेश भी दे दिया कि लडकी को अदालत में उपस्थित किया जाय।

पखवाडा बीता। अदालत वैठी। ससुर उपस्थित न हुआ, लेकिन उसके वकील ने एक तार पढकर सुनाया, जिसमें ससुर तथा पुत्र-वधु के बीमार होने की सूचना थी और अदालत में आगे की तारीख डालने का निवेदन किया गया था। इसमें जज का सदेह बढा। उसने तारीख तो स्थगित कर दी, लेकिन यह आदेश दिया कि अगली पेशी में लडकी को अवश्य उपस्थित किया जाय, चाहे ससुर आ सके या न आ सके। इसके बाद दोनों पक्ष फिर चले गये।

अगली पेशी पहली पेशी में ठीक चार मन्हाह बाद पडी। चाचा अपने बेटे के साथ हाजिर था। दूसरी ओर ससुर के स्थान पर खुद लडकी का पति अपने मामा के साथ उपस्थित हुआ। मुकदमा शुरू होते ही जज ने पूछा कि लडकी हाजिर है? वकील ने जवाब दिया कि वह आ गई है और अदालत के अहाते में ही एक पालकी में बैठी हुई है। जज ने चाचा से कहा—“तुम्हारी भतीजी बहा बाहर है। जाओ, उससे मिल आओ।” चाचा अपने पुत्र के साथ बाहर गया और दो मिनट में ही यह चिल्लाते हुए लौट आया—“वह मेरी भतीजी नहीं है। मेरी भतीजी तो एक महीना हुआ तमी मर चुकी है। अदालत के साथ भारी पड्यत्र किया गया है और मेरी भतीजी के स्थान पर कोई और लडकी लाई गई है। बाहर पालकी में बैठी लडकी तो कोई विल्कुल अजनबी है।” जज बडे चक्कर में पड़ गया। उसे बडा गुस्मा आया। उसने एक आदेश लिखा, जिनमें कहा कि इस प्रकार की स्थिति सिर्फ भारत में ही पैदा हो सकती है, और कही नहीं। उसने यह भी लिखा कि इस रहस्यपूर्ण मामले

मे बाहर पालकी मे बैठी लडकी के मंत्र मे कुछ भी निणय करना असभव है, लेकिन वह लडकी के पति को उसका मरक्षक नियुक्त करता है, भले ही वह लडकी कोई भी हो और मामले को यही छोड दिया ।

स्थिति कुछ वर्षों तक इसी तरह रही । चाचा कोई और कदम न उठा सका । इस बीच लडकी को सपत्ति का उपभोग पति के परिवार-वाले करते रहे ।

अत में छ वर्ष के बाद चाचा ने सपत्ति को वापस के लिए दोबानो अदालत में एक दावा दायर किया । दावे मे कहा गया कि भतीजी मर चुकी है और उसकी मृत्यु के बाद हिंदू कानून के अनुमार सपत्ति उमे मिलनी चाहिए और वह उसे पाने का पूण अधिकारी है । उसने मरक्षण के मुकदमे का उल्लेख किया भी और कहा कि मुकदमे के चार सप्ताह के दौरान मे लडकी के पति ने दुवारा विवाह कर लिया और नई स्त्री अमुक गाव के एक व्यक्ति लक्ष्मीनारायण की लडकी है । उसने पूरा विवरण दिया । अब वही नई स्त्री दुनिया के सामने भतीजी के रूप मे प्रकट की जा रही है ।

जवाब मे चाचा के दावे को गलत बनाया गया और कहा गया कि लडकी हर तरह मे सही-सलामत है और जोवित है, और यह दावा अदालत के साथ भारी धोखा-बडी है । इस तरह दोनो तरफ से वाते कही गई ।

जिला जज के सामने वह एक हास्यजनक दृश्य बन गया, जज की आज्ञा से जब गवाह लिय जा रहे थे तो लडकी को बाहर एक पालकी मे बिठाया हुआ था और वादों को आर से रिश्तेदार, दोस्त और परिचित, हर गवाह जा-जाकर बाहर पालकी में झाकता और लौटकर अदालत मे शपथपूवक कहता कि यह वह लडकी नहीं है, जिसे वे जन्म मे ही जानते है । वह तो कोई और है । कुछ गवाह ऐसे भी आये, जिन्होंने जोर के साथ कहा कि वह लडकी लक्ष्मीनारायण की कन्या है और वे उमे बचपन से पहचानते है । तब बहुत सारे गवाह लडकी के मसुराल के गाव और पास-पडोस के आये । उन्होंने शपथपूवक कहा कि उन्होंने लडकी की बीमारी का समाचार सुना

था और वे हाल-चाल पूछने भी गये थे । तब उनसे कहा गया कि लडकी मर गई । बहुत से लोगो ने कहा कि उन्होंने शव अपनी आंखों में देखा था । दूसरो ने तो यहा तक कह दिया कि वे शव-यात्रा में भी गये थे और कुछ मील दूर नदी के किनारे उनके सामने शव जलाया गया था । दूसरो तरफ पति, मसुर, रिश्तेदार और बहुत से लोग आये, जिन्होंने हलफ लेकर कहा कि उस परिवार में कोई मृत्यु नहीं हुई और यह लडकी वही है, जिसे चाचा ने बड़े ठाठ-बाट से शादी करके दिया था । अब रहा लक्ष्मी-नारायण । उसने कहा कि उसके तीन लडकिया थीं, सब जीवित हैं और उसने सबका हिमाव बता दिया । मुझे याद है, उसने कहा था कि वे तीनों लडकिया भारत के तीन अलग-अलग शहरों में हैं और अपने-अपने घरों में खुश हैं ।

मातहत जज के दिमाग की कैफियत का अदाजा आसानी से लगाया जा सकता है । उसने मामले को सुलझाने का भरमक यत्न किया और इस परिणाम पर पहुंचा कि चाचा अपना मामला मिट्ट नहीं कर सका और लडकी की मृत्यु साबित नहीं हो सकी, इसलिए उसने मुकदमा खारिज कर दिया ।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई और वादी की ओर से मुझे वकालत किया गया । मुकदमे की भिमल बहुत बड़ी थी । दोनों तरफ से गवाहों को सख्या भी बहुत अधिक थी । जितना मैं मामले पर विचार करता, उतना ही अधिक मुझे यह महसूस होता कि मेरा मुक्किल (चाचा) ही ठीक था । मेरे मस्तिष्क में दो मुद्दे थे । पहला था जिला जज के सामने नरक्षण के मामले में मसुर का व्यवहार और दूसरा, जिनकी ओर किसी-का ध्यान ही नहीं गया था, यह था कि लडकी का इस मुकदमे में एक गवाह की हैनियत से बयान नहीं लिया गया था । अपील दो विद्वान और अनुभवी जजों के सामने पहुंची । एक हिंदू थे, न्यायाधीश लालगोपाल मुवर्जी तथा दूसरे पारसी, न्यायाधीश वी० जे० दलाल । मैंने उक्त दो मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराने का भरमक प्रयत्न किया, किंतु न्याया-

धीश मुखर्जी के सामने बात आगे न बढ़ी । कभी-कभी वह एक हठी जज बन जाते थे और उनसे कोई बात मनवाना कठिन हो जाता था । उनका मस्तिष्क मेरे विरुद्ध बहुत जल्दी बन गया । न्यायाधीश दलाल की ओर मे कुछ आशा बधी थी । बहुत दिनों के बाद अंत में न्यायाधीश दलाल ने मुझसे साफ-साफ कहा—“आपने जो कुछ भी कहा है उसका मुझपर प्रभाव पडा है, मैं यह मानता हूँ, लेकिन मेरे सामने एक कठिनाई है । अगर आपकी बात हो सच है तो आपका मामला दायर होने में इतनी देर होने का आपके पास क्या उत्तर है ? मरक्षण के मुकदमे और इस दावे के बीच छ वर्ष से भी अधिक का समय हो गया । मुझे ऐसा लगता है कि आप एक माम के भीतर ही दीवानी अदालत में पहुँचकर सपत्ति पर अपना दावा दायर करते ।” मिसल में इसका जवाब देने के लिए कुछ था भी नहीं । मैं यही कह सका कि मेरा मुवक्किल मालदार नहीं है और दीवानी मुकदमा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है—वह तो एक खर्चीला सौदा है । लेकिन न्यायाधीश दलाल को इस उत्तर से सतोप नहीं हुआ । उन्होंने अपना नोट देते हुए लिखा कि उनके साथी जज का विचार तो प्रारंभ से ही मेरे खिलाफ था और उनके पास भी अपने साथी से असहमत होने के लिए कोई विशेष बात नहीं है । परिणाम यह निकला कि खुली अदालत में फैसला सुनाया गया और अगिल खारिज हो गई ।

फैसला सुनने के बाद मेरे विरुद्ध काम करनेवाले एक छोटे वकील ने मुझसे कहा—‘डाक्टरसाहब, आप मुकदमा जीत गये ।’ मैं आश्चर्य में पड गया । पूछा—‘कैसे ?’ उसने शांतिपूर्वक कहा—“मैं ठीक ही कह रहा हूँ । आपका पता नहीं कि क्या हुआ है ।” मैंने कहा—“मुझे कुछ नहीं पता ।” उसने कहा—“मेरे मुवक्किल के परिवार में यह दशा हो गई है कि लडकी का पति मर गया, लडकी का ससुर चल बसा और लडकी के कोई श्रीलाद नहीं है । वह हिमी बच्चे को गोद भी नहीं ले सकती, क्योंकि उसका पति अकस्मात् मर गया और उसे गोद लेने की अनुमति प्रदान नहीं कर गया । वह खुद भी बहुत रोमार है और तपेदिक की तीसरी मजिल पर पहुँच

करनेवाली है और सपत्ति आपको मिल
। इस प्रकार मुकदमा आप ही जीते हैं।”
।, उससे मुझे कुछ दुख हुआ, लेकिन मुझे
नूतन के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन
। दिखा देता है।

×

×

गटना का ध्यान हो आया है। यह भोवाल
लदन में सुनाई गई थी। यह तो सब-
दार की पत्नी ने उसके दावे को अस्वीकार
नहीं माना था। उसने दृढ़ता के साथ
हो चुकी है और दावेदार कोई छली
ग कलकत्ते के हाई कोर्ट में वह नाकामयाब
कौंसिल की जुडीशल कमेटी के सामने
की लबी सुनवाई के बाद अपील खारिज
।ल के खारिज होने के कुछ ही दिन बाद
।र गया और मुझे बताया गया कि
।र ने यह सूचना अपने प्रतिपक्षी को एक
। दे दी—“न्याय हो गया।” उसका
। झ सकते हैं।

११ .

अंगूठे के निशान ने बचाया

भारत में मुकदमेवाजी का सबसे सफल साधन तथा सब तरह के छल-कपट करने का जरिया उत्तराधिकार-कानून है, जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है। पुराने जमाने में गांव का समाज सभी वर्णों के परिवारों का होता था। लेकिन हर वर्ण के परिवारों का समूह आपस में रिश्तेदारी से बंधा होता था, क्योंकि उन सबके एक ही पूज्य होते थे और वह समान पूर्व-पुरुष होता था। लडकियों की शादी दूसरे गांव में होती थी, और वे अपने जन्म के परिवार से संपूर्णतः अलग हो जाती थीं तथा वे और उनकी सतानें पिता की जयदाद की उत्तराधिकारिणी होने से वंचित कर दी जाती थीं। इसका कारण किसी खास रिश्तेदार को बहिष्कृत करने की इच्छा नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य था समाज की एकता को बनाये रखना। उत्तर-प्रदेश में अंग्रेज शासकों ने इस पुराने रिवाज में हस्तक्षेप किया और लडकियों तथा उनकी सतानों को पिता के धन का उत्तराधिकारी माना। यह अधिकार किसी स्थान रिवाज के अनुसार ही रह कर दिया जाता था, जिसको जज खुले आम कठोर और अस्वाभाविक बनाते थे जजों द्वारा बनाये इस कानून को कमजोर बनाने में जनता कभी कभी सफल हो जाती थी और हर प्रकार से एग्रे उत्तराधिकार के दावे को रद्द करवाती थी। अंग्रेजों की अदालतों ने लडकियों को नजदीकी उत्तराधिकारी माना, लेकिन बहनो को नहीं माना। बोझ देने का एक आसानी से किया जाता था कि लडकी को मृत व्यक्ति की बहन बताया जाता था और उसके लडकी होने के दावे को अस्वीकार कर दिया जाता था। अंग्रेजों अपनी जवानी में मरना तथा माता गभवती हुई, तो बताया जाता था कि माना के पिता की मृत्यु के बाद लडका हुआ, जो सप्ताह या महीने के बाद मर गया। लेकिन गनिम मालिक बही थी, इसलिए लडकी बहन के उत्तराधिकार का दावा कर सकती थी। इस तरह के कितने

वहाने बनाये जाते थे।

फिर उस विधवा का सत्रान लीजिये, जिसका पति सयुक्त हिंदू परिवार में रहकर ही मरा हो। हिंदू समाज धीरे-धीरे इस नियम का माननेवाला होने लगा था कि परिवार चाहे सयुक्त हो या न हो, विधवा को परिवार में अपने पति का हिस्सा मिलना चाहिए, जिसका जीवन भर वह उपभोग करे। वगाल में यही नियम है, लेकिन उत्तर-प्रदेश में जजों ने इस नियम के प्रचार-प्रसार को रोक दिया और पुराने नियम के अनुसार तय किया कि सयुक्त हिंदू परिवार में निपूती विधवा को पति का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। उस विधवा के पति का हिस्सा दूसरे पुरुषों के हिस्सों में बांट दिया जाता और उसे परिवार के साथ रहने तथा उनके आसरे रहकर ही जीवन-यापन का अधिकार दिया जाता। इस नियम में उत्तर-प्रदेश में बहुत मुकदमेवाजी हुई। हर मुकदमे में सयुक्त और विभाजित परिवार का वहाना मुकदमेवाज अपनी सुविधानुसार करने लगे और इन वहानों को धोखे-वाजी तथा झूठी गवाही दिलाकर सत्य साबित किया जाने लगा। गवाही में भेद होने में अक्सर सचाई का पता लगाना मुश्किल हो जाता था। अपनी वकालत के दिनों में मेरे पाम ऐसे सैकड़ों ही मुकदमे आये। लेकिन उनमें से कुछ तो सचमुच ही बड़े विचित्र थे, विशेष रूप से एक मुकदमा तो बड़ा ही मनोरंजक था। अदालत में एक लंबे असें से वह चल रहा था, लेकिन अंत में सबसे बड़ी अदालत—लंदन की प्रिवी कौंसिल ने अपना निर्णय एक अगूठे के निशान पर ही दे दिया। यह किस्सा यहा वयान करने योग्य है

उत्तर प्रदेश के एक देहात में दो भाई रहते थे और वे सचमुच एक सयुक्त परिवार के थे। उनकी जमीन-जायदाद कई गावों में फैली हुई थी और दो जिलों में पडती थी। प्रवध की सुविधा के खयाल से सयुक्त परिवार की मर्यादा को कायम रखते हुए भाइयों ने यह तव किया कि एक भाई एक जिले की जमीन का प्रवध करे और दूसरा भाई दूसरे जिले की। इन दो जिलों की जायदाद का मुनाफा लगभग बराबर था और इसलिए

हर तरह से यह प्रवध प्रशासनीय और सुविधाजनक था । एक भाई के एक लडका था, दूसरे के सतान नहीं थी ।

सन १९१८ ई० के जाड़े के मौसम में जब प्रथम विश्व-युद्ध समाप्ति पर था, सारे उत्तर-भारत में इन्फ्लुएजा ने महामारी का भयानक रूप धारण कर लिया था । उसी बीमारी से सतान-हीन भाई की मृत्यु हो गई । उसकी स्त्री एक पुलिस अफसर की लडकी थी । दशहरा के त्यौहार पर वह अपने पिता के घर गई थी । उसका पति वाद में उसके पास पहुँचा । उसे इन्फ्लुएजा हो गया और वह एक-दो के दिन भीतर ही मर गया । कहा जाता है कि विधवा स्त्री ने उस समय यह तय किया कि वह अपने पति के घर में रहकर परिवार की संपत्ति का, जो उसके पति के हाथ में थी, प्रवध करेगी ।

जहाँ तक दूसरे भाई का सबब था, हिंदू कानून ने उसे भाई की मृत्यु के बाद सारी जायदाद का मालिक बना दिया और भाई की विधवा गुजर-बसर करने मात्र की उत्तराधिकारिणी रह गई । उसका पति के हिस्से पर कोई अधिकार न रह गया, क्योंकि उसका पति सयुक्त परिवार में मरा था और उसके कोई लडका नहीं था । उस जीवित भाई के आश्चय का अदाजा लगाइये, जबकि कई महीने बाद एक दिन अचानक उसे पुलिस अफसर का तार मिला । उसमें विधवा के पिता ने यह खुशखबरी दी थी कि उसके भाई की विधवा के नैहर में लडका हुआ है । तार भेजने-वाले ने लडके के चाचा को इस परिवार-वृद्धि पर बधाई दी थी । यह समाचार दूसरे भाई को वज्रपात-जैसा मालूम हुआ । इसकी पहल कोई खबर नहीं थी । हिंदू परिवार-प्रथा के अनुसार बच्चा होने में दा-तीन महीने पहले कुछ उत्सव मनाया जाता है और होनेवाली खुशी की खबर रिश्तेदारों को इस तरह मिल जाती है । इस मामले में भी माधारणतः भाई और उसके परिवार को यह खबर बच्चे के जन्म से पहले ही मालूम होनी चाहिए थी । यह भी आशा की जाती थी कि पुलिस अफसर मावधानी के रूप में तथा गलतफहमी को दूर करने के खयाल से बच्चे के जन्म में पूर्व ही इसकी सूचना

उम भाई को दे देता, ताकि अगर उमकी इच्छा होती तो वह वच्चे के जन्म के समय वहा उपस्थित हो जाता । लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया और यह तार एकाएक आ पहुँचा । वच्चे के चाचा को बोखेवाजी का सदेह हुआ । पुलिस अफसर के कई लडके ये और उमने मोचा कि यही हो सकता है कि यह महाशय अपने एक पोते को नाती बनाकर हटाना चाहते हैं । लडका पीता तो रहेगा ही, अतर यही होगा कि वह पुत्र का पुत्र न होकर स्त्री का पुत्र बन कर रहेगा । लेकिन इस थोड़े परिवर्तन से लडके को अपने बाप के हिस्से पर दावा मिलने का हक होगा, और वह इतनी बड़ी भूमिपत्ति का हकदार हो जायगा ।

चाचा ने वच्चे को नकली करार दिया, और कहा कि उसे फरेब के लिए खडा किया गया है । माय ही यह दलील पेश की कि उसके भाई की विधवा भाई के मरने के समय गर्भवती नहीं थी ।

इसमें बड़े दावे थे । समझौता मभव नहीं था । तुरत मुकदमे-वाजी शुरू हो गई । मुकदमे की मारी बात वच्चे की 'असलियत' पर निर्भर करती थी । इसका सबूत देना विधवा के सिर पर आ गया । उसने सबूत में जो वयान दिया वह अद्भुत था । उसने कहा कि पति की मौत के बाद ही उसे गर्भवती होने का ज्ञान हुआ । फिर भी वह अकेली अपने घर में ही रहती थी, साथ में कुछ नौकर थे और उसने अपना घर छोडने की चिंता न की । उमका पिता दूमरे जिले में पुलिस-अफसर था । उमकी एक महेली थी । वह एक ईसाई महिला थी, जो उसके पास अक्सर आया करती थी । एक दिन उस महेली ने कहा कि लडके की पैदाइश पर शक किया जायगा और खानदान में झगडा उठेगा, इसलिए यह बेहतर होगा कि गर्भवती माता को अपने गर्भ का कुछ सबूत रखना चाहिए । विधवा ने बताया कि यह सलाह उसके दिमाग में बुद्धिमानी की जची और उमने अपनी महेली से कहा कि वह उसे ऐसा प्रमाण दिलाने की कोशिश करे । इस पर उस ईसाई महिला ने पास के शहर की एक ईसाई प्रचार-मडली की लेडी डाक्टर से मपर्क किया और और उसको

यहा बुलाया । वह लेडी डाक्टर आई और उमने गर्भवती मा की जाच की । उसने कहा कि स्थिति सामान्य है । उनके कहने पर लेडी डाक्टर ने अपनी जाच का सर्टिफिकेट दस्तखत करके दिया और उमपर गभवती माता के अगूठे का निशान लगवा दिया । जब प्रसव का समय नजदीक आया, तो विधवा ने पिता के घर जाना बेहतर समझा । पिता से कहा कि वह उसके पति के भाई को इस खुशखबरी की सूचना भेज दे । लेकिन किसी-न-किसी कारण से खबर भेजने में टाल-मटोल हो गई और बच्चा पैदा होने से पूव खबर न भेजी जा सकी । यही उसका किस्सा था । प्रसव होने की गवाही दाई ने दी और दूसरे लोगो ने भी गवाही दी, जो वहा उस समय मौजूद थे ।

दूसरी और, मृत व्यक्ति के भाई और उसके गवाहो ने यह वयान दिया कि बच्चे के जन्म होने से पूर्व किसीको इसकी खबर न थी । अगर यह बात सच होती तो जन्म से पूर्व सूचना तथा कई तरह की रस्में पूरी की गई होती । यह दलील भी पेश की गई कि डाक्टरी सर्टिफिकेट सदेहात्मक परिस्थिति में दिया गया है और वह एक काफी अनुभवो तथा फरेवी दिमाग की उपज है । फिर दो औरतो का मिलकर सर्टिफिकेट लिखवाने का किस्सा और भी यकीन के लायक नहीं है ।

लेडी डाक्टर से जज के सामने प्रश्न किये गये । उसने सर्टिफिकेट को सही बताया । लेकिन मैं नहीं कह सकता कि दोनो पक्षो में से एक ने भी लेडी डाक्टर को उस विधवा माता पर नजर डालने के लिए कहा जिसकी उसने जाच की थी और सर्टिफिकेट दिया था । यह भी नहीं कह सकता कि उमने सर्टिफिकेट को सही बताते हुए कहा था कि उसने एक औरत की जाच की थी, जिसने अपना वही नाम बताया था, जो सर्टिफिकेट में लिखा था ।

विद्वान जज सचमुच विधवा के वयान से प्रभावित नहीं हुआ । उमने मोचा कि यह बात बहुत मदेह में भरी है और ऐंसे मौके पर हिंदू परिवार में साधारणत जो-कुछ किया जाता है, उमके विल्कुल खिलाफ

है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जज ने यह खयाल किया कि यह मामला पुलिस-अफसर के फरेवी दिमाग की करतूत है। जो हो, उसने यकीन नहीं किया और भाई के हक में फैसला न दे दिया। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई और प्रधान न्यायाधीश सर ग्रिमवुड मेयर्स और न्यायाधीश पिगट के इजलास में यह मुकदमा सुनवाई के लिए आया।

दोनों तरफ बड़े अनुभवी वकील रखे गये और सुनवाई में गवाह के बयान पर काफी बहस हुई। बहस के अंत में सर ग्रिमवुड मेयर्स ने कहा कि दोनों में से एक पक्ष ने भी लेडी डाक्टर के बयान को सचाई पर सदेह नहीं किया था। निस्मदेह लेडी डाक्टर का चरित्र बहुत ऊँचा था और उमने उस क्षेत्र में काफी नाम कमाया था। प्रधान न्यायाधीश ने इस विचित्र सबूत पर आलोचना की कि दो में से एक पक्ष ने भी और न जज ने ही लेडी डाक्टर से यह कहा कि वह मा पर नजर डाले और बताये कि क्या वह वही औरत है, जिसको उसने जाच की थी और सर्टिफिकेट दिया था। जब अनुभवी न्यायाधीशों को यह मालूम हुआ कि वह लेडी डाक्टर अब भी उसी मिशन अस्पताल में डाक्टर है, तो उन्होंने भवमे अच्छा यह समझा कि उसको हाईकोर्ट में बुलाया जाय और फिर उसीके द्वारा मा की जाच कराकर उसका बयान ले लिया जाय। यही तय हुआ, मा तथा लेडी डाक्टर दोनों को हाईकोर्ट में बुलाया गया।

नियत तारीख आई। हाई कोर्ट में बड़ी भीड़ थी और मचमुच वातावरण बहुत गर्म था। दोनों तरफ काफी दबी हुई उत्तेजना भरी थी। लेडी डाक्टर हाई कोर्ट में आईं। वह शील-सम्मान की प्रतिमूर्ति थी और जब उसने अपना बयान दे दिया तो प्रधान न्यायाधीश ने उमे नीचे के कमरे में जाने का आदेश दिया, जहा मा बैठी हुई थी तथा उनको देखकर आने के बाद फिर बयान जारी करने को कहा। वह नीचे गई और कुछ मिनटों के बाद जब वह ऊपर आई, तो वह बहुत गंभीर थी। प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि उमने उस औरत को पहचाना या नहीं।

यहा बुलाया । वह लेडी डाक्टर आई और उसने गर्भवती मा की जाच की । उसने कहा कि स्थिति सामान्य है । उनके कहने पर लेडी डाक्टर ने अपनी जाच का सर्टिफिकेट दस्तखत करके दिया और उसपर गभवती माता के अगूठे का निशान लगवा दिया । जब प्रमव का समय नजदीक आया, तो विधवा ने पिता के घर जाना बेहतर समझा । पिता से कहा कि वह उसके पति के भाई को इस खुशखबरी की सूचना भेज दे । लेकिन किसी-न-किसी कारण से खबर भेजने में टाल-मटोल हो गई और बच्चा पैदा होने से पूर्व खबर न भेजी जा सकी । यही उसका किस्सा था । प्रमव होने की गवाही दाई ने दी और दूसरे लोगो ने भी गवाही दी, जो वहा उस समय मौजूद थे ।

दूसरी ओर, मृत व्यक्ति के भाई और उसके गवाहो ने यह बयान दिया कि बच्चे के जन्म होने से पूर्व किसीको इसकी खबर न थी । अगर यह बात सच होती तो जन्म से पूर्व सूचना तथा कई तरह की रस्में पूरी की गई होती । यह दलील भी पेश की गई कि डाक्टरी सर्टिफिकेट मदेहात्मक परिस्थिति में दिया गया है और वह एक काफो अनुभवो तथा फरेवी दिमाग की उपज है । फिर दो औरतो का मिलकर सर्टिफिकेट लिखवाने का किस्सा और भी यकीन के लायक नहीं है ।

लेडी डाक्टर से जज के सामने प्रश्न किये गये । उसने सर्टिफिकेट को सही बताया । लेकिन मैं नहीं कह सकता कि दोनो पक्षो में से एक ने भी लेडी डाक्टर को उस विधवा माता पर नजर डालने के लिए कहा जिसकी उसने जाच की थी और सर्टिफिकेट दिया था । यह भी नहीं कह सकता कि उमने सर्टिफिकेट को सही बताते हुए कहा था कि उसने एक औरत की जाच की थी, जिसने अपना वही नाम बताया था, जो सर्टिफिकेट में लिखा था ।

विद्वान जज सचमुच विधवा के बयान में प्रभावित नहीं हुआ । उमने सोचा कि यह बात बहुत मदेह में भरी है और ऐसे मौके पर हिद् परिवार में साधारणत जो-कुछ किया जाता है, उमके बिल्कुल खिलाफ

कराने की दरखास्त दे । जो हो, दोनो तरफ के वकीलो के दिमाग ने चाहे जो कुछ भी सोचा हो, जाच की दरखास्त नही दी गई और वह बात वही-की-वही रह गई । दोनो न्यायाधीशो में से एक ने भी अगूठे के निशान को विशेषज्ञ के पास जाच के लिए भेजने की नही सोची और उन दोनो ने अपना फैसला नही दिया ।

वाद में एक दिन जब सारे सबूत पर वहस हुई, जिसमें दोनो न्यायाधीशो के निजी विचार अगूठे के निशान की समानता के सबध में भी सम्मिलित थे, न्यायाधीशो ने निचली अदालत का फैसला बदल दिया और वच्चे के हक में निर्णय दिया ।

फिर लदन की प्रिवी कॉमिल में अपील की गई और वहा जुडीशियल कमेटी ने मुकदमे को जल्दी में देखकर फैसला कर दिया । सारे सबूत की अवहेलना कर, श्रेष्ठ न्यायाधीशो ने अपना छोटा-सा फैसला देते हुए कहा कि सारे मुकदमे का दारोमदार अगूठे के निशान पर था । दोनो पक्षो का कहना था कि लेडी डाक्टर का चरित्र सदेह से परे है, तब अगूठे के निशान की समानता होने पर ही मुकदमा खत्म हुआ ।

१२ :

अविश्वसनीय, किंतु सच

वस्तुतः सभी तरह की कहानिया आमतौर पर, और जान्सी कहानिया तो खासतौर पर, चाहे वे रहस्यमयी हो, या काल्पनिक, एक बड़े भारी मुद्दे को पूरा करती हैं । लाखो अनगिनत पाठक उनसे मनोरंजन और सुख-लाभ करते हैं और उनमें आश्चर्य की भावना जग जाती है । लेकिन कभी-कभी मुझे खयाल हो आता है कि जो आदमी अपनी सारी जिंदगी अदालतों में गुजारता है, कुछ समय बाद उसके लिए इस तरह का माहित्य कोई खास रुचिकर नही रह जाता, क्योंकि उपन्यास या कहानी का कोई भी लेखक, भले ही उसकी कल्पना-शक्ति कितनी ही महान

यह भी पूछा कि क्या वह वही औरत है, जिमको उमने सर्टिफिकेट दिया था ? लेडी डाक्टर ने बहुत शांति तथा दृढतापूर्वक कहा—“नहीं, मैं नहीं कह सकती । मैंने उस औरत को कुछ ही मिनटों के लिए देखा था । तबसे कई वर्ष बीत गये हैं । मेरी याददाश्त के अनुसार जिम औरत की मैंने जाच की थी, वह हूष्ट-पुष्ट थी । बहुत स्वस्थ दिखती थी और शारीरिक रूप में वह बहुत अच्छी हालत में थी । जिम औरत को मैंने अभी देखा है, वह बहुत दुबला है और यह साफ जाहिर है कि वह चिंता से मूख रही है । मुझे बहुत दुख है, मैं यह विल्कुल नहीं कह सकती कि यह वही औरत है या नहीं, जिसकी मैंने जाच की थी ।” इस पर अदालत में मनननी फैल गई । लेकिन लेडी डाक्टर ने अपना बयान जारी रखा और कहा—“लेकिन एक बात के बारे में मैं निश्चित रूप से और दावे के साथ कह सकती हूँ । जिस औरत को मैंने जाच की थी उसके अग्रूठे का निशान मैंने अपने सामने ही सर्टिफिकेट पर ले लिया था ।” ज्योंही लेडी डाक्टर की जाच खत्म हुई, प्रधान न्यायाधीश ने कहा—“नये स्रूठे के कारण मुकदमा सहल हो गया है । अब यह मुकदमा अग्रूठे के निशान के सही होने पर निर्भर करता है ।” इसके बाद न्यायाधीश पिग्गट स्वयं नीचे गये और एक कागज पर उस महिला के अग्रूठे के तीन या चार निशान ले आये ।

इजलास में लौट आने पर अनुभवी जजों ने एक बड़ा दिखानेवाला शोशा मगाया, अग्रूठे के निशानों को देखा और पूर्ण जाच के बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा—“हम लागता सचमुच इस मामले में माप्रारण जान-बारी रखते हैं, और यह चीज विशेषज्ञों की है । लेकिन जहां तक हम लोगों की जाच का मवाल है, अग्रूठे के नये निशान सर्टिफिकेट के निशान से मिलते हैं ।” मुझे अब याद नहीं है कि क्या कारण हुआ, दोनों में से एक पक्ष ने भी विशेषज्ञ द्वारा अग्रूठे के निशान की जाच की दरखास्त नहीं दी । बहुत संभव है कि जिम पक्ष को न्यायाधीश के विचार से समयन प्राप्त हुआ हो, उस पक्ष के वकील उनसे ही मतुष्ट हो गये और दूसरे पक्ष के वकील ने मोचा कि यह नाम स्रूठे पक्ष का था कि वह अग्रूठे के निशान की जाच विशेषज्ञ द्वारा

कराने की दरखास्त दे । जो हो, दोनों तरफ के वकीलो के दिमाग ने चाहे जो कुछ भी सोचा हो, जाच की दरखास्त नहीं दी गई और वह बात वहीं-की-वहीं रह गई । दोनों न्यायाधीशों में से एक ने भी अगूठे के निशान को विशेषज्ञ के पास जाच के लिए भेजने की नहीं सोची और उन दोनों ने अपना फैसला नहीं दिया ।

वाद में एक दिन जब सारे सबूत पर वहस हुई, जिसमें दोनों न्यायाधीशों के निजी विचार अगूठे के निशान की समानता के सबब में भी सम्मिलित थे, न्यायाधीशों ने निचली अदालत का फैसला बदल दिया और बच्चे के हक में निर्णय दिया ।

फिर लदन की प्रिवी कौंसिल में अपील की गई और वहा जुडोशियल कमेटी ने मुकदमे को जल्दी में देखकर फैसला कर दिया । सारे सबूत की अवहेलना कर, श्रेष्ठ न्यायाधीशों ने अपना छोटा-सा फैसला देते हुए कहा कि सारे मुकदमे का दारोमदार अगूठे के निशान पर था । दोनों पक्षों का कहना था कि लेडो डाक्टर का चरित्र सदेह से परे है, तब अगूठे के निशान की समानता होने पर ही मुकदमा खत्म हुआ ।

१२ :

अविश्वसनीय, किंतु सच

वस्तुतः सभी तरह की कहानियाँ आमतौर पर, और जासूसी कहानियाँ तो खासतौर पर, चाहे वे रहस्यमयी हों, या काल्पनिक, एक बड़े भारी मुद्दे को पूरा करती हैं । लाखों अनगिनत पाठक उनमें मनोरंजन और सुख-लाभ करते हैं और उनमें आश्चर्य की भावना जग जाती है । लेकिन कभी-कभी मुझे खयाल हो आता है कि जो आदमी अपनी सारी जिंदगी अदालतों में गुजारता है, कुछ समय बाद उसके लिए इस तरह का साहित्य कोई खास रुचिकर नहीं रह जाता, क्योंकि उपन्यास या कहानी का कोई भी लेखक, भले ही उसकी कल्पना-शक्ति कितनी ही महान

कथो न हो, सचार्ड मे हमेशा ही दूर रहता है । कल्पित की वनिम्बत मच्चो घटना ज्यादा आश्चयजनक होती है और इम कथन मे विरोधाभास भी दिग्वाई दे सकता है, लेकिन यह नितात सत्य है कि मानव-कल्पना मानवीय प्रक्रिया की सीमाओं तक कभी पहुच ही नहीं सकती और न कोई कल्पनाशील लेखक मानव-मन की कायकारिता और मानव-भावनाओं के अतर्द्ध की गहराई तक पूरी तरह मे कभी पहुच सका है । अखबारो मे प्राय किसी खाम मुकदमे के तथ्यो का मक्षेप ही प्रकाशित हो पाता है, लेकिन मुकदमा जब अदालत में पेश होता है और दैनिक कारवाई मे लगातार एक के बाद दूसरा व्यक्ति ऐसी एक वात को प्रमाणित करने के लिए पेश होता है, जिमे विपरीत दिशा में अभभव ही कहा जाता, तो सच्ची कहानी अनत सामने आ जाती है । इतने पर भी वह अभभव ही लगतो है, अनरकेवल यह होना है कि वह घटना हुई जरूर थी । जब किसी सही या कल्पित गलतो को ठीक करना हो, अथवा किसी न्यायालय का आसरा बेकार सावित हो जाने पर गलत सावित हुआ व्यक्ति, इम दैवी आज्ञा को भूल कर कि 'बदला लेने का काम ईश्वर का है', गलती करनेवालो से बदला लेने का भार खुद अपने ऊपर ले लेता है, तो मानव-क्रोध और क्षोभ की भावनाए बेहद बढ जाती है और तब लोभ, सत्ता-प्रेम और स्त्री-प्रेम के भिन्न मुद्दो के कारण ऐसे-ऐसे काय, अपराध या भूले की जातो है, जिनका खयाल तक नहीं किया जा सकना । फारसी की कहावत है कि 'जर, जमीन और जोरू' ही सब अपराध और बुराइयो की जड है । इस दृष्टि से मपत्ति-व्यवस्था के नाश से कम-से-कम यह तो लाभ हागा कि बुरे कामो की एक मुख्य वुनियाद नष्ट हो जायगी ।

अपनी वकालत के चालीस वर्षा मे मैंने कानूनी रिपोर्टों मे कई आश्चयजनक कहानिया पढी है, लेकिन कानूनी रिपोर्टें भी बहुधा कोरे कानूनी प्रश्नो की व्याख्या तक ही सीमित रहती है । विशुद्ध सचार्ड जानने के लिए व्यक्तिगत अनुभव आर लोगो व उनके मामलो की निजी

जानकारी होना जरूरी है। जब मैं बीते बरसों का खयाल करता हूँ, तो मुझे कई ऐसी घटनाएँ याद आती हैं, जो वास्तव में अगर घटी न होती, तो उनपर कोई विश्वास ही न करता। उदाहरण के लिए आज से ३०-३५ बरस पहले की नीचे लिखी इम घटना को ही देखिये, जो उत्तर-प्रदेश के ग्रामीण जिले के एक कमरे में घटी थी।

एक हिंदू परिवार था, जिसके पास काफी बड़ी जमीन-जायदाद थी। परिवार में दो भाई थे, अलग-अलग थे, पर पास-पास के मकानों में रहते थे। इनमें से एक अपनी पत्नी और पुत्री को छोड़कर मर गया। हिंदू-कानून के अनुसार उसकी मर्तिका का उत्तराधिकार उसी विधवा स्त्री और विधवा की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री और पुत्री के बच्चों को प्राप्त होता, परंतु पुत्री के यदि बच्चे न होते, तो वह मर्तिका मृत व्यक्ति के भाई और उसके बेटों को मिलती। वह पुत्री अपने पिता की मृत्यु के समय अविवाहित थी। बाद में उसकी माँ और उसके चाचा ने पास के जिले के एक प्रतिष्ठित परिवार में उसे ब्याह दिया। यह सब बहर तरह से उचित था और साधारणतया यह आशा की जाती थी कि यह विवाह सुखदायी और सफल साबित होगा। अब देखिये, किस तरह मानव-मुद्दे और प्रक्रियाओं की पेचोदगिया अपना काम करती है।

जाहिरा तौर पर चाचा भविष्य में होनेवाली घटनाओं को होने नहीं देना चाहता था। उसे शक था कि जैसे ही उसकी भतीजी अपने घर में बसने लगेगी, उसकी माँ उसकी तरफ खिच जायगी और इम प्रकार मृत भाई की जायदाद का किराया व मुनाफा उसकी भाभी को मिलने लगेगा, परिणाम-स्वरूप वह खुद और उसका परिवार इस सबने बचित हो जायगे। यह तो थी भावी आशका, लेकिन वर्तमान अभी उर के अनुकूल था, उसकी भाभी पूरी तरह उसके बस में थी। यद्यपि वह निजी मकान में रहती थी और किसी प्रकार के अनोचित्य का कोई कारण भी न था, फिर भी न जाने कैसे उसने अपनी भाभी को बस में कर लिया था। अब उसके सामने गह समस्या खड़ी हुई कि किसी तरिके से अपने भाई

की जायदाद के उत्तराधिकारी को स्वाभाविक पथ से हटाया जाय । देखिये कि इसके लिए उसने क्या-क्या किया । लडकी अपने पति के घर में रहती थी । दोनो युवा पति-पत्नी में बहुत प्रेम था । एक त्यौहार पर लडकी को अपनी मा के घर बुलाया गया और फिर किमी-न-किसी बहाने में उसे वहा एक साल से ज्यादा रोका गया । पत्नी और पति तथा पति के रिश्तेदारों के बीच के सब पत्र रोक लिये जाते थे । पति का कोई भी पत्र पत्नी तक नहीं पहुचने दिया जाता था । उसका क्षुब्ध और निराश होना स्वाभाविक ही था । इस पर हर रोज उमकी मा, उसका चाचा और हर एक आदमी उसके कान भरता रहता कि उसका पति और पति का परिवार उसकी उपेक्षा कर रहे हैं । इसके अलावा उसे यह भी कहा जाता कि यह विश्वस्त खबर मिली है कि तेरे पति ने तुझे छोडकर दूसरी शादी करना तय कर लिया है । आप सहज ही सोच सकते हैं कि ऐसी असहाय मनोदशा में वह लडकी किस पीडा के साथ अपने दिन और रात गुजार रही होगी । अपनी मा का विश्वास करने के अलावा उसके पास और चारा ही क्या था ?

उधर जिस शहर में पति का परिवार रहता था, लडकी के चाचा ने अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से झूठी अफवाह उडवा दी कि लडकी अपनी मा के घर में भ्रष्ट होकर गभवती बन चुकी है और उसकी इस शम को छिपाने के लिए ही उसे वहा रोका गया है । पति एक नवयुवक था । वह और उसके घरवाले परेशान थे, और उन्हें कोई रास्ता भी नहीं सूझता था । पति बार-बार पत्र लिखता, पर कोई नतीजा न होता । उसके खतों का कभी कोई उत्तर मिला नहीं । वह कई बार अपनी साम के घर भी गया, सास ने बडी आव-भगत की और बडे प्यार के साथ उसका स्वागत किया, खिलाया-पिलाया, एक-दो रोज वह वहा ठहरा भी, पर उसे अपनी पत्नी का कोई चिह्न तक दिखाई नहीं देता था । पति-पत्नी को आपस में मिलान का कोई मौका ही नहीं दिया जाता था । मेरा खयाल है कि वह लडका इतना शर्मीला था कि बहुत मीधे सवाल

भी नहीं पूछ सकता था। लेकिन मा किसी-न-किसी झूठे बहाने से, जैसे, लडकी बीमार है और विस्तरे पर पड़ी है, या किसी और बहाने से लडकी की अनुपस्थिति का कारण समझा देती। नतीजा यह होता कि हर बार वह नवयुवक निराश ही लौट जाता।

इस प्रकार उस नवयुवती की आत्मा की हत्या करके और उसे पूर्णतः दुखी बनाकर चाचा ने मा के साथ साजिश करने की ठान ली, ताकि उसकी संपत्ति को अपने और अपनी सतान के लिए हथिया लिया जाय। इस इरादे से एक निश्चयात्मक कदम उठाया गया और वह कदम था एक ऐमे रजिस्ट्रीशुदा अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर कराना, जो अपने किस्म का एक अजीब ही दस्तावेज था। मेरा खयाल है, उसने अपने इम कपट के बारे में जरूर ही कानूनी सलाह ली होगी और मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि उसके सलाहकारों ने अपनी बुद्धिहीनता का भी एक बेजोड़ परिचय दिया था। इस अधिकार-पत्र के अर्धोन मा ने अपनी सारी संपत्ति अपनी पुत्री को सौंप दी थी। हिंदू-कानून के अनुसार उसे यह अधिकार प्राप्त था। अधिकार-परिवर्तन का कारण देते हुए उसने स्वीकार किया कि वह विधवा हो चुकी है और उसने सयम तथा भक्ति का जीवन व्यतीत करने का सकल्प कर लिया है। इसलिए उसने यही सबसे अच्छा समझा कि उसकी पुत्री को तुरंत ही अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हो जाय। यहा तक तो ठीक ही हुआ। इसके बाद उस अधिकार-पत्र में उस लडकी की वारी आई और बीस बरस को उस जवान लडकी से यह घोषणा करवाई गई कि अभी तक चूकि उसे अपने जीवन में बहुत दुःख मिला है, उसने निश्चय कर लिया है कि वह समारी क्षमता में न पड़ेगी, न जमीन-जायदाद की देख-भाल के पचडे में ही पड़ेगी। इसलिए कि वह अपना जीवन मादगी और सयम से बिताना चाहती है, उसने निश्चय कर लिया है कि अपनी मारी संपत्ति कुटुंब के मान्य देवता को समर्पित कर देना ही उत्तम है। इतना सब कर चुकने के बाद उसने यह भी ऐलान किया कि उसके चाचा ने उसकी देवापित संपत्ति के व्यवस्थापक बनने की उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इम-

लिए उसने अपने चाचा को, और उसके बाद चाचा के पुत्रों को, पीढी-दर-पीढी इस काम के लिए नियुक्त कर दिया है। हर एक जानता है कि इस प्रकार की व्यक्तिगत धार्मिक भेंट के दुरुपयोग को बहुत अधिक मभावना वनी रहती है, और शायद ही कभी जायदाद का किराया या मुनाफा देवता की सेवा के काम में लाया जाता हो। इस प्रकार चाचा ने मोचा कि उसने एक ही चोट में मा और बेटो दोनों में छूटकारा पा लिया और अपने तथा अपने बेटे-पोते के लिए जायदाद हथिया ली।

अब नाटक का नया दृश्य आरम्भ होता है। लडकी का पति इतनी कम उम्र का था कि खुद कुछ न कर सकता था किन्तु सीभाग्य ने उसका एक भाई था जो उसमें अधिक अनुभवों था और जो लखनऊ के प्रांतिय दफ्तर में कामचारी था। जब इस भाई ने अपने शहर में लडकी के चरित्र-भ्रष्ट होने की अफवाहें सुनी, तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसका खयाल था कि उसका भाई को स्त्री बहुत सच्चरित्र और सुशील लडकी है। वह विश्वास न कर सकता था कि ऐसी लडकी मा के घर में दुश्चरित्र बन सकती है। वह इस सारे मामले को कुछ शक की निगाह से देखने लगा। उसने कालटन नामक एक रिटायर्ड पुलिस सुपरिन्टेण्डेंट से सलाह ली, जो रिटायर होने के बाद अनियमित ढंग से लोगों को कानूनी सलाह दिया करता था। जहां तक मेरा खयाल है पुलिस विभाग में अपनी नियुक्ति से पूर्व वह स्वयं वकील रह चुका था। उसका बेटा वैरिस्टर था और मेरा घनिष्ठ मित्र था। श्री कालटन ने सलाह दी कि वह मामला कचहरी का नहीं है, बल्कि सीधी कारवाई का है। अतः लडकी के भाई और श्री कालटन लखनऊ से सबसे निकट के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां से सालह मील की दूरी पर लडकी के चाचा के गांव के लिए रवाना हुए। वे दोनों एक इक्के में वहां पहुंचे। गांरे के आगमन ने सारे गांव में खलबली मचा दी। इक्का चाचा के घर पहुंचा और उसमें से रिटायर्ड पुलिस सुपरिन्टेण्डेंट लडकी के भाई के साथ उतरे और उन्होंने बड़े नाटकीय ढंग में लडकी के बारे में पूछा कि वह कहा है और क्यों उसे उसके

पति के घरवालों की इच्छा के विरुद्ध रोक रखा गया है। एक साथ हलचल और गडबडी का मच जाना स्वाभाविक था। चाचा बाहर निकलकर आया और गोरे आदमी की माँजूदगी में बहुत हो नरम बन गया। थोड़ी देर बाद लडकी की मा आई और उमके हाव-भाव ने भी बड़ी नम्रता झलक रही थी। कार्लटन ने इस बात पर जोर दिया कि लडकी को तुरत पेश किया जाय और वह लडकी भी घर के अंदर से निकलकर बाहर कमरे में आई। तब कार्लटन ने कहा कि वे लडकी को लेने आये हैं, उसे उमी वक्त भेजना पडेगा। मा ने बहुत विरोध किया। कहने लगी कि यह अमभव है। नये कपडे और उचित रस्म अदा किये बिना कैसे मैं इस तरह अपनी बेटो को भेज सकती हूँ ? रीति के अनुसार लडकी के लिए नये कपडे और कुछ गहने नये बनवाने होंगे और आज का दिन भी अशुभ है अगला शुभ दिन चार दिन बाद आयगा। इसलिए लडकी को तुरत भेजने का नवाल ही पैदा नहीं होता। कार्लटन ने हठ पकड़ ला और उमने लडकी से पूछा कि क्या वह चलने को तैयार है। लडकी ने तुरत उत्तर दिया कि वह तैयार है। उससे पूछा गया कि उसे किस कपडे की जरूरत है, तो उमने कहा कि उमे किमी चोज की जरूरत नहीं, "मैं इमो साडी में चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।" जब कार्लटन ने कहा—"आओ, चलो!" तो वह बड़ी तत्परता के साथ तुरत इक्के में जा बैठी। चाचा और मा हैरान रह गये, न वे कुछ कह सके और न कुछ कर सके। इक्का चल दिया और लडकी प्रमत्त और प्रफुल्ल अने पति के घर पहुची।

वहा उनमे विगत अठारह महीने की घटनाओ के बारे में पूछा गया। उसने अपने पति तथा पति के परिवार की ओर से की गई अपनी उपेक्षा की बहुत शिकायत की। उन लोगों ने उमे विश्वास दिलाया कि वे उसे हमेशा चिट्ठी लिखते रहे। उमने कहा कि मुझे कभी कोई चिट्ठी नहीं मिली। बदचलनों को नव अकवाहें विल्कुन बेवुनियाद थी। फिर उसने उस अधिकार-पत्र के बारे में बताया, जिसपर हस्ताक्षर करने के लिए

उमे लाचार किया गया था। कानूनी सलाह ली गई और अधिकार-पत्र को रद्द करने तथा संपत्ति की वापसी के लिए दावा किया गया। मा का तो अब प्रश्न ही नहीं उठना था, क्योंकि वह अपनी संपत्ति अपनी पुत्री को सौंप चुकी थी।

मेरे खयाल में यह एक ऐसा मामला था, जिसमें दो मत होने संभव ही न थे, लेकिन जिदगी बहुत कुछ मिखाती है। चाचा ने अधोस्तापूवक कहा कि वह अधिकार-पत्र भनोजी की पूरी-पूरी मशा से लिखा गया है और वह उससे बगो हुई है। चाचा को एक ऐसा न्यायाधीश भी मिल गया, जिसने कुछ गवाहों की शहादत लेकर मुकदमा खारिज कर दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगिल की गई और मुझे लडकी की ओर से नियुक्त किया गया। आमतौर पर अदालत में मैं अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने देना ही सदा से उचित समझना आया है, किंतु इस मौके पर इस निमम दुष्टता ने मुझमें इतना क्षोभ भर दिया, जिसे छिड़ाना मेरे लिए संभव न था। मेरा खयाल है कि यह क्षोभ विल्कुल सच्चा होने से न्यायाधीशों को भी छू गया। किसी प्रकार के लंबे-चौड़े विवाद का न वहां प्रश्न था और न आवश्यकता ही। मैंने मात्र सच्चाई बयान कर दी और फिर उस अधिकार-पत्र को पढ़ सुनाया। न्यायाधीश सन्न रह गये। यह सब कितना अजीब और कितना अस्वाभाविक था! पेशी थोड़ी देर में खत्म ही हो गई और न्यायाधीशों ने चाचा के बकोलो का बडो तनाड सुनाई। अपाल मजूर की गई और न्यायाधीश के पास मामला दुबारा भेज दिया गया, ताकि इस दौरान में चाचा द्वारा प्राप्त किराय और मुनाफे को रकम निर्धारित की जा सके। इस मुकदमे में एक न्यायाधीश, स्वर्गीय श्री लातगोपात मुखर्जी पर इतना प्रभाव डाला कि जब मुकदमा दुबारा सामने आया और मालूम हुआ कि न्यायाधीश ने दान की रकम में फिर गोल-माल किया है, तो न्यायाधीश मेरी इस बात में तुल्य महत्तम हो गये कि यह एक ऐसा मामला है,

जिसमें मुआवजा ऐना मिलना चाहिए जो चाचा-जैसो के लिए पाठ रहे । प्रत्येक अनुमान चाचा के विरुद्ध होना चाहिए और लडकी को ज्यादा-से-ज्यादा लाभ पहुचाना चाहिए । इस प्रकार वह मुकदमा खत्म हुआ ।

: १३ :

मानव-जीवन दांव पर

शासन-अधिकारियों की आचरण-संबंधी शिकायतों की न्याय-विभागीय जाच के लिए सार्वजनिक माग देखकर मुझे कभी-कभी बडा अचभा होता है । लेकिन यह भी कोई कम मतोप की बात नहीं कि अगर ऐसी किसी जाच-कमेटी का अव्यक्त न्याय-विभाग का उच्च-अधिकारी हो, तो जनता के विश्वास में भारी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जाच-पडताल के लिए सार्वजनिक न्याय-विभागीय जाच की विधि ही सर्वोत्तम मानी जाती है । सारी कार्रवाही जनता के सामने होती है, सभी संबंधित दल गवाहों की छान-बीन और उनसे जिरह कर सकते हैं । इसके अलावा हर संबंधित व्यक्ति को घटना-विषयक अपना बयान देने का मौका मिलता है, और अगर किसी रूप में उसका नाम उपस्थित प्रश्न में आ जाता है, तो वह अपनी सफाई पेश कर सकता है । इस पर भी, अदालतों में वकालत के अपने लवे अनुभव के आधार पर कह सकता हू कि जाच की इस विधि का अनिवार्यत यह नतीजा नहीं होता कि जाच-अधिकारी ने विल्कुल सही तथ्य को ही खोज निकाला है । फिर भी यह सच है कि इन तरह की जाच में सही परिणामों पर पहुंचने की सुविधा हो जाती है । गवाहों को देखने और सुनने के अलावा अदालत को एक और बडा भारी लाभ होता है । वह ऐसे अनुभवी वकीलों की युक्तियों को सुनती है, जो हर बयान के मजबूत और कमजोर नुक्तों को उसके सामने पेश करते हैं । लेकिन इन सब लाभों के बावजूद वकीलों का यह सामान्य अनुभव है कि

किमी तथ्य के मामूली से प्रश्नों तक के बारे में न्याय-विभागीय निष्कर्ष कभी-कभी इतने भीषण रूप में भिन्न होते हैं कि सामान्य आदमी के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। मान लीजिये, एक फार्मी के दंड के खिलाफ आप दो या दो से ज्यादा जजों की बैठक के सामने अपील पर बहस करते हैं। सारा मामला तीन या चार गवाहों की विश्वस्तता और उस मामले की परिस्थितियों के निष्कर्षों पर ही निर्भर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अत्यधिक अनुभवों जज भी ऐसे परिणामों पर पहुंचते हैं, जो सर्वथा विपरीत होते हैं।

एक के बाद एक अदालत में अपील का जो क्रम चलता है, उनमें न केवल यह कि न्याय-विषयक मतों के कारण सघन उत्पन्न होता है, बल्कि कभी-कभी न्याय का खून भी होता है। मुझे ऐसे भीषण अनुभव भी हुए हैं, जिनमें आदमियों की जान के साथ जुआ खेला जाने लगा था। अगर कहीं एक ही जज को उन मामलों का फैसला करना होता, तो निश्चित था कि वे फार्मी पर लटक जाते। किंतु घटनावश मामला एक और जज के सामने चला गया, जहां वे फार्मी के तख्ते से ही नहीं बचे, बल्कि पूणनया रिहा भी हो गये। ऐसे दो मामलों का मैं यहाँ उल्लेख करूंगा, जिनमें एक तो मेरी वकालत शुरू करने के दिनों में हुआ था और उसने मेरे दिल पर इतना गहरा आघात किया था कि उसका आतंक मेरे समूचे वकालत के जीवन पर छाया रहा।

१९१४ की गर्मियों के दिन थे और मैं अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में नया-नया ही गया था। एक दिन मैंने चार्ल्स रास आल्स्टन को एक अदालत में फौजदारी अपील करने देवा। यह अपील हाई कोर्ट के दो बहुत ही अनुभवी जजों, श्री जस्टिस विलियम टडवार्त और श्री जस्टिस मुहम्मद रफोक के सामने पेश हुई थी। आल्स्टन भारत के गण्य-मान्य वकीलों में थे। दीवानों का नून में तो उनका बहुत ही व्यापक ज्ञान था। फौजदारी मामलों में भी वह गग्रणी थे और अदालत के सामने अपने मामले को आश्चर्यजनक वानूनी चतुराई के साथ पेश करते थे।

किमी मामले के महत्वपूर्ण नुक्ते को वह सहज-ज्ञान से ही पकड़ लेते थे और उनके बोलने तथा व्यक्त करने के ढंग से उनकी वकालत का प्रभाव बहुत बढ़ जाता था। बोलते समय वह थोड़े शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन उनका बोला हुआ प्रत्येक शब्द सुचारू रूप से चुना होता था और सुननेवालों को लगातार प्रभावित करता था। जो मामला उन्होंने अदालत के सामने पेश किया था, वह था तो छोटा ही, लेकिन उसके तथ्य बड़े अजीब थे।

एक गाव के बाहरी हिस्से में एक कुआ था और एक दिन सबेरे ही सारे गाव में यह बात फैल गई कि एक औरत अपनी चौदह बरस की लड़की के साथ कुए में गिर पड़ी है। बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गये और उन्हें कुए से निकालने का तत्काल यत्न किया गया। किसी तरह की मदद पहुँचने से पहले ही लड़की तो मर गई थी, लेकिन मा को जीवित ही निकाल लिया गया। उसके कुए से बाहर आते ही लोगो ने उममे पूछा कि क्या हुआ था। कहा जाता है कि उसने फौरन वही, बिना किसी सकोच के, कुए के किनारे पर खड़े दो आदमियों की ओर इशारा किया और बोली—“इन्ही दोनो ने मुझे और मेरी लड़की को मार डालने के लिए कुए में धकेल दिया था।” समाचार पाते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुँच गई और जाच के बाद उसने दोनो आदमियों को हत्या के अपराव में गिरफ्तार कर लिया। इस्तगसे का कहना था कि यह औरत भिखारिन थी और गाव में अपनी लड़की के साथ बड़ी दयनीय दशा में जीवन बिता रही थी। दोनो अभियुक्तों के साथ एक दिन इसका कुछ झगडा हो गया था और उसी सबेरे उसने गुस्से में यह ऐलान किया था कि इन्होंने मेरा जीना दूभर कर दिया है और वह इस गाव को छोड़कर चली जायगी। इतना कहकर उसने अपने थोड़े-मे सामान को इकट्ठा किया और गाव से रवाना हो गई। दोनो अभियुक्त उसका पीछा कर रहे थे। इसके बाद बताया गया कि जब वह कुए के पाम से निकल रही थी तो उन्होंने उसको और उसकी बेटो को मार

डालने की इच्छा से कुएँ धकेल दिया। वास्तविक घटना के बारे में प्रत्यक्ष गवाह कोई नहीं था, लेकिन गाव में जो झगडा हुआ था, उसके एक या दो गवाह जरूर थे।

सैशन जज ने अभियुक्तों को दंड देते हुए अपने फैसले में लिखा—
 “इस औरत को गवाही के कटहरे में देखकर और उसकी स्पष्ट-वादिता तथा उसके सरल आचरण से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि उसकी गवाही के हर शब्द पर मुझे यकीन था और उसकी गवाही के समर्थन के बिना भी अभियुक्तों को सजा देने के लिए तैयार था।” जब वह वस्तुतः सजा सुनाने की सीमा पर पहुँचा, तो उसने अंत में लिखा—
 “यद्यपि मैं इस औरत की गवाही पर यकीन करता हूँ, तथापि इस तथ्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता कि इस अपराध को साबित करनेवाली यह एकाकी गवाह है। इसलिए, विचार में हत्या के अपराध के लिए मृत्यु-दंड को कम करके आजीवन कारावास की सजा देना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है।”

आल्स्टन ने इसी सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। उन्होंने बहुत सक्षेप में, किंतु बड़े शक्तिशाली ढंग से अपना मामला पेश किया था। उनका तर्क था कि झगडे की बात तो निश्चय ही सभव है, और यह भी हो सकता है कि जब यह औरत गुस्से में गाव में बाहर जा रही थी, तो ये दोनों आदमी उसका पीछा कर रहे हों। लेकिन उमन सुझाव दिया था कि क्रोधी स्वभाव की औरतों का अपने-आपका कुआँ में गिरा लना भी असामान्य नहीं है। ऐसी दशा में यह भी तो सभव है कि इस औरत ने क्रोध और आवेश में अभी वनार आगे-आपका आर अपनी लटकी का कुएँ में गिरा लिया हो, और जब वह कुएँ से बाहर निकाली गई, और उसने दोनों अभियुक्तों को वहाँ देखा, तो उन्हें दगते ही उर कर उसने इन्हीं पर इत्जाम लगाना बेहतर समझा था। लेकिन दोनों विद्वान जजों पर इसका तनिक भी प्रभाव न पड़ा, बल्कि यथा क्राय में उबल उठे। मैंने जजों को इतने आवेश में बनी नहीं देखा था। श्री जस्टिस टटवाल

तो आपे मे बाहर हो गये और ऊचे स्वर में बोले—“मिस्टर आल्स्टन, आपके मुक्किल बडे निर्दयी, जगली, घृणा के पात्र हैं। मैं आपको बतलाता हू कि उनकी मशा क्या थी। वे उम औरत का पीछा नहीं कर रहे थे। वल्कि उसकी लडकी पर अधिकार करना चाहते थे। इसीलिए उन्होने मा का जीवन दूभर कर दिया था। जब उसने इन्कार किया तो वे जान-बूझकर उसे ही नहीं, वल्कि दोनो को मार डालना चाहते थे।” और-तो-और, न्यायाधीश सैगन जज पर भी मृत्यु-दड न देने के लिए विगडे। उनका खयाल था कि जज अपने कर्तव्य-पालन में मतर्क नहीं रहा और इसके लिए वह दोषी है। जहा तक मुझे याद है, ये जज-महोदय प्रातीय न्याय-विभाग में थे, और उन दिनों हाई कोर्ट में जजो का यह आम खयाल था कि भारतीय न्याय-विभाग के अफसरो को जब नौकरी के अन्तिम दिनों में तरक्की देकर जिले का मैशन जज बनाया जाता है तो ये लोग मृत्यु-दड देने में मकोच करते हैं। जस्टिस टडवाल के कहने का वाम्बविक आशय यही था।

दोनो जजो ने बार-बार यही विचार प्रकट किया कि वे इम थोडी सजा को स्थिर रखने में सहमत नहीं हो सकते। ऐसे भीषण मामले में तो मृत्यु-दड ही उचित है। इसमें सदेह नहीं कि वे खुद ही यह सजा दे देते, लेकिन कानून के अनुसार वे ऐसा नहीं कर सकते थे। किमी फौजदारी अपील में भारतीय हाई कोर्ट को अपील खारिज करने का ही नहीं, वल्कि सजा को बढ़ाने तक का भी अधिकार है, लेकिन फौजदारी के कानून के अनुसार जब किमी सजा को बढ़ाने की तजवीज की जाती है, तो अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप में सूचना देनी पडती है और ऐसी वृद्धि के लिए कारण प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान करना पटना है। है तो यह कोरी औपचारिकता ही, लेकिन इनका होना जरूरी होता है। फलन जजो ने इम आदेश के साथ आज्ञा निकाली कि अपील करनेवालो के नाम नोटिस जारी किया जाय और वे कारण बताये कि उन्हें मृत्यु-दड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। अभियुक्त जेल में थे। उन्हें जेल में नोटिस मिल

ही जाना था, और इसका दूसरा मतलब यह भी था कि यह मामला कुछ समय के लिए स्थगित हो गया ।

लगभग दो सप्ताह बाद की बात है । मैं एक और अदालत में बैठा था—यह थी श्री जस्टिस चेमियर और श्री जस्टिस पिगट की अदालत । दोनों बड़े पुराने और अनुभवी जज थे । तभी मैंने मुना कि पेशकार ने इसी अपील की पेशी की आवाज दी । फौरन ही मेरे कान खड़े हो गये ।

सरकारी वकील श्री मैलकमसन खड़े हुए और बड़े सहज स्वर में बोले—
“श्रीमान कहीं कोई भूल हुई जान पड़ती है । ऐसा लगता है कि गलती से यह मुकदमा आपके सामने पेश हो गया है । अदालत न० २ के मामले इस पर पूरी तरह बहस हो चुकी है और अब सिर्फ दंड के निर्णय का प्रश्न शेष है । समय बचाने की दृष्टि से क्या श्रीमान यह आदेश कर सकेंगे कि इस मुकदमे को उस अदालत के सामने पेश कर दिया जाय ?”

ज० चेमियर ने मि० मैलकमसन से कहा—“क्या यह तरीका नहीं है कि जब एक अदालत दंड-वृद्धि का नोटिस जारी करती है, तो आखिरी फैसले के लिए मुकदमा दूसरी अदालत में पेश किया जाना है ?”

मैलकमसन बोले—“नहीं जनाब, ऐसा कोई तरीका या रीति नहीं है । हर रोज ऐसा होता है । वही अदालत नोटिस जारी करती है और वही अंतिम निर्णय भी सुनाती है ।”

चेमियर बोले—“अगर ऐसा नहीं है तो, मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए । खैर, जो कुछ हो चुका, उसे छोड़िये । अब तो मुकदमा हमारे सामने पेश हो गया है । हम ही इसे सुनेंगे और इसका फैसला करेंगे ।”

विद्वान जजा ने अपील मुनी और गवाहियों को भी देख गये । तथ्य भी थोड़े ही थे और गवाहियाँ भी बहुत थोड़ी थी । वम एक घंटे के अदर-अदर उन्होंने यह फैसला लिखाया कि अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या का अपराध साबित नहीं होता और वे उन्हें रिहा करन की आज्ञा देते हैं ।

यह सब मेरी उपस्थिति में हुआ था और मेरे कानों ने इस फैसले

को मुना था । न्याय-सबूबी इन बुद्धिमानों पर मैं आश्चर्यचकित था और साथ ही मैंने दो मनुष्यों को जानो से होते खिलवाड़ को भी अपनी आंखों में देखा था । कई दिन तक इस फैसले का मुझे पर असर रहा । इनके अलावा जब मैंने खुद भी फौजदारी का काम आरंभ किया, तो जिन मुकदमों में सामान्य कैद की सजा होती थी, उनकी अपील करने में मैं सकोच करता था, क्योंकि सजा में बढ़ती का सवाल मुझे सदा परेशान कर देता था । लेकिन इतने पर भी एक ऐसे ही मामले के खिलाफ मुझे अपील करनी पड़ी और मुझे वैसे ही यातना में से निकलना पड़ा ।

एक दिन शाम के वक्त एक डाक्टर मेरे दफ्तर में आया । वह प्रातीय चिकित्सा-विभाग में नौकर था । बड़ा खूबसूरत जवान था । उसने बताया कि हमारे परिवार के पाम कुछ जमीन है । इन जमीनों के काश्तकारों के माथ पिताजी का कुछ झगडा हो गया था और उन्होंने गोली चलाकर उनमें से एक को घायल कर दिया । इस अपराध में उन्हें तीन वर्ष कैद की सजा मिली है । इतना कहकर उसने मुझमें पूछा कि क्या मैं उसके पिता की अपील कर सकूंगा ? जैसे ही मैंने सजा सुनी, मैंने पूछा—“कोई मरा ?” उसने उत्तर दिया—“घायल आदमी मर गया ।” पहला खयाल जो मुझे आया, और जिसे मैंने प्रकट भी किया था, कि इस अपील के लिए इन्कार कर दूँ । जिस गोली चलाने का नतीजा एक जान की क्षति हो, वह हत्या ही तो है और तीन वर्षों की कैद की सजा तो बहुत ज्यादा नहीं है । लेकिन वह बड़ी आशा-भरी दृष्टि से मेरी ओर देखता रहा और बोला कि आप कम-से-कम सैशन जज के फैसले को तो पढ़ लें । मैंने पढ़ा । यह साफ था कि सैशन जज जिस नतीजे पर पहुंचे थे, उसमें उन्हें नाफ रिहा कर देना चाहिए था । अभियुक्त ने आत्मरक्षा के अधिकार की सफाई दी थी । कानून इस बारे में साफ कहता है कि अगर जान पर वन आये या जान का खतरा हो, तो आप शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयुक्त शक्ति परिस्थिति को अनिवार्यताओं में बढकर नहीं होनी चाहिए । जज इन नतीजों पर पहुंचा था कि अभियुक्त अपने ऐसे काश्तकारों में घिर गया था, जिनके पाम लाठिया थी,

श्रीर जो उसे मार डालने की धमकिया दे रहे थे । ऐसी दशा में अभियुक्त केवल अपनी वदूक के इस्तेमाल में ही अपनी रक्षा कर सकता था, क्योंकि उस समय उसके हाथ में दूसरी कोई वस्तु नहीं थी । लेकिन गोली दागते हुए उसने सब महत्वपूर्ण अगो की उपेक्षा की और टागो के निचले भाग को अपना निशाना बनाया । बहुत संभव था कि यह प्राव जान-बूझा भी साबित न होता, वरतें कि घायल आदमी थानेदार के घटना-स्थल पर पहुंचने और स्वयं उम जगह को देख लेने तक महज मूखतावश पुलिस कास्टेबल के साथ अस्पताल जाने में इन्कार न कर देता । ऐसा होने में १२ घंटे में भी अधिक का समय लग गया और वह आदमी केवल रक्त बहते रहने के कारण ही मर गया । इस आधार पर अभियुक्त की यह मफाई, कि उमने आत्म-रक्षा में ही गोली चलाई थी, कानून की नज़र में न्याय्य थी, लेकिन मैशन जज ने यह स्वीकार करत हुए कि परिस्थिति-वश निजी रक्षा का अधिकार उत्पन्न हो गया था, अपेक्षाकृत तकहोनता के साथ लिखा था कि गोली दागते हुए अभियुक्त ने उचित सावधानी नहीं बरती और इसलिए वह निजी रक्षा के अपने अधिकार को लाघ गया । तदनुसार वह हत्या के अपराध से कम का दापी तो अवश्य है ही । फलस्वरूप उमें तीन बर को कैद का दंड दे दिया । मेरी राय में यह फैसला टिफनेवाला नहीं था । मैं सहमत हो गया और मैंने अगोल दायर कर दो ।

मई १९३८ की गर्मियों की जट्टियों में पहले यह श्री जस्टिस उमाशंकर वाजपेयी के सामने पेश हुई । उधर मृतक के भाई की ओर से वकील ने मजा बढ़ाने की प्राथना करत हुए दरस्वास्त दी थी । अगोल के प्रारंभ में ही मैंने तथ्यों का प्रकट कर दिया और माग की कि विद्वान मैशन जज का निजी जानकारों के आधार पर ही अभियुक्त का बरी कर देने का आदेश दे देना चाहिए था । मैंने मारा फैसला पढा, जा बहुत लवा था । याउ-ने विवाद में ताद विद्वान जज ने मेरी माग के साथ सहमति प्रकट की और मरवागी मनीष को जवाब देने के लिए कहा । सरकारी वकील ने विद्वान जज में प्राथना की कि वह भिमरीनाल चतुर्वेदी

को इस्तगासे का मामला पेश करने की इजाजत दें, जिन्होंने सजा बढ़ाने की दरखास्त का पूरी तरह से अध्ययन कर रखा है। इस पर श्री चतुर्वेदी ने मुकदमे पर वहम की। उन्होंने बड़ी योग्यता और चतुराई के साथ जवाब दिया और यह कहते हुए मेरे पक्ष को एकदम पलट दिया कि सेशन जज की सारी जानकारी गलत थी। उस बात का यहाँ प्रश्न ही नहीं कि अभियुक्त को उद्धत काश्तकारों के जमघट ने घेर लिया था और उसके मारे जाने का खतरा हो गया था। वस्तुस्थिति यह है कि पोस्ट-मार्टम जाच, घाव की दिशा तथा अन्य गवाहियों से यह स्पष्ट है कि काफी फामले पर से मृतक पर पीठ की दिशा से सभवत तब गोली चलाई गई जबकि वह अभियुक्त से दूर भागा जा रहा था। जस्टिस वाजपेयी इस तर्क से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कागजात को गौर से देखा और साफ कहा कि मेरे खयाल में मि० चतुर्वेदी सही कहते हैं।

दोपहर के भोजन का वक्त होने को था। वह मुझसे बोले—“डा० काटजू, यह तो बड़ा गभीर मामला है। मैं समझता हूँ कि श्री चतुर्वेदी ने इसकी विल्कुल सही बात पकड़ ली है और ऐसा मान लेने पर आप जानते हैं कि जान के बदले जान का सवाल होगा। मैं इस सजा को इभी तरह रहने की मजूरी नहीं दे सकता।” मैं तो सन्न रह गया, मेरी आखों के सामने श्री आल्स्टन की मूर्ति आगई और मन-ही-मन मैं डम अपील को महमति के लिए अपने को कोसने लगा। आव घटे के लिए अदालत उठी। अभियुक्त भी अदालत में हाज़िर था। बड़ा विशालकाय व्यक्ति था वह। मैं उसे एक ओर ले गया और उसे बताया कि विल्कुल आशा नहीं दिखाई देती। इसके अलावा, जहाँ तक मेरा खयाल है, अगर तीन ही बरस में छुटकारा हो जाय तो अपने को बड़ा भाग्यशाली समझो। मैंने यह भी कहा कि जज तो सजा की बढ़ती के लिए नोटिस जारी करने पर तुला हुआ जान पड़ता है, और क्या तुम इसका सामना करने को तैयार हो। अगर तुम चाहो तो मैं जज को यथाशक्ति नरम करने को कोशिश करूँगा और उससे अनुरोध करूँगा कि अपील को खारिज कर दिया जाय और अधिक कार्रवाई भी न की

जाय, लेकिन इसमें खतरा भी हो सकता है। अभियुक्त की वह शक्ल आज भी मेरे सामने आ जाती है। वह कितना भयभीत था। कुछ रुककर वह बोला—“जो-कुछ मेरे लिए अच्छा लगे, वह आप करे। मैं तीन वरम की कैद काटने को तैयार हूँ। मेरे भाग्य में यही है।”

इसके थोड़ी देर बाद अदालत फिर से बैठी और श्री जस्टिस वाजपेयी मुझसे बोले—“डा० काटजू, खाने की छुट्टी के दौरान मे इस मामले पर विचार करता रहा हूँ और अब मैंने निश्चय कर लिया है कि दंड-वृद्धि का नोटिस जारी होना चाहिए। इस सजा को मैं इस रूप में नहीं छोट सकता। यह तो बहुत ही थोड़ी है।” मैंने यह कहकर उन्हें भरमाने की चेष्टा की कि दो दिन तो पहले ही इस मामले ने ले लिये हैं और ऐसा नोटिस जारी करने में व्यर्थ हो सार्वजनिक समय की बर्बादी होगी। अगर इस मामले को जहा-का-नहा ही रहने दिया जाय, तो क्या इतने में ही न्याय की पूर्ति नहीं हो जायगी? लेकिन जस्टिस वाजपेयी अपनी राय पर अटल थे और उन्होंने अपनी आज्ञा लिखा दी। अमीम काकुल को-मो मेरी दशा हो गई और लगा कि उन्होंने मेरी इस निराशापूर्ण दशा को भाप लिया। वह बोले—“डा० काटजू, सामान्य डग से यह मुकदमा छुट्टियों के दौरान में लगभग ६ सप्ताह बाद फिर से मेरे सामने पेश होता, लेकिन इससे आपकी छुट्टियों के दिन बर्बाद हो जायगे। इसलिए, मैं अपने आदेश में यह लिखे देता हूँ कि यह मामला उन दो जजों की बैठक के सामने पेश किया जाय, जिसका सदस्य मैं नहीं हूँ। इसमें आपकी छुट्टियों का समय बर्बाद नहीं होगा।”

इस कृपा के लिए मैंने उनका बन्धुवाद किया। इससे पूर्व जीवन में मुझे ऐसा भोषण अनुभव कभी नहीं हुआ था और मैं यह मानता हूँ कि यद्यपि मैं इलाहावाद से पुरी तो चला गया, तथापि दंड-वृद्धि के नोटिस की याद के कारण मेरी छुट्टियों के बहुत-से दिन परेशानी में निकले।

अगस्त में अदालत खुलने पर जस्टिस हैरिस और जस्टिस रिचपाल सिंह के सामने यह अपील पेश हुई और मेरे खिलाफ थे वही

सरकारी वकील और श्री चतुर्वेदी । उन्हीं आघारों पर मैंने मामला पेश किया और तथ्यों को प्रकट करने के बाद अंत में विद्वान जजों के सामने फैसला रख दिया । जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, श्री जस्टिस हैरिस बोले—“वेशक, यह सब गलत है । इसमें सजा देना ही गलत है । यह मुकदमा हमारे सामने आया कैसे ? इसमें तो केवल तीन ही वरम की सजा है । इसे तो किमी अकेले जज के सामने ही पेश होना चाहिए था ।”

मैंने कुछ-कुछ चतुराई के साथ उत्तर दिया कि जस्टिस श्री वाजपेयी ने यह खयाल करके दड-वृद्धि का नोटिस जारी किया था कि अगर दोनों जज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सजा देना ठीक है तो संभव है, उन्हें यह सजा बहुत ही कम जचे । लेकिन विद्वान जज तो बहुत ही अमनुष्य थे और बोले—“यह मामला बिल्कुल सीधा है । इसमें सजा देना सर्वथा गलत है ।” इतना सुनते ही मैं तत्काल बैठ गया । अभियुक्त को साफ बरी कर दिया गया ।

: १४ :

मुवक्किल का भाग्य

अपनी वकालत के पिछले ४० वरमों पर जब मैं निगाह डालता हूँ, तो मुझे इस अनिश्चय के बारे में बेहद आश्चर्य होता है, जो किन्हीं मामलों के निर्णय के नाथ सदा जुड़ा रहता है और जिसपर एक व्यक्ति का जीवन, स्वाधीनता या नपत्ति निर्भर होती है । इन पक्षियों को लिखते समय दर्जनो ऐसे मामले याद हो आते हैं, जिनमें अदालती निर्णय अतंत एक बहुत ही क्षुद्र वातावरण द्वारा प्रभावित हो गया, जिसे वकील तक भी महत्वपूर्ण नहीं समझते थे । बहुधा कैदी का भाग्य और असभावित घटना ही उसे स्वाधीनता दिलाने का कारण बन जाते हैं । ऐसा ही एक मामला विशेष रूप से उल्लेखयोग्य है, जिसमें अपील की पेशी के दौरान मैं एक असाधारण और कल्पनानीत घटना-क्रम उपस्थित

हो गया। वह मामला उस पता पर है।

इलाहाबाद का यह पता जाना कि यही मेरा पता था।
 है। उमदा धनका यह पता तो है और वह भिन्न-भिन्न ताउम
 तथा ज्ञानो-विज्ञान का भाग में एक उदा है। तभी तभी और
 ज्ञानाकार गति का पता पता है। यह जान लिया गया है।
 उदाहरण के लिए उदा के पता पर पता पर पता भिन्न
 ताउम ही एक पता पर पता है। पता के पुनर्निर्माण है,
 उदा का गिरजा के पता में नए के फायदा का उदा है और उदा की
 पूरी सीमा पर पता की गति में भिन्न-भिन्न पता का विचार है।

एक दिन प्रातः समय गांधी पार्क में रा. गिरीश्वर जी के पत्र-
 द्वारा पर पता है। उदा के पता में नए का पता पर निरन्तर हुए
 देना। उनमें से एक न उदा पता का पता और अपन माथी में
 बाना—

साइमन पर जान हुए उस आदमी का तुम देना ?”

‘क्या क्या बात है’ उमदा पूछा।

“वह एम० जे० है, मशहूर क्रांतिकारी। वह फरार है। मुझे
 इसका पता यकीन है और हम उमदा बहुत जरूरत है।”

“तुम उसे कैसे जानते हो ?”

“वह यूनिवर्सिटी का छात्र है और हम दोनों स्कूल में साथ-साथ
 पढ़े हैं। मुझे इस बारे में तनिक भी संदेह नहीं। यह वही है।”

इस पर इन दोनों ने, जिनके पास अपनी साइकिलें थी, तुरत एम०
 जे० क्रांतिकारी का पीछा करना शुरू कर दिया।

कुछ ही मिनटों की दौड़ के बाद वे हाईकोर्ट के सामने उसके समीप
 जा पहुँचे, जहाँ कहा जाता है कि एम० जे० फौरन रुक गया और अपनी
 साइकिल से उतरकर ऊँचे स्वर में बोला—“तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे
 हो ? मुझे क्यों नहीं जाने देते ?” और जब उसने देखा कि वे पीछा
 नहीं छोड़ते, तो उसने बम्बीज की जेब से पिस्तौल निकाली और उनमें से

एक की टाग पर गोली चलाई । वह उस समय कमीज और निकल पहने हुए था । इस प्रकार थोड़े समय के लिए पीछा करने का अंत हो गया ।

अब एम० जे० अपनी साइकिल पर सवार होकर चल पडा, लेकिन वह साइकिल अच्छी नहीं थी । उसमें पकचर हो गया था । इसलिए उसने दौडना शुरू कर दिया । इवर खुफिया पुलिस के सिपाही ने अपने घायल साथी को किसी दूसरे के हवाले किया और वह भी उसके पीछे दौडा । इसके बाद इस सडक से उस सडक और उससे इस पर—इस प्रकार काफी देर तक पीछा किया गया । तब, कहा जाता है कि एम० जे० एक सरकारी डाक बगले के अहाते में घुस गया और डर के मारे वह एक पाखाने में जा छिपा ।

इस बीच बहुत-से लोग जमा हो गये, लेकिन पाखा में जाते हुए हर कोई डरता था, क्योंकि एम० जे० की जेब में पिस्तौल थी और प्रत्येक सशक था कि न जाने कब क्या कर बैठे । इसलिए पुलिस सिपाही ने डाक बगले को घेर लेने की मोची और वही उसने किया भी । उसने पुलिस सुपरिटेण्डेंट को फोन किया कि सहायता के लिए पुलिस भेजी जाय । थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहा पहुंच गई । इस बीच, एम० जे० पाखाने से बाहर निकला और सबकी नजरो के सामने हाथ में पिस्तौल लिये दौडता हुआ मैदान पार करके चला गया ।

चीहद्दी दीवार पर से उसने पिस्तौल फेंक दी और वह दीवार के दूसरी ओर फाद गया । सडक को पार करके वह एक और अहाते में चला गया, वहा चद ही मिनटो बाद, पीछा करनेवालो ने उसे गिरफ्तार कर लिया । लेकिन कितने आश्चर्य की बात थी ! गिरफ्तार किया हुआ आदमी धोती और कुर्ता पहने था । कमीज और निकर जैसे जादू के जोर से लोप हो गये थे ।

एम० जे० की इस सारी दौड-धूप के विषय में स्पष्ट प्रमाण एव स्वतंत्र गवाहिया मीजूद थी । साथ के मकान मे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे, उन्होने मीगध खाकर कहा कि मैंने एम० जे० को दीवार से

तूने हल गयो गाता । गाता ।

विाराता तूना गातासात । गाता पिताता तापरी ता भी ती श्री-उत्तासा ताति ताता भिताही ता गम म ग जा गाता विताही गी । वह उता पिताही म ग उते ता ।

गभिपान पर ता गपराता गगाय गा य—तया तया की भेष्टा श्रीर सिफात ताता त म सोत ताउपय-रहिा विताही रगता । गगमग-गतिन जज ती यराता म गत मादमा पश तया । गभिपान का प्रार मे वहा हा तया तया का मरुत पश को मरु थी । उगत यह म्प्रो-कार विता था ति वह फगर हे गोर तई मतीता ग गिरफतारी मे प्रच रहा है । उगत यह मा तया कि वह नागा को निगाह ग रचा हुआ द्विधा था । उगत गाता जवान त गरा म उन्तार किया श्रीर वहा ति उम घटना के साथ मग ताउ मरा नहीं । मै माता-कुर्ता पहन हुए मडक पर जा रता था कि पतापत पुनिम न मग पर पाडा प्रार यह जूठा मामला मेर विरुद्ध खडा कर दिया । इस मामले मे गवधा अनजान हू । उसने पापान म प्रार मैदान के उम पार जाने श्रीर दीवार फादने तक मे इन्कार किया । उगत वहा कि पिस्ताल मे भी मेरा कोई मत्रव नहीं श्रीर न मैंने उमे फेका था ।

जूरी ने विस्फाट-नानून के अधीन उमे 'निरपराध' बताया । इसका आशय यह था कि अभियुक्त के कब्जे मे पिस्तौल नहीं थी । इस निष्पत्र के आधार पर स्वभावतः यह परिणाम निकलना है कि वह खुफिया पुनिम के सिपाही पर गोली नहीं चला सकता था और अमेमरा के रूप मे उन्होने यही कहा भी था ।

मैशन जज की चाहे जो भी राय रही हो, पर वह वडी कठिनाई मे था । पिस्तौल-मत्रवी अपराध के वारे मे जूरी के मत का अस्वीकार करने का उसे कोई कारण नहीं दिखाई देता था प्रार ऐसी अवस्था मे, एक जज के नाते वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुचा कि दूसरा अपराध भी निरावार हो जायगा । तदनुसार उमने गभिपुक्त का बरी कर दिया ।

इस रिहाई के विरुद्ध सरकार की ओर से हाई कोर्ट में अपील की गई। यह अपील हत्या करने की चेष्टा के अपराध के सबध में थी। मैं अभियुक्त की ओर से पेश हुआ था।

यह अपील दो विद्वान जजो श्री मुल्ला और श्री यॉर्क के सामने पेश हुई। सरकारी वकील ने दो दिन तक वहन की और यह आभाम हुआ कि जज निश्चित रूप से पुलिस के वयान को मजूर कर लेंगे।

जब मुझे जवाब देने के लिए कहा गया, तो मैंने इन कानूनी प्रश्न पर बोलना शुरू किया कि जिम शस्त्र के रखने के अपराध में अभियुक्त को हत्या करने की चेष्टा का दोषी ठहराया गया है, उसके अघीन वह दोषी करार नहीं दिया गया था और न ही उसके पास वह शस्त्र था। लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने पक्ष को मजबूती से पेश नहीं कर सका। जजो का यह दृष्टिकोण था कि दोनो अपराध अलग-अलग हैं और एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। यह समभव था कि अभियुक्त दोषी न हो और इसलिए पिस्तौल रखने-सबधी अपराध में वरी किया गया हो, किंतु वह युक्ति प्रस्तुत अपील में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

अपील के पक्ष में मैंने बार-बार उन सब महत्वपूर्ण तथ्यों पर जोर दिया, जिनके बारे में कोई व्याख्या नहीं दी गई थी। वाइसिकल पर चढे हुए जिस आदमी ने खुफिया पुलिस के आदमी को गोली मारी थी, उमने कमीज और निकर पहन रखी थी और जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया था, वह धोती और कुर्ता पहने हुए था। पुलिस का इस सबध में बहुत ही स्पष्ट प्रमाण था कि पाखाने के हर कोने की पूरी सावधानी के साथ खोज की जाने पर कमीज और निकर कहीं भी नहीं मिले। मैंने युक्ति दी कि कमीज और निकर का धोती और कुर्ते में बदल जाना इस्तगामे के मामले को विगाडता है। यहा मुझे पुन मानना होगा कि इममे भी मेरे पक्ष को कोई बल न मिला। जजो ने कहा कि प्रत्यक्ष गवाही वही ही विश्वसनीय है। इसलिए उन पर अविश्वाम नहीं किया जा सकता और वस्तु की अदला-

सकने का मार्ग नहीं था। शरीरिक रूप में किसीके लिए भी इसके ऊपर से होकर जाना असंभव था।

जैसे ही मैंने यह देखा, मैंने खयाल किया कि अब मामले का अंत हो गया है और मैंने अपने मुवक्किल के भाग्य की सराहना की। मैंने देखा कि जज भी बहुत गंभीरतापूर्वक देख रहे हैं और बड़े व्यग्र हैं। मैंने धीरे से उनमें से एक से कहा—“जनाब, इस झाड़ी का मुलाहिजा फरमाइये।” वह चुप रहे, मैं भी और कुछ न बोला। सभी चुप थे। हम लोग हाईकोर्ट लीट आये और जजों ने आसन ग्रहण किया। उसके बाद उनमें से एक ने कहा—“डाक्टर काटजू, अपनी बहस जारी कीजिये।” मैंने जवाब दिया—“जनाब, मुझे और कुछ नहीं कहना है। मेरे मुवक्किल का यह अहोभाग्य है कि जनाब को इस मौके की स्वयं परीक्षा करने का खयाल हो आया। इस मामले की अनत्यता कदापि इतनी सफाई के साथ प्रकट नहीं हो सकती थी।” इतना कहकर मैं बैठ गया।

इसके बाद सरकारी वकील की वारी आई और जजों ने उससे कहा—“इन झाड़ियों के बारे में आपको क्या कहना है?” वहां कहने को कुछ भी नहीं था। निर्णय सुरक्षित रखा गया और कुछ दिनों के बाद फैसला सुनाया गया, जिसमें विद्वान जजों ने कहा कि उनके खयाल में जहां यह मामला बहुत ही सदेहास्पद और सच भी हो सकता है, वहां इस प्रमाण के आवार पर वह इतना स्पष्ट झूठ था कि कोई सजा नहीं दी जा सकती थी।

: १५ :

आत्म-सम्मान

एक मित्र के साथ कालत के जमाने की चर्चा करते हुए अचानक मुझे एक मुकदमे की याद हो आई, जो एक पुलिस-अधिकारी के असाधारण अवस्थाओं में माने जाने के विषय में चला था। यह कहानी लगभग २५-३०

मान पहने की है और यह दुपटना इतनी दिलचस्प थी कि मैं उसे भूल नहीं सका ।

उत्तर-प्रदेश में वादा एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है । जलवायु और धरती की बहद शुष्कता के कारण वहाँ के किसान बहुत मेहनती, मेहनती और मजबूत होते हैं । उस जिले के एक थाने में एक बार यह पिपोट की गई कि अमुक नाम के व्यक्ति ने शिकायत करनेवाले की बच्ची के मान के झुमके और नथनी बलपूर्वक उतारकर छीन लिये हैं । उस थाने का दारागा एक मिनाही के साथ पटना-स्थान पर प्राप्त हुआ जाच के लिए उस गाँव में गया । शिकायती ने पूछ-ताछ करने तथा अन्य जाच-पडताल में उस मदेह हुआ कि वह पिपोट झूठी थी और निरापार आरोप लगा कर अभियुक्त का फामन का जान रचा गया था । उसे यह भी सूचना मिली कि शिकायती ने अस्मृत खुद ही उन मान के जेवरों को उतार लिया था और अपने पडालों में यहाँ उन्हें छिपा दिया था । तदनुसार थानेदार तत्काल मर्यादित जाच करके उस पडालों में यहाँ पहुँचा । पर का मानिक उस समय घबरा गया था । व्यक्ति यह दृष्टा रही और मिनाही तथा गाँव के चौकीदार के साथ पर के भीतर आगमन में जा पहुँचा । जाच के दिन थे । आगत में उक्त दवा कि उस गाँवमी की पत्नी अनाज पीत रही है, जिसमें वह पूछ-ताछ करना चाहता था । प्राज्ञण जाच की उस स्त्री ने जब उन अपरिचितों का इस तरह पर में प्रवेश करने हुए देखा, तो वह बहुत ही डरी और अपने घर में भाग ली । उसपर मानदार ने अत्यन्त उमा रहा कि वह उस और नथनी कहा है वह फारन पेश करा । वह चप रंगी और मानदार बार-बार उच स्वर में यहाँ कहता रहा । गाँव में मान रहा कि उस स्त्री के घर में कुछ नापना नहीं । उसका आरमी गाँव में कुछ गपाना जन मान्य । वह मान ही-बना है और उस जाच-पडताल ही नाथ, व्यक्ति पना नहीं है । मानदार उच गाँव में हाँसा और मान गाँव में मानमी के दवा में अमान्य करने करवा है यदि वह करवा मान्य माना । उसका मान्य मान्य मान्य और मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य ।

वात बढ़ गई । वह औरत चिल्लाई और उसका देवर परमसुख, जो साथ के मकान में रहता था, इस हो-हल्ले को सुनकर घटनास्थल पर जा पहुंचा । उमने देखा कि थानेदार डाट रहा है और हाथ में वेंत उठाकर उसकी भाभी को पीटने की धमकी दे रहा है । उसने बड़ी नम्रतापूर्वक शांति रखने को कहा और बोला—“दारोगा जी, आप यह क्या कर रहे हैं ? आप इस तरह इस औरत को क्यों बेइज्जत कर रहे हैं ? कृपा कर बाहर आइये । कुर्मी पर बैठिये । हम सब तो आपके सेवक हैं । जल्दी ही मेरा भाई आ जाता है और आप उसीसे सारी जाच-पडताल करे । घर के जनानखाने में जाकर आप उस औरत को अपमानित कर रहे हैं । ऐसा करना तो आपको शोभा नहीं देता ।” इस पर वह और भी ज्यादा आपसे बाहर हो गया । बहुत ही गुस्से में आ जाने से उसे अपनी अधिकार-शक्ति पर हमले का खयाल हुआ । उसे लगा कि परमसुख ने हस्तक्षेप करके बड़ी भारी बेहदगी की है । इसलिए उमने औरत को तो छोड़ दिया और परमसुख को अवज्ञा का अपराधी समझ कर डाटा और बुरी तरह गालिया दी । वादा का देहाती इस प्रकार सहज ही गालिया सुन नहीं सकता था । उसने तत्काल जवाब दिया—“दारोगाजी, कृपा कर अब और गालिया न दीजिये । कृपया होश में रहिये । यह अच्छी बात नहीं है कि आप गालिया देते जा रहे हैं । आखिर मैंने किया क्या है ?” इससे दारोगाजी और भी गुस्सा हो गये और उन्होंने परमसुख को पहले से भी ज्यादा गालिया दी । इसके साथ ही थानेदार ने कड़ककर सिपाही को आज्ञा दी कि वह परमसुख के डहे लगाये । इस पर परमसुख ने गाव के चौकीदार के हाथ का छोटा-सा डडा छीन लिया और झपट कर दारोगाजी पर एक हाथ जमा दिया । दुर्भाग्यवश यह चोट दारोगा के सिर पर पड़ी और ऐसे मर्म-स्थल पर, कि थानेदार गिर पडा और वही बेहोश हो गया । इसके बाद दस घंटे के अदर-अदर वह मर गया ।

इस भयकर घटना का समाचार आग की तरह सारे गाव में फैल गया ।

साल पहले की है और यह दुःखटना इतनी शिलाग्रण था कि मैं उसे भूल नहीं सका ।

उत्तर-प्रदेश में बादा एक प्रहृत ही पित्राण दुप्रा जिला है । जलमायु और वरती की वेहद शुष्कता के कारण पत्ता के किमान बहुत भेदनती, सहनशील और मजबूत होते हैं । उम जिले के एक थाने में एक बार यह पिपाट की गई कि अमुक नाम के व्यक्ति ने शिकायत करनेमाने की वच्ची के सोने के शुभके और नथनी बलपूत्रक उतारकर खीन लिये हैं । उम थाने का दारोगा एक सिपाही के साथ घटना-स्थान पर प्राग्ध्याक जाच के लिए उस गाव में गया । शिकायती से पूछ-ताछ करने तथा अन्य जाच-पडताल से उसे मदेह हुआ कि वह रिपोट झूठी थी और निराधार आरोप लगा कर अभियुक्त को फासने का जाल रचा गया था । उसे यह भी सूचना मिली कि शिकायती ने वस्तुतः खुद ही उन साने के जेवरों को उतार लिया था और अपने पडोमी के यहा उन्हें छिपा दिया था । तदनुसार थानेदार तत्काल सवधित जाच के लिए उस पडोमी के यहा पहुंचा । घर का मालिक उम समय घर में नहीं था । लेकिन वह रुका नहीं और मिनाही तथा गाव के चीकीदार के साथ घर के भीतर आगन में जा पहुंचा । जाडा के दिन ये । आग में उसने देखा कि उस आदमी की पत्नी अनाज बीन रही है, जिमसे वह पूछ-ताछ करना चाहता था । ग्राहण जानि की इस स्त्री ने जब इन अपरिचितो को इस तरह घर में प्रवेश करने हुए देगा, तो वह बहुत ही डगी और उसने घघट काढ लिया । इसपर जानदार न रुककर उममें कहा कि वे मुदे और नथनी बहा हैं, उन्हें फोरन पश करा । वह चुप रही और थानेदार बार-बार ऊचे स्वर में यही कहता रहा । गागिर उमने कहा कि उगे इस विषय में कुछ भी पता नहीं । उगवा आदमी गाव के कुण में पानी लेने गया है । वह थाने ही-वाला है और उमीमें जाच-पडताल की जाय, लेकिन पता नहीं कैसे, थानेदार इसमें शक्ति हा उठा और उमने गाचा कि आदमी के वजाय इस औरत में उन जेवरा को हागिन करना आगान होगा । इसलिए उगन उगे धमकाया और गभवत उगे गाती भी दी । स्वभावतः इससे

वात बढ गई । वह औरत चिल्लाई और उसका देवर परमसुख, जो साथ के मकान में रहता था, इसही-हल्ले को सुनकर घटनास्थल पर जा पहुँचा । उमने देखा कि थानेदार डाट रहा है और हाथ में बेंत उठाकर उसकी भाभी को पीटने की धमकी दे रहा है । उसने बड़ी नम्रतापूर्वक शांति रखने को कहा और बोला—“दारोगा जी, आप यह क्या कर रहे हैं ? आप इस तरह इस औरत को क्यों बेइज्जत कर रहे हैं ? कृपा कर बाहर आइये । कुर्मी पर बैठिये । हम सब तो आपके सेवक हैं । जल्दी ही मेरा भाई आ जाता है और आप उमीसे सारी जाच-पडताल करे । घर के जनानखाने में जाकर आप उस औरत को अपमानित कर रहे हैं । ऐमा करना तो आपको शोभा नहीं देता ।” इस पर वह और भी ज्यादा आपसे बाहर हो गया । बहुत ही गुस्से में आ जाने से उसे अपनी अधिकार-शक्ति पर हमले का खयाल हुआ । उसे लगा कि परमसुख ने हस्तक्षेप करके बड़ी भारी बेहूदगी की है । इसलिए उमने औरत को तो छोड दिया और परमसुख को अवज्ञा का अपराधी समझ कर डाटा और वुरी तरह गालिया दी । वादा का देहाती इस प्रकार सहज ही गालिया सुन नहीं सकता था । उसने तत्काल जवाब दिया—“दारोगाजी, कृपा कर अब और गालिया न दीजिये । कृपया होश में रहिये । यह अच्छी बात नहीं है कि आप गालिया देते जा रहे हैं । आखिर मैंने किया क्या है ?” इससे दारोगाजी और भी गुस्सा हो गये और उन्होंने परमसुख को पहले से भी ज्यादा गालिया दी । इसके साथ ही थानेदार ने कडककर सिपाही को आज्ञा दी कि वह परमसुख के डडे लगाये । इस पर परमसुख ने गाव के चौकीदार के हाथ का छोटा-सा डडा छीन लिया और झपट कर दारोगाजी पर एक हाथ जमा दिया । दुर्भाग्यवश यह चोट दारोगा के सिर पर पडी और ऐसे मर्म-स्थल पर, कि थानेदार गिर पडा और वही बेहोश हो गया । इसके बाद दम घटे के अदर-अदर वह मर गया ।

इस भयकर घटना का समाचार आग की तरह सारे गाव में फैल गया ।

फौरन ही यह सूचना थाने और जिला-केन्द्र में पहुँचाई गई। बोडी देर में ही छ. थानेदारों ने बहुत-से गिपानियों के साथ गांव पर हमला बोल दिया। उन्होंने परमसुख और उसके भाई के घर की एक-एक वस्तु लूट ली और कई दिन तक वे उस गांव में पड़े रहे। गांव में भीषण आतंक छा गया। जिला-अधिकारी भी भयानक रूप में आपने में बाहर हो गये। बादा जिले के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। एक थानेदार को पीटना और इस ढंग से मार डालना वही अशोभनीय था। बादा जिला मजिस्ट्रेट ने जाच की और परमसुख को मेशन के सिपुद कर दिया गया। मुकदमे की पेशी पर परमसुख की ओर से निजी सफाई के अधिकार की मांग पेश की गई। इस आवेदन में कहा गया कि उसकी मशा थानेदार को मार डालने की नहीं थी, लेकिन आदि से अतः तक थानेदार का आचरण कानून-विरुद्ध था। उसे घर में दाखिल होने और अर्थात् का गालिया देने का कोई अधिकार नहीं था और उसे परमसुख को भी पीटने की आज्ञा देने का हक नहीं था।

जज महोदय प्रांतीय न्याय-विभाग के सीनियर सदस्य थे और सेशन जज के रूप में उन्होंने सभ्यतः पहली ही बार स्थानापन्नता का पद ग्रहण किया था। जहां तक मैं समझता हूँ, उन्हें सफाई में कुछ बल दिखाई दिया। फैसला सुरक्षित रखा गया। लेकिन मुझे शक है कि सरकारी वकील ने इस अवधि में जिला मजिस्ट्रेट तथा जाइंट मजिस्ट्रेट को, जो अग्ररेज अफसर थे, सूचना दी होगी कि सभ्यतः यह फैसला इस्तेमाल के खिलाफ जाय और अभियुक्त बरी हो जाय। जाइंट मजिस्ट्रेट नौजवान था और अभी नया-ही-नया इंडियन सिविल सर्विस में भरती हुआ था। वह बड़ा जल्दबाज था। इस घटना से वह सतुलन खो बैठा और अभियुक्त के बरी होने की सम्भावना तो उसे और भी असहनीय लगी। वह सेशन जज से पहल कभी नहीं मिला था, किंतु इस समय में उसने बहुत ही असामान्य रूप में आचरण किया। अभी फैसला सुनाया नहीं गया था कि एक दिन सांघेरे ही वह जज के मकान पर गया। जज का अदली साहब को आया

देखकर बहुत हैरान हुआ और भागा-भागा सूचना देने भीतर गया। जज साहब आये और जाइट मजिस्ट्रेट ने वडी तेजी से उनसे कहा—“मैंने सुना है कि आप परममुख को बरी कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? दरअसल इम आदमी ने थानेदार की हत्या की है। आप उसे कैसे बरी कर सकते हैं? उसे नज़ाज़रूर दी जानी चाहिए, चाहे जो भी सज़ा आप चाहें, दें, लेकिन बरी तो करना ही नहीं चाहिए।” इम तरीके से जज महोदय खुद भी बड़े विचलित हुए। वह सादे मिजाज के आदमी थे और अगरेज अफसरों के इस ढंग से पेश आने के आदी नहीं थे। लेकिन उन्होंने साहस किया और कहा कि यह अदालत का मामला है और अगर इम वारे में कुछ कहने की ज़रूरत हो तो उसकी विधि यह है कि सरकारी वकील अदालत में पेश होकर अपनी बात कहे। इनसे जाइट मजिस्ट्रेट और भी उत्तेजित हुआ और उसने कई अट-मट बातों की और चलता बना। जज महोदय को इम बात का श्रेय देना ही होगा कि वह, इन घटना के कारण, उनके खयाल में जो नहीं था, उमे करने से वाज़ न आये।

आखिर एक दिन उन्होंने फैसला नुना दिया और अभियुक्त को बरी कर दिया गया। लेकिन इस फैसले की उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। सेशन जज की बजाय वह शेष नौकरी-काल में दीवानों के ही जज रहे। कई वाद के आनेवाले उनसे आगे निकल गये, उनकी तरक्किया हो गई, परतु वह उसी स्थान पर रहे और आखिरकार समय ने, पहले ही रिटायर हुए।

अधिकारी इस फैसले को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते थे। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने डिवीजन के कमिश्नर को इस रिहाई के विरुद्ध अपील करने के लिए लिखा। उनसे पत्र में लिखा था (जो मैंने वाद में पढ़ा) कि एक पुलिस-अधिकारी की हत्या में अपराधी को इम प्रकार बरी कर देने ने सारे प्रशासन का अत हो जायगा और वह अपने जिले में शांति और शानन-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इमलिए प्रशासन-मन्त्री दृष्टि से ऐसे मामलों में सज़ा देना अत्यावश्यक है। कमिश्नर ने जिला मजिस्ट्रेट के पत्र का समर्थन करते हुए इस प्रस्ताव को सरकार के पाम भेजा।

तदनुसार यह प्रस्ताव सरकारी वकील के पास कानूनी राय के लिए भेजा गया और उसके बाद वह न्याय-विभाग के सचिव के पास पहुंचा। उन दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकारी वकील एक अग्रज वैरिस्टर थे। वह फौजदारी में बहुत अनुभवी थे। उन्होंने मलाह दो कि अपील में बहुत काम-याबी नहीं होगी। इस पर हाई कोर्ट में इस अपील के जाने में जनता में भी खलबली मचेगी और मृत पुलिस-अधिकारी के आचरण पर विपरीत टिप्पणियां होगी। यही खयाल न्याय-विभाग के सचिव का भी था। आखिकार यह फाइल यू० पी० के गवर्नर सर माल्कम हेली के पास गई। उन्होंने अपने कानूनी सलाहकारों की राय के खिलाफ अपील करने का आदेश दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि ऐसे फैसले को मजूर करना मभव नहीं।

फलत सरकारी वकील ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी और हाई कोर्ट में परमसुख की ओर से मुझे पेश किया गया। यह अपील दो अग्रज जजों की अदालत में लगी। पेशी से एक या दो दिन पहले परमसुख मेरे यहां आया और उसने अपील के समय अदालत में हाजिर रहने की स्वीकृति के लिए दरखास्त देने को कहा। मैंने उस आदमी को देखा—लंबा-चौड़ा कद, चौड़ी छाती और पहलवान-सा दिखाई पड़ता था। उसे देखकर वस्तुतः मुझे इस बात का आश्चय नहीं रहा कि ऐसे दैत्याकार व्यक्ति के एक ही वार से वंचारा थानेदार जिंदा कैमे रह सकता था! मैंने कहा—“अगर जजों ने तुम्हारी सूरत भी देख ली, तो परमात्मा ही रक्षक है। तुम्हें जरूर ही सजा हो जायगी। तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकेगा। इसलिए परमात्मा के नाम पर हाई कोर्ट ही क्या, इलाहाबाद तक में न आना, क्योंकि सभव है जज लोग तुम्हें देखना चाहे और अगर तुम अदालत के अहाते या इलाहाबाद शहर में भी हुए, तो मुझे तुमको हाजिर करना पड़ जायगा। फिर होगा यह कि सारा मामला चौपट हो जायगा। अगर तुम इलाहाबाद में न हुए तो देखने का प्रश्न आने पर मामला रफा-दफा भी हो सकेगा।”

जिस दिन हाई कोर्ट में अपील पेश हुई और जब तथ्य उपस्थित किये गये, तो जज सहज भाव में बोले—“बहुत भयंकर मामला है। एक पुलिस-

अधिकारी की भी हत्या हो ।” मैं यह कहे बिना नहीं रहूँगा कि दोनों जज बहुत शांत थे और दोनों पूरी बात सुनकर ही न्याय करने के इच्छुक थे । उन्होंने कहा—“डा० काटजू, उस सारे मामले को पुन हमारें सामने पेश कीजिये ।” मैंने तत्परतापूर्वक कहा—“अच्छा जनाव ।” और इसके बाद मैंने क्रमशः पूर्ववर्णित सारा दृश्य उनके सामने पेश किया । अंत में मैंने कहा—“जनाव, यह तो बुदेलखड है, जहा ऐसी उत्तेजना पाकर एक पतगा तक भी हमला कर देता है । परमसुख की तो बात ही छोड़िये, वह तो फिर भी इन्मान था ।”

जजों की समझ में यह बात आ गई । अपील खारिज कर दी गई । इस प्रकार पुलिस-अफसर की हत्या का बदला नहीं लिया जा सका, लेकिन इसका बदला उसे बेचारे जज से ही लिया गया ।

: १६ :

लालटेन की मौजूदगी

दोपहर बाद का समय था । कलकत्ते में हरिसन रोड पर मे निकलते हुए एक देहाती युवक का और एक पुलिस के सिपाही से वाते करने लगा । उसने कहा,

“वह जो आदमी सामने से आ रहा है, उसे देखते हो ?”

“हां”, पुलिसवाले ने कहा—“कौन है वह ?”

“वह हत्यारा है, उसने एक आदमी की हत्या की है ।”

“तुम्हें कैसे मालूम हुआ ?”

“मेरे चाचा ने मुझे सूचना दी है । उनका खत इस वारे में मेरे पास आया है ।”

“कब ?”

“अभी थोड़े ही दिन पहले । इसने गिरजाशकर की हत्या की है ।” सिपाही ने यह सुना और वह तनिक व्यग्र हो उठा । एकाएक स्पष्ट

परिस्थिति को वह समझा नहीं। लेकिन जूनना इतनी सही थी कि उमकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। वह कथिन हत्यारे की ओर बढ़ा और जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और तीनों लाल बाजार की पुलिस-चौकी में जा पहुँचे। पुलिस के डिप्टी कमिश्नर को मामले की रिपोर्ट की गई। वह इस घटना को मुनकर बड़ा प्रभावित हुआ और उमने वह पत्र मांगा। मुझे याद यह नहीं रहा कि वह पत्र उस समय उम युवक की जेब में था अथवा वह उसे अपने निवास स्थान से बाद में लाया। जो हो, वह पत्र पेश किया गया। उस पत्र में चाचा ने अनेक घरेलू तथा सामाजिक समाचार देने हुए अंत में लिखा था कुछ दिन हुए गिरजाशंकर को बाजपेयी (सदभ के लिए मैं यह नाम लिखता हूँ) ने मार डाला है। मृतक के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए उन्होंने लिखा था—“जाति का एक सिंह चला गया।” इस पर डिप्टी कमिश्नर ने बाजपेयी को हवालात में भेज दिया और जिला भजना के सुपरिटेण्डेंट पुलिस से तार द्वारा पूछा कि क्या उन्हें अमुक आदमी की तलाश है? तत्काल जवाब आया “हम उसकी तलाश में हैं। उसे यहाँ भेज दीजिये।” तदनुसार बाजपेयी को पुलिस की हिफाजत में उसके घर जिले में भेज दिया गया।

मुकदमे की पेशी के दौरान में गवाहों से पता चला कि यह हत्या पूवन आयोजित, निश्चित और इरादे के साथ अकेले आदमी का काय था। न केवल यह कि वास्तविक हत्या के प्रत्यक्ष गवाह भी मौजूद थे, प्रत्युत हत्या के मुद्दे के बारे में सबथा निर्दोष गवाही भी उपस्थित की गई थी। इस सबध में मालूम हुआ था कि वहाँ दो दल थे। एक दल का मुखिया मृतक गिरजाशंकर था और दूसरे दल का मुखिया एक अन्य पडोसी जमींदार था, जिसका दाहिना हाथ—बाजपेयी—अभियुक्त था। दोनों दलों में बहुत पुराना झगडा चला आ रहा था और सब जानते थे कि अभियुक्त बाजपेयी ही इस झगडे को जड है, और वही अपने दल का सबसे अधिक क्रियाशील सदस्य तथा सारी शरारत की बुनियाद है।

गिरजाशकर की हत्या से छ मास पहले की बात है कि अभियुक्त वाजपेयी को एक दिन शाम के वक्त गाव से बाहर कुछ लोगों ने घेर लिया और आक्रमणकारियों ने उसे मार-मार कर अधमरा कर दिया। उसे जो चोटें आई थी, उनसे साफ जाहिर था कि वे उसे निश्चित रूप में मार डालना चाहते थे। किंतु वह मृत्यु से केवल इसलिए बच गया, क्योंकि उन्होंने समझा था कि वह मर गया है। वह बहुत ही हृष्ट-पुष्ट और असाधारण रूप में स्वस्थ था, इसलिए मौत के मुह में जाकर भी वह बच निकला। अस्पताल में कई सप्ताह तक वह मृत्यु और जीवन के पालने में झूलता रहा, लेकिन अतत अप्रत्याशित रूप में स्वस्थ हो ही गया।

जैसे ही उसे होश हुआ, उसकी यह धारणा बन गई कि मृतक गिरजाशकर के आदमियों ने ही उसे मार डालना चाहा था और वह उसके भाड़े के आदमियों का शिकार बना है। खूबवार स्वभाव का होने के कारण उसने इसका बदला लेने का दृढ निश्चय कर लिया। उसने अपने डाक्टरों, कपाउडरों, नर्सों और अपने मिलनेवाले सभी लोगों में कहा कि जैसे भी हो, अस्पताल से छुट्टी पाकर सबसे पहले वह गिरजाशकर को मार डालने का काम करेगा। इस बीच उसने यह सुना कि उसके मालिक ने गिरजाशकर के साथ सुलह कर ली है। इससे वह और भी आग-बबूला हो गया। वाजपेयी की धमकियों का पास-पड़ोस में हर किसी को ज्ञान हो गया और गिरजाशकर को भी इसका पता लगा। उसने अपनी सुरक्षा और हिफाजत के लिए प्रयत्न किये। उसने दो बहुत तगड़े अग्निरक्षक नियत किये। वे चौबीसों घंटे उसके साथ रहते थे और रात के समय उनकी खाट के दोनों ओर अपने-अपने विस्तर लगाकर सोते थे।

गिरजाशकर का घर उसके अपने ही अहाते में था। घर के सामने ही एक वरामदा था और वरामदे में दो द्वार थे, जो भीतर की ओर बड़े कमरे में खुलते थे। उस समय गिरजाशकर के परिवार में एक तो वह खुद

था, एक उमका छोटा भाई था, जो बुन्दार में पडा था और तीमरी उमकी माता थी। भीतर के कमरे मे उमकी माता और उमका बीमार भाई सोते थे। दोनो दरवाजो मे से एक जो रात के समय थोडा-मा खुला रखा जाता था।

दोनो अग्ररक्षको के वयान के अनुमार हत्या की रात को आधी रात के बाद वे बुरी तरह गलगलाने की आवाज सुनकर एकाएक जाग गये। वे उठे और अभियुक्त वाजपेयी को गिरजाशकर की खाट के मिरहाने देख कर डर गये। वाजपेयी के हाथ मे कुल्हाडी या कोई दूसरा पैना हथियार था और गिरजाशकर का सिर प्रायः घड से अलग पडा हुआ था, और उस गहरे घाव मे से रक्त की धार बह रही थी। चाँचे और मृत्यु का-सा सन्नाटा था। बरामदे के उत्तरी छोर मे लटकी हुई एक छोटी-सी लालटेन की फीकी-सी रोशनी उस दृश्य पर पड रही थी। यद्यपि वह अंधेरी रात थी, तथापि अग्ररक्षको ने लालटेन की रोशनी के सहारे वाजपेयी को पहचान लिया था। लेकिन पूव इसके कि वे कुछ कर सकें, वह भाग गया।

उन्होंने हो-हल्ला मचाया। बुढिया मा भी जाग गई थी। वह बरामदे मे आ गई और उसने वाजपेयी को भागते हुए देखा और उसे पहचान लिया। बीमार भाई एक या दो मिनट के बाद बाहर आया। उसने भी हत्यारे को भागते हुए देखा लेकिन वह उसे पहचान नहीं सका। पंद्रह मिनट के अदर-अदर सारा गाव जाग गया। लोग घटनास्थल पर दीडे आये और कुछ ने कहा कि उन्होंने हत्यारे को भागते हुए देखा है और उन्हें पक्का यकीन है कि वह वाजपेयी के मिवा दूसरा कोई नहीं था। आपे ही घटे के अदर-अदर पुलिस याने मे मारे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और इस अपराध के अपराधी के रूप मे अभियुक्त का नाम लिखाया।

तत्काल ही वाजपेयी की तानाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। यह कहा गया कि उमन बडे मावातो के साथ हत्या की योजना बनाई थी और यह अपराध करने के फौरन ही बाद वह दस मील की दूरी पर ब्राच लाइन के एक छोटे से स्टेशन पर गया और वहा से उसने कलकत्ता के

लिए गाड़ी पकड़ी ।

इस्तगासे की गवाही मभी तरह से पूर्ण थी । बहुत-सी आखोंदेखी गवाहिया थी और इस मुद्दे के लिए भी बहुत मजबूत प्रमाण था । लेकिन इतने पर भी उसमें एक कमी रह गई थी, और वह यह, कि एक अनावश्यक झूठे प्रमाण के सहारे इस मामले को खड़ा करने की चेष्टा की गई थी । वह कमी इस असाधारण नाटकीय मामले में बड़े ही नाटकीय ढंग से प्रकाश में आई ।

मृतक गिरजाशकर अपने जिले में बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था । उसकी जाति के बहुत-से व्यक्ति जिले में प्रतिष्ठित माने जाते थे । उनमें से एक प्रमुख वकील थे, जिन्हें हम अतुलविहारी कहेंगे । वह जिला कचहरी में वकालत करते थे । हत्या के अगले दिन शव को पोस्ट-मार्टम की परीक्षा के लिए जिला-केंद्र में लाया गया और परीक्षा के बाद उसे सबधियों के हवाले कर दिया गया । दोपहर बाद गिरजाशकर के छोटे भाई तथा अन्य रिश्तेदारों ने उसका दाह-संस्कार किया । नूर्यास्त के बाद मुर्दानी के सब लोग अतुलविहारी के मकान पर जमा हुए ।

बहुत-से लोग वहा हाजिर थे और उनमें कुछेक छोटे वकील थे, जो अतुलविहारी के दफ्तर में काम करते थे । स्वभावतः हर कोई उस समय हत्या के बारे में विचार कर रहा था । बीमार भाई, जो उस समय पूर्णतया विक्षिप्त और बेहाल अवस्था में था, अपने भाई की मृत्यु से शोकातुर आराम कुर्सी पर चित्त पड़ा था । “यह तो केवल दुर्भाग्य ही है”, उसने कहा—“गिरजाशकर कभी न मारा जाता, अगर मूमी (दो अग्ररक्षकों में से एक) उस रात छुट्टी पर न गया होता । अगर मूनो मौजूद होता, तो यह हत्या कभी नहीं हो सकती थी ।” इतने पर भी मैगन जज को अदालत में इस मूमी ने गवाही दी थी कि वह हाजिर था और उसने वस्तुतः वाजपेयी को गिरजाशकर को खाट के सिरहाने खड़ा हुआ अपनी आंखों से देखा था ।

इसके बाद हुआ यह कि वहा उन हाजिर छोटे वकीलों में से एक को अभि-

जिस योजना के अनुसार मूसी (अगररक्षक) को घटनास्थल पर लाया जा सकता था, उसमें लालटेन का भी खयाल किया जा सकता था। वस्तुतः सारा मामला यही था।

अभियुक्त की रक्षा की केवल यही आशा थी कि इस मामले की यथासंभव हल्के तौर पर पेश किया जाय और इसकी गहराई में न पैठा जाय, क्योंकि जितना ही गहराई में आप जायेंगे, उतना ही अभियुक्त उसकी गहराई में डूबता जायगा।

जिस-दिन हाई कोर्ट गर्मियों की छट्टियों के लिए बंद होनी थी, ठीक उसी दिन इस मुकदमे की पेशी हुई। मैंने बहुत ही सामान्य रूप में मामला पेश किया और सबूत के बारे में कोई खास चर्चा नहीं की। मैं मूसी और लालटेन की मौजूदगी पर ही केंद्रोभूत रहा। मैंने बहस में कहा कि इन अवस्थाओं में पहचानना संभव नहीं था और यह भी संभव नहीं कि हत्यारा इस ढंग से वहाँ खड़ा रहे और पकड़े जाने या पहचाने जाने का खतरा उठाये, जिस तरह गवाहों ने बयान दिया है।

सीनियर जज पते की बात को बहुत जल्द पकड़ते थे। जब कभी उनके सामने कोई नुक्ता कोरे ढंग से पेश किया जाता, तो वह उसे बहुत पसंद करते। मुझे महसूस हुआ कि दोनों जज मेरी बात से प्रभावित हुए हैं। मैं बैठ गया। मैं समझता हूँ कि पूरे साठ मिनट भी मैंने नहीं लिये होंगे। इसके बाद इस्तगासे के समयन के लिए सरकारी वकील को ओर से वह बड़े वकील खड़े हुए। उन्हें लगा कि जज इस मामले का एकदम हल्का-सा खयाल करके कहीं अभियुक्त को बरी न कर दे। उन्होंने जवाब में कहा कि मैंने इस मामले का आवश्यकता से अधिक सरल समझा है। इसकी गुहना के लिए सारे सबूत का भलो प्रकार विश्लेषण करना आवश्यक है और इसमें लगभग तीन घंटे लग जायेंगे। यह सुनकर विद्वान जज कुछ नाराज-म दिखाई दिये और मानियर जज ने कहा—“अगर यह बात है तो अदालत के फिर बैठने तक मुकदमा स्थगित किया जाय।” उन्होंने मभवत यही खयाल किया होगा कि जिस फौजदारो मुकदमे के पक्ष-समयन के लिए तीन घंटे

चाहिए, वह निश्चय ही भद्दा होगा ।

अदालतें वद हो जाने पर मैं गर्मियों की छुट्टियों में काश्मीर चला गया और क्लर्क को आदेश कर गया कि छुट्टियों में मैं तो पेशी पर हाजिर न हो सकूंगा, इसलिए इस अपील-सवबी कागजात अभियुक्त की वहन को लौटा दे । लेकिन उसने वह कागज न लिये । वह वेहद रोई, चिल्लाई और फलत मुझे अपील के लिए काश्मीर से आना पडा । लेकिन मेरे आने की वस्तुतः जरूरत भी नहीं थी । मुझे मालूम नहीं, यह कैसे और क्यों हुआ कि जब अदालत बैठी और इस्तगामे के वकील खडे हुए, तो जजों में से एक ने कहा—“ओह, यह तो वही मुकदमा है, जिसमें एक अनुपस्थित अग्ररक्षक और लालटेन का किस्सा था । तो कहिये, अब आप क्या कहना चाहते हैं?” वस्तुतः उममें बहुत कहने की गुजाइश नहीं है ।”

मेरे विद्वान मित्र ने बहुत यत्नपूर्वक पक्ष-समर्थन किया । मैं समझता हू कि स्वतः उन्हें यह विश्वास ही गया था कि यह मामला विल्कुल सच्चा है । उन्होंने सारे सबूत और गवाहों की गहादतों का विस्तार-पूर्वक उल्लेख किया, लेकिन इसका कोई लाभ न हुआ । जज अपना निर्णय कर चुके थे । उन्होंने बार-बार इम बात को दोहराया—“रात एकदम अचोरी थी, मूसी बहा हाजिर नहीं था, घटना-स्थल के लिए लालटेन का आविष्कार किया गया और इसलिए किमी प्रकार की पहचान अनभव थी ।” इमने भी अविक्त उन्होंने यह खयाल किया—“सभव है, हत्यारे के पास टाचं हो और वह एक ही बार में गला अलग करने के बाद यथाशीघ्र भाग खडा हुआ हो ।” इम्नगासे के वकील की वहम के बाद फैसला तत्काल सुना दिया गया और वाजपेयी बरी हो गया ।

: १७

कडुए वादाम

श्री श्रीप्रकाशजी (उन दिनों ववई के गवर्नर) हिंदुस्तान भर में प्रसिद्ध काग्रेष्पी हैं और श्री आनंद नारायण मन्न उत्तर प्रदेश में इंडियन

सिविल सर्विस के एक उच्चाधिकारी हैं। जिस समय की मैं यह घटना लिख रहा हूँ, उन दिनों श्री सप्रू लखनऊ के अस्पताल में बहुत बुरी तरह बीमार पड़े थे और जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। उनकी बीमारी के विषय में उनके डाक्टरों का कहना था कि ऐसी बीमारी ही बहुत कम देखने में आई है। यह एक ऐसी बीमारी थी, जिसकी डाक्टरी रिपोर्टों और पत्रिकाओं में केवल आठ या नौ ही घटनाएँ देखने में आई थी। उनके पाम एक पालतू कुत्ता था जो पागल हो गया था और उनके परिवार के डाक्टर ने उन्हें सलाह दी कि सावधानी के तौर पर सारे घर के लोगों को पागल कुत्ते के काटने के असर से बचने के लिए इजेक्शन लगवा दिये जाय। यह एक मामूली सा इलाज था और ए० एन० सप्रू के सिवा किमीको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन श्री सप्रू पर तो इसकी भीषण प्रतिक्रिया हुई। थोड़े ही दिनों में उनका टेपरेचर बहुत ही बढ़ गया और उसके बाद गले से लेकर नीचे तक उनके सारे शरीर को लकवा मार गया। उनके डाक्टर कुछ भी कर सकने को लाचार थे और इजेक्शन की भीषण प्रतिक्रिया को निरंतर सावधानी के साथ देखते रहे, जो स्वतः ही कई महीनों के बाद शांत हो गई।

X

X

\

श्री श्रीप्रकाशजी बहुत ही कोमल-हृदय व्यक्ति हैं। उनकी जन्म-भूमि बनारस में उन्हें सब कोई चाहते हैं। जो भी कोई उनके पास सहायता के लिए जाता, वह हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते और मैं समझता हूँ कि उनकी इसी महानता के कारण कोई भी उनकी कही हुई बात को टाल नहीं सकता।

श्री श्रीप्रकाशजी कुछ दिन के लिए इलाहाबाद आये हुए थे और मेरे ही यहाँ ठहरे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने बनारस के किसी उस आदमी की फौजदारो अपील को लेने से क्यों इन्कार कर दिया था, जिसे मृत्यु-दंड दिया गया था। मैंने जवाब दिया कि मुझे तो इस मामले का कुछ भी पता नहीं और कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया। उन्होंने कहा कि बनारस के कुछ लोग अभी-अभी आपसे मिलने को आये थे।

और संभव है आपके क्लर्क ने उन्हें इस कारण लौटा दिया हो कि वे ऐसे मामलों में जो आपकी आम फीस है उसे नहीं दे सकते थे । मैंने कहा—“ऐसे मामलों में मैं अपने क्लर्क को अपना संरक्षक समझता हूँ और वह हमेशा भरसक यत्न करता है कि मेरा मुआवजा मुझे ठीक-ठीक मिल जाय ।”

श्री श्रीप्रकाशजी मुस्कराये और बोले—“मैं इन वनारस के लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और इनमें अधिक मेरी उनमें विशेष चिलचस्पी भी है । क्या आप उनका मामला ले सकेंगे ?” मैंने फौरन ही मजूर कर लिया, “क्योंकि” मैंने कहा—“अब तो इन मामले का सारा रूप ही पलट गया है ।” मैंने अपने क्लर्क को बुलाकर आदेश दिया कि इस अपील को ले ले और आवश्यक कार्रवाई करे । इसके बाद श्री श्रीप्रकाश चले गये । जो काम उन्होंने मुझे सौंपा था, न तो उन्होंने ही उसे महत्त्व किया और न तब मैंने ही । कुछ दिन बाद जब मैंने कागजों को देखा, तब मैंने उसकी जटिलता को समझा । यह बहुत ही कठिन मामला था और यदि यह सच था तो निश्चय ही यह घट्यत भयानक और विद्रोहपूर्ण था । एक हिंदू लड़के को इसलिए मृत्युदंड दिया गया था कि उसने अपने पिता की हत्या करने के इरादे में उसे जहर दिया था । इस अपराध का मुद्दा बहुत ही घृणित था—अर्थात् पुत्र और उसकी सीतेली मा के बीच अनुचित संबंध । इस्तगासे का मामला बड़े सामान्य रूप में पेश किया गया था । मृतक की तावे और पीतल के वर्तनों की दूकान थी । दूकान से थोड़ी ही दूरी पर उसका मकान था । अभियुक्त उसका बेटा था, जो उसकी पहली पत्नी से था । पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उसने पुनः एक युवा स्त्री से विवाह किया, जिससे उसके दो या तीन बच्चे हुए । अभियुक्त की आयु पच्चीस-तीस वर्ष के बीच थी । वह विवाहित था और उसका भी एक बच्चा था । जो हो, उसका पिता उसके व्यवहार से बहुत ही अंतुष्ट था । उसे अपने बेटे पर शक था कि उसका अपनी सीतेली मा के साथ बुरा संबंध है । इसके अनिश्चित वह अपने बेटे को एकदम आबारा खयाल करता था और उसने समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया था कि उम्ने अपने लड़के को घर से निकाल दिया है और वह उसके कर्जों के लिए

सिविल सर्विस के एक उच्चाधिकारी है। जिस समय की मैं यह घटना लिख रहा हूँ, उन दिनों श्री सप्रू लखनऊ के अस्पताल में बहुत बुरी तरह बीमार पड़े थे और जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। उनकी बीमारी के विषय में उनके डाक्टरों का कहना था कि ऐसी बीमारी ही बहुत कम देखने में आई है। यह एक ऐसी बीमारी थी, जिसकी डाक्टरी रिपोर्टों और पत्रिकाओं में केवल आठ या नौ ही घटनाएँ देखने में आई थी। उनके पाम एक पालतू कुत्ता था जो पागल हो गया था और उनके परिवार के डाक्टर ने उन्हें मलाह दी कि सावधानी के तौर पर सारे घर के लोगों को पागल कुत्ते के काटने के असर से बचने के लिए इजेक्शन लगवा दिये जाय। यह एक मामूली सा इलाज था और ए० एन० सप्रू के सिवा किसीको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन श्री सप्रू पर तो इसकी भीषण प्रतिक्रिया हुई। थोड़े ही दिनों में उनका टेपरेचर बहुत ही बढ़ गया और उसके बाद गले से लेकर नीचे तक उनके सारे शरीर को लकवा मार गया। उनके डाक्टर कुछ भी कर सकने को लाचार थे और इजेक्शन की भीषण प्रतिक्रिया को निरंतर सावधानी के साथ देखते रहे, जो स्वतः ही कई महीनों के बाद शांत हो गई।

×

×

×

श्री श्रीप्रकाशजी बहुत ही कोमल-हृदय व्यक्ति हैं। उनकी जन्म-भूमि बनारस में उन्हें सब कोई चाहते हैं। जो भी कोई उनके पास सहायता के लिए जाता, वह हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते और मैं समझता हूँ कि उनकी इसी महानता के कारण कोई भी उनकी कही हुई बात को टाल नहीं सकता।

श्री श्रीप्रकाशजी कुछ दिन के लिए इलाहाबाद आये हुए थे और मेरे ही यहाँ ठहरे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने बनारस के किसी उस आदमी की फौजदारी अपील को लेने से क्यों इन्कार कर दिया था, जिसे मृत्यु-दंड दिया गया था। मैंने जवाब दिया कि मुझे तो इस मामले का कुछ भी पता नहीं और कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया। उन्होंने कहा कि बनारस के कुछ लोग अभी-अभी आपसे मिलने को आये थे।

श्रीर सभव है आपके क्लर्क ने उन्हें इस कारण लांटा दिया हो कि वे ऐसे मामलों में जो आपकी ग्राम फीस है उसे नहीं दे सकते थे । मैंने कहा—“ऐसे मामलों में मैं अपने क्लर्क को अपना मरखक समझता हूँ और वह हमेशा भरसक यत्न करना है कि मेरा मुआवजा मुझे ठीक-ठीक मिल जाय ।”

श्री श्रीप्रकाशजी मुस्कराये और बोले—“मैं इन बनारस के लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और इनमें अधिक मेरी उनमें विरोध चिलचस्पी भी है । क्या आप उनका मामला ले नकेंगे ?” मैंने फौरन ही मजूर कर लिया, “क्योंकि” मैंने कहा—“अब तो इन मामले का सारा रूप ही पलट गया है ।” मैंने अपने क्लर्क को बुलाकर आदेश दिया कि इस अपील को ले ले और आवश्यक कार्रवाई करे । इसके बाद श्री श्रीप्रकाश चले गये । जो काम उन्होंने मुझे सौंपा था, न तो उन्होंने ही उसे महसूस किया और न तब मैंने ही । कुछ दिन बाद जब मैंने कागजों को देखा, तब मैंने उसकी जटिलता को समझा । यह बहुत ही कठिन मामला था और यदि यह सच था तो निश्चय ही यह घट्यत भयानक और विद्रोहपूर्ण था । एक हिंदू लडके को इसलिए मृत्युदंड दिया गया था कि उसने अपने पिता की हत्या करने के इरादे से उसे जहर दिया था । इस अपराध का मुद्दा बहुत ही घृणित था—अर्थात् पुत्र और उसकी साँतिली मा के बीच अनुचित सबब । इस्तग्रासे का मामला बड़े सामान्य रूप में पेश किया गया था । मृतक की तावे और पीतल के वर्तनों की दूकान थी । दूकान से थोड़ी ही दूरी पर उसका मकान था । अभियुक्त उसका बेटा था, जो उसकी पहली पत्नी से था । पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उसने पुनः एक युवा स्त्री से विवाह किया, जिससे उनके दो या तीन बच्चे हुए । अभियुक्त की आयु पच्चीस-तीस वर्ष के बीच थी । वह विवाहित था और उसका भी एक बच्चा था । जो हो, उसका पिता उसके व्यवहार से बहुत ही अननुष्ट था । उसे अपने बेटे पर शक था कि उसका अपनी साँतिली मा के साथ बुरा मवव है । इसके अनिश्चित वह अपने बेटे को एकदम आवादा ख्यान करता था और उसने समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया था कि उसने अपने लडके को घर से निकाल दिया है और वह उसके कर्जों के लिए

सिविल सर्विस के एक उच्चाधिकारी है। जिस समय की मैं यह घटना लिख रहा हूँ, उन दिनों श्री सप्रू लखनऊ के अस्पताल में बहुत बुरी तरह बीमार पड़े थे और जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। उनकी बीमारी के विषय में उनके डाक्टरों का कहना था कि ऐसी बीमारी ही बहुत कम देखने में आई है। यह एक ऐसी बीमारी थी, जिमकी डाक्टरी रिपोर्टों और पत्रिकाओं में केवल आठ या नौ ही घटनाएँ देखने में आई थी। उनके पाम एक पालतू कुत्ता था जो पागल हो गया था और उनके परिवार के डाक्टर ने उन्हें मलाह दी कि सावधानी के तौर पर सारे घर के लोगों को पागल कुत्ते के काटने के अमर में बचने के लिए इजेक्शन लगवा दिये जाय। यह एक मामूली सा इलाज था और ए० एन० सप्रू के मिवा किमीको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन श्री सप्रू पर तो इसकी भीषण प्रतिक्रिया हुई। थोड़े ही दिनों में उनका टेपरेचर बहुत ही बढ़ गया और उसके बाद गले से लेकर नीचे तक उनके सारे शरीर को लकवा मार गया। उनके डाक्टर कुछ भी कर सकने को लाचार थे और इजेक्शन की भीषण प्रतिक्रिया को निरंतर सावधानी के साथ देखते रहे, जो स्वतः ही कई महीनों के बाद शांत हो गई।

×

×

×

श्री श्रीप्रकाशजी बहुत ही कोमल-हृदय व्यक्ति हैं। उनकी जन्म-भूमि बनारस में उन्हें सब कोई चाहते हैं। जो भी कोई उनके पास सहायता के लिए जाता, वह हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते और मैं समझता हूँ कि उनकी इसी महानता के कारण कोई भी उनकी कहीं हुई बात को टाल नहीं सकता।

श्री श्रीप्रकाशजी कुछ दिन के लिए इलाहाबाद आये हुए थे और मेरे ही यहाँ ठहरे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने बनारस के किसी उस आदमी की फौजदारी अपील को लेने से क्यों इन्कार कर दिया था, जिसे मृत्यु-दंड दिया गया था। मैंने जवाब दिया कि मुझे तो इस मामले का कुछ भी पता नहीं और कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया। उन्होंने कहा कि बनारस के कुछ लोग अभी-अभी आपसे मिलने को आये थे।

और सभव है आपके क्लर्क ने उन्हें इस कारण लौटा दिया हो कि वे ऐसे मामलो में जो आपकी आम फीस है उसे नहीं दे सकते थे । मैंने कहा—“ऐसे मामलो में मैं अपने क्लर्क को अपना सरक्षक समझता हूँ और वह हमेशा भरसक यत्न करता है कि मेरा मुआवजा मुझे ठीक-ठीक मिल जाय ।”

श्री श्रीप्रकाशजी मुस्कराये और बोले—“मैं इन बनारस के लोगो को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और इससे अधिक मेरी उनमें विशेष चिलचस्पी भी है । क्या आप उनका मामला ले सकेंगे ?” मैंने फौरन ही मजूर कर लिया, “क्योंकि” मैंने कहा—“अब तो इस मामले का सारा रूप ही पलट गया है ।” मैंने अपने क्लर्क को बुलाकर आदेश दिया कि इस अपील को ले ले और आवश्यक कार्रवाई करे । इसके बाद श्री श्रीप्रकाश चले गये । जो काम उन्होंने मुझे सौंपा था, न तो उन्होंने ही उसे महनूम किया और न तब मैंने ही । कुछ दिन बाद जब मैंने कागजों को देखा, तब मैंने उसकी जटिलता को समझा । यह बहुत ही कठिन मामला था और यदि यह सच था तो निश्चय ही यह अत्यंत भयानक और विद्रोहपूर्ण था । एक हिंदू लडके को इसलिए मृत्युदंड दिया गया था कि उसने अपने पिता की हत्या करने के इरादे में उसे जहर दिया था । इस अपराध का मुद्दा बहुत ही घृणित था—अर्थात् पुत्र और उसकी सीतेली मा के बीच अनुचित सबब । इस्तगासे का मामला बड़े सामान्य रूप में पेश किया गया था । मृतक की तावे और पीतल के वर्तनो की दूकान थी । दूकान से थोड़ी ही दूरी पर उसका मकान था । अभियुक्त उसका बेटा था, जो उसकी पहली पत्नी से था । पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उसने पुन एक युवा स्त्री से विवाह किया, जिससे उसके दो या तीन बच्चे हुए । अभियुक्त की आयु पच्चीस-तीस वर्ष के बीच थी । वह विवाहित था और उसका भी एक बच्चा था । जो हो, उसका पिता उसके व्यवहार से बहुत ही अमत्तुष्ट था । उसे अपने बेटे पर शक था कि उसका अपनी सीतेली मा के साथ बुरा सबब है । इसके अनिरिक्त वह अपने बेटे को एकदम आबारा खयाल करता था और उसने ममाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया था कि उसने अपने लडके को घर से निकाल दिया है और वह उनके कर्जों के लिए

सिविल सर्विस के एक उच्चाधिकारी हैं। जिस समय की मैं यह घटना लिख रहा हूँ, उन दिनों श्री सप्रू लखनऊ के अस्पताल में बहुत बुरी तरह बीमार पड़े थे और जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। उनकी बीमारी के विषय में उनके डाक्टरों का कहना था कि ऐसी बीमारी ही बहुत कम देखने में आई है। यह एक ऐसी बीमारी थी, जिसकी डाक्टरी रिपोर्टों और पत्रिकाओं में केवल आठ या नौ ही घटनाएँ देखने में आई थी। उनके पाम एक पालतू कुत्ता था जो पागल हो गया था और उनके परिवार के डाक्टर ने उन्हें मलाह दी कि सावधानी के तौर पर सारे घर के लोगों को पागल कुत्तों के काटने के असर से बचने के लिए इजेक्शन लगवा दिये जाय। यह एक मामूली सा इलाज था और ए० एन० सप्रू के सिवा किसीको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन श्री सप्रू पर तो इसकी भीषण प्रतिक्रिया हुई। थोड़े ही दिनों में उनका टेपरेचर बहुत ही बढ़ गया और उसके बाद गले से लेकर नीचे तक उनके सारे शरीर को लकवा मार गया। उनके डाक्टर कुछ भी कर सकने को लाचार थे और इजेक्शन की भीषण प्रतिक्रिया को निरंतर सावधानी के साथ देखते रहे, जो स्वतः ही कई महीनों के बाद शांत हो गई।

×

×

×

श्री श्रीप्रकाशजी बहुत ही कोमल-हृदय व्यक्ति हैं। उनकी जन्म-भूमि बनारस में उन्हें सब कोई चाहते हैं। जो भी कोई उनके पास सहायता के लिए जाता, वह हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते और मैं समझता हूँ कि उनकी इसी महानता के कारण कोई भी उनकी कही हुई बात को टाल नहीं सकता।

श्री श्रीप्रकाशजी कुछ दिन के लिए इलाहाबाद आये हुए थे और मेरे ही यहाँ ठहरे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने बनारस के किसी उस आदमी की फौजदारी अपील को लेने से क्यों इन्कार कर दिया था, जिसे मृत्यु-दंड दिया गया था। मैंने जवाब दिया कि मुझे तो इस मामले का कुछ भी पता नहीं और कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया। उन्होंने कहा कि बनारस के कुछ लोग अभी-अभी आपसे मिलने को आये थे।

और मभव है आपके क्लर्क ने उन्हे इस कारण लौटा दिया हो कि वे ऐसे मामलो में जो आपकी आम फीस है उसे नही दे सकते थे । मैंने कहा—“ऐसे मामलो में मैं अपने क्लर्क को अपना मरझक समझता हू और वह हमेशा भरमक यत्न करता है कि मेरा मुआवजा मुझे ठीक-ठीक मिल जाय ।”

श्री श्रीप्रकाशजी मुस्कराये और बोले—“मैं इन बनारस के लोगो को बहुत अच्छी तरह जानता हू और इसमें अरबिक मेरी उनमें विशेष चिलचस्पी भी है । क्या आप उनका मामला ले सकेंगे ?” मैंने फौरन ही मजूर कर लिया, “क्योंकि” मैंने कहा—“अब तो इस मामले का सारा रूप ही पलट गया है ।” मैंने अपने क्लर्क को बुलाकर आदेश दिया कि इस अपील को ले ले और आवश्यक कार्रवाई करे । इसके बाद श्री श्रीप्रकाश चले गये । जो काम उन्होंने मुझे सौंपा था, न तो उन्होंने ही उसे महसूस किया और न तब मैंने ही । कुछ दिन बाद जब मैंने कागजी को देखा, तब मैंने उसकी जटिलता को समझा । यह बहुत ही कठिन मामला था और यदि यह सच था तो निश्चत ही यह अत्यंत भयानक और विद्रोहपूर्ण था । एक हिंदू लडके को इसलिए मृत्युदंड दिया गया था कि उमने अपने पिता की हत्या करने के इरादे मे उसे जहर दिया था । इस अपराध का मुद्दा बहुत ही घृणित था—अर्थात् पुत्र और उसकी सौतेली मा के बीच अनुचित सबब । इस्तगासे का मामला बडे सामान्य रूप में पेश किया गया था । मृतक की तावे और पीतल के वर्तनो की दूकान थी । दूकान से थोड़ी ही दूरी पर उसका भकान था । अभियुक्त उसका बेटा था, जो उनकी पहली पत्नी मे था । पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उमने पुन एक युवा स्त्री मे विवाह किया, जिससे उसके दो या तीन बच्चे हुए । अभियुक्त की आयु पच्चीस-तीस वर्ष के बीच थी । वह विवाहित था और उमका भी एक बच्चा था । जो हो, उसका पिता उमके व्यवहार से बहुत ही अनतुष्ट था । उमे अपने बेटे पर शक था कि उमका अपनी सौतेली मा के साथ बुरा सबब है । इसके अतिरिक्त वह अपने बेटे को एकदम आवारा खयाल करता था और उमने समाचार-पत्रो में विज्ञापन दिया था कि उसने अपने लडके को घर से निकाल दिया है और वह उसके कजों के लिए

सिविल सर्विस के एक उच्चाधिकारी है। जिस समय की मैं यह घटना लिख रहा हूँ, उन दिनों श्री सप्रू लखनऊ के अस्पताल में बहुत बुरी तरह बीमार पड़े थे और जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। उनकी बीमारी के विषय में उनके डाक्टरों का कहना था कि ऐसी बीमारी ही बहुत कम देखने में आई है। यह एक ऐसी बीमारी थी, जिसकी डाक्टरों रिपोर्टों और पत्रिकाओं में केवल आठ या नौ ही घटनाएँ देखने में आई थी। उनके पास एक पालतू कुत्ता था जो पागल हो गया था और उनके परिवार के डाक्टर ने उन्हें सलाह दी कि सावधानी के तौर पर सारे घर के लोगों को पागल कुत्ते के काटने के असर से बचने के लिए इजेक्शन लगवा दिये जाय। यह एक मामूली सा इलाज था और ए० एन० सप्रू के सिवा किमीको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन श्री सप्रू पर तो इसकी भीषण प्रतिक्रिया हुई। थोड़े ही दिनों में उनका टेपरेचर बहुत ही बढ़ गया और उसके बाद गले से लेकर नीचे तक उनके सारे शरीर को लकवा मार गया। उनके डाक्टर कुछ भी कर सकने का लाचार थे और इजेक्शन की भीषण प्रतिक्रिया को निरंतर सावधानी के साथ देखते रहे, जो स्वतः ही कई महीनों के बाद शांत हो गई।

×

×

×

श्री श्रीप्रकाशजी बहुत ही कोमल-हृदय व्यक्ति हैं। उनकी जन्म-भूमि बनारस में उन्हें सब कोई चाहते हैं। जो भी कोई उनके पास सहायता के लिए जाता, वह हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते और मैं समझता हूँ कि उनकी इसी महानता के कारण कोई भी उनकी कही हुई बात को टाल नहीं सकता।

श्री श्रीप्रकाशजी कुछ दिन के लिए इलाहाबाद आये हुए थे और मेरे ही यहाँ ठहरे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने बनारस के किसी उस आदमी की फौजदारी अपील को लेने से क्यों इन्कार कर दिया था, जिसे मृत्यु-दंड दिया गया था। मैंने जवाब दिया कि मुझे तो इस मामले का कुछ भी पता नहीं और कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया। उन्होंने कहा कि बनारस के कुछ लोग अभी-अभी आपसे मिलने को आये थे।

श्रीर मभव है आपके क्लर्क ने उन्हें इस कारण लौटा दिया हो कि वे ऐसे मामलो में जो आपकी ग्राम फीस है उसे नही दे सकते थे । मैंने कहा—“ऐसे मामलो में मैं अपने क्लर्क को अपना मरक्षक समझता हू और वह हमेशा मरसक यत्न करता है कि मेरा मुआवजा मुझे ठीक-ठीक मिल जाय ।”

श्री श्रीप्रकाशजी मुस्कराये और बोले—“मैं इन बनारस के लोगो को बहुत अच्छी तरह जानता हू और इसमे अधिक मेरी उनमें विशेष चिलचस्पी भी है । क्या आप उनका मामला ले मकेगे ?” मैंने फौरन ही मजूर कर लिया, “क्योकि” मैंने कहा—“अब तो इम मामले का सारा रूप ही पलट गया है ।” मैंने अपने क्लर्क को बुलाकर आदेश दिया कि इस अपील को ले ले और आव-प्यक कार्रवाई करे । इमके बाद श्री श्रीप्रकाश चले गये । जो काम उन्होंने मुझे सौंपा था, न तो उन्होंने ही उमे महनुम किया और न तब मैंने ही । कुछ दिन बाद जब मैंने कागजो को देखा, तब मैंने उमकी जटिलता को समझा । यह बहुत ही कठिन मामला था और यदि यह सच था तो निश्चत ही यह अत्यत मयानक और विद्रोहपूर्ण था । एक हिंदू लडके को इसलिये मृत्युदंड दिया गया था कि उसने अपने पिता की हत्या करने के इरादे मे उसे जहर दिया था । इम अपराव का मुद्दा बहुत ही घृणित था—अर्थात् पुत्र और उसकी मातेली मा के बीच अनुचित सवव । इस्तगासे का मामला बडे सामान्य रूप में पेश किया गया था । मृतक की तावे और पीतल के वर्तनों की दूकान थी । दूकान मे थोडी ही दूरी पर उमका मकान था । अभियुक्त उसका वेटा था, जो उसकी पहली पत्नी से था । पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उमने पुनः एक युवा स्त्री ने विवाह किया, जिससे उसके दो या तीन बच्चे हुए । अभियुक्त की आयु पच्चीस-तीम वर्ष के बीच थी । वह विवाहित था और उसका भी एक बच्चा था । जो हो, उसका पिता उमके व्यवहार से बहुत ही असतुष्ट था । उमे अपने वेटे पर शक था कि उमका अपनी मातेली मा के साथ बुरा सवव है । इसके अतिरिक्त वह अपने वेटे को एकदम आवारा खयाल करता था और उमने समाचार-पत्रो में विज्ञापन दिया था कि उसने अपने लडके को घर से निकाल दिया है और वह उमके कजों के लिए

जिम्मेदार नहीं होगा। जो हो, पिता-पुत्र रहते तो इकट्ठे ही थे।

पिता की दूकान के साथ एक दूसरी दूकान थी, जहाँ मिठाइयाँ और ठाड़ई मिलती थी।

इस्तगासे के अनुसार, दशहरे के दिनों में एक दिन दोपहर को यह लड़का पड़ोसी दूकानदार के पास आया और कहा कि चलो, आज छट्टी मनाये। किंतु इस मित्र ने उससे क्षमा चाही कि उसे बहुत नाम है और उसमें अकेले की चले जाने को कहा। इस पर पुत्र ने कहा कि वह भी नहीं जायगा। इतना कहकर वह चला गया। आगे यह कहा गया था कि आध घंटा या चालीस मिनट बाद यह पुत्र फिर वापस आया और उसके हाथों में ठाड़ई के दो गिलास थे। हर कोई जानता है कि ठाड़ई में थोड़ा भाग, चीनी और थोड़ा दूध और कभी-कभी थोड़े से वादाम भी पड़ने हैं। उसने इन दोनों गिलासों में से एक पहले अपने पिता को दिया। उमका ऐसा करना ठीक ही था और पिता ने भी तत्काल ही उसे पी लिया। इसके बाद वह पुत्र साथ की दूकान में गया और उमने दूसरा गिलास अपने दूकानदार मित्र को पेश किया। यह मित्र उस समय एक ग्राहक को मीठा दे रहा था, इसलिए उसने वह गिलास ज्यों-का-त्यों रख लिया। कुछ मिनटों बाद उसने एक घंट भरा और उसे लगा कि उमने कुछ कड़वाहट है इसलिए उमने उसे थक दिया। इसके बाद उसने फिर उसे चखा। उसे फिर वह कड़वा लगा और उसने फिर उसे थक दिया। इस तरह करते-करते आध घंटा या कुछ समय बीत गया और हर किसीको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पिता बेहोश होकर गिर पड़ा। वहाँ बड़ा भारी गुल-गपाड़ा हो गया और भोड़ जमा हो गई। कोई डाक्टर को बुलाने दौड़ा। नगर के इस हिस्से में बहुत ही चहल-पहल रहती है और भाग्य से इसी क्षण लोगो ने एक डाक्टर को इक्के में जाते हुए देखा, जो एक रिटायर्ड सिविल सज्जन थे। डाक्टर को तत्काल घटना-स्थल पर लाया गया। उसने पिता की जाँच की और उमको खतरनाक हालत देखते हुए उसे फौरन पुलिस-थाने की राह अस्पताल पहुँचाने की सलाह दी। इसके बाद डाक्टर ने दूसरे से पूछा कि उसे किसी तरह की कोई

तकलीफ तो नहीं है ? इसपर उमने गिकायत की कि उमे भी थोड़े-थोड़े चक्कर आ रहे हैं । डाक्टर उमे अपनी डिम्पेंसरी में ले गया, उमे उमने कुछ दवाई दी और उमके वाद उमके साथ थाने में गया जहा उसने अपनी रपट लिखाई । इस वीच पिता को किमी अस्पताल में भेज दिया गया था, जहा तीन घटे के अदर-अदर उमकी मृत्यु हो गई । शव-परीक्षा (पोस्ट मार्टम) होने पर मृतक के शरीर में मे पोटाशियम साइनाइड मिला, जो बहुत ही घातक विष होता है और डाक्टरों की राय थी कि मृत्यु जहर से हुई है ।

मुझे याद नहीं कि पड़ोसी को दिये गिलास में बची ठंडाई का क्या हुआ । बहुत संभव है उसने स्वयं ही उसे पी लिया हो अथवा कोई दूसरा उसे गटक गया हो । जो भी हुआ हो, इतना तो जरूर था कि उस गिलास की ठंडाई की डाक्टरों जाच नहीं की गई थी ।

पोटाशियम साइनाइड एक बड़ा ही घातक जहर है और उसका आम उपयोग भी नहीं होता । इसलिए बिना किमी पूर्व-योजना के वह ठंडाई के गिलास में पड़ नहीं सकता था और इस्तगामे की कहानी के लिए वह स्वतः प्रत्यक्ष प्रमाण था । ठंडाई पीने से पहले पिता की तवियत विल्कुल ठीक थी । चार या पाच घटे पहले उसने सुबह का खाना भी खाया था और कोई भी यह कह सकता था कि उसकी मृत्यु ठंडाई पीने से ही हुई है ।

सैशन जज की अदालत में जो वकील अभियुक्त की ओर से पेश हुए थे, वह मेरे परिचित थे । फौजदारी मामलों में वह बहुत अनुभवी और सिद्धहस्त थे । उन्होंने इस आचार पर सफाई पेश की थी कि यह मृत्यु विशुद्ध रूप से घटनात्मक है । उम गिलान में कोई भी हानिकारक वस्तु नहीं थी, मवाद में कडुएपन का कारण यह था कि ठंडाई तैयार करने में कडुए वादामों का उपयोग किया गया था । इसके अतिरिक्त उन्होंने चिकित्सा-विषयक न्याय-शास्त्र की कई पुस्तकों के आचार पर यह मुझाव उपस्थित किया था कि थोड़े से ही कडुए वादामों में पर्याप्त मात्रा में साइनाइड आइल होता है । यह साइनाइड आइल मृतक के खाये हुए भोजन में ने मुक्त प्राकृतिक धारों के

साथ पेट में मिलकर पोटेशियम साइनाइड बन गया और उमीके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिरह के दौरान में यह दृष्टिकोण उम सिविल मर्जन के सामने पेश किया गया था, जिसने पोस्ट मार्टम किया था। उसने कहा कि यद्यपि यह सच है कि त्रिकित्सा-विषयक न्यायशास्त्र की किताबों में गत २०० साल में इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख मिलता है, तथापि मैंने गत २७ बरस के निजी अनुभव में ऐसी एक भी घटना नहीं देखी और वह सर्वथा अमभाव्य जान पड़ता है। मैशन जज पर इस मफाई का कोई असर न हुआ और उन्होंने दूसरी गवाहियों को दृष्टि में रखते हुए दोष की पूर्ण प्रामाणिकता का खयाल कर लिया और उम दशा में मृत्यु ही उसका दंड था।

जब मैंने अपील के कागजों का अध्ययन किया, तो मुझे यह मामला बड़ा जटिल-सा जान पड़ा। इसमें बचने की केवल इतनी ही गुंजाइश थी कि यह अपराध अगर सच था, तो इतना अस्वाभाविक और इतना भयानक था, कि न्यायाधीश का मन उसे स्वीकारने में ठिठक जाता और मानव-स्वभाव की ऐसी नीचता को स्वीकार करने से पूव कोई-न-कोई वैकल्पिक हल ढूँढ निकालने की भरसक कोशिश की जाती। उधर अभियुक्त के पक्ष में भी कुछेक स्पष्ट बातें थी। घटना के समय उसका आचरण सर्वथा सामान्य ही रहा था। उसके आचरण से यह प्रकट नहीं हुआ कि वह दोषी था। इस बात का भी कोई कारण नहीं मिला कि उसने पड़ोसी दुकानदार को क्यों विष देना चाहा। इसके बाद की घटनाओं के फनस्वरूप वह भागा भी नहीं। समाचार-पत्रों में पिता के विज्ञापन देने की बात निश्चय ही सही बात हो सकती थी, अथवा यह भी संभव था कि पिता तथा पुत्र के पड़्यत्र के कारण ही यह विज्ञापन दिया गया हो, ताकि पुत्र के लेनदारों को धोखा दिया जा सके और वे परिवार की सयुक्त-संपत्ति पर हाथ न डाल सकें।

यह अपील हाई कोर्ट के दो बहुत ही अनुभवी जजों के सामने पेश हुई। मैंने अभियुक्त के आचरण-सबूतों तथा इस मामले के अन्य पहलुओं को जजों के समक्ष रखा, लेकिन मैंने महसूस किया कि विद्वान जजों पर मेरी इन

युक्तियों का कोई विशेष असर नहीं पडा । इसके बाद, मुझे कडुए वादाम के उक्त सिद्धांत का आश्रय लेना पडा । जब मैंने यह तर्क उपस्थित किया, तो अदालती वातावरण और भी गभीर हो गया । जब मैंने चिकित्सा-सिद्धांत की एक किताब में से उम एक अर्थ को पढकर सुनाया, जिसमें कहा गया था कि कडुए वादामों द्वारा विष की अतीत में कुछ घटनाएँ हुई हैं, तो न्यायाधीशों के चेहरों पर हल्की-सी हंसी की रेखा खिंच गई । एक जज ने उपहास के तौर पर मुझसे कहा—“डा० काटजू, मैं समझता हूँ कि गत २०० वरसों में जो घटनाएँ हुई हैं, उनमें आपकी बताई घटना का ११ वा नंबर जान पडता है ।”

इसी क्षण, मैं नहीं कह सकता, क्या हुआ, किंतु इतना अवश्य था कि मुझमें नव-स्फूर्ति का उदय हो गया । मेरा चेहरा और स्वर दोनों ही बहुत नम्र एवं उदास-मे पड गये, और मैंने बहुत धीमे स्वर में कहा—“क्या जनाव, इस किताब के दूसरे पन्ने को पलटने का कष्ट करेंगे ?” उसमें लिखा हुआ था कि पागल कुत्तों के काटने से बचने के लिए लगाये जाने-वाले इजेक्शनो की कभी-कभी प्रतिक्रिया भी हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम अवस्थामों में होता है, और १०० या इससे अधिक वरसों में इस प्रकार के इजेक्शनो से केवल ६ या १० ही ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जिनमें इजेक्शन लगवानेवाले को लकवा मार गया था । इसके बाद कोई नाम व्यक्त किये बिना ही मैंने आगे कहा—“जनाव, इस अदालत के एक बहुत ही निकट के मित्र के विषय में हम सब बड़े चिंतित रहे हैं, और इतने पर भी इस किताब के अनुसार, वह मामला भी इस विवरण के अनुसार ग्यारहवा ही है । उस मामले का आपको और मुझे व्यक्तिगत ज्ञान है । इसलिए हमें उसके बारे में कोई खास आश्चर्य नहीं जान पडता । हम सब इस मामले को जानते हैं और यह नृत्य भी है । इस पर भी जब मैंने यह कहा कि यह विशेष घटना भी ऐसी ही है कि जिसमें कडुए वादामों द्वारा विष का एक अन्य उदाहरण उपस्थित हुआ है, तो जनाव को यह असंभव तथा असंभाव्य जान पडता है और आपके

ले विश्वास करना कठिन जान पड़ता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर केवल इतना ही है कि एक मामला तो ऐसा है, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, और दूसरा मामला न्याय-मन्त्रालय जाच-पड़ताल का है।”

मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ, लेकिन इस विस्फोट का, जो इनकी हरीब की घटना का था, न केवल जजों पर ही, प्रत्युत अदालत में मौजूद हर किसी पर, इतना प्रभाव पड़ा कि सारा वातावरण ही बदल गया। दोनों तज्ज्ञ पूर्णतया गंभीर हो गये और उनके सारे सशय हवा हो गये। मैंने फीरन की अपनी बहस समाप्त कर दी और सरकारी वकील को जवाब देने के लिए कहा गया। उसने कड़ुए वादामो के आधार पर हुई मृत्यु की कहानी की गंभीरता पर ही चर्चा की। लेकिन जजों ने कहा—“मगर ऐसा हो तो नकल है। ऐसा होने की संभावना को वह रद्द कैसे कर सकते हैं?” इस प्रकार जल्दी ही बहस समाप्त हो गई और खुले इजलास में फैमले की घोषणा कर दी गई और अभियुक्त को बरी कर दिया गया।

×

×

×

उसी शाम की बात है। एक मित्र के यहां चाय-पान का आयोजन किया गया था। हम सब वहां फिर एकत्र हुए। कुछ ठंडाई का भी प्रबंध था और जब ठंडाई का गिलास मुझे पेश किया गया, तो मैंने उसे लेने में इन्कार कर दिया। इन विद्वान जजों में से एक ने मेरे इस इन्कार को पुनः लिया। वह बोले—“डा० काटजू, मैं समझता हूँ कि अब तो आप ठंडाई के नाम से ही डरने लगे हैं। मैं आपको इस बात की तारीफ करता हूँ। प्रभुत्व से शिक्षा ग्रहण करना इसीको कहते हैं!”

१८ •

भाग्य-चक्र

१९४३ की बात है। वागेश का स्वतंत्रता-संग्राम बड़े जोरों पर चल रहा था। दुमरी और अंग्रेजी सरकार को अपनी पुतिम की ताकत

पर बडा भरोसा था। इसमें शक नही कि अनेक पुलिस-अफसरों ने उन दिनों बेहद ज्यादातिया की थी। उन्ही दिनों जिला कानपुर के एक थाने का इंचार्ज था, जो अपने इलाके के लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। यह आम मशहूर था कि अप्टाचार के मुद्दों से रुपया ऐंठने के लिए वह जिन्हें गिरफ्तार करके हवालात में रखता, उनको बहुत ही अपमानित करता और उनके साथ बड़ी निर्लज्जता-पूर्वक पेश आता था। नतीजा यह था कि मारा इलाका उसके डर के मारे कापता था।

एक दिन सुबह-सुबह उनके एक गश्ती सिपाही ने उसे सूचना दी कि ६ मील के फासले पर एक गाव में एक जमींदार के मकान पर बहुत-से हथियार बंद आदमी जमा हो रहे हैं। वे लोग पडोसी-गाव के एक जमींदार पर हमला करना चाहते हैं। इसका राजनैतिक आंदोलन के साथ कोई संबंध नहीं था। यह तो केवल परिवारिक मामला था। दो भाइयों में झगडा चल रहा था और उनकी बहन का पति उनमें से एक का साथ दे रहा था। तदनुसार एक भाई अपने बहनोई की सहायता से दूसरे भाई के घर पर हमला करने की तैयारी कर रहा था।

इस पर थानेदार ने अपने महायक थानेदार को सिपाहियों के एक छोटे-से दल के साथ उस गाव में भेज दिया, जहा दूसरा भाई रहता था और स्वयं एक पुलिस-दल के साथ उस बहनोई जमींदार के मकान पर जा पहुंचा। इसका नाम हम उमाशकर मान लेते हैं। थानेदार ने देखा कि वहा बहुत-से आदमी जमा हैं और कुछ लाठिया भी जमा की हुई पड़ी हैं। इसके अलावा उमाशकर के पास बंदूक का भी लाइसेंस था। उसने उमाशकर को हुक्म दिया कि वह अपनी बंदूक पुलिस के हवाले कर दे। उमाशकर ने बंदूक सांप दी। इसके बाद उसने उमाशकर से कहा कि वह गिरफ्तार किया जाता है और उसे थाने चलना होगा। इस सारी चर्चा के समय उमाशकर के बहुत-से आदमी वहा मौजूद थे, जिनमें उसके नौकर, कारिंदे और काश्तकार भी थे।

उमाशकर ने पहले तो थाने जाने में टाल-मटोल की, पर वह पीछा न छोड़ा सका। आखिरकार एक इक्का मगाया गया और थानेदार उमाशकर के साथ उसमें सवार हो गया। जब वह इक्के में बैठ गया तो कहा जाता है कि उसने अपने कारिदों से मकेत में कहा—“अब क्या देखते हो! अब कौन-सा दिन आयगा!” इस कहने का मतलब यह बनलाया गया था कि उसे पुलिस से छोड़ा लिया जाय और पुलिस-दल और थानेदार पर हमला किया जाय। उसकी मशा चाहे जो भी रही हो और उसके इशारे का चाहे जो भी अर्थ समझा गया हो, यह तो ठीक ही था कि पुलिस-दल पर हमला किया गया और थानेदार को पीटा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस मार-पीट के समय उमाशकर इक्के से उतरकर भाग गया और घटना-स्थल से सबथा लुप्त हो गया। उसके बाद दिन भर वह किमीको दिखाई नहीं दिया। ठीक उसी वक्त अचानक दूसरे गाव से दूसरा पुलिस-दल भी उमी जगह पहुंच गया। सहायक थानेदार ने भीड़ को डराने और नितर-वितर करने के लिए रिवाल्वर से कुछ गोलिया चलाई और उसके बाद घायल थानेदार को उसने उठाया और इक्के में बैठाकर थाने की ओर चला। अभी वे बहुत दूर नहीं जा पाये थे कि भीड़ (जिसमें उमाशकर नहीं था) फिर लोट आई। इस बार भीड़ और भी खूबार बन गई थी और उसने थानेदार को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह वही मर गया। इसके बाद पुलिस-दल थाने पर लौट आया और इस दुघटना का समाचार हैडक्वार्टरों में भेजा गया। आग की तरह यह समाचार जिले भर में फैल गया।

उन भयानक दिनों में एक पुलिस के आदमी की हत्या मामलो बात नहीं थी, इसलिए तत्काल सरनी के साथ जाच शुरू कर दी गई। उमाशकर को और बहुत-से लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया और जाच-पड़ताव के बाद उमाशकर-समेत दोस आदमियों पर मुकदमा चलाया गया। उमाशकर के विरुद्ध दोपारोपण यह था कि

उसने थानेदार पर हमला करने के लिए भौड को उकसाया और इसलिए वह हत्या के प्रोत्साहन के अपराध का दोषी था। किन्तीने भी यह नहीं कहा कि उसने किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत तौर पर पुलिस-दल पर हमला किया या वह हथियारबंद था या उनमें किसी तरह के हथियार का उपयोग किया। सार-रूप में उसके अपराध के विषय में इतने ही शब्द कहे गये थे। कानपुर के सेशन जज ने सब अभियुक्तों को दोषी करार दिया और चार को छोड़कर, जिन्हें उसने उनकी युवावस्था के कारण आजीवन कारावास का दंड दिया था, उमाशकर-सहित बाकी सोलह व्यक्तियों को मृत्यु-दंड दिया गया।

हाई कोर्ट में अपील के अवसर पर उमाशकर और बाकी कई दूसरों की तरफ से मैं पेश हुआ। चीफ जज और एक दूसरे जज ने अपील सुनी और कुछेक अभियुक्तों को पर्याप्त सबूत न होने के आधार पर बरी कर दिया। बाकी जिन लोगों को सजा स्थिर रखी गई, विद्वान जजों ने उसपर टिप्पणी की कि मृतक को वस्तुतः किस व्यक्ति ने हत्या की, इस सबध में कोई प्रमाण न होने की दशा में सभी को मृत्यु-दंड देना न्यायोचित नहीं होगा और ऐसी अवस्था में आजीवन कारावास का दंड समुचित जान पड़ता है। किंतु विद्वान जज इस बारे में सर्वथा निश्चित थे कि इस नृशस हत्या की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी उमाशकर पर ही मुख्यतः है। उसीने लोगों को इस अपराध के लिए उकसाया। अगर वह थानेदार के साथ चुपचाप थाने चला जाता, तो कुछ भी न होता, और इस आधार पर उसके मृत्यु-दंड को स्थिर रखा गया। मैंने उसकी ओर से काफी जोर के साफ सफाई पेश करते हुए कहा—“पहली बात तो यह है कि उकसाने-सबधो नारी कहानी ही गलत है और जो शब्द उसके द्वारा कहे हुए बताये गये हैं, वे उनमें नहीं कहे थे। दूसरे यह कि अगर वे शब्द कहे भी गये तो महज छुड़ाने भर के लिए थे और जरूरत हो तो जबरदस्ती करके भी छुड़ाने के लिए थे। लेकिन किनीकी हत्या के लिए नहीं। वहाँ एक व्यक्ति था, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, जिनमें पुलिस के किसी आदमी को किनी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई और जो तत्काल

भाग गया था।" जो हो, मेरी सारी वकालत और मफाई विल्कुल बेकार साबित हुई। जजो ने अपना निश्चय कर लिया था। उमाशकर की पत्नी हाई कोर्ट में अपने पति की अपील की देख-भाल कर रही थी। वह कई बार मेरे पास आई थी, छोटे-छोटे वच्चे उसके साथ होते और वह बेहद परेशान और बेशुमार चिताओं की प्रतिमूर्ति दीखती थी। इसमें पहले यह औरत अपने गांव के घर से कभी बाहर नहीं आई थी और सभी पास-पड़ोसी उसकी इज्जत और मान करते थे। अब वह बेचारी अपरिचित जगहों और व्यक्तियों के पास अपने पति की जान बचाने के लिए मारी-मारी फिर रही थी।

×

×

×

अपील खारिज होने और हाई काट द्वारा मृत्यु-दंड बहाल रहने के बाद हिंदुस्तान में मृत्यु-दंड प्राप्त आदमी को जान बचाने के लिए उसके परिवार तथा उसमें दिलचस्पी रखनेवाले दूसरे लोग एक आखिरी वाजी लगानी शुरू करते हैं। अंग्रेजी राज्य के जमाने में इंग्लैंड में प्रिवी-कौंसिल में अपील करनी होती थी और इन दिनों नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। यह बहुत ही अनिश्चित तरीका था और आज भी वैसा ही है। यह अपील अफिहार के नाते नहीं होती। अपील करने की इजाजत मागनी पड़ती है और यह स्वीकृति बहुत ही कम अवस्थाओं में दी जाती है।

इस उपाय के अनिश्चित एक दूसरा उपाय भी है, अर्थात् रहम की दरखास्त। हर प्रातः में प्रातीय सरकार को कानून के अधीन किसी भी दंड को रोकने या स्वगित करने या बदलने का निश्चित अधिकार होता था और उसके बाद इंग्लैंड के राज का प्रतिनिधि होने के नाते वाइसराय रहम की दरखास्त पर उस दंड का प्रयोग करना था। तदनुसार रहम की दरखास्त देने के क्षण में ही दरखास्त में फैसले का मृत्यु-दंड रोक दिया जाता था। पहले यह दरखास्त गवर्नर के पास जाती थी। अगर वह नामजूर करना, तो वाइसराय के सामने पेश की जाती। रहम की दरखास्त का चाहे

जो भी रूप हो, लेकिन इतना तो जरूर था कि इस ढग से मृत्यु-दंड प्राप्त व्यक्ति को जीने के कुछ अतिरिक्त दिन मिल जाते थे ।

इम वुरे दिन को टालने की यह अक्मर निराधार आशा हर किसीको प्रिवी कांसिल में अपील के लिए दरख्वास्त करने को भी प्रेरणा करती थी । इस मामले में भी उमागकर की पत्नी ने प्रिवी कांसिल में अपील करने के विषय में मुझसे सलाह मागी । मैंने उससे स्पष्टतया कहा कि इस मामले में कोई गुजाइश नहीं । लेकिन इस प्रकार की भोषण अवस्थाओं में ऐसी सलाह पर कौन ध्यान देता है ? किमी दूसरे वकील की माफत उमने आवश्यक कार्रवाई को श्रीर इग्लैंड में सालिसिटरो को प्रिवी कांसिल में अपील दायर करने का आदेश कर दिया । फलस्वरूप फासी की आज्ञा रोक दी गई ।

इसी बीच उसने सयुक्त प्रात के गवर्नर को भी रहम की दरख्वास्त दे दी । इस वार भी वह मुझसे सलाह और सहायता लेने आई । उसके बोलने के लहजे और उससे भी बढ़कर उसकी आखों के भाव ने मुझे इम बात के लिए लाचार कर दिया कि मैं उसके पति को फासी से बचाने के लिए जो भी कर सकता हूँ, करूँ । उनकी उम दशा से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और स्वत मेरी भी यह राय थी कि यह सजा गलत है और इस पर मृत्यु-दंड तो सर्वथा अन्यायपूर्ण है । इम दृष्टि में मैंने एक बहुत ही असाधारण बात की । मैंने श्री ग्राहम विवियन को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा, जो उन दिनों सयुक्त प्रात के गवर्नर के सलाहकार थे । १९३७-३९ में जब मैं सयुक्त प्रात में मंत्री था, तो उनके साथ मेरा परिचय हुआ था । अपने पत्र के आरम्भ में ही मैंने लिखा था कि मैं यह पत्र एक वकील के नाते नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप में लिख रहा हूँ । मृत्यु-दंड प्राप्त कैदी की पत्नी और बच्चों के लिए मुझे जो सहानुभूति है, उसीकी प्रेरणावश मानवीय आचारों पर यह पत्र लिखा है । मैंने लिखा कि मेरी राय में सजा गलत है, लेकिन संभव है कि गवर्नर महोदय केवल न्याय-विभागीय जाच पर निर्भर रहें और स्वयं इस मामले की पडताल न करें, और चूँकि यह सजा सर्वथा उनकी मर्जी का प्रश्न

होगा, इसलिए मेरे विचार से यह मृत्यु-दंड पूर्णतया अन्यायपूर्ण है। इस पत्र के थोड़े ही दिन बाद श्री विवियन का एक मौहार्दपूर्ण पत्र मुझे मिला। उन्होंने जवाब में लिखा था कि आपका पत्र पाने में पूर्व ही इस मामले का निपटारा हो चुका था, और साथ ही यह भी लिखा कि यदि आपका पत्र पहले भी मिल जाता, तब भी उससे उनकी राय में परिवर्तन न हो पाता, क्योंकि बहुत सोच-विचार के बाद वह इन निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यह मृत्यु-दंड सवथा न्यायपूर्ण है और तदनुसार गवर्नर को भी उन्होंने यही सलाह दी थी। फलतः गवर्नर ने दरख्वास्त नामजूर कर दी। लेकिन इतने से ही मैंने अपने आगे के प्रयत्नों को रोका नहीं। सामान्य क्रम में अब यह दरख्वास्त वाइसराय के पास जानी थी और इस बार मैंने अपने स्नेही मित्र श्री श्रीप्रकाशजी (जो उन दिनों केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे और आजकल वबई के गवर्नर हैं) को पत्र लिखा। मैंने उनसे निवेदन किया कि वह इस मामले के सबंध में भारत सरकार के गृह-मंत्री और कानून-मंत्री से चर्चा करे और जैसे भी हो, इस जान को बचाये। लेकिन इसका भी कोई लाभ न हुआ और श्री श्रीप्रकाशजी के कथनानुसार गृह-सदस्य इस प्रश्न पर दृढ़ मत थे। परिणामस्वरूप वहां भी यह दरख्वास्त नामजूर हो गई। इस प्रकार जहां तक मेरा सबंध था, इस मामले में मेरा काम समाप्त हो चुका था और मेरे वस का कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। समय बीतते मैं इस मामले को भूल ही गया। मैं समझता हूँ, यह बात १९४५ के अंत की है।

इसके बाद न तो उमाशंकर को पत्नी ही और न कोई अन्य व्यक्ति ही इस सबंध में मेरे पास आया।

इधर भारत में राजनैतिक परिस्थिति में बड़ी तीव्रता के साथ परिवर्तन होने जा रहा था। दिसंबर १९४५ में सयुक्त प्रांत के गवर्नर सर मारिस हैलेट रिटायर हो गये और उनकी जगह सर फ्रैंकिस वाईल आये। आम चुनाव हुए और १ अप्रैल १९४६ को कांग्रेस-दल ने पद-ग्रहण किया और मैं पुनः न्याय-मंत्री बना। २ अप्रैल को सबसे पहले जो फाइल मेरे सामने आई, उनमें एक फाइल थी, जिमपर 'हत्या-केस' की 'अत्यावश्यक' लाल

चिट लगी हुई थी। स्वभावतः मैंने सर्वप्रथम उसे देखना शुरू किया। यह फाइल एक स्वाभाविक क्रम में मेरे सामने पेश की गई थी। न्याय-विभाग के सचिव ने उसपर सिफारिश की थी कि चूकि कैदी की अपील को गवर्नर तथा वाइसराय ने नामजूर कर दिया है, इसलिए अब फासी देने की आज्ञा जारी कर दी जाय। यह महज एक जावो की खाना-पूरी का प्रश्न था और स्वतः सचिव भी इसे निपटा सकता था। लेकिन मेरे खयाल में उमने सोचा कि मंत्री-मंडल चूकि सात बरस बाद फिर पदारूढ हुआ है, इसलिए उसने इस फाइल को मेरे सामने पेश करना मुनासिब समझा। मैंने लिखित टिप्पणियों को पढा और मुझे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि यह फाइल तो मेरे पुराने मुवक्किल उमाशकर की ही थी। मेरा खयाल था कि वह तो कबका फामी चढ चुका होगा, लेकिन मालूम हुआ कि जहा उसकी रहम की दरस्वास्त गवर्नर और वाइसराय दोनो ने ही नामजूर कर दी थी, वहा प्रिवी कौंसिल में उसकी अपील का इस बीच फैसला नही हो पाया था और आखिकार १८ मार्च १९४६ को वह अपील रद्द हो गई। इस अपील की अस्वीकृति को सूचना लदन के इडिया आफिस ने भारत सरकार द्वारा प्रातीय सरकार को तार द्वारा दी थी। परिणामस्वरूप इस तार की प्राप्ति पर दफ्तर के सुपरिंटेंडेंट ने टिप्पणी लिखी थी कि फासी रोकने की आज्ञा को अब वापस लिया जाय और जेल-अधिकारियों को फासी देने का आदेश जारी किया जाय। लेकिन इस हालत में मुझे क्या करना था? इससे पूर्व १९३७-३९ के दो बरसों में जब मैं मन्त्रिमंडल में था, उस समय ऐसा कोई भी मामला मेरे सामने आता, जिसमें वतौर वकील के मुझसे सलाह ली जाती, तो मेरा यह तरीका था कि ऐसे कागजों को आज्ञा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य-मंत्री के पास भेज देता था।

तदनुसार मैंने फाइल पर लिख दिया कि इस मामले में मुझसे पूर्व ही मलाह लो जा चुकी है। इसलिए मैं इस सवध में कोई राय नही देना चाहता। इस बारे में मैं सर्वथा मौन रहा। इसके अलावा मैंने फाइल में देखा कि श्री विवियन को लिखा मेरा पत्र और उनका जवाब भी उसमें नत्वी था। इससे

मैं खुद उमाशंकर को फासी पर चढ़ाने की आज्ञा नहीं दे सकता था। मैंने वह फाइल मुख्य-मंत्री के पास भेज दी। इसके बाद इस विषय में मैंने श्रीर कोई दिनचर्या नहीं ली और काप्रबन्ध मैं भूत भी गया।

बहुत दिनों बाद, वान-वान में विभाग के मन्त्रि ने मुझे बताया कि सरकार ने मृत्यु-दंड की जगह इस अपराध पर आजीवन कारावास की सजा देने का निर्णय किया है कि कैदी के मिर पर लगभग तीन वर्ग मीटर मृत्यु-दंड लटकता रहा है, इसलिए उसे फासी पर चढ़ाना अमानवीय जान पड़ता है।

यदि कांग्रेस मन्त्रि-मंडल चार दिन बाद पद-ग्रहण करना या फाटन मेरे सामने पेश किये बिना ही दफ्तर में फासी की आज्ञा जारी हो जाती, तो वह आदमी फासी के तस्ते पर झूल जाता। लेकिन भाग्य को वह मजूर न था और परमात्मा की दया में उसकी जान बच गई।

इसके कई महीने बाद का जिक्र है। मैं उस जिले का दारा कर रहा था। एक दिन कानपुर लौटने हुए रात के नी बज गये। एक जगह मैंने देखा कि सड़क पर लालटेनो और टार्चो के साथ बहुत-से लोग जमा है। वार रोकी गई और मैंने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने जवाब दिया कि आप चूकि जमींदार उमाशंकर के गाव में निकल रहे हैं, इसलिए उमाशंकर के परिवार की स्त्रिया आपके दर्शन करना चाहती हैं। मेरा दिल भर आया और मेरी आंखों में उमाशंकर की युवा पत्नी की उन दिनों की दयनीय अवस्था का चित्र आ गया। मैं रात में उतर पड़ा और एक या दो फर्निंग पैदन चक्कर उमाशंकर के मकान पर पहुंचा। वहां उसकी पत्नी न मेरे पाव द्रुण। मैंने देखा कि सारा मकान एक खडहर की हावत में है। उसने बताया कि वान-दार की हत्या के बाद पुनिमवाना न इस घर का हर तरह में नष्ट कर दिया और सब-कुछ लूट लिया। मैं नहीं जानता कि वह सब था या बूठ, पर मकान की हालत स्वत ही बनना रही थी।

इसीको कहते हैं भाग्य का चक्र।

१६ :

पहियों के निशान

फौजदारी मामले में अभियुक्त हवालात में होता है, इसलिए वकील को अपने मुवक्किल से कोई खास सहायता नहीं मिल पाती। इसपर अदालत में कँदी अक्सर अपराव-स्थल से अपनी गैर-मीजूदगी का समर्थन करता है, जो या तो कोरा झूठ होता है या ऐसे सबूत के सहारे पेश किया जाता है जो सहज ही झूठ साबित हो जाता है। इसके अलावा भारत में अभियुक्त की सबसे पहली प्रवृत्ति यही रहती है कि वह अपराव-स्थल से, जितना सभव हो, दूर चला जाय और वाद में यह कह सके कि वह तो वहा मीजूद ही नहीं था। एक आदमी के बारे में यह कहा जाता है कि उसने कलकत्ते में अमुक की हत्या की और उसका यह कहना कि वह ठीक हत्या के समय लाहौर में था, उसके वकील के लिए बड़ा टेढ़ा प्रश्न बन जाता है। उस दशा में वकील ऐसे गुणों के आवार पर एक दूसरा मामला तैयार करने में अपनी सहज बुद्धि और अनुभव पर ही निर्भर रह सकता है, ताकि उसका मुवक्किल अपराव से मुक्त हो जाय। दंडित या अपराधी व्यक्ति से मामले की सचाई पूछना निर्दयता ही नहीं, बल्कि मूर्खता है। इसलिए अभियुक्त के साथ तो मैं बहुत कम बात करता था। मैं केवल मिसलों को पढता और अपने सायियों के साथ मामले पर विचार कर लेता। यह विचार ही वस्तुतः वौद्धिक श्रम बन जाता था और इस विचार-विनियम में हम शरलॉक होम के सब नियमों के अनुसार अमल किया करते थे।

उदाहरण के लिए आप इस विचित्र नियम को लीजिये कि आप एक आदमी या गतिशील वस्तु का पीछा करते हैं और आपको शारीरिक रूप में उस आदमी या वस्तु का उन अवस्थाओं में उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा में जाना असंभव जान पडता है। तो आप कितनी शका होने पर भी उसके जाने की दिशा पश्चिम मान लेंगे और आप उसी दिशा में उभ

की खोज करने लगेंगे। यह नियम है तो मामूली-सा, लेकिन अक्सर इसकी उपेक्षा की जाती है। शरलॉक होम के इमी सरल से नियम के सहारे शिवमगलसिंह फामी के तख्ते से माफ वरी हो गया। अपने वकालत के जीवन में मुझे वह मुकदमा बड़े मार्के का जान पड़ा था। महज एक ही बात के कारण एक आदमी का मृत्यु के मुह में साफ वच जाने का मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता कि सचाई क्या थी और न शिवमगलसिंह को मैंने उस एक दिन के बाद कभी देखा, जब वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी अपील में हाजिर हुआ था। सेशन अदालत में इस्तगासे की वह कहानी इस प्रकार पेश की गई थी

एक किसान ने एक दिन दोपहर के समय अपने खेत में खून के बड़े-बड़े धब्बे देखे। यह खेत उसके गाव से काफी फामले पर एक नहर के किनारे के पास था। नहर के किनारे की सड़क कुछ दूरी पर एक ऐसी देहाती कच्ची सड़क से जा मिलती थी, जो उत्तर से दक्षिण की जाती थी। किसान खून के उन दागों को देखकर बड़ा परेशान हुआ। वह गाव में आया और उसने गाव के चौकीदार को इसकी सूचना दी। फौरन चौकीदार किसान के साथ उस खेत में गया और उसने इस बात की तसदीक कर ली। इसके बाद पुलिस-थाने में जाकर देखी हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। इस पर थानेदार एक सिपाही के साथ घटना-स्थल पर गया। लगभग सूरज डूबने के समय की यह बात है। थानेदार ने बड़े गौर में इधर-उधर देखा। उसे एक स्थान पर कुछ मात्रा में खून और देमी स्लीपरो का एक जोड़ा दिखाई दिया। इससे आगे उसने ऐसे निशान देखे कि किमी आदमी या वस्तु को खेत के पार खींचकर ले जाया गया है। ये निशान उमें नहर के किनारे के साथ-साथ जानेवाले उस रास्ते पर ले गये, जहाँ उमने दो पहियों के निशान देखे। इन लकड़ों का उसने पीछा किया और आखिरकार वह ऊपर कहीं लगी-चौड़ी सड़क पर पहुंचा गया। वहाँ रुक कर उमने

देखा कि छकडे के पहियो की लकीरे उत्तर और दक्षिण दोनो दिशाओ में जा रही है । अपनी दी हुई गवाही के अनुसार पहले तो वह उत्तर दिशा की ओर गया और उसने देखा कि वे लकीरे लगभग १०० गज तक एक काफी चौड़ी लेकिन सव्त जमीन तक चली गई है और उसी-में उस राह का भी अंत हो गया । उसने सोचा कि यह तो घोखे की पगडंडी है, इसलिए वापस ही लौटना बेहतर होगा । तदानुसार वह मुड़ा और दक्षिण दिशा में चला । इस ओर उसे अधिक सफलता मिली, क्योंकि लगभग दो फर्लांग तक बिल्कुल साफ-साफ पहियो के निशान बढते गये थे और पेडो के एक बडे झुड में उनका अंत हो गया था । जो हो, यह थी वह जगह, जहा बडी भयकर घटना घटी थी, क्योंकि यहा ढेरो लहू के सूखे हुए घट्टे थे । पहियो के निशान इससे आगे नही गये थे । सारे मामले का यही अंत हो गया था । साफ जाहिर था कि यहा पर किसी-की हत्या की गई है । चारो ओर खेतों में फमलें उगी हुई थी, पुलिस-दल अधिक पता लगाने के लिए इधर-उधर गया । एक खेत में एक जगह कुछ-कुछ ताजी मिट्टी भरी दिन्वाई दी और खुदाई करने पर उसमें से एक बडल मिला, जिममें बहुत से बस्ये थे और उनमें एक बहीखाता लिपटा हुआ था । थोडी-बहुत परेशानी के बाद लोगो ने उस बडल को पहचान लिया और बताया कि वह रामनारायण फेरीवाले का है । वह अपने हाथ-ठेले पर सामान लाद कर हर हफ्ते गाव की पैठो में जाया करता था और बहीखाते में वह अपने ग्राहकों का लेन-देन दर्ज करता था । यह खेत शिवमगलसिंह का था । इस बीच अघेरा भी हो चुका था और सडक का यह दक्षिणी छोर भी यही खत्म हो जाता था । इसलिए थानेदार अपने सिपाही के साथ गाव में आ गया और उसने जमींदार के घर में रात बिताई । अगले दिन जो उसने किया, उसमे यह मामला उलझ गया । अपनी गवाही के अनुसार, जिसे जज ने स्वीकार किया था, उसकी गति-विधि सर्वथा स्वाभाविक-सी रही और अपनी जाच-पडताल के वारे में उसने किसी प्रकार की दिल-

चस्पी नहीं प्रकट की। उसने शिवमगलसिंह को बुलवाया, पर वह गाव में हाजिर नहीं था। थानेदार ने गाववालो के माथ सरकारी ढग से इस मामले पर विचार किया। लेकिन जब वह घटना-स्थल पर जाने लगा, तो गाववालो ने उसे थोड़ा रुकने को कहा। उन्होंने बताया कि शिवमगलसिंह आ गया है और इस वारे में कुछ बताना है। थोड़ी देर बाद वे शिवमगलसिंह को थानेदार के सामने ले आये और शिवमगलसिंह ने सब-कुछ साफ-साफ बतला दिया। उसने यह कबूल किया कि उसने रामनारायण की हत्या की और उसके वस्त्रों को अपने खेत में दबा दिया और रामनारायण के शव को अढाई मील दूर एक जंगल के कुए में फेंक दिया। उसने उस कुए का पता बताया और थानेदार ग्रामीणों के दल के साथ उस कुए पर गया, लेकिन शिवमगलसिंह इस दल में नहीं था। थानेदार ने बताया कि उसके साथ केवल एक ही सिपाही था और उसका खयाल था कि शिवमगलसिंह को कुए तक ले जाने में खतरा हो सकता है। संभव है, वह भाग जाय। इसलिए थानेदार उसे जमींदार के मकान में ताला लगाकर बंद कर गया और सिपाही को उसकी चौकसी पर तैनात कर गया। कुए में उतरकर रामनारायण का शव बाहर निकाला गया। इसके बाद थानेदार और सारा दल गाव में लौट आया और शिवमगलसिंह से अविज्ञ जाच की गई। उसने छरुडे का भी पता बताया। छरुडे का ढाचा और पहिये अलग-अलग थे। ढाचा तो उसके घर ही के पास था और पहिये एक खेत में अरहर की फसल और घास के ढेर के नीचे पड़े थे। थानेदार के इस बयान का उन कई ग्रामवासियों ने समर्थन किया था, जो शिवमगलसिंह के प्रति किसी तरह का द्वेषभाव नहीं रखते थे। इन ग्रामवासियों ने शिवमगलसिंह के अपराध कबूलने का समर्थन किया था। उनके कहने के अनुसार थानेदार के पास से पहले शिवमगलसिंह ने लोगों के सामने भी अपराध कबूला था। लेकिन इस अपराध का आखो-देखा कोई गवाह न था। सारा मामला शिवमगलसिंह को कबूली और उसकी सूचनानुसार शव

श्रीर छकडे की प्राप्ति पर ही निर्भर था । यदि यह सबूत विश्वस्त था—
श्रीर जज इसे शब्दश मान लेता है—तो इस मामले का यही अंत हो जाता
है श्रीर शिवमगलसिंह को फासी होगी ही । तदानुसार उसे फासी की सजा
हुई श्रीर उसने हाई कोर्ट में अपील कर दी ।

जब मैंने गवाहियों को पढा, तो उनमें कही गुजायश नहीं थी । सभी
गवाह भले आदमी नजर आते थे श्रीर शिवमगलसिंह को फासी के
तस्ते पर झुलाने में भी उनका मकसद नजर नहीं आता था । लेकिन
भारत में मौखिक साक्षी को महत्व देने मे यही एक निर्णयात्मक
अंश नहीं होता । एक आदमी भारत की कानूनी अदालतों में झूठी गवाही
क्यों देता है, इसका कारण या उद्देश्य जान लेना भी कभी-कभी बड़ा
कठिन हो जाता है । बहुधा डममें थाने या थानेदार के पक्ष को ही
ममयन देने की इच्छा निहित होती है । कई बार मुझे ऐसा मौका पडा
है, जब किसी जज ने मुझे विपरीत स्थिति में डाल दिया श्रीर मैंने इम
सवाल का जवाब देने से इन्कार कर दिया कि क्यों अमुक गवाह झूठ
बोलता है । मेरा कहना था कि इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए
संभव नहीं है ।

इस खाम मुकदमे में गवाहों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता
था, लेकिन एक बात से तो मुझे भारी आश्चर्य हुआ कि थानेदार जब कुएँ में
से शव को निकालने गया था, तो वह शिवमगलसिंह को साथ नहीं ले गया था ।
जब कभी पुलिस अभियुक्त की सूचना पर किसी चीज को वरामद करने जाती
है, तो वस्तु के वरामद होने के समय अभियुक्त को अवश्य हाजिर किया
जाता है श्रीर अमल में वही व्यक्ति घटना-स्थल से वस्तु वरामद करने की
विधि बतलानेवाला होता है । शिवमगलसिंह को इसलिए नहीं ले
जाया गया था, क्योंकि उसका पुलिस की हिरान्त ने भाग जाने का डर
था । यह कहानी मुझे मन-गढत लगी । क्या यह नहीं समझा जा सकता
कि कुएँ में से शव की प्राप्ति किमी श्रीर ही कारण हुई थी ? लेकिन
यदि शिवमगलसिंह ने पुलिस को न बताया होता, तो पुलिस उसके बारे

मे जान भी कैसे सकती थी ? यह एक विचारणीय प्रश्न था, क्योंकि वह कुआ आने-जाने की राह से बिल्कुल हट कर और बड़ी दूरी पर एक जगह में था और कोई भी जाच करनेवाला अफसर किसी निश्चिन्त सूचना या किसी उचित कारण के बिना उसमें खोज करने की मोच भी नहीं सकता था । यहाँ मुझे एक खास दस्तावेज मिला, जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण और सारे भेद को स्पष्ट करनेवाला दिखाई दिया । लेकिन मातहत अदालत ने उसपर तनिक भी ध्यान नहीं दिया था । वह था घटना-स्थल का नक्शा, जो थानेदार ने अपनी खोज के दौरान में गवाही के साथ पेश किया था । इस घटना-स्थल के नक्शे में जिन बातों का मैं उल्लेख कर चुका हूँ, वे सब स्पष्टतया दिखाई गई थी । लेकिन उत्तर दिशा में यह नक्शा एक कहानी को प्रकट करता था । पहिले के निशान उत्तर दिशा में थोड़ी दूर तक साफ-साफ दिखाये गये थे और उसके बाद ५०-७५ गज का एक सूखा और कठोर भूमि का हिस्सा आता था, जिसपर कोई निशान नहीं थे । उसके बाद नरम भूमि आ जाती थी और निशान फिर शुरू हो जाते थे, जो बहुत दूर तक तक गये थे । तब एकाएक दाईं ओर घूम गये थे । ये निशान सीधे कुएँ तक पहुँचते थे । मेरे खयाल में यह नक्शा बहुत ही महत्वपूर्ण था और तत्काल ही मुझे लगा कि शिवमगलसिंह का कयन थानेदार को कुएँ तक नहीं ले गया था, पहिले के निशानों का ही यह रोल है, और ये निशान ही अमली सूचना देनेवाले हैं । पुलिस ने अपनी चतुराई से बेचारे शिवमगलसिंह पर इस बरामद होने के तथ्य को लाद दिया है । मैंने मन-ही-मन अनुमान लगाया कि अगर शरलॉक होम को इस खोज का काम सौंपा जाता, तो वह क्या करता । निश्चय ही वह, जबकि गव तेज थी, शिकारी कुत्ते की तरह उनका पीछा करता । वह थानेदार की तरह गाव में ही सबेरे का सारा बक्ल न गवाता, बल्कि अंधेरे ही उठकर घटना-स्थल की ओर चल देता । यदि आवश्यक होता, तो वह दक्षिणी छोर को भी फिर से देख जाता और यदि उसे जचना कि वह नितात

अंतिम छोर है, तो वह अपने-आप से कहता—“छकड़े हवा में गायब नहीं हो जाते। यदि यह छकड़ा पश्चिम की ओर नहीं गया और चूकि पूर्व और पश्चिम का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, तो वह निश्चय ही उत्तर को गया होगा, अतः मुझे फिर से उत्तर की ओर चलना चाहिए।” इसलिए वह फिर से उत्तर दिशा की ओर जाता और सख्त जमीन के टुकड़े को देखने के बाद वह और आगे बढ़ता। उसके बाद फिर मे उसे पहियों के निशान मिल जाते, जो उसे सीधे कुएँ पर ले जाते। फिर मैंने मन-ही-मन सोचा कि मुझे इससे क्या मतलब है कि थानेदार शरलॉक होम-जैसा चतुर था या नहीं? थानेदार की मौजूदा गवाही का एकमात्र आशय शिवमगलसिंह को फसाना था। उसे शव मिल गया था और उसके बाद उसने खयाल किया कि वस्त्रों का बडल चूकि शिवमगल के खेत में दबा हुआ पाया गया, इसलिए वही असली अपराधी होगा और उसीको इस अपराध में फासा जा सकता है। इस प्रकार, जहाँ तक शिवमगलसिंह के जीवन का संवघ था, वह मृत देह इस मामले में बड़ा ही ज्वलत प्रमाण था। इस दृष्टि से विचार करने से यह बहुत ही सहज-सा जान पड़ा और मैंने अदालत में इस ढंग से उसे पेश करने का निश्चय किया।

वह पेशी मुझे कभी नहीं भूलोगी। मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो प्रमुख न्यायाधीशों सर जेम्स आलसप और श्री गगानाथ के सामने पेश हुआ था। जैसे ही मैं अदालत के कमरे में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि शिवमगल ड्योढी में से झाक रहा है। पीला-जर्द उसका चेहरा था। उस मुझे नमस्कार किया। मैंने नमस्कार का जवाब दिया, लेकिन उसके साथ कोई बात नहीं की। बात करने से कोई फायदा भी नहीं था। लगभग साढ़े दस बजे मुकदमे की सुनाई शुरू हुई। मैंने सक्षेप में मुकदमे के तथ्यों को पेश किया। अपने तर्कों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मैंने मंच पर जाने की स्वीकृति ली। मंच पर जाकर मैंने विद्वान जजों के सामने घटना-म्वल का नक्शा पेश किया, जिसका आश्चर्यजनक

हुआ। मैंने चालीस मिनट से भी कम समय लिया होगा, लेकिन मेरी बात विद्वान जजो को जच गई। सरकारी वकील मिस्टर मोहम्मद इस्माइल थे। फौरन ही सर जेम्स ग्राहलसप् ने उनसे कहा—“कहिये, आपको क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि तथ्य वही है जो डा० काटजू ने उपस्थित किया है।” मिस्टर इस्माइल ने शिवमगल की अपने साथी ग्रामीणों से कबूलने-मबधी मौखिक गवाही का उल्लेख किया, लेकिन सर जेम्स पर इसका कोई अमर न हुआ। उन्होंने कहा कि कथित जवानी कबूलने के आधार पर मजा को स्थिर रखना मुमकिन नहीं। छकडे के निशान ही इस मामले के असली निणायक हैं। घटे भर के अदर-अदर उन्होंने अपना फैमला लिख दिया।

इसी बीच मुझे दूसरी अदालत में पेश होने का बुलावा आ गया और जैसे ही मैं अदालत के कमरे से बाहर निकल रहा था, शिवमगल ने मुझे देखा। उसने खयाल किया कि मैं उसके मुकदमे को बीच ही में छोड़े जा रहा हूँ, सलिए मैंने उससे वस इतना ही कहा—“तुम छूट गये।” उसे अपने कानों पर जैसे विश्वास नहीं हुआ और विस्फारित आखों एव कपित स्वर में उसने चिल्लाना शुरू किया—“हम छूट गये। हम छूट गये।”

: २०

जवाहरलाल नेहरू : वकील के रूप में

पंडित जवाहरलाल के इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य करने के बारे में अकमर तोग मुझसे पूछा करते हैं। १९१२ में इंग्लैंड में उन्होंने वकालत पास की थी और उमी साल स्वदेश आकर इलाहाबाद-वार में शामिल हुए। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू उन दिनों चोटी के वकील थे और मयुक्त प्रांत-भर में उनका नाम था।

कानपुर की अदालतों में छः बरस तक काम करने के बाद मैं इलाहा-

वाद आ गया और १९१४ में इलाहाबाद हाई कोर्ट-वार का सदस्य बन गया। जवाहरलाल, जैसाकि उन्होंने अपनी आत्म-कथा में लिखा है, १९१६ में श्रीमती एनी वेसेंट द्वारा चलाये होम-रूल आंदोलन की ओर आकर्षित हो गये। वह तन-मन से इस आंदोलन में काम करने लगे। यह १९१७ की बात है। उनके बाद पजाब के मार्शल लॉ और उसके बाद की घटनाएँ जवाहरलाल को अदालती के रंग-मंच से दूर ले गईं। इस प्रकार जवाहरलाल के अदालती जीवन की अवधि चढ़ वर्ष ही रही। वह और मैं एक-दूसरे को भली प्रकार जानते थे, लेकिन बहुत घनिष्ठता नहीं थी। हम हाई कोर्ट में मिला करते थे, परंतु सामाजिक सबब बहुत थोड़ा था। उन दिनों मैं ऐसा कर भी नहीं सकता था। १९१९ के बाद जब जवाहरलाल गांधीजी के प्रभाव में आये और उन्होंने तन-मन से अपने-आपको कांग्रेस-आंदोलन में झोक दिया, तभी से वह जनता में मिलने लगे और तभी से मेरे सबब भी उनके साथ घनिष्ठ हो गये, अन्यथा वह और मैं ऐसी दुनियाओं में रहते थे, जो एक-दूसरे से बहुत दूर थी।

लोगों को इस बात का शक है कि जवाहरलाल अपने पिता के समान ही अदालती काम में सफल होते या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है और इसके विषय में केवल कल्पना ही की जा सकती है। अदालती सफलता का भेद वस्तुतः कई सदियों से एक रहस्य ही है। जवाहरलाल ने वकालत-जीवन को पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र के तौर पर शुरू किया था, जिससे उनको भारी लाभ था। सामाजिक रूप में सभी जज उन्हें जानते थे और उनका व्यावसायिक रूप में सयुक्त प्रांत के प्रमुख परिवारों, जमींदारों और उद्योगपतियों के साथ भी सामाजिक सबब हुआ होगा, जो कानूनी पेशे की खुराक है। मुझे भली प्रकार याद है कि एक वर्ष से भी अधिक काल तक उन्होंने मशहूर लाखना-केस में पंडित मोतीलाल नेहरू के जूनियर वकील के तौर पर बड़ी कड़ी मेहनत की थी। यह मुकदमा कई बरसों तक चलता रहा था और आखिरी दौरान में मैं भी पंडित मोतीलालजी के जूनियर के तौर पर काम करता रहा था। अपनी वकालत के

मेरे और उनका बहुत कम ही वास्ता पड़ा, लेकिन दो मुकदमे मुझे याद हैं, जिनमें वह और मैं साथ-साथ पेश हुए थे।

पंडित मोतीलालजी ने कानपुर में १८८० के आस-पास वकालत शुरू की थी और कानपुरवासी आजीवन उनका मान करते रहे। वे उन्हें प्रेम करते थे और उन्हें अपना आत्मीय समझते थे। उनके युवाकाल के वहां कई मित्र थे, जिनके साथ श्री मोतीलालजी का घनिष्ठ संबंध था। उनमें एक बाबू वशीधर थे, जो कानपुर में स्नेहवश बमीबाबू के नाम से मशहूर थे। इलाहाबाद के नेहरू-परिवार और कानपुर जिला अदालत के प्रमुख नेता पंडित पृथ्वीनाथ के साथ उनकी गहरी घनिष्ठता थी। मैं समझता हूँ कि वसीबाबू ने जवाहरलाल को बचपन में जरूर खिलाया होगा और १९०८ में जब मैंने कानपुर में अपना जीवन आरंभ किया था और वसीबाबू को मालूम हुआ कि मैं पंडित पृथ्वीनाथ का जूनियर हूँ, तो तत्काल उन्होंने मुझे अपने आश्रय में ले लिया। वसीबाबू के जीवन की अनेक दिशाएँ थीं। वह जमींदार थे, एक तरह से साहूकार थे और मक्के के मित्र थे। उनकी बिरादरी का एक नौजवान था, जिसने बैंक में नौकरी करना चाही थी। उससे अच्छे आचरण के प्रमाण के लिए कहा गया। वह वसीबाबू के पास गया और उन्होंने फौरन दो हजार रुपये की जमानत दे दी। इस आदमी को नौकरी तो मिल गई, लेकिन कुछ बरमो वाद बैंक से कुछ पया गायब हो गया। आदमी देनदार ठहराया गया और जमानती होने के कारण वसीबाबू को वह हानि पूरी करने के लिए कहा गया। स्वभावतः ही वह इस जिम्मेदारी से छूटना चाहते थे। प्रश्न यह था कि जमानत की शर्तों इस मुकदमे के अनुकूल हैं। बैंक ने अदालत में मुकदमा किया और कानपुर की अदालत ने फैसला दिया कि बमीबाबू देनदार हैं और उन्हें यह अदायगी करनी होगी। वह इलाहाबाद आये और इस मामले को अपने घनिष्ठ मित्र पंडित मोतीलाल और डाक्टर तेजबहादुर सप्रू के पास ले गये। वसीबाबू जब कभी इलाहाबाद आया करते थे, तो मेरा खयाल है कि वह हमेशा आनंद भवन में ठहरा करते थे। दोनों ने ही इस मामले को निराशापूर्ण

वताया। उसके बाद वह मेरे पास आये। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह विल्कुल स्पष्टवादी थे। उन्होंने कहा कि पंडित मोतीलाल ने मँने सलाह ली थी। मोतीलाल ने कागजात भी पढे, परंतु मामले को निराशापूर्ण वताया। पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला बहुत-ही मामूली-सा है। मुझे यह निराशापूर्ण जान पड़ता है, लेकिन मेरा मुझाव है कि इन छोटे मुकदमों के लिए तुम्हें जवाहरलाल और कैलास-नाथ-जैसे नये खिलाड़ियों के पास जाना चाहिए। उन्हें अपने कागजात दिखाओ। उनके पास काफी समय है और बहुत मुमकिन है कि वे कोई नुक्ता खोज निकालें। न तो मेरे पास और न तेजबहादुर के पास समय है और न हमारी इसमें कोई दिलचस्पी है। इस तरह बसीवाबू मेरे पास आये थे। ये बातें दोहराने के बाद वह मुझसे बोले—“मैं जवाहरलाल से तो मिल चुका हूँ और अब मैं आपके पास आया हूँ। चाहे कुछ भी हो, इसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैंने इस मामले पर अदालत में लड़ने का फैसला किया है। मैं अभी तक किसी मुकदमे में कभी नहीं हार हूँ और मुझे विश्वास है कि आप दोनों मेरे इस मुकदमे को जीतेंगे।” मैं हसा और बोला—“यह तो सलाह मागना नहीं, बल्कि आदेश देना है।” तदानुसार जवाहरलाल और मैंने इस मामले का अध्ययन किया और हमें उसमें कुछ तत्व नज़र आया। हमने अपील के मुद्दे लिखे और मैंने जवाहरलाल से कहा—“अपील की स्वीकृति की प्रारंभिक बातों को अब तुम पूरा कर जाओ।” जवाहरलाल ने बड़ी कामयाबी के साथ वह काम किया। यह मामला तो मजूर हो गया, लेकिन तभी बेचारे बसीवाबू स्वयं ही चल बसे और अपील की आखिरी पेगों से पहले ही जवाहरलाल भी राजनीति में चले गये।

एक और मामले में हम एक-दूसरे के विरोधी थे। गर्मियों के दिनों में एक रोज़ नारायणदास नामक (बसीवाबू की विरादरी का) एक व्यक्ति एक मुकदमे के फैसले के साथ आया। कानपुर में वह यह मुकदमा हार चुका था और उसने मुझे अपील दाखिल करने को कहा। उसने मुझे

बताया कि मुकदमा तो विल्कुल निराशापूर्ण है, लेकिन अपील दाखिल करनी ही होगी, क्योंकि यदि फैसला बहाल रहा तो वह उम एक मकान में बेदखल हो जायगा, जिसमें उमका परिवार लगभग पचास वरसों में रह रहा था। इसके अलावा इस समय कानपुर में कोई मुनासिब मकान भी नहीं है और वरसात के दिन नजदीक है। इसलिए वह बेदखली को कुछ दिन टालना चाहता है और वह केवल अपील दाखिल करने में ही हो सकता है। मैंने कागजों को पढ़ा और मचमुच यह मुकदमा विल्कुल निश्चिन्ना था। इसकी शुरुआत औरतो के बीच झगड़े में हुई थी। पता लगा कि एक सपन्न व्यक्ति (नारायणदास के नाना) के तीन बेटे और एक बेटा थी। उसके पास बहुत-सी जायदाद और कई रिहायशी मकान थे। बेटा एक मध्यम वर्ग के परिवार में व्याही गई थी और पिता ने अपनी बेटा को इन मकानों में से एक में रिहायश की मजूरी दे दी थी। वह न केवल अपने पिता के जीवन-काल में ही वहाँ रही, बल्कि उमकी मृत्यु के बाद भी अपने भाइयों की रजामदो से रहती रही। ये लोग अमदिग्ध रूप में उम संपत्ति के मालिक थे। कमेटी के रजिस्ट्रो में मालिकों के तौर पर उनके नाम दर्ज थे, वे सब तरह के टैक्स अदा करते थे और अगर मैं गलती नहीं करता तो वे मकान के एक हिस्से में अपनी गायों को भी रखा करते थे। आखिरकार तीनों भाइयों ने अपना बटवारा कर लिया। यह मकान उनमें से उस एक के हिस्से आया, जो स्वतः निस्सनान था और उसकी मृत्यु के बाद उमकी पत्नी उत्तराधिकारिणी होने के नाते इस मकान की मालकिन बन गई। यह १९१४ की बात है। इस मकान में इस औरत की ननद अपने बच्चों और पोतों के साथ रहती थी। मुझे बताया गया कि दोनों औरतों में मेल-जोल था, लेकिन कुछ दिन हुए, उनमें आपस में कुछ झगडा-सा हो गया। इस पर इस मकान मालकिन ने ननद में कह दिया—“मेरे मकान में निकल जाओ।” वह नहीं निकली और इसलिए यह मुकदमा हुआ। इस मामले का कोई जवाब नहीं था और न कोई बर्गीयत थी। इतने पर भी प्रति-वादी के वकीलों ने समय लेने के लिए विपरीत स्वत्वाधिकार का समर्थन

किया और एक छोटे जज ने उनके पक्ष में फैसला भी दे दिया । जिला जज की अदालत में अपील करने पर यह मामला खत्म हो गया, क्योंकि विपरीत स्वत्वाधिकार का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था । जिला जज ने मकान-मालकिन के हक में फैसला किया । जैसाकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, नारायणदास खुद भी जानता था कि इस मामले में जान नहीं है, और वह चार मास तक इस मकान में और रहना चाहता था । मैंने उमसे साफ-साफ कह दिया कि यह मामला मेरी ताकत से बाहर है । अगर मेरे जैसे जूनियर वकील ने इसकी अपील की प्रारम्भिक पेशी में बहस की, तो मुमकिन है कि यह मजूर ही न हो । इसलिए किसी बड़े वकील को ही करना चाहिए । नारायणदास फौरन मान गया और मैंने डाक्टर तेजबहादुर को प्रेरणा की कि वह मुकदमे में मेरे बड़े वकील बन जाय । अपील एक जज के सामने पेश हुई, जो मजूरी देने में तनिक उदार थे । डाक्टर सप्रू उठे और उन्होंने कहा—“कानूनी प्रश्न अवधि-सबवी है ।” और विद्वान जज ने कहा—“नोटिस जारी कर दिया जाय ।” इस तरह एक वाधा तो पार की गई और उसके बाद मैंने वेदखलो की आज्ञा को रोकने की दरखास्त दी, जो यथाक्रम मजूर कर ली गई । कुछ सप्ताहों के बाद वकीलों की लाइब्रेरी में पंडित मोतीलाल ने विनोद में कहा—“कैलासनाथ, क्या तुमने यह नियम ही बना लिया है कि कानपुर के हर एक मुकदमे की अपील की जाय ?” पहले तो मैं समझा नहीं और बोला—“भाईजी, क्या बात है ?” इसपर वह बोले—“वह बुढ़िया औरत आनंद भवन में आई थी और जवाहरलाल की मा के पास गई थी । उमने अपना सारा मामला उनसे कहा था । इसके बाद उन्होंने इस विषय में मुझमें चर्चा की और मुझे उसे मजूर करना पडा । यह विल्कुल ही निकम्मा मुकदमा है । तुमने इसकी अपील कैसे की ?” इसपर मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई और उन्होंने वादी का मामला लेना स्वीकार किया ।

मैं समझता हूँ कि लगभग दो बरस के बाद वह अपील चीफ जज हेनरी रिचर्ड्स और श्री जस्टिस रफोक के सामने पेश हुई

मोतीलाल उस दिन थे तो इलाहाबाद में ही, लेकिन मभवत उन्हें घर पर ही कोई अधिक आवश्यक काम था, इसलिए उन्होंने इस मुकदमे की अपील जवाहरलाल को सौंप दी। इस तरह जवाहरलाल अपने पिता की ओर से इस मुकदमे में पेश हुए।

अदालत के कमरे में बड़ी भीड़ थी। मेरे बड़े वकील डाक्टर तेजवहादुर मेरे पास बैठे थे। डाक्टर सप्रू और मैं दोनों ही जानते थे कि यह मुकदमा निस्सार है। जब मुकदमा पेश हुआ, तो स्वभावतः मैं आशा करता था कि डाक्टर सप्रू खड़े होंगे। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा—“कैलामनाय, इसमें है तो कुछ नहीं। तुम्ही जवाब दो और इसे खत्म करो।” मैं उठा और मैंने अभिनय शुरू किया। मैंने केवल तथ्य ही पेश किये और कई बार दोहराया कि बेटो और उमका परिवार चालीस साल से भी ज्यादा समय से मकान में रह रहा है और अधिक जोर देने के लिए मैंने कहा—“श्रीमान, नारायणदास तो वस्तुतः इस मकान में ही पैदा हुआ था।” जब मैंने यह कहा तो मैंने देखा कि सर हेनरी रिचर्ड्स ने अपना मुह एक कापी से ढक लिया और उन्हें झपकी आ गई। साथी जज ने भी इस बात को भाप लिया और उन्होंने बड़े टेंडे-टेंडे सवाल मुझसे किये। जब यह प्रश्नोत्तर जारी था, तो मैंने देखा कि सर हेनरी के मुह पर पडी कापी हिलने-डुलने लगी है। स्पष्टतया वह जाग गये थे और हर किसीको यह जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि वह वास्तव में मोये नहीं थे, लेकिन बड़ी गहराई के साथ मुकदमे का अध्ययन कर रहे थे। मैंने उन्हें देखा कि वह मुकदमे को उस जगह पर पढ रहे थे जहां नारायणदास को पैंतीस वष की आयु का बताया गया था। उनके सोने से पहले मैंने यह आखिरी शब्द कहे थे—“श्रीमान, नारायणदास इस घर में ही पैदा हुआ था।” मैंने देखा कि उन्होंने फिर पन्ना पलटा और एक मुझसे पूछा—“क्या आपने यह कहा था कि नारायणदास इस घर में पैदा हुआ था ?” मैंने कहा—“हां जनाव, यही।”

चीफ जज बोले—“लेकिन नारायणदास की उम्र तो पैंतीस वष की है।”

मैंने जवाब दिया—“जनाव, यही तो मेरा तर्क है। यह परिवार इन मकान में पिछले पचास वर्ष में है और बच्चे और पोते इममें पैदा हुए हैं।”

चीफ़ जज बोले—“बड़ी फिज़ूल बात है। दूसरी ओर से कौन हैं?”

इसमें पहले कि मैं अपनी बात की पुष्टि में कुछ और निरर्थक बातें कहने की कोशिश करूँ, डाक्टर सप्रू ने मेरे चोगे के छोर को खींचा और फुसफुमाये कि बस करो, और मैंने वैसा ही किया। अब जवाहरलाल की वारी थी। जवाहरलाल ने बड़ी शांति के साथ कहा कि यह मामला स्वत्वाधिकार के प्रश्न का है और जिला जज ने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है। सर हेनरी रिचर्ड्स ने निर्णयात्मक ढंग से कहा—“हां, मुझे मालूम है। यह तथ्य मालूम करने का मामला है और इममें हम दखल नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपको यह बता दूँ कि तथ्य-ज्ञान का यह सर्वथा विपरीत रूप है। वादी के पक्ष में कोई न्याय की बात नहीं है।” सर हेनरी कुछ ममय तक ऐसा ही कुछ कहने रहे और तब एकाएक बोले—“लेकिन आपका पक्ष तो औरत का है। इस मामले में औरत का अस्तित्व कहा से आ गया?”

जवाहरलाल ने तीन भाइयों के बटवारे का उल्लेख किया और कहा कि उनके भुवक्किल को यह मकान उनके पति के उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ है। लेकिन चीफ़ जज ने कुछ नहीं मुना। वह बोले—“यह सयुक्त परिवार की संपत्ति है। एक हिंदू स्त्री उस सयुक्त परिवार में उत्तराधिकार नहीं पा सकती। आपको तीन भाइयों में बटवारे का सबूत देना होगा।”

इस पर जवाहरलाल ने ज़िला जज के फैसले में से एक-दो वाक्यों का उल्लेख किया, लेकिन सर हेनरी पर कोई असर न हुआ।

चीफ़ जज ने कहा—“यह तो एक सरसरी बात है, यह तथ्य-ज्ञान नहीं है। दिखाइये, आपने कहा इस बात का उल्लेख किया है कि आपको यह मकान इस ढंग से हासिल हुआ? बटवारे का क्या प्रमाण है?”

इसके बाद जवाहरलाल ने कहा कि प्रतिवादियों ने इस तर्क से कही इन्कार नहीं किया और अगर जनाव का यह खयाल है कि उसे उचित रूप में पेश नहीं किया गया, तो यह मामला उचित निर्णय के लिए निचली अदालत

मोतीलाल उस दिन थे तो इलाहाबाद में ही, लेकिन मभवत उन्हें घर पर ही कोई अधिक आवश्यक काम था, इसलिए उन्होंने इस मुकदमे की अपील जवाहरलाल को सौंप दी। इस तरह जवाहरलाल अपने पिता की ओर से इस मुकदमे में पेश हुए।

अदालत के कमरे में बड़ी भीड़ थी। मेरे बड़े वकील डाक्टर तेजबहादुर मेरे पास बैठे थे। डाक्टर सप्रू और मैं दोनों ही जानते थे कि यह मुकदमा निस्सार है। जब मुकदमा पेश हुआ, तो स्वभावतः मैं आशा करता था कि डाक्टर सप्रू खड़े होंगे। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा—“कैलामनाय, इसमें है तो कुछ नहीं। तुम्ही जवाब दो और इसे खत्म करो।” मैं उठा और मैंने अभिनय शुरू किया। मैंने केवल तथ्य ही पेश किये और कई बार दोहराया कि बेटी और उमका परिवार चालीस साल से भी ज्यादा समय से मकान में रह रहा है और अधिक जोर देने के लिए मैंने कहा—“श्रीमान, नारायणदास तो वस्तुतः इस मकान में ही पैदा हुआ था।” जब मैंने यह कहा तो मैंने देखा कि सर हेनरी रिचर्ड्स ने अपना मुह एक कापी से ढक लिया और उन्हें झपकी आ गई। साथी जज ने भी इस बात को भाप लिया और उन्होंने बड़े टेढ़े-टेढ़े सवाल मुझसे किये। जब यह प्रश्नोत्तर जारी था, तो मैंने देखा कि सर हेनरी के मुह पर पडी कापी हिलने-डुलने लगी है। स्पष्टतया वह जाग गये थे और हर किसीको यह जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि वह वास्तव में मोये नहीं थे, लेकिन बड़ी गहराई के साथ मुकदमे का अध्ययन कर रहे थे। मैंने उन्हें देखा कि वह मुकदमे को उस जगह पर पढ़ रहे थे जहां नारायणदास को पैंतीस वर्ष की आयु का बताया गया था। उनके सोने से पहले मैंने यह आखिरी शब्द कहे थे—“श्रीमान, नारायणदास इस घर में ही पैदा हुआ था।” मैंने देखा कि उन्होंने फिर पन्ना पलटा और एकाएक मुझसे पूछा—“क्या आपने यह कहा था कि नारायणदास इस घर में पैदा हुआ था?” मैंने कहा—“हां जनाब, यही।”

चीफ जज बोले—“लेकिन नारायणदास की उम्र तो पैंतीस वर्ष की है।”

के पास भेज देना चाहिए ।

सर हेनरी ने कुछ नहीं सुना और तनिक ऊठोरता में बोले--“यह ऐमा मुकदमा नहीं है, जिसमें अदालत आपकी किमी भी रूप में रत्ती भर भी सहायता कर सके । यह आपका काम था कि आप इन आपत्ति को अपने वयान में ठीक ढग में पेश करते, जिसमें निणयात्मक प्रश्न प्रमाण के लिए उपस्थित हो जाता । इस स्तर पर हम इसे निचली अदालत में नहीं भेजेंगे ।”

जवाहरलाल ने एक घटे में भी अधिक समय तक मघप किया, लेकिन सब बेकार रहा । तत्काल फैमला कर दिया गया और अपोल मजूर हो गई । मुकदमा मय खर्चों के खारिज हो गया ।

इस फैसले से मकान-मालकिन को बड़ा आघात पहुंचा और वह रोती-चिल्लाती फिर मोतीलालजी के पाम आनंद भवन में आई । मोतीलालजी ने फैमले की नजरसानी के लिए दरवास्त दी और कई महीनों के बाद इसकी सुनाई हुई । मोतीलालजी जैसे ही उठे और उन्होंने मक्षेप में तथ्यों का वर्णन करने के बाद वहस शुरू करना चाही तो सर हेनरी बोले--“पंडितजी, मुझे यह मुकदमा अच्छी तरह से याद है और जवाहरलाल ने बहुत अच्छी तरह इसपर वहस की थी । गलन या मही हम इस अदालत में मुकदमों पर दुबारा वहस नहीं होने देंगे । दरवास्त नामजूर । अगला मुकदमा बुलाओ।”

सर हेनरी ने ये शब्द इनने विनोदपूण ढग से कहे थे कि मोतीलालजी भी हसे बिना न रह सके ।

१९१९ के बाद मैं समझता हू कि जवाहरलाल कई बार अदालतों में पेश हुए हैं, लेकिन वकील के तार पर नहीं, बल्कि एक कैदी के रूप में । अंतिम बार वह १९४५ में आजाद हिंद फौज के मुकदमे में दिलनों के ताल किले में उपस्थित हुए थे । निश्चय ही इस ऐतिहासिक अवसर पर वह एक वकील के रूप में पेश हुए थे ।

